माननीय गोविंदाचार्य को,
जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को तराशकर
आजीवन समाजसेवा की
कठिन राह के योग्य बनाने में
वैचारिक मार्गदर्शन और सृजनकर्ता की भूमिका निभाई
और जिनकी प्रेरणा के बिना
आपातकाल के उस यातनापूर्ण दौर में
अविचलित रहना संभव न था।

याद आए आपातकाल के वे काले दिन

एक अहंकारी प्रधानमंत्री के चलते भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल का बदनुमा धब्बा लगा था। उन दिनों विपक्ष की आवाज दबा दी गई थी। राजनीतिक बंदियों से जेलें भर गईं। उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं-नेताओं को अपराधियों और पागलों तक के साथ रहने के लिए विवश किया गया। अनेक आंदोलकारियों को पारिवारिक उत्सव अथवा दारुण दु:ख के समाचार जेल में ही मिले, फिर भी उन्हें परिवार के साथ खड़े होने की छूट नहीं दी गई। आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वाधीनता जैसे नागरिक अधिकार तो निलंबित थे ही, बंदियों के प्रति सहज मानवीयता भी नहीं बरती गई।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी जेल डायरी में आपातकाल से संबंधित जो संस्मरण लिखे हैं, उनसे तानाशाही के वे काले दिन एक सिहरन के साथ याद आ जाते हैं।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सुशील मोदी के संस्मरणों और लेखों का एक संग्रह प्रकाशित हो रहा है, जिसमें इनकी जेल डायरी को भी शामिल किया गया है। इनसे मेरा संबंध कई दशक पुराना है। हम दोनों ही छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन में आए। 1974 के उस ऐतिहासिक छात्र आंदोलन में हमने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था।

जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आंदोलन बिहार से निकलकर लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनन-फानन में आपातकाल लागू कर दिया। मेरे और सुशील मोदी जैसे हजारों छात्र नेता भी बंदी बना लिये गए।

उस दौर के बाद हम लोग मुख्यधारा की राजनीति में आए। अपने लंबे संसदीय जीवन में सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा में कई मुद्दे काफी तार्किक ढंग से उठाए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के बँटवारे संबंधी प्रस्ताव पर तत्कालीन राज्य सरकार के दोहरेपन और असमंजस पर उनका प्रहार अद्‌भुत है। यह एक भाषण न रहकर छोटे

राज्यों के विकास का गंभीर दृष्टिकोण पत्र बन गया है।

सुशील मोदी के कुछ चर्चित भाषण भी इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। लेखों, संस्मरणों और भाषणों के इस गुलदस्ते में गहरी अनभूतियों के रंगीन पुष्प ही नहीं, बेधती स्मृतियों के काँटे भी हैं।

आशा है, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों, विद्वानों और नई पीढ़ी के ऐक्टिविस्टों को गुलदस्ते के फूल और काँटे, दोनों पसंद आएँगे। इस प्रकाशन के लिए सुशील मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

—अरुण जेटली

(वित्त मंत्री, भारत सरकार)

''राजनीति में आएँ सुशील मोदी''

13 अप्रैल, 1986 को श्री सुशील कुमार मोदी के विवाह पर वर-वधू को आशीर्वाद देने **श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी** पटना आए थे। उस समय उन्होंने विवाहोत्सव में सम्मिलित स्वजनों और पारिवारिक मित्रों के बीच आत्मीयतापूर्ण भाषण किया और सुशील मोदी को मुख्यधारा की राजनीति में आने का औपचारिक आमंत्रण दिया। प्रस्तुत है उनके भाषण का लिखित रूप।

देवियो और सज्जनो,

आशीर्वाद देने के लिए पहले ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं, जो कभी विवाह के बंधन में बँधे ही नहीं। इसलिए मैं आशीर्वाद देने की औपचारिकता नहीं करूँगा, मैं इस अवसर पर अपना आनंद प्रकट कर रहा हूँ। यह एक अनूठा प्रसंग बन गया है। उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है। अंतरप्रांतीय, अंतरभाषीय, अंतर उपासना पद्धतीय इस विवाह में वधू केरल की है। केरल के निकट ही कुमारी कन्या सदियों से साधना करती रही है। पाटलिपुत्र हिमालय से जुड़ा हुआ है, हिमालय के सिर पर कन्याकुमारी की दृष्टि रही है। यह प्रेम पहले हुआ है, विवाह बाद में हुआ है।

पंडितजी ने ठीक कहा था कि विवाह के बाद प्रेम हो जाए वो भी ठीक है, लेकिन अगर प्रेम की परिणति विवाह में हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर ऐसे परिवारों को, जिसमें लड़के-लड़की इकट्ठा होकर विवाह कर लेते हैं।

सुशीलजी ने अंततोगत्वा विवाह का फैसला किया ही, यह अपने में ही एक

महत्त्वपूर्ण बात है। वो अभी तक संघर्ष करते रहे, लेकिन इस विवाह को परिवारों ने माना, इसमें शामिल हैं, आनंदित हैं, आज इतने बड़े समारोह में हम सब आनंदपूर्वक भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए, यह अपने में एक बड़ी बात है।

समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, प्रेमियों के बीच भी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। जो उन दीवारों को तोड़कर विवाह करते हैं, उन्हें परिवारों की मान्यता नहीं मिलती, समाज का आशीर्वाद नहीं मिलता है, लेकिन इस विवाह को समाज का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। इस दृष्टि से यह विवाह आगे के लिए पथ-प्रदर्शक बनेगा, यह मैं कामना करता हूँ।

मैं एक और स्वार्थ से आया हूँ। अब सुशीलजी विद्यार्थी नहीं रहे और श्रीमती मोदी, वो तो पढ़ाती हैं। मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो हमेशा कर्मक्षेत्र में रहे हैं, संघर्ष के क्षेत्र में रहे हैं, विद्यार्थी परिषद् की उन्होंने काफी सेवा की, अब अगर वो उपयुक्त समझें तो राजनीतिक क्षेत्र में आकर हम लोगों का हाथ बँटाएँ।

—अटल बिहारी वाजपेयीजी

(पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार)

''तुम विवाह के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रख रहे हो''

श्री सुशील कुमार मोदी ने माननीय अटलजी के शब्दों में अंतरप्रांतीय, अंतरभाषीय, अंतरउपासना पद्धतीय विवाह किया है। आज 21वीं सदी के समाज में, जब विवाह के लिए कन्या के जबरन धर्मांतरण के पीड़ादायक समाचार अकसर मिल रहे हों, तब यह जानना कितना सुखद है कि लगभग 30 साल पहले सुशील मोदी ने अपने जीवन-साथी को उसके मूल धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा का वचन देते हुए विवाह किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता नानाजी देशमुख ने तब इस आचरण की प्रशंसा में भावपूर्ण पत्र लिखा था। यहाँ प्रस्तुत है, दिल्ली के दीनदयाल शोध संस्थान से लिखा गया उनका पत्र।

दिनांक 10.03.1986

प्रिय श्री सुशील
स्नेहपूर्ण शुभाशीर्वाद।

तुम्हारा 2 मार्च का पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई।

तुमने जिस प्रकार के विवाह की रचना की है, उसके लिए मैं तुम्हें तथा तुम्हारी होनेवाली पत्नी को प्रसन्नचित्त से हार्दिक बधाई एवं शुभाशीष देता हूँ। तुम अपने इस विवाह के माध्यम से आधुनिक भारत के भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हो। सचमुच में इसी प्रकार के साहसिक कदमों की आवश्यकता है। नई दिशा में नई पीढ़ी को गतिमान करने के लिए प्रत्यक्ष नमूने प्रस्तुत करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तुम्हारे इस निर्णय के कारण मेरा हृदय इतना भर आया है कि मैं अधिक लिख नहीं सकता। तुम्हारे एक वाक्य ने तो मुझे बहुत ही उत्साहित एवं भावुक बना दिया है। **तुम दोनों अपने-अपने धर्म में बने रहकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करोगे। इस सराहनीय कार्य के**

लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आप दोनों का।

वैसे तो मेरे कार्यक्रम इन दिनों हैदराबाद के पास लगे हुए हैं। किंतु अब मैं उन सभी कार्यक्रमों को बदलकर दिनांक 13 अप्रैल की प्रात:काल आसाम मेल से पटना पहुँच रहा हूँ। पटना से दिनांक 14 अप्रैल की दोपहर में मैं मुजफ्फरपुर से जयंती जनता से गोंडा के लिए प्रस्थान करूँगा।

परिवार के सभी छोटे-बड़े सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिए बिना मैं पत्र पूर्ण नहीं कर सकता। कारण सभी ने इस **युगानुकूल नूतन परंपरा** के श्रीगणेश को समर्थन एवं आशीर्वाद देकर **अभिनव एवं पुण्य कार्य** किया है।

सस्नेह,

—नाना देशमुख

इस्पात में दौड़ती बिजली

बिहार की राजनीति में 1974 के छात्र आंदोलन से उभरे नेताओं की जो पौध नब्बे का दशक शुरू होने के साथ पहली कतार में अपनी जगह सुरक्षित करने लगी थी, उनमें सुशील कुमार मोदी प्रमुख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले सुशीलजी ने जेपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपातकाल में इन्हें 19 महीने बिहार की कई जेलों में गुजारने पड़े। इस प्रारंभिक दौर ने वनस्पति विज्ञान के एक मेधावी छात्र को राजनीतिक दर्शन और इसका व्यावहारिक पक्ष समझने के लिए पुस्तकालय की जगह सीधे प्रयोगशाला भेज दिया। यह अलग बात है कि मीसाबंदी के रूप में इन्होंने जेल को राजनीतिक अध्ययन सेल में बदल लिया। लोकमान्य तिलक से लेकर कार्ल मार्क्स, डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सोल्झेनित्सिन और डामिनिक लिपियरे तक अनेक कालजयी लेखकों को पढ़कर सुशीलजी अपने राजनीतिक बोध को लगातार समृद्ध करते रहे।

सन् 1990 में पहली बार बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर इन्होंने अपना संसदीय जीवन प्रारंभ किया। फिर कभी लोकसभा और कभी विधान परिषद् के सदस्य भी चुने जाते रहे। सुशील कुमार मोदी को बिहार में संसदीय इतिहास के उस कठिन दौर में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अवसर मिला, जब सत्ता का चरित्र अपने सबसे भ्रष्ट, लंपट और जातिवादी तेवर में मौजूद था, उस लंबे दौर में इन्होंने सदन, सड़क और न्यायालय तक जो सक्रियता दिखाई, उसके फलस्वरूप करोड़ों रुपए के पशुपालन और अलकतरा घोटाले सामने आए। सुशील मोदी ने जो मामले उठाए, वे सिर्फ राजनीतिक शिगूफा नहीं, बल्कि तार्किक परिणति तक पहुँचने वाले आख्यान साबित हुए।

अपने संसदीय जीवन के 25 सालों को याद करते हुए सुशीलजी कहते हैं कि इनके लिए सबसे कठिन क्षण वह था, जब सत्तारूढ़ दल के एक दबंग विधायक ने सदन

में बाँह मरोड़कर कागजात छीन लिये थे और सबसे बड़ा आश्चर्य था राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना।

राजनीतिक सक्रियता, स्वाध्याय, व्यापक जनसंपर्क, दो दर्जन से अधिक विदेश यात्राएँ और अपने दौर के कद्दावर नेताओं के साथ निरंतर संवाद ने सुशील मोदी को इतना वैचारिक इनपुट प्रदान किया कि वे लगातार लिखते भी रहे। इनका लेखन कभी जेल डायरी, तो कभी संस्मरण अथवा यात्रा-वृत्तांत के रूप में अभिव्यक्त हुआ। समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी लिखते रहे।

2005 में एक बड़े सत्ता-परिवर्तन के साथ बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इसमें सुशील कुमार मोदी को उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री का भी दायित्व सौंपा गया। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और कार्यसंस्कृति के अभाव ही नई सरकार को एक अनचाही विरासत के रूप में मिले थे। सुशील मोदी ने इन चुनौतियों से निपटकर वित्तीय अनुशासन कायम किया और इस पद पर रहते हुए बिहार को सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाला राज्य बना दिया। इस प्रशासनिक कौशल की ख्याति ऐसी फैली कि सुशील मोदी देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। इस हैसियत से इन्हें चीन, जापान और कनाडा की कर-प्रणालियों के अध्ययन का अवसर मिला। इन देशों की यात्रा के संस्मरण पढ़ते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य को समझने का दिलचस्प अनुभव होता है। छात्र नेता, नेता प्रतिपक्ष और उपमुख्यमंत्री बनने तक सुशील कुमार मोदी ने जो विचार यात्रा की, उस संघर्षमय अतीत में उतरकर सहयात्री बनने का अवसर भी प्रदान करती है यह पुस्तक।

छात्र आंदोलन के दौर में इंदिरा समर्थक संत विनोबा भावे का आशीर्वाद लेने के प्रयास और पंजाब में उग्रवाद के सबसे खतरनाक दिनों में एके-47 से लैस भिंडरावाला को समझने के लिए उसके गढ़ में अकेले जाकर मिलना, दोनों ही सुशील मोदी के संस्मरणों में बेहद रोमांचक प्रसंग हैं। गुजरात का आरक्षण आंदोलन, आरक्षण का औचित्य, उर्दू की राजनीति, हिंदू धर्म की जड़ता से बाहर निकलने के लिए आंबेडकर का अंतर्द्वंद्व, कश्मीर और असम में पनपता अलगाववाद, सिक्ख गुरुओं के महान् बलिदान और आपातकाल में राजनीतिक बंदियों की प्रताड़ना अनुभूति, चिंतन और सक्रियता के व्यापक फलक पर बिखरे सुशील मोदी के लेखन को एक जगह एकत्र करना वस्तुत: एक कठिन कार्य था।

मुझे विश्वास है कि पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन सुशील कुमार मोदी के उस इस्पात (व्यक्तित्व) को समझने में उपयोगी होगा, जिसमें बदलाव का उपकरण बनने की बिजली दौड़ रही है। यह बौद्धिक संपदा कई पीढ़ियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं

का मार्गदर्शन कर सकती है।

मैं आभारी हूँ कि सुशील मोदीजी ने अपने लेखों के संपादन के लिए मुझे सुपात्र समझा। भाषा या प्रूफ के स्तर पर अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।

12.06.2015 **—कुमार दिनेश**

अनुक्रम

याद आए आपातकाल के वे काले दिन *7*
राजनीति में आएँ सुशील मोदी *9*
तुम विवाह के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रख रहे हो *11*
इस्पात में दौड़ती बिजली *13*

आपातकाल

1. हाजत में बीते यातना भरे 108 घंटे, निकट से दिखा पुलिस का क्रूर चेहरा 21
2. इंदिरा की जेल में यातनाएँ, बहस और स्वाध्याय 29
3. बहनों को पत्र 49
4. जब जेल में फैली जेपी के निधन की अफवाह… 54
5. पेरोल पर रिहाई, पिटाई, फिर जेल 81
6. छात्र आंदोलन में गिरफ्तार 85

परिवर्तन पर चिंतन

1. सामाजिक परिवर्तन की चुनौती 91
2. सामाजिक पृष्ठभूमि के आईने में झाँकता आरक्षण का औचित्य 96
3. आरक्षण की आग में जलता गुजरात 110
4. उत्तर प्रदेश उर्दू के भँवर में 118
5. अपनों ने दिया बिहार सिंड्रोम का दाग 125
6. आखिर कब तक दोयम नागरिक की जिंदगी जीते रहेंगे कश्मीरी हिंदू? 130
7. सामाजिक परिवर्तन की चुनौती 136

सदन मुखर प्रतिरोध

1. घोटालों में आकंठ डूबी लालू सरकार 143
2. दबंगई पर उतरे राबड़ी सरकार के मंत्री और भ्रष्टाचार में डूबी नौकरशाही 151
3. बिहार के लिए वरदान सिद्ध होगा झारखंड का गठन 163
4. बिहार शर्मसार, अपराधियों के साथ सरकार 183
5. राबड़ी सरकार में चौपट हुआ बिहार 195
6. झारखंड बनने के बाद अंधकार में डूबा बिहार 210
7. भाजपा की सक्रियता से पशुपालन घोटाला में लालू पर चार्जशीट 215
8. बिहार पर भारी पड़ा 200 करोड़ रुपए का अलकतरा घोटाला 226
9. हमारे सदन में इतना शोर क्यों है? 232

यादगार मुलाकातें

1. उग्रवाद से धधकते पंजाब में भिंडरवाला से एक हैरतअंगेज मुलाकात 239
2. विनोबा के मौन आशीर्वाद से मिली ऊर्जा 244

महापुरुषों का जीवन

1. मैं हिंदू उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मरूँगा नहीं 251
2. सिख गुरुओं का बलिदान कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 258
3. क्रांतिकारियों का स्मरण आधी रात में अस्त हुआ क्रांति का सूर्य··· 273

विदेश यात्राओं के अनुभव

1. बिहारी मजदूरों के पसीने और आँसू ने सींचे मॉरीशस के खेत 281
2. हमारी राहें रोशन कर सकते हैं चीन, जापान, कनाडा 286

आपातकाल

हाजत में बीते यातना भरे 108 घंटे, निकट से दिखा पुलिस का क्रूर चेहरा

25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों और छात्र आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए आपातकाल लागू कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिलास्तर पर विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हो गई। लोकतंत्र में विरोध का स्वर दबाने के लिए सत्ता अपने भयानक रूप में प्रकट हो रही थी। खुफिया तंत्र और पुलिस का इस्तेमाल तानाशाही को मजबूत करने के लिए किया जाने लगा। उस कठिन दौर में मेरे जैसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए यह तो तय था कि आज नहीं तो 10 दिन बाद, गिरफ्तार होना ही है, किंतु सोचता था कि कुछ दिन और बच जाऊँ ताकि भूमिगत आंदोलन चलाने का सौभाग्यशाली अनुभव भी मिल सके। यही सोच कर 28 जून, 1975 को पटना छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन गंगा पार करने के दूसरे ही दिन पकड़ा गया। उसके बाद हाजत में जो 108 घंटे बीते, वे अत्यंत यातनापूर्ण थे।

आज क्या आप विश्वास करेंगे कि कभी मुझे यातना भरे 108 घंटे पुलिस की हाजत में बिताने पड़े थे? बात उस समय की है जब बिहार समेत पूरे देश में आपातकाल लागू था। मेरे जैसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए यह तो तय था कि आज नहीं तो 10 दिन बाद, गिरफ्तार होना ही है, किंतु सोचता था कि कुछ दिन और बच जाऊँ ताकि भूमिगत आंदोलन चलाने का सौभाग्यशाली अनुभव भी मिल सके। यही सोच कर पटना छोड़ने का निश्चय किया कि बाहर तो कोई पहचानता नहीं, अत: अपना शहर छोड़कर कहीं और प्रवास करूँगा। उन दिनों गंगा पार करने के लिए स्टीमर

सेवा हुआ करती थी। 28 तारीख (जून 1975) को रात्रि 8.45 वाले जहाज से दरभंगा के लिए प्रस्थान किया। गंगा पार करते ही पहलेजा घाट पर भेंट हो गई सी.आई.डी. वाले कमलेश्वरी बाबू से। मैं तो भक रह गया। बातचीत में मैंने कहा कि हाजीपुर जा रहा हूँ। कह तो दिया, फिर भी भय हो गया कि कहीं सी.आई.डी. वाला व्यक्ति परिचय का लिहाज छोड़कर मेरे बारे में प्रशासन को खबर नहीं कर दे। एक मन हुआ कि रास्ता बदल दूँ। फिर कुछ सोच कर ट्रेन पकड़ी और डिब्बे में खिड़की से लगकर मुँह ढककर सो गया। सोचा, जो होगा, देखा जाएगा।

प्रात: नींद टूटी तो दलसिंहसराय स्टेशन आ गया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि ट्रेन समस्तीपुर होकर जाती है। मालूम हुआ तीसरा स्टेशन समस्तीपुर है। सोचा कि पहले समस्तीपुर में लोगों से मिल कर तब दरभंगा जाऊँगा। इतने में समस्तीपुर आ गया। बैग उठाकर उतर गया स्टेशन पर। समस्तीपुर में दयानंद ठाकुर को साथ ले लिया जिसका चेहरा पुलिस के लिए परिचित नहीं था। दिन भर किसी प्रमुख व्यक्ति से भेंट नहीं हो सकी।

सायं 5 बजे दरभंगा लौटने के लिए रिक्शा से बस अड्डा की ओर जा रहा था कि रिक्शा स्टेशन के निकट रेल गुमटी पर रुक गया। ट्रेन गुजरने का इंतजार था। करीब 20 मिनट रिक्शा खड़ा रहा। गुमटी खुल गई। रिक्शा चलने को ही था कि इतने में एक मूँछ वाला नौजवान और एक हट्टा-कट्टा प्रौढ़ व्यक्ति रिक्शे वाले को धमकाते हुए कहा, चलो थाना। दयानंद ने एक-दो बार हलका विरोध किया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ, चुपचाप चल पड़ा। बगल में ही थाना था। मैं समझ गया कि आज पकड़ा गया। पूछताछ प्रारंभ हो गई। दयानंद को पुलिस पहचान गई। मैंने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। मुझसे जब पूछ-ताछ प्रारंभ हुई तो मैंने कहा कि मेरा नाम संजय कुमार है। एल.एस. कॉलेज, मुजफ्फरपुर का फोर्थ इयर का छात्र हूँ। मदन पांडे के यहाँ पैरवी के लिए आया था। पूछा गया, दयानंद से कैसे संबंध हुआ। मैंने बताया कि मुजफ्फरपुर में दयानंद के पिताजी एल.एस. कॉलेज में क्लर्क हैं तथा यह छपरा में मेरे घर के निकट रहता था। इस बात पर मैं दृढ हो गया।

नारकीय हाजत में पहली रात

तब तक सी.आई.डी. के कई लोग पूछने आ गए। मैं बार-बार उसी झूठ को दोहराता रहा। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूँ। रात को हाजत में बंदकर दिया गया। हाजत क्या थी, काल-कोठरी ही थी। पेशाब की व्यवस्था भीतर ही थी। एक छोटी सी खिड़की थी रोशनी के लिए। सोने या बैठने के लिए एक बोरा था जिसपर दयानंद बैठ गया। मैं आधा जमीन पर, आधा बोरे पर ही था। रात्रि 11 बजे तक पूछताछ

होती रही। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं छूट जाऊँगा। मुझे लगा कि इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो गया है। रात भर मच्छर काटता रहा। गंदी जमीन पर ही सोता रह गया। किसी तरह रात कटी। प्रात: नींद टूटी तो बड़े जोर से शौच जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। आवाज दी, पर कोई नहीं आया। लगा कि चक्कर आ रहा है। बरदाश्त से जब बाहर हो गया तो मैं खुलेआम पेशाब स्थान पर ही शौच के लिए बैठ गया। सोचिए, छोटी सी कोठरी, बगल में एक व्यक्ति सोया है और मैं वहीं बिना परदे के शौच कर रहा था। दयानंद ने पानी दिया, तब निवृत्त हुआ।

पूछा गया पूरे खानदान का चिट्ठा

मुझे पूरा विश्वास था कि मैं छोड़ दिया जाऊँगा, क्योंकि पुलिस मुझे पहचान नहीं पाई है परंतु मैं अवाक् रह गया जब दरोगा ने मुझे बताया कि मुझे 188 और 69 DIR (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल) में समस्तीपुर जेल भेजा जा रहा है। अब मुझे लगा कि गलत नाम से जेल जाना उचित नहीं है। अपना वास्तविक परिचय बता देना ही बेहतर है। यह सोचकर मुंशी को बुलाया और कहा कि मेरा असली नाम सुशील मोदी है। यह खबर होते ही थाने में खलबली मच गई। पुलिस वालों की तरफ से एक गलत संदर्भ में अपनी प्रशंसा सुन रहा था···। किसी ने कहा, रेहू (बड़ी मछली) पकड़ा गया। किसी ने कहा कि बड़ मछली फँसा है। दिन भर पूछताछ के लिए सी.आई.डी. वालों का ताँता लगा रहा। पूरे खानदान का चिट्ठा पूछा गया। नाना-नानी से लेकर फूआ तक का पता लिखा गया। पूरे थाने में खुशी थी कि गलती से एक बड़ा नेता पकड़ा गया।

पहली बार लगा कमर में रस्सा

मालूम हुआ कि कल जेल भेज दिया जाएगा। मन को समझाया कि चलो, अब तो एक साल रहना ही है। उसी दिन 'मीसा' (Mentainance of Internal Security Act) में संशोधन की घोषणा हुई थी, इसलिए मीसा के तहत गिरफ्तारी की ही अधिक आशंका थी। पुलिस हाजत में कमर में रस्सा लगाकर पेशाब-पैखाना ले जाया जाता था, ताकि कहीं भाग न जाऊँ। ऊपर बीच-बीच में रस्सी बाहर से खींचकर देख लिया जाता था कि भागा तो नहीं हूँ। पैखाना (शौचालय) तो नरक ही था। सारा गमला भर गया था। पैखाना बह रहा था। ऊपर खप्पर की जालीदार छावनी। लगता था कि पता नहीं कब गिर जाएगी। मोटी छिपकली, सैकड़ों मक्खियाँ एवं मोटे-मोटे मच्छर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वर्ग में कठिन जीवन का अभ्यास होने के कारण सब झेल गया, बस उल्टी नहीं हो पाई।

करवटें बदलता रहा मच्छरों के बीच

रात्रि में 4 डकैत पकड़ा कर आए। उन्हें हमारे हाजत में बंदकर दिया गया और हमें बोरा लेकर बगल के जनाना हाजत में जाना पड़ा। यह दरअसल गोदाम था, जिसमें 10 साइकिलें और जेल का सारा रद्दी सामान भरा था। एक साइनबोर्ड और लकड़ी का टूटा दरवाजा रखकर किसी प्रकार 2 लोगों के बैठने लायक जगह बनाई गई थी। रात भर करवट बदलता रहा। मच्छर तो थे ही, तख्ते भी समतल नहीं, ऊपर-नीचे थे। काफी कष्ट हो रहा था। जो 4 डकैत पकड़ा कर आए थे, उन्हें 50-50 डंडे पड़े थे। पसीने से लथपथ थे। उन्हें धक्का देकर बंद कर दिया गया था।

पुलिसिया जुबान हैं डंडे और गाली

3 तारीख की शाम एक गाँव का व्यक्ति पकड़ा कर आया था। किसी मुकदमे में फँसा था। उसने बताया कि हजूर थाना का जमादार एक हजार रुपए माँग रहा है, नहीं तो जेल भेज देगा। उसकी स्थिति 50 रुपए भी देने की नहीं थी। बाद में पता नहीं क्या गुपचुप हुआ और वह रात तक छूट गया। दोनों हाजत अगल-बगल में थी। अत: इस हाजत से बगल वाले हाजत की सारी बातें सुनाई पड़ती थीं। 9 बजे रात डकैतों से पूछताछ प्रारंभ हुई। प्रत्येक से जिरह में दुनिया की समस्त गालियों के साथ डंडे का इस्तेमाल। यही पुलिस की भाषा थी। लगता है शायद गालियों का सृजनस्थल जेल ही है। हरेक बात में, प्रत्येक व्यक्ति से, फिर वह दरोगा हो या इंस्पेक्टर, दुनिया की निकृष्टतम गालियों का व्यवहार एवं डंडे से अंधाधुंध पिटाई। और फिर बिना मतलब की जानकारी लेना सास-श्वसुर से लेकर भाई का श्वसुर तक, पता नहीं कितने प्रश्न और कितने दूर के रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जानकारियों का उपयोग क्या है? और इतनी मार के बाद भी डकैतों के चेहरों पर सामान्य शिकन, लगता ही नहीं था कि उनपर चोट का असर होता भी है कि नहीं।

मैं अपने बारे में सोचने लगा कि हम इतने लंबे-चौड़े सिद्धांत की बात करते हैं, पता नहीं, यदि हमें डंडों से पीटा गया, तो हम क्या बात नहीं उगल देंगे? मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा नहीं था कि वास्तव में उस समय मैं क्या करूँगा। इतना तो अभी निश्चय है कि नहीं बताऊँगा, लेकिन वास्तव में मार लगते समय बेहोश हो जाऊँगा, उगल दूँगा, क्या करूँगा, कहना मुश्किल है। दयानंद का मन उदास था। बार-बार उसे घर की याद आ रही थी। उसके उत्साह को बढ़ाया। महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के जीवन की चर्चा की। इसके कारण मेरा भी मन दृढ़ हुआ। मैं समझता था कि वह पुराना कार्यकर्ता है, किंतु जब उसने अपनी घटनाएँ बताईं, तब मालूम हुआ कि मात्र 4 माह पूर्व संघ के सक्रिय संबंध में आया है। मुझे फिर उसके साहस पर आश्चर्य हुआ।

याद आती रहीं माँ, श्रद्धा बढ़ी

आदेश की प्रतीक्षा में शाम हो गई। मन ऊब गया था। कई बार भागने की इच्छा होती थी। लेकिन एक तो साहस नहीं होता था। फिर सोचता था भागूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और सारे परिवार को मेरे चलते परेशानी होगी। पूरी हाजत अवधि में माँ की याद से बड़ी परेशानी होती थी। बक्सर जेल के पश्चात से माँ के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। यह सब सोचकर मन कभी भारी हो जाता था, किंतु तुरंत गप्प कर या गीत गाकर मन को भटका देता था। ऐसे निराशा के क्षणों में संघ के देशभक्ति वाले गीत और महापुरुषों की याद काफी प्रेरणादायी सिद्ध हुई। कागज की कमी थी, अत: कुछ गीत अखबार पर लिख लिये थे, ताकि जेल में काम आ सकें। शाम को थाना इंचार्ज पांडेयजी ने बतलाया कि बस सुबह आप लोगों का काम हो जाएगा। किसी तरह रात कटी। आज अच्छी नींद आई, तकलीफ तो थी ही, लेकिन फिर भी सो पाया।

एक पोस्टकार्ड तक मयस्सर नहीं

वास्तव में कहा जाए तो कालकोठरी के ये 108 घंटे इसी इंतजार में कटे कि अब जाएँगे, तब जाएँगे। समस्तीपुर का एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया। घर या पटना कैसे खबर की जाए? घर वालों को यह पता नहीं था कि मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूँ। हाजत में पुलिस वालों से हाथ जोड़ता रहा कि एक पोस्टकार्ड का इंतजाम कर दें, ताकि घर वालों को गिरफ्तारी का समाचार दे सकूँ। हरेक पुलिस वाला कहता इमरजेंसी लगी है। नौकरी का सवाल है क्या करूँ, कहीं पकड़ा गया तो नौकरी चली जाएगी। अंत तक पोस्टकार्ड नहीं ही मिला। मेरा समाचार पता नहीं किस प्रकार पटना मिला होगा, भगवान् जाने। इसका बड़ा कष्ट मुझे हुआ।

मीसा में संशोधन का समाचार जब आया, तो थाना वाले बड़े खुश हुए। मैंने पाया कि थाने के कर्मचारियों पर इमरजेंसी का कोई प्रभाव नहीं था। वही पुरानी मन:स्थिति। वही घूस की बात। इंदिराजी या अटलजी लाख आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा करें, यह जो कर्मचारी वर्ग है, वह अपनी पहले जैसी चाल ही चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

इमरजेंसी ने बढ़ाई पुलिस की कमाई

इमरजेंसी तो थाना और अफसरों के पैसा कमाने का साधन हो गई। बात-बात में मीसा में पकड़ लेने की धमकी एवं इमरजेंसी की धौंस। एक वाकया मैंने खुद देखा। प्रशासन की चुस्ती के नाम पर एक दरोगा गया और करीब 20 छोटे-छोटे फुटपाथ दुकानदारों को पकड़ लाया। डाँट, फटकार कर 25-25 रुपए घूस लेकर उन्हें छोड़ दिया। इंदिरा की इमरजेंसी का कहर ढहा तो बेचारे गरीबों पर। मैनें तो कहा, अच्छा है।

आप लोगों के व्यवहार से जनता में जितना विद्रोह फैलेगा, उतना शायद हम भी नहीं फैला पाएँ। एक दूसरा पहलू भी सामने आया। पाँच दिन में जितने भी सिपाहियों से बात हुई, लगा कि सबके दिल में विक्षोभ है, सब त्रस्त हैं। किंतु उनको लगता है कि सरकारी नौकरी है, अगर कुछ करेंगे तो आगे क्या होगा? लेकिन जो नौजावान सिपाही हैं, यदि उन्हें संगठित किया जाए तो, वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो प्रौढ़ सिपाही हैं, उन्हें चूँकि नाजायज आमदनी प्यारी होती है और घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी होती हैं इसलिए वे रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। यथास्थिति पसंद करते हैं।

तिलक-सावरकर के स्मरण से शक्ति संचय

इंतजार करते-करते दिन बीतने लगा। माथा भारी हो गया था। कोठरी की बदबू और बैठे-बैठे पैरों की जकड़न से लग रहा था पागल हो जाऊँगा। वास्तव में सोचने लगा कि जेल में वर्षो बंद रहने वाला व्यक्ति पागल क्यों नहीं हो जाता? सोचा कि लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर अंग्रेजों की खौफनाक जेल में कैसे वर्षों तक सूर्य के प्रकाश से रहित कोठरी मे रहे होंगे? मेरा तो दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार ने बदला लेने का तय कर लिया है। एक प्रकार का मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। अखबार में समाचार था कि जनसंघ के 12 कार्यकर्ताओं ने माफी माँग ली। दिमाग में काफी हलचल और परेशानी थी। आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी। अचानक हाजत का फाटक खुला। ऑफिसर इंचार्ज के यहाँ बुलाहट थी। गया तो पता चला कि कम से कम आदेश तो आ गया, अब हाजत से मुक्ति मिलेगी। दरभंगा जेल जाने का आदेश था। मेरी इच्छा थी कि मुझे किसी सेंट्रल जेल में भेजा जाए। किस जेल में जाऊँगा, यह सोचकर भी मैं परेशान था। समस्तीपुर से मन इतना उचट गया था कि समस्तपुर जेल में रहने की तनिक भी इच्छा नहीं थी।

खतरनाक कैदी वाली एक्स श्रेणी

आदेश के अनुसार मुझे एक्स श्रेणी का कैदी बनाया गया। वही श्रेणी दी गई, जो खतरनाक क्रिमनल को मिलती है। इसके पूर्व हमेशा वाई श्रेणी ही मिली थी। खैर प्रसन्नता हुई। आदेश पत्र पर जब मैं यह लिखने लगा कि 4 दिन मुझे क्या-क्या दिक्कतें हुईं, तो दरोगा थोड़ा बिगड़ गया। मैंने प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा। मालूम हुआ कि दयानंद को 188 और 69 डी.आई.आर. में रखा जाएगा। लगा कि अब तो हाजत से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी कहाँ थी। मुझे क्या पता था कि अभी भी 36 घंटे और बिताने हैं। दयानंद की इच्छा थी कि वह दरभंगा जाए। लेकिन उसे समस्तीपुर में ही रखने का तय हुआ था। रात बीत गई कि अब तो प्रात: चले जाएँगे। लेकिन सुबह भी

इंतजार करते-करते 11.30 बज गए। कोई ठिकाना नहीं कब जाएँगे। बड़ा गुस्सा आ रहा था, एक बार तो इच्छा हुई कि थाने में आग लगा दें। मजाक ही मजाक में योजना भी बनी, लेकिन पकड़ाने के डर से हिम्मत नहीं हुई। घोर अनिश्चय। कब जाएँगे कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से में मैंने कह भी दिया कि इसीलिए तो एल एन मिश्रा हत्याकांड का पता नहीं चल सका। इतनी सुस्ती है कि एक कैदी को निपटने में आप को पाँच दिन लगता है। किसी तरह शाम हुई। हाजत से निकाला गया। कमर में रस्सा लगाकर समस्तीपुर जेल में ले जाया गया। सोचा, चलो अब तो बला टली। लेकिन भय हुआ कि कहीं समस्तीपुर में ही नहीं रख दिया जाऊँ। दयानंद को जेल में बंदकर दिया गया। काफी उदास था, जाते समय चुपचाप बिना देखे, बिना बोले भीतर चला गया।

वार्डेन ने धमकाया, जमाना बदल गया है···

मालूम हुआ कि समस्तीपुर जेल में बड़ा कष्ट है। आंदोलनकारियों को मिलने की अनुमति नहीं है। फाटक के वार्डेन ने आते ही कहा कि जमाना बदल गया है। इमरजेंसी है, पहले वाली बात नहीं है। कुछ देर तक जेलर और पांडेयजी से बातें होती रहीं। उन्होंने जेल वाहन के लिए फोन किया परंतु वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर थाने के हाजत में बंदकर दिया गया। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस कोठरी से, समझ में नहीं आ रहा था। पुन: करीब रात्रि 8 बजे जब एस्कोर्ट पार्टी आ गई, तब आशा जगी कि अब जाना तय है। किंतु रात्रि को गाड़ी नहीं थी, अत: प्रात: जाने का तय हुआ। फिर एक अकेली रात हाजत में गुजारनी पड़ी।

हथकड़ी में सफर, पागल सा हुलिया

प्रात: पाँच बजे उठाकर हाजत से बाहर लाया गया। हाथ में हथकड़ी पहना कर चार राईफलधारी मेरे पीछे-पीछे चल रहे थे। पाँच दिनों से स्नान नहीं किया था। गंदगी और पसीने से कपड़े शरीर से चिपक गए थे। बुसर्ट सिलवट भरी और गंदी हो गई थी। बालों में कंघी तक नहीं हुई थी। पागलों के समान चल रहा था। इस पागल जैसे हुलिए में मुझे पैदल स्टेशन जाना पड़ा। रास्ते में जहाँ रुकता, वहीं अच्छी-खासी भीड़ हो जाती थी। पीछे-पीछे बच्चों का झुंड चल रहा था। उन्हें लगा कोई चोर है। पीछे-पीछे कुत्ते भी भौंकने लगे। कुछ लोग समझते थे कि बेटिकट में गिरफ्तार मुजरिम है।

मीसाबंदी का टेलीग्राम भी सेंसर्ड

समस्तीपुर स्टेशन पर पुलिस वालों से आरजू मिन्नत कर टेलीग्राम ऑफिस पहुँचा। सोचा कि 5 दिन बाद घर पर Telegram कर दूँ। घरवाले परेशान होंगे कि कहाँ गायब

हूँ। Telegram हेतु कागज पर संदेश लिखा ARRESTED, LODGED IN DARBHANGA JAIL. DO NOT WORRY. WAIT TILL OTHER INFORMATION.

लेकिन थोड़ी देर में टेलीग्राम वाला आया और कहने लगा, इस पर रोक है। मुजफ्फरपुर ऑफिस इसे नहीं ले रहा है। पुनः गिरफ्तारी और जेल का बिना उल्लेख किए भाषा बदलकर टेलीग्राम किया। डाकघर वाले आपातकाल से इतने डरे हुए थे कि मीसाबंदी का Telegram लेने के लिए भी तैयार नहीं थे या बदली भाषा में स्वीकार करते थे।

साथ के मुसाफिरों ने मुँह मोड़ा

स्टेशन के वेटिंग रूम में शौच गया। हथकड़ी लगी हुई थी। गाड़ी विलंब से थी। वेटिंग रूम में एक प्रोफेसर मिले, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि मीसाबंदी है, तो उठकर चले गए। मैं चुप हो गया। गाड़ी आई। टिकट द्वितीय श्रेणी का था, लेकिन प्रथम श्रेणी में बैठे। गाड़ी चल चुकी थी। सामने के मुसाफिर इस बंदी से बात करने में हिचकिचा रहे थे। मैं भी चुप था। भीड़ में निपट अकेला और निढाल होकर पड़ा था, एक वर्ष की तैयारी में।

पता नहीं था, जाना कहाँ... ?

मुझे 'राखी' या किसी और फिल्म का दृश्य याद हा रहा था, जब नायक निराश होकर घर से भाग गया है। बिना टिकट ट्रेन पर बैठा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कहाँ जाना है ? उसी तरह बैठा मैं भी जा रहा था। 45 मिनट में गाड़ी (8.15 तक) लहेरियासराय पहुँच गई। चिंता थी कि जेल में कौन होगा, कैसे मन लगेगा ? किंतु जब मीरा होटल पहुँचा, तो ज्ञात हुआ कि रमेशजी और रौठौरजी भी हैं, तो बिना रुके चल पड़ा जेल की ओर। जल्दी-जल्दी जेल पहुँचा। इस प्रकार से 108 घंटे की बेचैनी खत्म हुई और शुरू हुआ जेल जीवन का अध्याय, जो और भी कठिन इम्तिहान लेने वाला था।

□

इंदिरा की जेल में यातनाएँ, बहस और स्वाध्याय

आनंदमार्ग से मार्क्सवाद तक

यह जेल एक प्रकार से समस्त विचारधाराओं का मिलन स्थल बन रहा है। सभी दल जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आनंद मार्ग तथा जमायते इसलामी के कार्यकर्ता भी पहुँच गए हैं। मैंने आनंद मार्ग को समझने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है। वे समाज को चार वर्णों यथा—शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा सदविप्र में विभक्त करते हैं। शूद्र शासन करने योग्य नहीं हैं, शासन सदविप्र ही करेगा, यानी dictatorship of the benevolent moralists यह इनकी कल्पना है। जिन लोगों में सदविप्र बनने की क्षमता है,उन्हें चुनकर सदविप्र बनाया जाएगा। एक सदविप्र बोर्ड होगा, जो इनको शिक्षित करने का प्रयत्न करेगा। उसी प्रकार उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी कुछ समझने का मौका मिला। ऐसे लगा कि आनंद मार्ग ने दुनिया की अनेक प्रचलित विचारधाराओं की कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को लेकर अपनी एक नई विचारधारा प्रारंभ की है।

उर्दू सीखना पुनः प्रारंभ किया है, किंतु योग्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। आचार्य रजनीश की एक पुस्तक भारत, गांधी और मैं पढ़ रहा हूँ। दुर्गा दासजी ने इस पुस्तक पर व्यंग्य किया। मैं रजनीश से सहमत नहीं हूँ, किंतु उनके अकाट्य तर्क और सटीक उदाहरण अच्छे लगते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) आज समाप्ति की ओर है। उसके नोट अब बनाऊँगा। इस पर अगले दिन कुछ लिखूँगा।

माँ और जेल के बीच फासला

16.07.1975, बुधवार

कल से मिलने-जुलने पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार का Circular आया

है कि राजनीतिक बंदियों के मिलने-जुलने पर रोक लगाई जाती है। सारे लोग चिंतित थे कि क्या करें। अधिकांश लोग परेशान थे कि कल क्या होगा। मैं भी कुछ देर तक परेशान हुआ कि कल ही माँ का पत्र आया था कि जब तुम कहोगे, तभी मैं आऊँगी और आज ही कड़ाई लागू हो गई। प्रात: उठते ही जेल के भीतरी कंपाउंड का दरवाजा बंद पाया। बाहर निकलने पर भी रोक हो गई थी। माँ को तुरंत पत्र लिखकर मन की भावनाएँ व्यक्त कीं। मैं नहीं चाहता कि माँ मिलने आए क्योंकि शायद उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँ, रो पड़ूँ, मन और कमजोर हो जाएगा। माँ को मैंने कहा कि माँ-बहन का प्रेम और स्नेह पाँवों की बेड़ियाँ न बन जाएँ। माँ, तुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल आशीर्वाद दो कि जिस पथ पर, सही या गलत, मैंने कदम बढ़ाया है, उस पर मुझे सफलता मिले। अभी तो मन मैंने बना लिया है कि एक वर्ष रहना है। आज ही Wireless से मेरा Confirmation आ गया है।

मैं अपने बारे में कई बार सोचता हूँ कि कम बोलूँ, अनावश्यक बात न बोलूँ, किसी को बीच में न टोकूँ, लेकिन मेरी कमजोरी है, मैं बीच में बोल देता हूँ। इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। बहस करने का कटु अनुभव होने के पश्चात् भी बहस का लोभ संवरण नहीं कर पाता।

संघ के खिलाफ इंदिरा ने दिखाए तेवर

26.07.1975, शनिवार

आज एक सप्ताह पश्चात् लिख रहा हूँ। इस बीच मिलने वालों पर अत्यंत कड़ाई हो गई है। साधारण आंदोलनकारियों को सप्ताह में एक दिन (बुधवार) सी.आई.डी. के समक्ष मिलने की अनुमति है, और मीसा वालों (आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत बंदी) को मिलने देने का कोई प्रावधान नहीं है। घर पत्र लिख डाला है कि कोई मिलने न आए। पत्र का जबाव आज दिन तक नहीं आया है, पता नहीं, पत्र क्यों नहीं मिल रहा है। आज आपातकाल लागू हुए एक मास हो गया है। सरकार के रुख में तनिक भी परिवर्तन नहीं है। संसद की बैठक हुई, लेकिन केवल जनता को यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत बड़ी Democrat हैं। व्यक्तिगत प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तर प्रस्तावों पर रोक है। *संसद* की बहस भी censored हो कर आ रही है। फिर भी समाचार-पत्रों से मालूम होता है कि कुछ लोग Emergency Bill के विपक्ष में थे। महावीर त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, जगन्नाथ राव जोशी, गोरे, गोपालन वगैरह सदन में थे, परंतु वास्तविकता क्या है, कुछ पता नहीं। सदन की बहस में आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर काफी आक्रमण हुआ है। इंदिरा गांधी का बयान था कि संघ के अधिकांश लोग भूमिगत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संघ के 196 शिशु मंदिरों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

बिहार में भी अधिग्रहण की योजना है। वनवासी कल्याण केंद्र को सील कर दिया गया है। लगता है सरकार संघ के लोगों को तबाह और उसकी सारी संपत्ति को नष्ट करने का निश्चय कर चुकी है। समाचार-पत्रों में केवल यही समाचार है कि संघ के किस कार्यालय से कितने भाले, बर्छे, लाठियाँ, सैनिक साज-सामान प्राप्त हुए हैं। यहाँ रेडियो पर भी रोक है। अत: बाहरी दुनिया से सम्पर्क एकदम कट गया है।

मीसा में गिरफ्तारियाँ बढ़ीं

मीसा में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ गई है। हुकमदेव यादवजी भी 3-4 दिनों पूर्व यहाँ आए हैं। अत्यंत रोबीला चेहरा है। नौजवान लगते हैं। वे BLD State Secretary हैं। उनके नाम का काफी प्रभाव है। कल उन्होंने बताया कि 1962 तक संघ से उनका सक्रिय संबंध था, और संघ के प्रति श्रद्धा है। लगता है अपने कई लोग इस भाँति योग्य मार्गदर्शन के अभाव में भटक जाते हैं। ऐसे ही एक सियाराम यादव यहाँ हैं। शायद काफी पुराने संघ कार्यकर्त्ता हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत कम मतों से हार गए हैं। वर्तमान में निर्दलीय हैं, यानी उन्हें सबों की आलोचना करने का अधिकार है। जनसंघ से कुछ व्यक्तिगत मतभेद के चलते बिना दल के हैं। यह व्यक्ति कई बार खतरनाक चाल चलता है। हमेशा कुछ-न- कुछ अनावश्यक Comment करना इनकी आदत है। यों सियाराम व्यक्ति समझदार एवं प्रभावशाली भी हैं। कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि लोग व्यक्तिगत भेद को आगे चलकर सिद्धांत का जामा पहना देते हैं। ये सब लोग संघ के होते, तो इन इलाकों में संघ का कार्य और प्रभावी हो सकता था।

समस्तीपुर जेल में नारकीय यातना की दास्तां

30.07.1975, बुधवार

पिछले चार-पाँच दिनों तक आंतरिक अशांति थी। कारण? समस्तीपुर। हुआ यों कि करीब 40 लोग 23 जुलाई को समस्तीपुर जेल के नरक से निकल कर आए थे, सो बेचारों को जहाँ जगह मिली, वहीं पनाह ले ली। यह तो अच्छा हुआ कि मैं समस्तीपुर जेल में नहीं था, अन्यथा वह किसी काले पानी की सजा से कम नहीं था। मात्र 9 वार्ड में 600 कैदी थे, आंदोलनकारियों को ठूँस-ठूँसकर भर दिया गया। दिनभर उस दमघोंटू वातावरण में बंद रहा, केवल भोजन एवं जलपान के समय वार्ड खुलता था। मानो शेरों को पिंजड़ा खोल कर खाना-पानी दिया जा रहा है। लोग मजाक किया करते हैं कि रहमान की जेल में लोगों को खड़ा सुला दिया जाता है और फिर बीच की जगह में किसी अन्य आदमी को ठूँसकर ऊपर से हाथ से ठोंक दिया जाता है, मानो कपड़ों के थान को आलमारी में सजाया जा रहा हो। भोजन ऐसा कि पात्र में डुबकी लगाइए, तो

शायद एक-दो दाना कहीं दिखाई पड़ जाए और सब्जी, मानो, कुट्टी को तेल में भूँजकर गउओं को खिलाया जा रहा हो। समस्तीपुर जेल के बहादुर कैदियो, माँड़ पर मक्खी की तरह टूट पड़ो, साग के सूखे डंठलों को देखकर शेर की तरह गुर्राओ, तुम्हें मालूम नहीं यह एस.ए. रहमान की जेल है··· ऐसा होता था वहाँ के जेलर का हंटर की फटकार जैसा एलान। यहाँ बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता है। हर बात में इमरजेंसी का आंतक। नारा लगाने पर रोक। अखबार पर रोक। चिट्ठी-पत्री पर रोक, यहाँ तक कि आते समय इनकी घड़ियाँ, कलम, पैसे भी उस क्रूर जेलर ने नहीं दिए।

ऐसी जेल से ये लोग आए थे। इन्हें वार्ड ग्यारह दिया जा रहा था, किंतु उनकी इच्छा किसी प्रकार से इन्हीं वार्डों में adjust करने की या किसी अन्य अच्छे वार्ड में जाने की थी। कमेटी के लोगों का व्यवहार इस प्रकार का हुआ है कि अभी तक मानसिक कष्ट है। कुछ लोगों ने उनको अपमानित करने, जबरदस्ती बाहर निकालने की जब बात कही और उनका साथ न देकर यह कहा कि आप अपनी लड़ाई खुद चलाएँ, तब मुझसे नहीं रहा गया और हमलोग खुलकर सामने आए। हमने कहा कि देखते हैं, कौन इन्हें निकालता है। इस प्रकार दो ग्रुप हो गया और नौजवान बनाम नेता, यह स्वरूप हो गया।

गीता रहस्य और तिलक की प्रेरणा

02.08.1975, शनिवार

कल हम लोगों ने तिलक जयंती मनाई। कल ही के दिन 1920 में तिलकजी दिवंगत हुए थे। कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी रहा। ठाकुरदासजी बंग अध्यक्षता कर रहे थे, सुमन बंगजी भी कार्यक्रम में आईं। करीब 15 वक्ताओं ने विचार प्रकट किए। वातावरण अत्यंत प्रेरक था। दरभंगा जेल में यह पहला सफल कार्यक्रम हुआ। तिलकजी के स्थान पर गीता रहस्य को प्रतीक रूप में रखा गया था। कार्यक्रम के पश्चात् आत्मिक तृप्ति हुई। जिन कुछ महापुरुषों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया है, उनमें सरसंघचालक परम पूजनीय गुरुजी,स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक प्रमुख हैं। गीता रहस्य का बहुत नाम सुना था। बहुत पहले 7-8 वर्ष पूर्व माँ को पढ़ते भी देखा था, किंतु इस ग्रंथ से साक्षात् भेंट पिछले वर्ष जेल में हुई। मैं और रामबहादुर रायजी रात्रि को सोने के पूर्व या प्रात: मिलकर अध्ययन करते थे। यों गीता पढ़ने की या यों कहा जाए कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, किंतु अवसर मिला जेल में। काफी प्रभावित हुआ, प्रारंभ के तीन अध्यायों का Notes भी तैयार किया था। मुझे कई बार लगा कि गीता मेरे जीवन का दीप स्तंभ बन सकती है। पटना जेल में अध्ययन भी जम कर नहीं हो पाया था, अत: पढ़ने में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। पुन: अवसर मिला बक्सर जेल में। संयोग से जेल के पुस्तकालय में गीता रहस्य की एक प्रति उपलब्ध थी। वहाँ 18

अध्याय का नोट्स तैयार किया।

श्लोकानुसार अर्थ दिया है उसका। ज्यों-ज्यों मैं उसकी गहराई में जाता था, त्यों-त्यों मुझे लगता था कि हिंदू जीवन दर्शन का नए परिप्रेक्ष्य में यदि कोई मूल्यांकन कर सकता है या किसी ने किया है, तो वह तिलक ने गीता रहस्य में। पश्चिम की समस्त विचारधाराओं का उत्तर केवल यह एक गीता रहस्य दे सकता हैं। प्रारंभिक पृष्ठों में जो तात्विक विवेचना दी गई है वह और श्लोकानुसार अर्थ, दोनों का अध्ययन दरभंगा जेल में कर रहा हूँ। अत: स्वाभाविक है कि इस महान् ग्रंथ के रचयिता की जीवन गाथा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है।

पेंसिल से लिखा गया था गीता रहस्य

आश्यर्च है कि इस ग्रंथ की रचना तिलक ने मांडले (म्यांमार) की जेल में मात्र 5 माह में की थी। रचना काल में कागज बाइंड कर के तथा अंकित कर के दिया जाता था, ताकि पन्ने कहीं दूसरे उपयोग में न ला सकें। पेन के स्थान पर पेंसिल मिलती थी। ग्रंथ तैयार होने के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने पांडुलिपि जब्त कर ली। कई वर्षों तक जब मूल ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो तिलक के मित्र परेशान हुए। तिलक ने कहा कि चिंता मत करो, सारा ग्रंथ मष्तिक में बंद है, जब चाहूँगा तब लिपिबद्ध कर दूँगा।

सत्तापरस्त हुए बुद्धिजीवी

आज के युग के राजनीतिज्ञों को देखता हूँ, तो लगता है तिलक के सामने ये लोग कितने बौने हैं। एक ओर तिलक, जिन्होंने शब्द, वाणी, कर्म—तीनों पर समान रूप से अधिकार कर रखा था। पत्रकारिता के कारण ही वर्षों जेल में यातना सहनी पड़ी और आज दूसरी ओर Emergency की घोषणा के पश्चात् के आर मलकानी जैसे चंद लोगों को छोड़कर सारे बुद्धिजीवी, सत्ता की जी-हुजूरी में लग गए हैं। कलम भी क्रांति कर सकती है, यह तिलक ने सिद्ध कर दिया। लेकिन केवल कलम नहीं, एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ा था वह महान् योद्धा। भारत को केवल दासता के चंगुल से मुक्त कराने नहीं, बल्कि भारत को उसकी महान् सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर नए भारत का निर्माण करने। वह जानता था, देश की नब्ज पहचानता था कि भारत की आत्मा धर्म है। जब तक यहाँ के लोगों में संस्कृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति की पश्चिम से श्रेष्ठता नहीं प्रस्थापित होगी, तब तक यह गुलामी से जर्जर देश, कुरीतियों से ठगा यह दरिद्र समाज, नपुंसकता की खाल ओढ़े और आलस्य में दम घोंटता यह समाज कभी जागृत नहीं होगा।

राजनीति को धर्म से जोड़ा

तिलक ने सर्वप्रथम धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर गीता के माध्यम से यह सिंहनाद किया कि संन्यास ही मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। कर्म का त्याग मत करो। कर्म ही जीवन है। फलाशा छोड़कर कर्म करो। समबुद्धि से कार्य करने पर पाप-पुण्य नहीं लगता। विधर्मी को कोई मारता नहीं, वह स्वयं के पाप से मरता है, मनुष्य तो केवल निमित्त बनता है। तिलक ने सोये हुए पराक्रमी सिंहों को जगाने के लिए शरीर बल की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र के गाँवों में हजारों अखाड़े चलने लगे, जिसमें हिंदू नौजवान लाठी-भाले चलाने के अभ्यास और दंड-बैठकी से शरीर को बलिष्ठ बना रहे थे। वर्षों से जिस शिवाजी को जनता ने भुला दिया था, उनको जन-जन में प्रस्थापित किया तिलक ने। शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी के आयोजन को उन्होंने देश-काल की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही राष्ट्रीयता के रंग मे रँगकर जन-जन में लोकप्रिय बना दिया। सारा महाराष्ट्र गुलामी से मुक्त होने के लिए कसमसाने लगा। इस कसमसाहट के प्रतीक थे चाफेकर, सावरकर। चाफेकर ने मि. रैंड की हत्या कर सिद्ध कर दिया कि अब दुनिया की कोई कौम हमें गुलाम नहीं रख सकती। सारा महाराष्ट्र करवट ले रहा था। तिलक ने गरम दल बनाकर इस अंगड़ाई को, तरुणाई को मार्ग दिया। 1908 में उन्होंने घोषणा की कि संवैधानिक तरीकों से प्रार्थना पत्रों के जरिए इस तख्त को उलटना संभव नहीं, इसलिए कोई अधिक उग्र मार्ग अख्तियार करना पड़ेगा। तिलक को 'Father of Indian Unrest' कहा जाता है। उन्होंने भारत में असंतोष की बड़वाग्नि पैदा कर दी। सारा भारतवर्ष नरमदल को तिलांजलि देकर तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई को उद्यत हो रहा था। तभी तिलक को छह वर्ष की कठोर सजा हो गई। हिंदुस्तान का शेर पिंजड़े में कैद हो गया। किंतु वहाँ भी उसने गीता रहस्य के रूप में जो सिंहनाद किया, वह युग-युग तक हिंदू मानस को प्रेरणा देता रहेगा। 1916 में छूट कर आने के पश्चात् उन्होंने पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया।

जनता ने खींचा था तिलक का रथ

जेल में रहकर तिलक ने जनता का दिल जीत लिया था। लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर जनता ने तिलक के रथ को स्वयं खींचा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है—उन्होंने केवल यही उद्घोषणा नहीं की, बल्कि यह भी कहा कि 'स्वदेशी हमारा जन्मसिद्ध कर्तव्य है'।

युगद्रष्टा और महान् नायक लोकमान्य तिलक 23 जुलाई, 1920 को रोग शय्या पर पड़े। उस महान् आत्मा ने 1 अगस्त को देहत्याग किया। उन्हें अंतिम प्रणाम करने के लिए अरब सागर के किनारे बसी बंबई के चौपाटी तट की रेत पर जनसमुद्र उमड़ पड़ा

था। आज तिलक नहीं हैं, किंतु उन्होंने स्वतंत्रता, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का जो मंत्र फूँका था, वह आज भी हिंदुस्तान के लिए एकमात्र प्रेरक दीप है। आज फिर समाज लोकनायक लोकमान्य की भाषा बोल रहा है। आपातकाल के जरिए आज पुनः जन स्वतंत्रता पर कुठाराधात हुआ है, इसलिए तिलक की घोषणाएँ फिर हमारे कानों में गूँज रही हैं— *स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।*

जेल में बाढ़, निर्मम पिटाई और रोटी के लाले

06.08.1975, बुधवार

आज मैं डायरी जिस स्थिति में लिख रहा हूँ, वह अकल्पनीय है। पिछले कई दिनों से बाढ़ की चर्चा थी। सारे लोग मना रहे थे कि बाढ़ आ जाए ताकि कुछ लोगों की रिहाई हो जाए और मैं सोच रहा था कि चलो इसी बहाने किसी अन्य जेल में स्थानांतरण हो जाए। 2 तारीख की रात में जब जोरों से वर्षा शुरू हुईं और पुस्तकें भीग गईं, तो मुझे लगा कि बाढ़ रात को ही आ जाएगी। प्रातः काल से ही लोग पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे कि पानी कहाँ है, कब पानी आएगा। भोजन कर के करीब 2 बजे मैं अध्ययन कर ही रहा था कि अचानक पेड़ पर चढ़े पचासों लोगों ने हल्ला किया कि पानी जेल के चारों ओर भर गया है। देखते-देखते नाली से पानी आना प्रारंभ हो गया और फिर क्या था, पानी पवन वेग से बढ़ने लगा। करीब 3 बजे से प्रारंभ होकर पानी 5.30 बजे तक वार्ड में प्रवेश कर चुका था, जेल में कमर भर पानी भर गया। मुख्य द्वार से पानी की रफ्तार तो और भी तेज थी। कुछ समय पहले तक जहाँ हम हँसी-ठट्ठा कर रहे थे, वहाँ अब चिंता व्याप्त हो गई। अपना-अपना बोरिया-बिस्तर बाँधकर शरणार्थी के समान हम वार्ड से काँख में समान टाँगकर अस्पताल के बरामदे पर चले आए। चूँकि अस्पताल ही एकमात्र ऊँचा स्थान था, अतः जेल के सारे कैदी वहीं चले आए। इतनी भीड़ कि बैठने की जगह भी नहीं थी। कुछ लोग छतों पर चढ़कर जान बचाने लगे।

अब प्रारंभ होती है वास्तविक कहानी। जिस तेजी से पानी बढ़ा, उसे देखकर मुझे सिनेमा के उस दृश्य की याद आ गई जिसमें सारा गाँव चैन की नींद सो रहा हैं। अचानक पानी आता है, खाट, मकान लिये पानी बह जाता है। लोगों को आँख खोलने का भी मौका नहीं मिलता। निद्रा से लोग अनंतनिद्रा में विलीन हो जाते हैं। सोचने लगा कि जब जेल का यह हाल है, जब पानी 3 फीट है, तो उन गाँवों की क्या हालत होगी, जहाँ आवागमन, आश्रय और सुरक्षा का भी प्रबंध नहीं है। 9 फीट तक पानी से गाँव प्रभावित हो जाता है। रात के 9 बज गए थे। भोजन की कहीं संभावना दीख नहीं रही थी और न ही सोने की व्यवस्था।

फुले चने पर टूटे भूखे कैदी

अचानक महेशजी दिखे। वे मुझे और सतीशजी को अपने वार्ड में ले गए, दो मोटी-मोटी रोटी नहीं, थाली के आकार का रोटा था। उसी को दाल में डालकर खाया और वार्ड-14 में कंबल बिछाकर सो गया। लेकिन जो अस्पताल के बरामदे में हमारे मित्र थे, उन्होंने किसी प्रकार बैठकर या आधा सोकर रात काटी। 4 तारीख को समस्या और गहरी हो गई। कहीं राशन का ठिकाना नहीं था, लोग भूख से कलबला रहे थे। बूँट (चना) भी नहीं मिला, बल्कि बाढ़ के गंदे पानी में गिरा हुआ बूँट, जो फूल गया था, उसे जब कैदियों में बाँटा गया, तो कैदी उस गंदे मुट्ठीभर चने पर कुत्तों के समान टूट पड़े।

बिना नमक की खिचड़ी

हम लोगों की खिचड़ी बननी प्रारंभ हुई, किंतु वह तो बीरबल की खिचड़ी थी, और वह भी बिना नमक की। दिन के 11 बजे किसी तरह चावल मिला। उसकी खिचड़ी बनते-बनते 4 बज गए। भूख के मारे लोग परेशान थे। बिना नमक की खिचड़ी ऐसी लग रही थी, मानो भूसा को पानी में उबाल कर मुँह में ठूँसा जा रहा है। रिहाई की बड़ी चर्चा थी। आंदोलन के दौरान जो 107, 181 के तहत पकड़ा कर आए थे, उनमें से 29 लोग हल्ला होते-होते करीब 9 बजे छूट गए। छूटने वाले लोग खुश थे, तो जिनकी रिहाई नहीं हुई थी, उनके चेहरों पर शिकन थी। मीसा बंदियों के अतिरिक्त अन्य कैदी भी अपने-अपने छूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रमाकांत झा, रामलखन झा, एवं रामचंद्र चौधरीजी जो क्रमशः बी.एल.डी., एस.पी. और सर्वोदय से संबंधित थे, वे भी छूट गए। चारों तरफ भागने की भी चर्चा थी। बहुत लोगों के दिमाग में भागने की बात थी। मुझसे कुछ लोग पूछने भी आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझको लगता था कि इसके पीछे adventurist भावना अधिक है कि बाहर निकलूँगा तो मैं भी जे.पी. बन जाऊँगा। मैं सोचता हूँ एक तो वैसी तैयारी नहीं और पुनः दूसरी बात यह कि आज मैं या कोई भी बाहर निकल कर कौन बड़ा आंदोलन चला लेगा। बाहर इतने सिद्ध लोग बचे हैं कि आंदोलन चलाने के लिए पर्याप्त हैं और फिर भागने के बाद घर की जो दुर्दशा होगी, वह एक अलग बात है।

सपने में माँ, नींद खुली तो आँखें गीली

दिन में कई बार हम लोग नारा लगाते हुए गेट तक जाते थे। वहाँ मेन गेट के ऊपर तीन राइफलधारी बंदूक तानकर खड़े थे। रात को भी उसी प्रकार से बिना नमक की खिचड़ी खाकर मैं वार्ड-14 में सो गया और शेष कुछ लोग अस्पताल के बरामदे पर ही थे। पिछले दो दिनों से न तो गिनती हुई थी और न ही तालाबंदी अचानक रात को 2.30

बजे हल्ला हुआ। एक सिपाही वार्ड में आकर ताला लगाने लगा। लगा कि या तो कुछ लोग भागे हैं या कल लोग नियंत्रित रहें, इस कारण रात को ही ताला बंदकर दिया। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई पर स्वप्न में माँ को देखा और फिर रोने लगा। नींद टूटी तो देखा, आँख से पानी आ रहा है।

प्रात: काल होते-होते मालूम हुआ कि करीब 30 कैदी जेल से भाग गए हैं। कहा जाता है कि जेल के दलाल टाइप प्रभावी कैदी रात को रसोईघर में सोए थे। उन लोगों ने वार्ड नं. 11 के पैखाने के पाइप और झंडोत्तोलन के पाइप को उखाड़कर वार्ड-5, जहाँ हम पहले थे, वहाँ से दीवार पर लगा दिया। इस तरह करीब 35 लोग दीवार पार कर गए। जेल के चारों कोनों पर चार गुमटी हैं, जहाँ पुलिस पहरा देती है, लेकिन आज वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। यह घटना करीब 10 बजे रात की थी और जेल अधिकारियों को 2.30 बजे तड़के मालूम हुआ। जब भागे हुए एक पागल कैदी ने एक मंदिर के पास जाकर खुद ही कहा कि मैं जेल से भागकर आया हूँ, गाड़ी का क्या समय है, तब एक व्यक्ति ने उसे जेल पहुँचा दिया। रात को पगली घंटी बजी। तहलका मच गया। लोग परेशान थे, क्या हुआ।

शक में कैदियों की शामत

सिपाही और गुंडे कैदी हाथ में लाठियाँ लिये बाघ के समान गुर्रा रहे थे। चारों तरफ भागने की ही चर्चा थी। 10 बजे दिन तक गिनती का काम जारी रहा। हमें वार्ड 14 में बंदकर दिया गया। जब काफी देर तक वार्ड नहीं खुला, तो कुछ उत्साही लड़कों ने ताला तोड़ना प्रारंभ किया। अचानक लाठियाँ लिये कुछ गुंडे मारने के लिए दौड़े, लेकिन चूँकि फाटक बंद था, अत: वे गाली बकते हुए लौट गए। अब हमें अंदाज हुआ कि आज कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। जेलर की एक बात मुझे हिंट कर गई। उसने कहा कि सारी घटना किन्हीं 1-2 व्यक्यिों के Instigation और Provocation के कारण हुई है। 11.00 बजे हमारा वार्ड खोल दिया गया। हम ज्योंहि अस्पताल के बरामदे पर पहुँचे, उस समय मैंने जो दृश्य देखा, वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूँगा। 12-13 काले मुसतंड के गुंडे हाथ में लाठी, लकड़ी, बाँस लिये हुए कसाइयों के समान टूट पड़े उन लोगों पर, जिनके बारे में कहा गया कि उनका भी भगाने में हाथ है। हम तो दुबक कर बरामदे में बैठ गए और पागलों के समान ये गुंडे खींच-खींच कर एक-एक व्यक्ति को गुमटी के पास लाते थे और फिर सैकड़ों लाठियाँ उपर बरस पड़ती थीं। पानी में डुबा-डुबा कर मारा गया। करीब 40 मिनट तक इस लोमहर्षक दृश्य को हम मूक-भयभीत दर्शक के समान देख रहे थे। हमें लग रहा था कि कहीं हम भी मारपीट के शिकार नहीं हो जाएँ। एक व्यक्ति को मार कर वे पागलों के समान अन्य को खोजने

भीड़ में आते थे, और फिर एक को पकड़ कर वहीं से मारना प्रारंभ करते। सब उसी पर टूट पड़ते। होता क्या था कि यदि कहीं कोई छिपकर बैठा है भीड़ में, तो उसी भीड़ पर 10-20 लाठियाँ पड़ती थीं। चूँकि हमारे अगल-बगल में भी कई कैदी बैठे थे, अत: पता नहीं, कहीं हम पर भी आक्रमण न हो जाए। 40 मिनट के इस दृश्य के बाद आतंकित होकर हम चुप हो गए।

करीब 1 बजे राठौरजी और हुक्मदेवजी को गेट पर बुलाहट हुई। हमे चिंता हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं है। वे तीन बजे तक नहीं आए। पश्चात् मालूम हुआ उनपर आरोप लगाया गया कि आप दोनों की योजना से ही लोग भागे हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया है।

उस दिन जाना, क्या होती है भूख

इस घटना से और आतंक फैल गया। सारे कैदियों को हाजत में ठूँस-ठूँस कर बंदकर दिया गया। श्मशान की शांति जेल में छा गई। आज मैं भी 3 बजे दिन तक भूखा था। भूख कैसी होती है, आज ज्ञात हुआ। कच्चा चावल फाँककर कुछ पेट भरा और जब तीन बजे खिचड़ी बनी भी, तो बिना नमक की। क्या बताऊँ बिना नमक की खिचड़ी कैसी होती है। सारे लोग वार्ड 18 में शिफ्ट कर गए। रात को नमक की खिचड़ी मिली।

जेल में साँप और आई.जी.

08.08.1975, शुक्रवार

अचानक रात को हल्ला हुआ—मारो-मारो और तड़ातड़ लाठियों की आवाज आ रही थी। एक बार तो कलेजा काँप उठा। लगा कि शायद वार्ड से खींच-खींच कर लोगों को पीट रहा है। मैं बसंतजी को उठाने ही वाला था कि इतने में किसी ने कहा साँप मारा जा रहा है। तब शांति मिली। बगल के किसी मंदिर में घंटियाँ बज रही थीं। लगा, कहीं पगली घंटी तो नहीं बज रही है। भागने की घटना के बाद से जेल में खौफ छा गया है। कोई व्यक्ति जेल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता कि कब किसको कौन पीट देगा। रोज पिटाई का कार्यक्रम चल रहा है। छह तारीख को आई.जी. (जेल) लाल साहब आए। वे जेल के प्रत्येक वार्ड में गए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उनको गलतफहमी में रखकर हमारे वार्ड 14 में नहीं लाया। बिनोवाजी को विश्वास था कि जब मिलने के लिए पुर्जा भेजा है, तो बुलावा अवश्य आएगा। फिर हम बसंतजी और महेशजी भाग कर आई.जी. के पास गए। उन्होंने देखते ही हमें बुलाया। हमने उनसे सारी बातें कही।

एक बात मैंने अनुभव की है कि इस प्रकार बात करने के मौकों पर मैं काफी घबड़ा जाता हूँ। इसको कैसे दूर किया जाए, यह सोचना है। कल श्यामसुंदर ठाकुर और

समस्तीपुर के किसी सज्जन को बाहर चिट्ठी भेजने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है। स्थानांतरण की बात बड़ी जोरों पर है। देखें, कहाँ जाता है।

इंदिरा ने हिटलर-मुसोलिनी को पीछे छोड़ा

09.08.1975 शनिवार

आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन 1942 ई. में भारत छोड़ो आह्वान किया गया था। सुना है, आज से पुनः जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होने वाला है। देखें, क्या होता है। संसद् का वर्षाकालीन अधिवेशन समाप्त हो चुका है। शक्ति के केंद्रीकरण की सीमा का अतिक्रमण हो चुका है। राष्ट्ररक्षा के नाम पर समस्त शक्तियाँ इंदिरा के हाथ में केंद्रित हो गई हैं। एक व्यक्ति अपने को पद पर बनाए रखने के लिए किस प्रकार Justify करता है और क्या-क्या कुकर्म नहीं करता है। परसों पीपुल्स रिप्रजेंटेशन ऐक्ट की उन समस्त धाराओं को संशोधित कर दिया, जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थीं। ऐसा लगता था कि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही अपील का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल मुद्दों से संबंधित कानून को संशोधित कर दिया गया। 8 अगस्त हिंदुस्तान के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा, जब इंदिरा ने अपने को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए हिटलर और मुसोलिनी को भी मात कर दिया। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति के चुनाव की वैधता को अब चुनौती किसी न्यायालय में नहीं जा सकती। अर्थात् इंदिरा गांधी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चल रही appeal खारिज हो गई। अब इन पदों के व्यक्तियों के चुनाव की वैधता के लिए एक आयोग गठित होगा, जो appeal पर विचार करेगा।

शेख मुजीब की हत्या का समाचार

18.08.1975, सोमवार

परसों अचानक खबर मिली कि बँगलादेश के नेता शेख मुजीब को 15 तारीख को गोली मार दी गई। समाचार पाते ही प्रारंभ में लोग हर्षित हुए कि चलो एक तानाशाह का अंत हुआ। प्रसन्नता थी, लेकिन ठीक-ठीक समाचार अखबार के अभाव में प्राप्त नहीं हो रहा था। पुनः शाम को ज्ञात हुआ कि उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए हैं। इसी ऊहापोह में संध्या को समाचार-पत्र मिले। सारी बातें स्पष्ट हुईं।

पाकिस्तान के निर्माण में ही उसके विघटन के बीज भी रोपित थे। घृणा, हिंसा, द्वेष और सांप्रदायिक विद्वेष पर आधारित समाज अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। और यही हस्र आज पाकिस्तान का हो रहा है। पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और कश्मीर—इन पाँच विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को मिलाकर बना है पाकिस्तान,

जिसको जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी थी इसलाम की हिंदुत्त्व-विरोधी भावना, किंतु बँगलादेश की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि धर्मांतर से राष्ट्रंतर नहीं होता है और न धर्म बदलने से संस्कृति बदल जाया करती है। तभी तो बँगलादेश के लोगों ने बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने का विरोध किया था। रवींद्र संगीत और बांग्ला भाषा की प्रेमी पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृतिनिष्ठ जनता ने जब उर्दू के साम्राज्यवाद और पश्चिम पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध जनचेतना आंदोलन छेड़ा, तब शेख मुजीब ने ही उनके अरमानों को आवाज दी थी।

इंदिरा और मुजीब की तानाशाही में फर्क

सोनार बांग्ला का मुजीब और बंग बंधु, जिसने संसदीय लोकतंत्र का वचन दिया था, वही बन बैठा तानाशाह। उनका अंत वही हुआ, जो तानाशाहों का हुआ करता था। प्रजातांत्रिक सरकारों को हटाने का प्रयास प्रजातांत्रिक तरीकों से होता है तो तानाशाहों को अंतत: हिंसा के जरिए किसी दूसरे तानाशाह द्वारा हटाया जाता है। किंतु फर्क है बांग्ला तानाशाही और भारत की तानाशाही में। भारत में इंदिरा गांधी ने स्वयं को पद पर बनाए रखने के लिए आपातकालीन स्थिति के नाम का दुरुपयोग किया है। यहाँ प्रेस सेंसरशिप की आड़ में सत्ता विरोधियों को कुचलने का षड्यंत्र किया गया है। राष्ट्र की रक्षा के नाम पर स्वयं की रक्षा की जा रही है। तभी तो संविधान में 39वाँ, 40वाँ संशोधन करने के लिए विधेयक आया है, किंतु क्या बँगलादेश का मुजीब अपने पद के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है, कदापि नहीं? जिसने जिंदगी के ग्यारह वर्ष जेल के सीखचों के पीछे काट डाले, फिर भी जिसकी देशभक्ति को कुचला नहीं जा सका और जो फाँसी के फंदे से लौट चुका हो, क्या वह अपने पद के लिए राष्ट्र को खंड-विखंड, जर्जर कर सकता है, कदापि नहीं?

बँगलादेश की मुक्ति के पश्चात् मुजीब के कंधों पर भार था उस नए देश को सोनार (संपन्न-खुशहाल) बनाने का, करोड़ों परिवारों को बसाने का, जर्जर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का और उसे कूटनीतिक रूप से मुकाबला करना था पाकिस्तान, चीन और अमेरीका की ताकतों का। वर्षों पूर्व जब पाकिस्तान से 1100 मील दूर बँगलादेश बना, तभी से पाकिस्तान उसका अस्तित्व समाप्त करने की गहरी चालें चल रहा था। ढाई वर्षों बाद उसे मान्यता दी गई। उपरोक्त तीनों शक्तियों ने बँगलादेश के भीतर आतंरिक अशांति, हिंसा, राजनीतिक हत्या का वातावरण फैलाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम था प्रजातंत्र की समाप्ति और तानाशाही का उदय। मैं यह समझता हूँ कि बँगलादेश में तानाशाही का उद्देश्य है राष्ट्रजीवन में बाह्य शक्तियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना, जबकि भारत में एक व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा की रक्षा ही मकसद। अंतर जो भी हो, किंतु तानाशाही तो तानाशही है। गलत साधनों से कभी भी साध्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता।

विदेशी ताकतों की दिलचस्पी

शेख मुजीब की हत्या के पश्चात् जो मुस्तफा अली आसीन हुए हैं, उनकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि 1971 के युद्ध के समय उन्होंने बँगलादेश की स्वाधीनता का विरोध कर पाकिस्तान के साथ सहयोग की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने तत्काल मान्यता और सहायता देकर भी सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ वर्तमान घटनाक्रम को चालित करने में था। विदेशी शक्तियाँ तो हमेशा चाहती ही हैं कि भारत के Buffer State यथा तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान आदि का संबंध भारत से तनावपूर्ण रहे, क्योंकि यह उनकी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक चालों का तकाजा है। अत: पाकिस्तान और अन्य ताकतें नए राष्ट्र को भारत के प्रभाव क्षेत्र से दूर रखने का प्रयत्न करेंगी। किंतु, क्या उसे सफलता मिलेगी? कारण बँगलादेश की बहादुर जनता भारत की कृतज्ञता और पाकिस्तान की बरबरता को इतनी जल्द भूल नहीं सकती और न ही वह भूल सकती है अपने बंग बंधु को, जिसने मात्र 4 वर्ष पूर्व देश को स्वाधीन कराया था। वहाँ हुए तख्तापलट (Coup) को जनता का समर्थन नहीं है। जनता यदि वास्तव में तानाशाही खत्म करने को इच्छुक है, तो वह कदापि इस दूसरे तानाशाह को भी स्वीकार नहीं करेगी। बँगलादेश में पुन: क्रांति, विद्रोह या गृहयुद्ध की संभावना है, क्योंकि जनता इस नई तानाशही को स्वीकार नहीं करेगी और नया तानाशाह जनता को कुचलने का प्रयत्न करेगा। परिणाम होगा गृह युद्ध।

बँगलादेश एक नया नासूर

भारत के लिए बँगलादेश एक नया नासूर पैदा हो गया। भारत चाहता तो उसे हस्तगत कर सकता था, किंतु नेतृत्व ने नैतिकता की दुहाई देकर उसे मुक्त कर दिया। भारत भी चुप नहीं बैठेगा। वह भी वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगा। वहाँ की मुक्ति वाहिनी को शस्त्रों से लैस कर हर संभव प्रयास करेगा कि भारत समर्थक सत्ता स्थापित हो। हो सकता है, इसका परिणाम भारत-पाक युद्ध में दिखाई पड़े। देखें, आगे क्या होता है। बँगलादेश ने इसलामी गणराज्य होने की घोषणा की है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसलामी गणराज्य है या नहीं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्थापित सत्ता का संबंध भारत और पाकिस्तान से कैसा है।

राजनीतिक बंदियों में बहस और तनाव

31.08.1975 रविवार

आज पूरे दो मास हो रहे हैं। कई दिनों के बाद डायरी लिख रहा हूँ। पढ़ाई अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है। हमेशा मानसिक तनाव रहता है यहाँ की आंतरिक स्थितियों के

कारण। कई बार इच्छा होती है कि अन्यत्र कहीं दूसरे वार्ड या सेल में चला जाऊँ ताकि मुझे अध्ययन का मौका मिल सके, क्योंकि बाहर तो व्यस्तता के कारण अध्ययन का मौका नहीं मिलता था, और अब, जब कुछ फुरसत मिली है, तो यहाँ संघर्ष के कारण तनाव है। बीच में तेजनारायणजी, सतीशजी, अरुणांबर का स्थानांतरण भागलपुर जेल में हो गया है। अचानक खबर आई कि इन्हें जाना है। तेजनारायणजी से कुछ इस प्रकार मन लग गया था कि उनका जाना कुछ खला अवश्य। उनके साथ ताश अच्छी जमती थी, दिल के अत्यंत साफ व्यक्ति हैं। अरुणांबर गया तो अच्छा ही हुआ। उसके चलते वातावरण अशांत था। जिस दिन ये गए उसी दिन सीट के लिए राजनारायण भगत से महेशजी का संघर्ष हुआ। उस दिन के बाद से यहाँ शुरुआत होती है व्यक्तिगत लड़ाई को सैद्धांतिक जामा पहनाने की। आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति कल तक विचारों में हमारे नजदीक लगता था, वह अब हमारी हर तर्कपूर्ण बात का भी विरोध कैसे करने लगा। राजनारायण गिरि जनसंघ के संगठन मंत्री हैं। यहाँ आए तो उनको अन्य हाजत, वार्ड में रखा गया। जब हम लोगों ने भोजन उनके अपने मेस से भेजा, तो उसपर हंगामा मच गया। बात आगे बढ़ गई, इसमें सियाराम यादव का हाथ था। अंत में तनाव काफी हो गया, जनरल हाउस की बैठक हुई, तब मामला सुलझा। फिर अगले दिन लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम् कहने का विरोध हुआ। कोई तर्क नहीं, तर्क को क्या, सी.पी.एम. के मित्र भी हमारे साथ हैं और उनकी भावना को ठेस लगती है। अंत में एक मित्र ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं विदेशों की गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम् कहा जाए। अंत में हमलोगों ने मान लिया। मैंने कहा कि बंग साहब इस नारे का विरोध नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का भाव दूसरा है, नहीं तो आजतक क्यों नहीं किसी ने विरोध किया और आज यह तथ्यहीन तर्क दिया जा रहा है।

बंग साहब के संकल्प, पत्नी-प्रेम और देश सेवा

11.09.1975, वृहस्पतिवार

आज कई दिनों के बाद लिखने बैठा हूँ। अब मीसा के समस्त लोग वार्ड नं.-13 में आ गए हैं। यहाँ बिजली के पंखों की व्यवस्था है। छोटा सा वार्ड है, लेकिन केवल मीसा वालों के लिए। कुल 14 लोग हैं। दो मेस चल रहा है—शाकाहारी और मांसाहारी। वातावरण पढ़ाई के योग्य है। मानसिक शांति भी है। रोज रात्रि को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्म कहानी कहता है। बंग साहब का जीवन कई मामलों में प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए हैं, कभी सामूहिक खेती के तो कभी व्रत लिया कि शादी में तिलक नहीं लूँगा, खादी पहनूँगा, वगैरह और आज तक निभा रहे हैं। शादी में इन लोगों ने भारत माता के चित्र को माला पहनाकर देश सेवा का व्रत लिया और आठ आने में शादी हो गई।

इनके दोनों लड़के उच्च स्थानों पर हैं और अंतरजातीय विवाह कर समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। घर में सादगी—पंखा, रेडियो वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जब रहे, तब पत्नी के प्रति उनका अगाध प्रेम देखता हूँ तो लगता है कि इनका जीवन इस रूप में सार्थक है कि जीवन की समस्त माँगों को प्राप्त करते हुए भी, अर्थात् पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए ये समाज सेवा भी भली-भाँति कर रहे हैं। या तो व्यक्ति शादी न करे और यदि करे तो ऐसी पत्नी हो, जिसकी रुचि भी समाज सेवा में हो, तब तो पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन सार्थक होगा, अन्यथा कलह मची रहेगी। कई बार हम लोग चुटकी लेते हैं। बंग साहब ठीक दो बजे पत्नी से मिलने जाते हैं, चाहे पानी हो, धूप हो और एक घंटे तक साथ रहते हैं। हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कभी हमारे बैरक की खिड़की से महिला बैरक झाँकते रहते हैं। महिला बैरक के दरवाजे में एक छोटा छेद है, वहाँ से भी कभी-कभी बात हो जाती है। उनकी उम्र करीब 58 वर्ष है, किंतु आज भी पति-पत्नी के बीच प्रेम अपार है।

पटना में ऐतिहासिक बाढ़

कल ही माँ का और सरजू राय का पत्र आया था। सोच रहा हूँ आने के लिए लिख दूँ। ज्ञात हुआ है कि वह पटना में है। इसी बीच पटना में भीषण बाढ़ आई। सारा पटना 5 फीट से 13 फीट तक पानी में 25 तारीख से डूबा रहा। पटना कॉलेज हवाई अड्डा बन गया था। जगजीवन राम जब पटना आए और उनके विमान को उतरने की सूखी जगह नहीं मिली, तो पुनः दिल्ली लौट गए। सेक्रिटेरियट में 7 फीट पानी था। गजब समाचार छपा था, पटना के बारे में।

इन दिनों अध्ययन अपेक्षाकृत अच्छा चल रहा है। पोलिटिकल थीसिस पढ़ रहा हूँ। शेष बातें कल।

दाद-खुजली और बाल विवाह की चर्चा

19.09.1975 रविवार

आज रात को बिजली गुल कर दी गई। परिणामतः अपेक्षाकृत आनंददायक नींद आई। पिछले कई दिनों से खुजली, दाद से परेशान हूँ। पिछले वर्ष बक्सर जेल में दाद हो गया था। जेल के बारे में कहा जाता है कि दाद, खुजली तो वहाँ परंपरागत बीमारी है। इस बार भयंकर प्रकोप है। बगल के लोगों को खुजली हुई तो मैं भी परेशान हुआ, किंतु कोई उपाय नहीं था। परिणामतः दाद है या खुजली, पता नहीं, पर उससे परेशान हूँ।

पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज रात को आत्मकथा का कार्यक्रम होता है। कई लोगों ने अपने जीवन के प्रेरणादायी, रोचक एवं समाज की स्थिति को परिलक्षित करते

प्रसंग सुनाए हैं। मैंने अपनी जीवनी कही तो उसके पश्चात् कुछ अहं का आभास हुआ क्योंकि शायद जीवन में मुझे ठोकर कम और तथाकथित सफलता ही अधिक मिली है। कुछ विचित्र महसूस कर रहा था। साधारणतया अधिकांश राजनीतिक बंदी निम्न मध्यम या मध्यम परिवार के हैं। इस क्षेत्र में निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की शादी काफी कम उम्र में हो जाती है।

कल मौजेलाल बतला रहा था कि जब वह साढ़े तीन वर्ष का था, तो नाक में नथुनी, गले में चाँदी की हँसुली पहने किसी की गोद में चढ़कर घोड़े पर बैठ शादी के लिये वधू के द्वार गया था। उसके तीन बच्चे हैं, उम्र 20 वर्ष, और पहला बच्चा 8 वर्ष का। इसी प्रकार एक कामेश्वर है, जिसकी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई। उसे 2 बेटियाँ हैं। बड़े मजे के साथ अपनी शादी की बात सुनाता है।

हिंदी प्रदेशों में इतनी कम उम्र में शादियाँ क्यों होती हैं? पटना में मैंने हरिजन बच्चों को देखा है, 2 वर्ष, 4 वर्ष का बालक पीली धोती पहने, आँख में काजल लगाए बड़े मजे के साथ दुलहा बना घूम रहा है। सुनते हैं शादियाँ बच्चों के पेट में ही रहते तय हो जाती हैं। सरकार ने शादी की उम्र तय कर दी है, उसके पश्चात् भी बाल विवाह होते हैं, यद्यपि उनकी संख्या काफी कम हो गई है।

आबरू बचने के लिए शुरू हुआ बाल विवाह

वैदिक काल में कहीं भी बाल विवाह की चर्चा नहीं आती। सामाजिक इतिहास के जानकार बताते हैं कि भारत पर लगातार मुगल आक्रमणों के पश्चात् पराजित हिंदू समाज में बाल विवाह, घूँघट करने वगैरह की प्रथा चल पड़ी, क्योंकि उस काल में मुसलमान शासकों और सत्ता के ओहदेदारों के लिए किसी भी सुंदर लड़की पर नजर पड़ते ही उसे हरम की रखैल बना लेना आम बात थी। कई नवाबों के राज्य में तो ऐसा भी नियम था कि राज्य के प्रत्येक परिवार को एक रात्रि के लिए अपनी कुँवारी पुत्री को नवाब के पास भोग के लिए भेजना अनिवार्य था। इससे बचने के लिए हिंदुओं के यहाँ बाल विवाह की प्रथा चल पड़ी, ताकि कम उम्र में शादी हो जाने पर विधर्मी शासकों की नजर उस पर न पड़ सके। घूँघट भी इसीलिए चल पड़ा कि स्त्री की सुंदरता को किसी कामुक शासक की बुरी नजर से बचाये रखा जा सके।

कायरता से बनीं रूढ़ियाँ

विदेशियों से युद्ध में लगातार पराजय, एकजुटता के अभाव और नेतृत्वहीनता के कारण बहुसंख्यक समाज में संघर्ष की क्षमता क्षीण हो चुकी थी। कायरता हावी होने लगी थी। हिंदू समाज उस काले-अँधेरे दौर में आत्मरक्षा के लिए कुछ कायर कुरीतियों को अपनाने

पर मजबूर हो गया था, जो आज तक रूढ़ि के रूप में चली आ रही हैं। मुगल वर्चस्व वाले यूपी-बिहार के अनेक इलाकों में गौना या Second Marriage की सामाजिक व्यवस्था का आज तक प्रचलित होना हमारे इतिहास के दु:खद अध्याय का साक्षात प्रमाण है।

मौजेलाल की एक बात से सुख हुआ तो खेद भी हुआ। उसने तय किया है कि अपनी बेटी की शादी वह अपने विजातीय मित्र के लड़के से करेगा, जिसकी उम्र अभी मात्र 2 वर्ष है। जहाँ एक ओर वह जाति परंपरा को तोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उससे अधिक विकृत बाल विवाह की रूढ़ि को अपनाये रखना चाहता है। खैर, रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में एक कदम तो उसने उठाया ही।

जेल से रिहाई की अटकलें

24.09.1975 बुधवार

कल वार्ड में चर्चा का विषय है कि कौन-कौन छूट रहे हैं। कल समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि करीब 2 हजार MISA, DIR के बंदियों का Review 30 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा और दुर्गापूजा के पूर्व लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा। तब से वातावरण में चर्चा का विषय यही है। मेरे मन से भी कुछ उत्कंठा हुई, किंतु मैं निश्चिंत हूँ कि मैं शायद छोड़े जाने वालों में अंतिम होऊँगा।

क्रोध पर नियंत्रण के लिए मौन व्रत

27.09.1975, शनिवार

कल से मौसम में काफी ठंडक आ गई है। 36 घंटों से लगातार वर्षा हो रही है। कल स्नान भी नहीं किया। रात्रि को टेबुल लैम्प में काफी देर तक पढ़ता रहा। रात्रि में इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी, मानों प्रलय ही हो जाएगा। ऐसे मौसम में नींद तो अच्छी आती है। परसों किसी ने अफवाह उड़ा दी कि लोग आज छूट जाएँगे। कुछ लोग तो बोरिया-बिस्तर बाँधकर तैयार थे। उन्हें काफी धक्का लगा, जब मालूम हुआ कि वे नहीं छूट रहे हैं। इन मामलों में मैं साधारणत: गीता के स्थितप्रज्ञ-जैसा हो जाता हूँ। पिछले दो बार भी जब जेल से निकला, तो कोई हर्ष-विषाद नहीं हुआ था। इस बार भी निश्चिंत हूँ। कसक होती है कि यदि बाहर रहता तो किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने में मेरा अधिक योगदान हो सकता था।

समस्तीपुर के महेशजी पिछले 25 दिनों से मौन धारण किए हुए हैं। उन्हें क्रोध बहुत आता है, जिसका परिणाम था जितेंद्र केशरी से झगड़ा। उस दिन के बाद से वे मौन हैं। अत्यंत आग्रहोपरांत उन्होंने एक घंटे के लिए ब्रत तोड़ा है। मैंने परसों उनसे व्रत तोड़ने का आग्रह किया, तो वे बताने लगे कि इससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है तथा क्रोध नहीं

होता। उनसे लिखित वार्त्ता ही होती रही। मैंने उन्हें गीता का स्मरण दिलाते हुए कहा—

''विषया विनिवर्त्तंते निराहारास्य देहिनः।
रसर्वजम रसोप्यस्य पर दृष्टवा निवर्त्तंते॥''

अर्थात् इंद्रियों को निष्क्रिय या नष्ट कर देने से विषय समाप्त हो सकते हैं, उपवास करने से भूख नष्ट हो जाएगी, किंतु भोजन करने की इच्छा समाप्त नहीं होगी। अत: इंद्रियों को नष्ट न करके इंद्रियों के विषयों से आसक्ति हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। संघ के कार्यकर्त्ताओं का मार्ग शंकर का संन्यास मार्ग नहीं है, जो पलायन की नीति का अनुसरण करते हुए इंद्रियों को नष्ट कर दे, बल्कि वे तो ऐसे कर्मयोग के पथिक हैं, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए समाज में लोकसंग्रहार्थ कार्य करते हैं। मैंने कहा कि मौन रहने से क्रोध पर संयम नहीं, बल्कि उसका शमन होगा और पुन: मौका मिलते ही वह उत्तेजित हो उठेगा। अत: लोगों के बीच रहते हुए धीरे-धीरे क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण का अपना तरीका है। अभी तक तो वह तैयार नहीं हुआ है, आगे क्या होता है, देखें।

जेल में ही दिवाली-दशहरा

03.11.1975 सोमवार

आज दिवाली का दिन है। कुछ समय पूर्व तक मन कुछ उदास था। अब प्रसन्नचित्त हूँ। पटाखों की आवाज आ रही है। जेल में कहीं-कहीं दिए टिमटिमा रहे थे। सोच रहा था, घर पर नहीं हूँ। पिछले वर्ष दिवाली पर बंबई था। इस बार बाहर होता तो भी कोई आवश्यक नहीं कि घर पर रहता, किंतु घरवाले अवश्य सोचते होंगे कि दिवाली पर लड़का जेल में है। आज कई दिनों के बाद मन में थोड़ी उदासी थी। आज ही वार्ड में चौकी लगी है। इधर कुछ दिनों से बंग साहब से बातचीत नहीं होती। पढ़ने के कारण माथा भारी था, फिर दिवाली की याद ने संध्या को मन उदास कर दिया था। हमारे वार्ड में एक भी दीपक नहीं जला। सी.पी.आई. वार्ड ने आज काफी रँगाई-पुताई की थी एवं दीपक भी जलाया था। अस्पताल एवं सेल वार्ड में काफी दीये थे। मुन्ना जब एक छोटा दीपक लेकर आया, तो दरवाजे पर उसे प्रज्वलित किया।

लगता है कि जेल में ही दिवाली-दशहरा, सब त्योहार बीत जाएँगे। छूटने की विशेष चिंता नहीं, किंतु जनवरी में परोल के बारे में मन बन रहा है। आज जेल में अन्य कैदियों को अपेक्षाकृत जल्दी बंद कर दिया गया है। आज ही के दिन हजारीबाग जेल से जयप्रकाश (जेपी) फरार हुए थे। अपने त्योहारों की यदि कोई आलोचना करता है, तो काफी प्रतिक्रिया होती है।

अध्ययन काफी अच्छा चल रहा है। आज सूची बनाई तो करीब 17 पुस्तकें पढ़

कर समाप्त की है। कप्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री और कृष्णावतार पर मसानी और मुंशी की पुस्तक पढ़ी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत

08.11.1975 शनिवार

कल एकता सम्मेलन हो रहा था, अर्थात् वार्ड के कई गुटों को समन्वय करने का प्रयास चल रहा था। अचानक बंग साहब ने हस्तक्षेप करते हुए सूचना दी कि प्रधानमंत्री के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। सारे लोगों का मन बैठक से उचट गया। प्रधानमंत्री के फैसले पर समस्त लोगों का ध्यान केंद्रित था। बैठक समाप्त होते ही लोग गेट की ओर गए। समाचार प्राप्त हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। सारे लोगों में प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता का कारण था कि अब लोगों के छूटने की संभावना बढ़ गई है। मुझे प्रारंभ से लग रहा था कि फैसला उसके पक्ष में होगा क्योंकि संविधान के मूल ढाँचा में परिवर्तन का अधिकार संसद् का है, ऐसा उसका फैसला होगा। मुझे लगता है कि यह ठीक भी है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, और यदि उसे संविधान को रद्द करने का अधिकार है तो क्या उस संसद् को मूल ढाँचा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अत: जो कुछ हुआ, वह अपेक्षित ही था। अभी सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई हैं, किंतु संभावना है कि मार्च में निर्वाचन अवश्य होगा और उसके पूर्व दिसंबर के अंत तक अधिकांश लोग छूट जाएँगे। इंदिरा तो केवल निर्णय की प्रतीक्षा में थीं, और उसी कारण आपातकाल लगाया गया।

छठ पर माँ और घर की याद

10.11.1975 सोमवार

आज से पुन: प्रात:काल कसरत, योग प्रारंभ कर दिया है। रात भर पटाखे की आवाज आ रही थी। कल छठ का संध्या अर्ध्य था। जेल में कैदियों ने छठ व्रत किया। पानी एकत्र करने हेतु नालियों के समान लंबी हॉज बनी हुई है। उसी में पानी भरकर, अच्छी सजावट के साथ भक्त पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना कर रहे थे। दृश्य काफी अच्छा लग रहा था। छठ का अभाव महसूस नहीं हुआ। छठ व्रत बिहार का प्रमुख पर्व है। इस दिन प्रत्येक माँ की इच्छी होती है कि पुत्र घर पर रहे। पंडित नामक एक पनिया रोने लगा। सुरेंद्र कह रहा था कि आज के दिन माँ कितना याद कर रही होगी।

कम्युनिस्ट नहीं मिटा सकते उत्सव

वास्तव में इन धार्मिक पर्वों का भारत के जनजीवन पर इतना प्रभाव है कि हमारे

कम्युनिस्ट लाख प्रयत्न करते रह जाएँ, इसे समाप्त नहीं कर सकते। जो इन धार्मिक उत्सवों का विरोध करेगा, वह स्वयं मिट जाएगा। ये ही तो भारत की आत्मा हैं। कल अखबार में था कि पटना के मंदिर में भागवत प्रवचन सुनने के लिए दिन-रात हजारों की भीड़ लगी रहती है। कोई राजनैतिक नेता या अन्य लोग लाखों रुपए खर्च करके भी इतने बड़े जन समुदाय को एकत्र कर सकें, यह असंभव है। बिना किसी आमंत्रण के केवल पंचांग की तिथि देख कर लाखों लोग प्रयाग के कुंभ स्नान मेले में एकत्र होते हैं, यह दुनिया को आश्चर्यचकित करता है।

विवेकानंद ने सच ही कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र कोई विशेष उद्देश्य के लिए पैदा होता है। भारत दुनिया को आध्यात्मिक संदेश देने के लिए बना है। अमरीका में यदि किसी किसान से राजनीति के बारे में पूछेंगे, तो वह रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास उलट देगा, किंतु भारत में अनपढ़ व्यक्ति भी राम, कृष्ण, गीता, भारतमाता की बात करेगा। वह उसके अंत:करण में है।

पूजा-पाठ पर खर्च का विरोध क्यों?

कई लोग अकसर कह दिया करते हैं कि लाखों रुपए अनावश्यक पूजा-पाठ में खर्च होते हैं, इससे अच्छा कि वे रुपए गरीबों को दे दिए जाते। एक तो यह विचार लोगों को अकर्मण्य बनाने वाला है, दूसरे ऐसी सलाह देने वालों को सिनेमा, अश्लील साहित्य और वैभव-विलासिता की चीजों पर खर्च किया जाने वाला करोड़ों रुपया नहीं खटकता। जिस खर्च से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, उस पर रोक की बात कर बौद्धिकता का नाटक किया जाता है। धार्मिक उत्सवों के आलोचक उसका अर्थशास्त्र भी नहीं देखते। वे नहीं देख पाते कि होली-दशहरा-दिवाली जैसे त्योहार कपड़े-गहने-बरतन से लेकर मिट्टी की मूर्तियों-खिलौनों तक की माँग में बेतहाशा वृद्धि कर रोजगार के कितने विराट अवसर लगभग सालोंभर बनाए रखने का अमूल्य योगदान करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की माँग सृजित करने वाले हमारे पर्व-त्योहार आस्था और अर्थशास्त्र को परस्पर आश्रित तो बनाते ही हैं, राष्ट्रीय-सांस्कृतिक एकता को मजबूत भी करते हैं। कहते हैं कि रावण वध जैसे कार्यक्रमों के नाम पर लाखों लोग एकत्र होते हैं। अब है कोई सरकारी तंत्र या आधुनिक भौतिकता, जिसमें जनता को इस प्रकार से जोड़ने की इतनी ताकत हो? लोकमान्य तिलक ने इसी ताकत को राजनीतिक ऊर्जा में बदल दिया था। किंतु दुर्भाग्य है कि भारत के लोग इतने धर्मपरायण होने के बाद भी अपने बंधुओं की बदहाली पर ध्यान नहीं देते। इस विषय पर कल।

□

बहनों को पत्र

आपातकाल में मीसाबंदी श्री सुशील कुमार मोदी ने जेल से अपनी बहनों को जो पत्र लिखे, उनमें बहन की शादी जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल न हो पाने की वह मानवीय कसक झलकती है, जो जेल प्रशासन की स्थायी संवेदनहीनता के कारण कैदियों को अकसर झेलनी पड़ती है। इन पत्रों से यह भी पता चलता है कि देश में सकारात्मक बदलाव लाने की सोच पर दृढ़ रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कितनी कठोरता से अपनी कोमल भावनाओं पर वैचारिक विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अकसर लोग किसी व्यक्ति का केवल उज्ज्वल-सफल और दमकता हुआ दौर देखते हैं, लेकिन उसकी जीवन-यात्रा के कठिन दिनों से परिचित होना भी महत्त्वपूर्ण होता है। पत्र-जैसे दस्तावेज इस दृष्टि से सर्वाधिक ईमानदार गवाह माने जाते हैं। इनमें व्यक्ति अपनी अधिकतम सहजता के साथ अभिव्यक्त होता है। यहाँ प्रस्तुत हैं सगी बहन उषा और चचेरी बहन कुसुम को जेल से लिखे सुशील कुमार मोदी के तीन पत्र, जिनमें जेल-जीवन के कई दूसरे पहलू भी उजागर होते हैं।

जब देश पर संकट हो, एक भाई का जेल में होना क्या मायने रखता है…

(आपातकाल के दौरान यह पत्र केंद्रीय कारा, हजारीबाग (अब झारखंड) से लिखा गया था। जेल प्रशासन ने राजनीतिक बंदी सुशील कुमार मोदी को सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भी रिहा करने से मना कर दिया था।)

22.01.76
हजारीबाग कारा

प्रिय बहन उषा,

संध्या के 7 बज रहे हैं। तुम्हारा जीवन साथी द्वार पर आ चुका होगा। शहनाई बज रही होगी। सारे लोग बरात की आव-भगत में व्यस्त होंगे। सारा घर परिवार के सदस्यों-मित्रों और परिजनों से भरा होगा। कल तुम अपने नए घर में चली जाओगी। नवीन जीवन प्रारंभ करोगी। ऐसी मंगल बेला में तुम्हारा एक भाई इस कार्य में सहयोगी नहीं हो सका। तुम लोगों को भी मेरा अभाव खटक रहा होगा। बार-बार आज का दिन भुलाना चाह रहा था, ताकि मानसिक कष्ट न हो। किंतु रह-रहकर तुम्हारी याद आ जाती थी। फलत: यह पत्र लिखने बैठ गया। उषा चिंता मत करो, शीघ्र मैं बाहर आकर अपनी अनुपस्थिति के अभाव को दूर कर दूँगा। मैं भले ही तेरी शादी में शरीक नहीं हो सका, परंतु तेरे अनेक भाई तो वहाँ होगे ही। उषा, जब देश पर इस प्रकार संकट के बादल घिरे हों, हजारों नौजवान, स्त्री, पुरुष जेल में बंद हों, तो केवल एक तेरा भाई क्या महत्त्व रखता है?

कितने लोगों के घरों में मृत्यु हो गई, फिर भी वे अपने घर वालों के अंतिम दर्शन भी कर नहीं सके? ऐसे सोचो, तो शादी कौन सी बड़ी चीज है? उषा तुम लोगों को लगता होगा कि मैं घर को कोई सहयोग नहीं करता और शायद कर भी न पाऊँ? परंतु यदि मेरे जैसे हजारों नौजवान अपनी जवानी खपा कर देश के लाखों परिवारों को खुशहाल कर सके, तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारी शादी के बाद शायद मेरा ही नंबर है। किंतु अनावश्यक परेशान होने की आवश्कता नहीं है। मैंने कोई प्रतिज्ञा तो नहीं की, किंतु निश्चय किया है कि आगामी 5 वर्ष अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं करूँगा।

अरे। मैं तो केवल अपनी ही बात करता रह गया। तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, आगामी योजना क्या है? अब बचपना छोड़कर नए घर को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करो। तुम्हारा एक फालतू भाई इससे अधिक इस चाहरदिवारी से तुझे और क्या आशीर्वचन दे सकता है? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तेरा भावी जीवन सुखमय हो। अरे, जीजाजी का नाम तक भूल गया। वे भी सोचते होंगे कि साला कैसा है कि शादी तक में नहीं आया। जीजाजी, गुस्साइए मत, बाहर आऊँगा, तो परेशान हो जाएँगे। और हाँ, उषा का पूरा ध्यान रखिएगा, खूब काम कराइएगा। यों उषा भोजन बनाने में तो नहीं, किंतु कपड़ा धोने, झाड़ू लगाने जैसे काम बखूबी कर देगी। और उषा, तुम आगे यदि पढ़ाई जारी रखो, तो अच्छा रहेगा। रवि शादी में कुछ काम कर रहा था या नहीं? इससे

कहना, हाजीपुर में तुमसे हमेशा मिलता रहे।

फिर मिलेंगे?

तुम्हारा भाई,
सुशील कुमार मोदी

नोट—किसी को यहाँ भेजने की आवश्कता नहीं, क्योंकि मिलने पर बंधन है। Samastipur DC या Home Dept. की अनुमति और फिर हजारीबाग DC की अनुमति से ही मुलाकात होती है। यों जब आप चाहें मिल सकते हैं, किंतु इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद मिलने की आवश्यकता नहीं। फिर भी, समाचार भेजना हो तो पत्र द्वारा सीघे भेज दें। आप लोगों ने शादी के उपलक्ष्य में खूब मिठाई खाई। कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं।

लगता है कि तुम्हारी भी शादी में मैं नहीं ही पहुँच पाऊँगा

10.12.76
कृष्णागार

प्रिय कुसुम,

तुम्हारा पत्र 27 तारीख को प्राप्त हुआ। ऐसा लगा कि पत्र लिखते समय मन कहीं और विचरण कर रहा था। कई बातें इतनी अस्पष्ट थीं, कि क्या कहना चाहती हो, यह पता नहीं चला। खैर, तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक प्रकार से चल रही होगी। नए स्थान और नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित हो गया होगा। दिल्ली की चहल-पहल और उन्मुक्तता में स्वयं पर संयम और नियंत्रण रखना आवश्यक है।

यहाँ मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। केवल मुलाकात की कठिनाई है। माँ को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। राजा प्रयास कर रहा है कि पी.एम.सी.एच. हो जाए, देखें क्या होता है? कारावधि 17 माह हो गई और अभी छूटने के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ते। परंतु यह समय कब और कैसे बीता, पता ही नहीं चला। अब तो दो-चार वर्ष जेल में रहने के लिए मन को कठोर बना लिया है। लगता है कि तुम्हारी भी शादी (जब भी हो) में मैं नहीं ही पहुँच पाऊँगा।

असल में हमारे और तुम लोगों के सोचने के दष्टिकोण में ही अंतर है। जिसे तुम लोग फालतू काम, समय बरबाद करना वगैरह समझती हो, वही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य हो गया है।

वहाँ तो तुम प्रत्येक सप्ताह टी.वी. या हॉल में सिनेमा देखती ही होगी। यहाँ

पिछले सप्ताह 'मेला' और 'वक्त' फिल्म प्रदर्शित की गई। रील इतनी घिसी हुई थी कि रह-रहकर मजा किरकिरा हो जाता था, परंतु जेल में सिनेमा का नाम ही पर्याप्त है। यह जानकर तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि अब मुझे सिनेमा से विरक्ति हो गई है। कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया है।

जेल है तो बहुत अच्छी। लगता है, कोई छोटे-मोटे कस्बे में आ गए हैं। जेल की अपनी ही जिंदगी है। छोटी सी चारदीवारी में सारी दुनिया समाई है। जिसने एक बार जेल काट ली, उसे नरक में भी तकलीफ नहीं होगी। प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके किनारे सुबह-शाम घूमने वालों के लिए यही मेरिन ड्राईव से लेकर डल झील तक के समान है। यहाँ भी एक कनाट प्लेस है। शाम को सारे राजनीतिक बंदी घूमते टहलते वहाँ अवश्य पहुँचते हैं।

हम लोग सेल में हैं, यानी Single Seated Room ही समझो। फर्क केवल इतना है कि बिजली नहीं और रात 8 बजे ताला लगता है तो सुबह छह बजे खुलता है। जेल की अपनी एक दुनिया है और अपनी शब्दावली भी है। हाजती, आसामी, नंबरबंदी, टिकट, माकी, जुबिलेन, पहरा, मेट, डंडा-बेड़ी, राईटर, पनिया। यह जेल B-class Jail है। यहाँ 90 प्रतिशत बंदी 302 (हत्या) और 385 (डकैती) के मामले में 20 बरसा सजायाफ्ता हैं।

जेल की बहुत सी बातें लिख डाली है। तुम्हारा समय अत्यंत व्यस्ततापूर्वक व्यतीत होता होगा। मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मित्रों से चर्चा करते हुए बड़ा गौरव होता है कि मेरी छोटी बहन ने प्रथम श्रेणी में Honours किया और अब दिल्ली में Training ले रही है। उषा को और घर बराबर पत्र लिखा करना। वहाँ के बारे में कुछ विस्तृत बातें लिखना।

तुम्हारा
सुशील कुमार मोदी

जेल में पुस्तकें जीर्ण-शीर्ण, गाँजा-भाँग और शराब की दुकान गुलजार

कृष्णागार

प्रिय उषा,

तुम्हारा भेजा हुआ ग्रीटिंग कार्ड अभी तक नहीं पहुँचा। तुम सपरिवार सकुशल होगी। माँ पिछले कई दिनों से मिलने हेतु आई.डी. की अनुमति लेने का प्रयास कर रही थी, परंतु अभी तक तो अनुमति प्राप्त नहीं हुई। यूँ मैं पुनः पी.एम.सी.एच. जाने के

प्रयास में लगा हूँ, राजा कोशिश भी कर रहा है। यदि हो गया तो अगले माह तक पटना आ सकता हूँ। कुसुम का एक पत्र आया था। आज ही उसका जवाब भेजा है। तुम से पत्राचार होता होगा। इधर कई दिनों से घर का कोई पत्र नहीं आया है। कुसुम को मैंने लिख दिया है कि अपनी शादी में मेरा इंतजार न करना।

जेल का अस्पताल भी काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन वहाँ आदमी के डॉक्टरों के स्थान पर गाय-भैंस के डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है। गोशाला भी है, जहाँ गायों की देखभाल मनुष्य से बेहतर तरीके से की जाती है। कारण भी तो है, उसका दूध रोगियों के स्थान पर जेल अधिकारियों के काम जो आता है। पुस्तकालय भी है। जीर्ण-शीर्ण पुस्तकें हैं, कुछ अच्छी भी हैं। दुकानें? अवैध रूप से भाँग, गाँजा से लेकर शराब तक उपलब्ध। जुआ खेलने का भी स्थान है, जिसका कुछ हिस्सा चीफ वार्डर को मिलता है। जो कैदी चूँ-चपड़ करता है, उसके पाँवों में बेडी़ डालकर सेल में ठूस दिया जाता है। बेनीपुरी ने ठीक ही कहा है—पतितों के देश में…

ये सारी बातें सुनकर घबरा मत जाना। हम लोग इन अवस्थाओं से अलग हैं, परंतु मैंने तो जेल के भीतर सजायाफ्ता लोगों का जीवन किस प्रकार का है, उसकी थोड़ी जानकारी भर दी है।

मेरा अध्ययन चल रहा है। इन दिनों उर्दू और बँगला सीख रहा हूँ। दोनों भाषा पढ़ना और लिखना आ गया है। केवल बांग्ला धारा प्रवाह नहीं बोल पाता। जानकर मैं सेल में ही आया, ताकि पढ़ाई-लिखाई हो सके। मित्र मंडली भी काफी मजेदार है।

अरुण बाबू कुछ मोटाये या उसी प्रकार दुबले-पतले हैं। उनसे कहो कि थोड़ी केसर के साथ दूध पीएँ। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार कहना। यहाँ हाजीपुर के श्री केशव शर्मा और गोरौल के भूतपूर्व विधायक श्री बेचन शर्मा भी हैं।

शेष कुशल।

तुम्हारा

सुशील कुमार मोदी

□

जब जेल में फैली
जेपी के निधन की अफवाह…

20 वीं सदी के आठवें दशक में भारत को अपनी स्वाधीनता के सिर्फ 28 साल बाद ही दूसरी आजादी के लिए लड़ना पड़ा। इन लगभग तीन दशकों में न जेल की दीवारें बदलीं, न उनका उपनिवेशवादी तेवर। आपातकाल में राजनीतिक बंदियों को वैसी ही सजा काटनी पड़ी, जैसी हमारे स्वाधीनता सेनानियों को अंग्रेजी राज से लड़ते हुए भुगतनी पड़ी थी। अंग्रेजों के जमाने में बनीं इन जेलों का मूल चरित्र ही दमनात्मक है, इसलिए वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ इसी उत्पीड़न-भाव से संचालित होती हैं। ये जेलें प्रशिक्षण-प्रबोधन से बंदी का हृदय-परिवर्तन करने और उनके मानवाधिकार की रक्षा करने-जैसे उच्च आदर्शों के लिए बनी ही नहीं हैं। यहाँ की भाषा है गाली और यातनाएँ उपकरण।

अपने ही देश-प्रदेश की इन जेलों में महीनों तक रहने, तरह-तरह के बंदियों को निकट से जानने, रिहाई की छटपटाहट महसूस करने और सारी मुसीबतों के बीच स्वाध्याय के अवसर निकाल पाने के संतोष का अनुभव, इस जेल डायरी में इतने शेड्स उभर कर आए हैं कि यह लेखन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाली खूबसूरत पेंटिंग बन गया है। वार्ड की कम रोशनी, सर्दी-गरमी और त्रिविध संताप के बावजूद जिस तरह से अनुभूतियों को संजोने की कोशिश की गई है, उसमें कलम ने कूँची का भी काम किया है।

10.12.1975

छठा महीना प्रारंभ हो गया है। गरम कपड़े अभी तक नहीं मिले हैं। जेपी कई दिनों से बीमार हैं। हालत चिंताजनक है। किस क्षण प्राण त्याग देंगे, नहीं कहा जा

सकता। कल करीब 10 बजे दूध वाले ने कह दिया, जेपी मर गए। सारे लोग शोकाकुल हो गए। वार्ड 4-5 में तो भोजन बंद, रोना वगैरह भी हो गया, लेकिन हमें यह अफवाह मालूम हो रही थी। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि समाचार गलत है। जेपी के बारे में बाहर अनेक अफवाहें हैं। यहाँ रोज 3 बजे उनके दीर्घायु एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना सभा होती है। *रघुपति राधव राजा राम··* का भजन होता है।

बरबस जेपी का स्मरण हो आता है। कल मुजफ्फरपुर में सुनते हैं कि छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। अफवाह है कि मुजफ्फरपुर बंद था। संपूर्ण शहर में आतंक है। सेना एवं पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी क्षण विद्रोह की संभावना है।

48 घंटे का अनशन पहली बार

13.12.1975 (शनिवार)

कुछ घंटों पूर्व अनशन टूटा है। पहली बार मैंने 48 घंटे अनशन किया। हिम्मत पर्याप्त थी, निश्चय कर रखा था कि कम से कम 5-6 दिन अभी और चलेगा तो भी करूँगा। मन का निश्चय मनुष्य से बड़ी-से-बड़ी कुरबानी करा सकता है। हुआ यों कि 11 तारीख को दोपहर में अचानक पगली घंटी बज उठी। भाग कर बाहर गए तो देखा जेल के कैदी हाथ में लाठी लेकर भाग रहे हैं। मीसा बंदी काफी गुस्से में थे। थोड़ी देर में घायलों का आना प्रारंभ हुआ। मालूम हुआ कि वार्ड नंबर 4 एवं 5 में लाठी चार्ज हुआ है। भूपेंद्र चौधरी (सी.पी.आई. नेता) के इशारे पर संघ वालों को पीटने के उद्देश्य से लाठी चार्ज हुआ है। काफी लोग घायल हुए। हरिशंकर को घायलावस्था में कमरे में बंदकर पीटा और बेइज्जत किया गया। उसकी चीख सुनकर हम लोग भाग कर वार्ड से बाहर आए।

गुंडा केवल पैसा का होता है। यह एक ऐसी दुधारी तलवार है, जो किसी की भी गरदन काट सकता है। भूपेंद्र चौधरी एक ऐसा नाम है, जिसका आतंक समस्त कारा पर है। सारा जेल उसके इशारे पर नाचता है। अधिकारियों का कमाऊ पूत है, कारण कि वह दलाल का काम कर अधिकारियों को पैसा दिलाता है।

दरभंगा जेल में गुंडों से टकराव

23.12.1975 (मंगलवार)

आज मैं दरभंगा कारा के सेल नं.-11 से लिख रहा हूँ। कुछ ही देर पहले सेल बंद हुआ है। समय करीब 06.00 बज रहा है। रोशनी काफी कम है। अत: लिखने में दिक्कत हो रही है। आज ही भूपेंद्र चौधरी और जुल्म सिंह का स्थानांतरण हुआ है।

अधीक्षक ने आश्वासन दिया था कि 17 तारीख संध्या या 18 तारीख प्रात: काल तक इन लोगों को अंयत्र भेज दिया जाएगा, किंतु 18 तारीख तक नहीं भेजा गया। इस बीच, नाटकीय ढंग से ये सभी गुंडे बीमारी का बहाना कर स्ट्रेचर पर लद कर अस्पताल में भरती हो गए और प्रयास किया कि चिकित्सकीय आधार पर यहीं रुक जाएँ। अधीक्षक बार-बार यह कह रहा था कि मैं उन्हें अवश्य भेज दूँगा, किंतु वे 18 तारीख तक नहीं भेजे गए। 18 तारीख की संध्या गतिविधि काफी तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था, मानो चुनाव होनेवाले हैं। महाकांत चौधरी (सी.पी.एम.), चौधरी राम किशोर आदि इधर-से-उधर कान फूँक रहे थे। जब 18 तारीख को वे नहीं गए, तब 18 तारीख को हम लोगों ने राशन लेने से इनकार कर दिया। 4 गद्दारों को छोड़ शेष 24 लोग एवं वार्ड 4-5 के समस्त लोग अनशन पर थे। 20 तारीख से बाकी लोगों ने तो अनशन समाप्त कर दिया, परंतु मैं, बंग साहब, सतीश आदि 8 लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। वार्ड 4-5 में महेश वगैरह भी साथ थे। मात्र 4 दिन पूर्व अनशन किया था। अभी उसकी कमी पूरी ही नहीं कर पाया था कि पुन: अनशन पर जाना पड़ा। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। भूपेंद्र यदि रह गया होता तो वह निश्चित रूप से बदला लेने का काम करता। यह संघर्ष भूपेंद्र विरुद्ध मोदी बन चुका था।

बंदी कार्यकर्ताओं के आपसी टकराव

कमल किशोर एवं हायाघाट के कुछ लोगों ने बंग साहब को पत्र लिखा कि आर.एस.एस. के लोगों ने युवा वाहिनी के लोगों को पीटा है और भूपेंद्र के न रहने से हायाघाट में संघर्ष नहीं चल पाएगा। हम लोगों ने प्रारंभ से ही नेतृत्व सर्वोदय और बी.एल.डी. के हाथ में दे दिया था, ताकि कोई यह न कह सके कि संघ वाले छा गए हैं।

भूपेंद्र से लोग इतने भयभीत थे कि भीतर से सब चाहते थे कि उसकी बदली हो जाए, परंतु कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोग राजनीतिक बंदियों को संघ और सर्वोदय में बाँटकर लड़वाना चाहते थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंतत: अनशन के कारण प्रशासन को भूपेंद्र की बदली दूसरी जेल में करनी पड़ी।

उपवास के कठिन अनुभव

इस बार अनशन में पहले के समान जोश नहीं था। आगे बढ़ना पड़ा, कारण कि यदि मैं नहीं जाता तो अन्य लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती। 48 घंटे के पश्चात् बेचैनी प्रारंभ हो गई। केवल नींबू और पानी चल रहा था। दिन में करीब 3 1/2 सेर पानी पीता था। मन कई बार भटकता था, विषयों का चिंतन अत्यधिक होता था। लोग कहते हैं, उपवास अर्थात ईश्वर के समीप बैठना, परंतु मेरी तो चिंतन शक्ति क्षीण हो गई। आँखें

बंद करता तो शून्य या ऊटपटाँग बातें ही दिमाग में आती थीं। मन भी स्थिर नहीं रहता था। भूख वगैरह लगती अवश्य थी। इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफी मौन रहा। जिससे शक्ति संचित रही। रात को 1 बजे तक नींद नहीं आई। छाती तथा मन मिचला रहा था। फिर पानी पीकर सोया, नींद आई। थोड़ी भी बातचीत करने पर कमजोरी हो जाती थी। तीसरे दिन भूख का पूर्णतया शमन हो चुका था और अब पहले की अपेक्षा अधिक आनंद, उत्साह महसूस हो रहा था। अचानक बत्ती बंद हो गई।

पाँच प्रतिशत स्वार्थी संगठित

24.03.1975 (बुधवार)

कल रात बत्ती बंद हो जाने के कारण लिख नहीं सका। रात देर तक नींद नहीं आई। नींद आई तो तरह-तरह के स्वप्न आने लगे। सीने में तकलीफ हो रही थी। करीब 1 बजे रात को सोया। सोचा था कि आज से सब काम नियमित प्रारंभ करूँगा। कुछ योजना भी बनाई थी, किंतु सुबह उठते ही ज्ञात हुआ कि भूपेंद्र और जुल्म सिंह लौट आए हैं। कल शाम को उन्हें मधुबनी भेजा गया था। भेजने के समय ही हल्ला था कि ये 5-6 दिनों में ही लौट आएँगे, कारण वे लोग इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जेल अधिकारियों की यह योजना भी थी कि इन्हें 10-20 दिनों के लिए मधुबनी भेज इसी बीच में कुछ लोगों का स्थानांतरण कर स्थिति सामान्य कर लेंगे। किंतु संयोगवश या योजनावश, वह आज ही सुबह वापस आ गया। अत्यंत क्रोध एवं सर्वत्र असंतोष भी था। बंग साहब और पांडेयजी मिलने गए। अधीक्षक ने कहा कि चूँकि ये मधुबनी के बंदी हैं, अत: इन्हें पहले वहाँ भेजना आवश्यक था, पर जब वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया, तो हम उन्हें 27 तारीख को भेज देंगे।

पता नहीं जेल अधिकारी क्या करेंगे। जेलर और अपराधी मिलकर सीधे-सादे लोगों को लपेटते रहते हैं। निहित स्वार्थ वालों का एक ऐसा गिरोह बन गया है कि इसे तोड़ना सरल नहीं है। तोड़ते-तोड़ते स्वयं हतोत्साहित एवं टूटने का भी भय अधिक रहता है। वे संख्या में तो 5 प्रतिशत ही हैं, किंतु स्वार्थ उन्हें इस प्रकार संगठित रखता है कि उनका दुर्ग अभेद्य रहता है। इधर 90 प्रतिशत असंगठित, निराश एवं कुंठित लोगों का संगठन, जिनके सामने लक्ष्य इतना दूर होता है कि उसे प्राप्त करना असंभव समझ कर वे चुप बैठना और अपमान के घूँट पीकर जीवन व्यतीत करना अधिक सुरक्षित समझते हैं।

आज देश की भी यही हालत है। भ्रष्ट ऑफिसर, सत्ताखोर राजनीतिज्ञ और पूँजीपतियों का एक ऐसा संगठित त्रिकोण बन गया है कि इसे तोड़ना असंगठित जनता के लिए असंभव

हो गया है। फलत: जनता अपनी आँखों के सामने सारे अत्याचार और शोषण को जानते हुए भी असहाय है। वह इसे अपना दुर्भाग्य मानकर बरदाश्त करती जा रही है।

मौत की खबर जेल में मिलना

पवन ठाकुर के पिताजी की मृत्यु का समाचार आज मिला। काफी दु:ख हुआ। एक अच्छा कार्यकर्ता को निकालने की योजना है। यो बोलने में प्रवाह नहीं है, परंतु जबाब बड़ा सोच-समझकर और सटीक देता है। इस संघर्ष के दौरान इसने मेरा दिल जीत लिया। काफी सक्रिय एवं आगे बढ़कर इसने सेवा-सुश्रुसा तथा अन्य कार्य किए हैं। यदि केवल बोलने में प्रवाह आ जाए, तब अपने लिए वह उपयोगी है। किसी मृत्यु का समाचार जेल में प्राप्त होना बड़ा दु:खद होता है। मनुष्य मजबूर है कुछ करने के लिए। मन में शोक भी है, परंतु विवशता भी। ऐसे अवसरों पर मुझे कस्तूरबा की मृत्यु और अब्दुल कलाम आजाद की पत्नी की मृत्यु याद आ जाती है। गांधी जब जेल में थे, तब वहीं बा की मौत हुई थी, और आजाद जब अहमद नगर फोर्ट में थे, तभी उन्हें पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला। सच ही, कितना कटु वह अनुभव होता होगा। ईश्वर न करे कि ऐसा दु:ख किसी को मिले। ऐसे में शोकाकुल व्यक्ति को किस प्रकार सांत्वना दी जाए, समझ में नहीं आता। मुझसे कुछ बोलने में नहीं बनता। मुझे ये औपचारिकताएँ बड़ी विचित्र लगती हैं। कोई मर गया, झट शोक सभा, मौन। जान न पहचान, उसके प्रति क्या कहूँ, झूठे उद्गार प्रकट करना मुझसे संभव नहीं है। परिणामत: मैं चुप ही रह जाता हूँ।

याद आया ईसा मसीह का संदेश

25.12.1975 (गुरुवार)

आज प्रभु यीशु का जन्म दिन है। सारे ईसाई जगत् में लोग आज क्रिसमस मना रहे होंगे। बड़े दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। ईसा के बारे में मेरी जानकारी अपर्याप्त है। कुछ दिन पूर्व आचार्य रजनीश का एक लेख पढ़ा था, ईसा भारत आए थे, ऐसा कहा जाता है। यीशु के प्रारंभिक 7 वर्ष और पुन: 30 वर्ष की अवस्था में, जब वे प्रकट हुए, उस समय का वर्णन है। मात्र 33 वर्ष की अल्प आयु में वे सूली पर टाँग दिए गए। बीच के 23 वर्ष के बारे में कहा जाता है कि घूमते-घूमते भारत भी आए थे और कश्मीर के जिस स्थान पर वे टिके, वहाँ कुछ स्मृतियाँ अब भी विकृत अपभ्रंश के रूप में मौजूद हैं। खैर, यह तो इतिहासकार का विषय है। आगे कहा जाता है कि जब उन्हें सलीब पर यहूदियों ने टाँग दिया, तब उनकी लाश को लेप लगा एक गुफा में सुरक्षित रख दिया गया और दो-तीन दिन बाद जब खोला गया, तो वहाँ उनका पार्थिव शरीर नहीं था।

जेपी को अस्पताल से छुट्टी

आज विनोबा का मौन टूट गया होगा। पूरे एक वर्ष का मौन था। हम सब उत्सुक हैं, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं। आज जयप्रकाश भी अस्पताल से मुक्त होकर बंबई में कोलाबा स्थित अपने भाई के निवास पर आ गए हैं। अभी भी उन्हें डाईलिसिस की आवश्यकता पड़ती रहेगी। ईश्वर का शुक्र है कि जनता की दुआओं ने जयप्रकाश को बचा लिया। किंतु वे अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं। आज के बाद राजनीतिक गतिविधियाँ अत्यंत तीव्र हो गई होंगी। सारे भारत की आँखें विनोबा के मौन, कांग्रेस अधिवेशन और संसद के सत्र पर टिकी हैं। अगर जनवरी माह के अंदर कोई निर्णय चुनाव या आपातकाल संबंधी नहीं हुआ, तो स्थिति और विकट हो जाएगी। मुझे आशा है कि भारत सरकार शीघ्र संसद का चुनाव कराएगी। आज संध्या मन नहीं लग रहा था। सेल जल्दी बंद होने के कारण कुछ घुटन लग रही थी। पढ़ने का उत्साह अभी तक नहीं बन पाया है।

महाभारत और विनोबा को पढ़ना

26.12.1975 (शुक्रवार)

कल रात्रि जल्दी सो गया था, किंतु सुबह नींद देर तक आई। कल से पुनः सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर दिया है। लेकिन लगातार नहीं होता, कोई-न-कोई व्यवधान उत्पन्न हो ही जाता है। महाभारत पढ़ना प्रारंभ किया है। विनोबा की गीत पूजा पुस्तक को सरसरी निगाह से पढ़ गया हूँ। अभी तक जीवन क्रम व्यवस्थित नहीं हो पाया है। जमानत मिलने की भी संभावना है। आज रात्रि में सतीशजी से बात की थी। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।

अचानक हजारीबाग जेल भेजा गया

08.01.1975 (बृहस्पतिवार)

आज की यह डायरी मैं हजारीबाग केंद्रीय कारा के 6 नं. सेल से लिख रहा हूँ। दरभंगा जेल से यहाँ आए आज 9 दिन हो गए हैं। 28 तारीख की सुबह शर्मा आया विदा लेने, उसका स्थानांतरण हजारीबाग हो गया था, उसने कहा कि मोदी तुम भी जल्दी आओगे। इतने में बसंतजी का पत्र आया कि आज आप की जमानत निश्चित है। इसी दुविधा में रवि आया मिलने। करीब दो घंटे तक उससे बात हुई। मैंने उसे कहा कि शायद हजारीबाग जाऊँ, लेकिन मैंने इस बात को हलके में लिया। शाम को नंबरबंदी के पश्चात् ज्यों ही मैं महेश शर्मा को पत्र लिखने बैठा और केवल एक ही पंक्ति लिख पाया था कि जमादार आया उसने कहा कि अभी तुरंत हजारीबाग जाना है। सबों को आश्चर्य एवं रोष था। मैं

भी अवाक् रह गया। तुरंत समान तैयार किया, गुमटी पर सारे मित्र मिलने आए। वातावरण कुछ भारी हो चला था, मैंने मित्रों से कहा कि संघर्ष के पथ में बाधाएँ आती हैं, चिंता मत करो, केवल लक्ष्य पथ पर निरंतर चलते चलो, थककर बैठना मत। मैं, काफिल अहमद, अशोक, मौजेलाल यादव, ये सभी दरभंगा कारा से विदा हुए। करीब-करीब छह माह दरभंगा कारा में काटकर संघर्ष का राही हजारीबाग जा रहा था। तीनों सिपाही बेचारे बड़े शरीफ निकले। हाथों में हथकड़ी, कंठ से पुरजोर नारे लगाते हम पटना पहुँचे। मैं प्रसन्न था कि चलो कम-से-कम पटना घर वालों से तो मिलने का मौका मिलेगा। भय लग रहा था कि कहीं ये बरौनी के रास्ते सीधे हजारीबाग न ले जाएँ।

रेल यात्रा हथकड़ी के साथ

प्रथम श्रेणी के कूपे में दो व्यक्तियों के एक-एक हाथ को मिलाकर हथकड़ी लगा दी गई। मुझे पुनः रास्ते में अशोक कुमार की याद आ गई। फिल्म राखी में अशोक कुमार दाढ़ी बढ़ाए, चादर ओढ़े चिंतित मुद्रा में ट्रेन की खिड़की से बाहर झाँक रहा है। उसका घर-परिवार सब लुट चुका है। मैं भी इसी मुद्रा में अपनी पूर्व जिंदगी पर सोच रहा था। कब तक यह सब चलता रहेगा। हथकड़ी लगे हाथों के कारण नींद नहीं आ रही थी, कभी हाथ मैं खींच लेता, तो कभी मौजेलाल और नींद टूट जाती। सुबह कई महीनों के पश्चात् पटना का दर्शन हुआ। कोई नवीनता नहीं लग रही थी। सिपाही पहले तो हिचकिचया, फिर घर चलने के लिए तैयार हो गया।

घर पहुँचा तो आँखों में आए आँसू

एक टैक्सी कर हम घर पर पहुँचे। अचानक टैक्सी जब घर में लगी, तो लोग अवाक् हो गए कि यह कहाँ से आ गया। कुछ देर तक आँखों में आँसू थे, किंतु फिर मिलने का क्रम चला तो भोजन, स्नान तक भूल गया। दिन भर मिलने वालों का ताँता लगा रहा। इसी दिन पता चला कि अपनी भी कुछ प्रमुखता है। खुल कर माँ से बात भी नहीं कर सका। भोजन भी लोगों से घिरे हुए ही किया। पटना के समस्त प्रमुख लोंगों से भेंट और संपूर्ण प्रांत तथा भारत भर की सही गतिविधि प्राप्त हो गई। शाम को विदाई के समय सारे घर के लोग मित्र, परिजन मौजूद थे।

दिनभर पता नहीं कहाँ दिमाग उड़ा रहा। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं घर पर हूँ या जेल में। जब स्टेशन पर भैया और अन्य लोग आए, तो लग रहा था कि मानो कहीं प्रवास पर जा रहा हूँ। आते समय मित्र चौबेजी से अस्पताल में भेंट हुई। वहीं शाही बाबा, महामाया बाबू आदि थे। पुनः जेल के नजदीक पहुँच रहा था।

हथकड़ी हटी, कैदी ही रहा मन

अब हाथों में हथकड़ी नहीं थी, किंतु दीवारों से घिर चुका था। केवल हाथ नहीं, पर मन-मस्तिष्क, शरीर-सब कैद में थे। करीब 2 बजे हम हजारीबाग रोड पहुँचे। रात्रि को स्टेशन पर ही विश्राम कर, प्रात: काल बस में सवार हो हजारीबाग पहुँचे।

दीवार नजदीक आ रही थी। ठंडक का अनुभव हो रहा था। किंतु मन में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि पुन: जेल जा रहा हूँ। लग रहा था कि प्रवास के दौरान व्यक्तिगत काम पड़ गया था, इसलिए अब पुन: प्रवास पर जा रहा हूँ। सब कुछ इतनी तेजी से और स्वप्नवत् हुआ कि याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कभी घर पर गया भी था। रिक्शा रुका और हम जेल के भीतर थे। अफसोस केवल रह गया कि अपने एक प्रिय मित्र से मुलाकात नहीं हो सकी। उसे क्या मालूम कि मैं पटना में रहूँगा। इतने समय तक साथ रहने का अवसर खत्म हो गया था। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। मुझे तो अफसोस हो रहा था। वह भी अफसोस करता रहेगा।

जेल के भीतर बड़ी-छोटी जेल

10.01.1976 (रविवार)

समय तेजी से बीत रहा है। रात्रि का समय है। लालटेन के प्रकाश में लिख रहा हूँ। मेरे साथ सेल में एक गुजराती प्रचारक हरिशंकर भट्ट है, लग रहा है यहाँ आए महीनों हो गए। समय बीतते तो पता नहीं चलता और यहाँ दरभंगा की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रकाश है। रात्रि को स्वप्नों से परेशान रहता हूँ। बीच में घर जो रुक गया था, उसी का परिणाम है और फिर पेरोल की चर्चा कभी-कभी मन को व्यग्र कर देती है। सूबदोर शर्मा, जो दरभंगा में जेलर था, उसका भी स्थानांतरण यहीं हो गया है। जेल के भीतर एक छोटी जेल है और उसके भीतर पुन: एक छोटी जेल। हजारीबाग बहुत आशा लेकर आया था, किंतु विपरीत निकला। गेट से प्रवेश करने पर विशाल कारागार के दर्शन हुए।

जेल के बीच की एक विशाल टावरनुमा गुमटी है, जहाँ से 2,000 बंदी नियंत्रित होते हैं। जब से आया हूँ, इस फाटक से बाहर केवल 3 बार निकला हूँ। दवा की व्यवस्था ठीक है। सबसे अधिक परेशानी मुलाकात की है। जिलाधिकारी की अनुमति से ही मुलाकात हो सकती है।

दिक्कतों के बावजूद शाम को वॉलीबाल

मैं केवल मुलाकात की बात सोचकर ही परेशान होता हूँ कि कोई पटना से न आए तो अच्छा है। शौचालय में पानी की दिक्कत है। सेल में रोशनी नहीं है। सामने करीब 50 फीट चौड़ा मैदान है। रोज संध्या वालीबाल होता है। पहले दिन मैं सकुचाता था,

किंतु अब कुछ खेल पाता हूँ। दरभंगा की अपेक्षा यहाँ लोगों से अधिक अच्छे प्रकार घुल-मिल रहा हूँ। पता नहीं क्यों, दरभंगा से अधिक अच्छा यहाँ लगता है। 17 तारीख को हाईकोर्ट में मेरा रिट है, किंतु मुझे कोई उम्मीद नहीं है। संघ की मेस में हूँ। करीब 5 लोग हैं। आने के बाद समिति वगैरह का गठन मेरे प्रयास से हो चुका है। मेरा प्रयास सबों को संगठित करने का है।

व्यवहार जीतता है मन

12.01.1976 (सोमवार)

जीवन में कोई नवीनता नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह दिन बीत जाता है। संघ के एक कार्यकर्ता मनोरंजनजी पिछले कुछ दिनों से आनंद मार्ग के संपर्क में हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद अब वे उसी के हो जाएँगे। धीरे-धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने पाया कि कभी कोई ऐसी चुभती बात किसी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति की भावना को ठेस लगे। साधारणतया हम कटाक्ष, व्यंग्य करते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति नजदीक आने के स्थान पर दूर चला जाता है। उसकी प्रशंसा की आड़ में यदि कुछ बातें उसकी भावना के विरुद्ध भी कही गईं, तो वह उसको बरदाश्त कर लेगा। वास्तव में कार्यकर्ता किसी सिद्धांत से अधिक व्यक्ति के व्यवहार प्रभाव से ही कार्य करता है।

नक्सलियों का त्याग सीखने लायक

अभी-अभी बगल के सेक्टर में बंद नक्सलवादी नारे लगा रहे हैं। पिछले 6-7 वर्षों से बंद ये नक्सलवादी आज तक सेल में बंद हैं। कुछ अवश्य माफी माँगकर बाहर आ गए हैं। किंतु आज भी हजारों नक्सलवादी नौजवान जेलों में बंद हैं। वास्तव में संपूर्ण त्याग की सीख किन्हीं को लेनी हो, तो वे इनसे ले सकते हैं। इतनी यातना के बाद भी अपने पथ, सिद्धांत पर दृढ़ हैं, कोर्ट में बहस करने से इनकार कर दिया, जेलों में सड़ रहे हैं। फिर भी आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। वह कौन सी प्रेरणा है, जो इन्हें आज तक मुसीबतों से विचलित नहीं कर पाई है? आखिर नक्सलवादियों की कार्यपद्धति क्या है? इतने दमन के बाद आज भी समाचार-पत्रों में इनके साथ स्थान-स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ के समाचार आते हैं।

घर के लोगों से मिलने की उत्कंठा

15.01.1976 (बृहस्पतिवार)

पिछले दो दिनों से अच्छी नींद नहीं आ रही है। परसों रवि का पत्र आया था।

करीब दो वर्षों बाद उसका हस्तलिखित पत्र मुझे मिला। अत्यंत आनंद और रोमांच हुआ। तीन पन्नों का पत्र था। सच ही उसने लिखा है कि व्यक्ति यदि किसी से कुछ अपेक्षा न रखे तो मनुष्य को कष्ट नहीं हो। मेरे दिमाग में पेरोल की बात बैठी हुई थी, परिणामत: मन में चिंता, घर जाने की इच्छा, लोगों से मिलने की उत्सुकता पैदा हो गई है। यहाँ आए करीब 15 दिन हुए हैं, किंतु लगता है कि महीने हो गए।

कल ही पवनजी का भी पत्र आया था, बसंतजी, सियाराम यादव एवं कामेश्वर का ट्रांसफर डालटेनगंज हो गया है। कल मकर संक्रमण का उत्सव था। खिचड़ी, चूड़ा आदि हम लोगों ने खाया। कल ही रात को बी.बी.सी. ने समाचार दिया है कि 14 जनवरी तक करीब 70 हजार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यानी करीब 50 हजार तो अवश्य ही होंगे।

सबसे कठिन मानसिक पीड़ा के दिन

18.01.1976 (रविवार)

पिछले दो दिनों से मन नहीं लग रहा है। सच पूछा जाए तो जब से रवि का पत्र आया है, तब से मन उदास है। 22 तारीख को छोटी बहन उषा की शादी है। संभावना थी कि पेरोल पर छुट्टी मिल जाएगी, परंतु मुझे उम्मीद नहीं रह गई थी। फिर भी इंतजार तो था ही। कल प्रात: काल तो प्रोफेसर साहब ने कह दिया कि आपके पेरोल से संबंधित कोई कागज आया है। निश्चित न होते हुए भी मन उचट गया और स्वप्नलोक में विचरने लगा। बंबई और कहाँ-कहाँ घूमने लगा। एक-एक क्षण गुजारना मुश्किल हो गया। बाद में मालूम हुआ कि वह समाचार गलत था। आज 18 तारीख हो गई, अत: अब कोई भी उम्मीद नहीं है। फिर भी लगता है कि शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पूरे जेल जीवन में जितनी मानसिक परेशानी इन दिनों हुई है, उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। लगता है 22 तारीख तक यूँ ही चलता रहेगा। कल 7.15 में ही सो गया। ठंडक पुन: बढ़ गई है। कल खेलने में दो उँगलियों में चोट लग गई थी। आज भी पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। स्थितप्रज्ञ बने रहने का प्रयास करता हूँ किंतु भावनाओं का ही जोर है।

रिहाई की आशा-निराशा के बीच

19.01.1976 (सोमवार)

आज प्रात: काल कुहासा छाया था। वातावरण में एक अजीब गंध थी। आज की तारीख को ही मेरा हाई कोर्ट में रिट का डेट था। उम्मीद नहीं है कि आज बहस हुई होगी। मेरे पहले अशोक पंजीयार की तारीख थी, उसका भी कोई समाचार प्राप्त नहीं

हुआ। आज शाम तक पेरोल के संबंध में कोई सूचना नहीं आई। यों विश्वास था कि कुछ नहीं होगा किंतु फिर भी मन में आशा की किरण भी थी कि शायद कुछ हो जाए। कई बार सोचता हूँ कि इस ओर से दिमाग खींच लूँ, किंतु परिवार और मित्रों का आकर्षण परेशान कर रहा है।

संजय गांधी और चुनाव की चर्चा

24.01.1976 (शनिवार)

22 को उषा की शादी हो गई होगी। पहली बार जेल में मानसिक यातना हुई। यदि पेरोल की चर्चा एवं पटना में रुकना नहीं होता, तो शायद इतना कष्ट नहीं होता। किंतु रोज-रोज यह सोचकर कि शायद चला जाऊँगा, बहुत परेशान हुआ। 22 तारीख के बाद मनस्थिति एकदम ठीक है। Vocabulary Reading की प्रगति अच्छी है। अब पढ़ाई का क्रम भी ठीक बैठ रहा है। पत्र लगातार आ रहे हैं। सोचता हूँ कि डायरी लिखूँगा, पत्र लिखूँगा, लेकिन नियमित नहीं हो पाता।

इन दिनों समझौता वार्त्ता की चर्चा जोरों पर है। आचार्य सम्मेलन के प्रस्ताव से लोगों को कुछ आशा दीख रही है। शेख अब्दुला भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा का सत्र 5 दिन और बढ़ा दिया गया है, किंतु अभी तक चुनाव संबंधी बिल नहीं आया है। गुजरात और तमिलनाडु सरकार की नित्य आलोचना ही हो रही है। आखिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? चुनाव होंगे या नहीं? चारों तरफ यही चर्चा है। संजय गांधी को काफी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मेरा विचार है कि चुनाव अवश्य होंगे। इस विषय पर कल लिखूँगा। आज महेश को उसके पत्र का जबाब दिया है। वह फिर एक महीने के मौन पर चला गया है।

पेरोल मिलने की उम्मीद, बढ़ी बेचैनी

01.02.1976 (रविवार)

मैं तो निश्चिंत हो गया था कि अब पेरोल वगैरह पर छूटना नहीं होगा, इसलिए अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। किंतु अचानक 27 तारीख को प्रात: जेलर ने बुलाया है। पेरोल पर 21 दिन की रिहाई मंजूर हो गई थी। कुछ ही देर बाद माँ और सरयू राय का पत्र आया। उसमें जिक्र था कि पेरोल का आदेश मिल गया था, परंतु मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के कारण हस्ताक्षर नहीं हो सके। पेरोल की अनुमति के समाचार के बाद मन पुन: बेचैन हो गया। करीब 25 रुपए टेलीग्राम, रजिस्ट्री आदि में खर्च हो गए हैं।

पहली रात तो ठीक से नींद भी नहीं आई। कोई खास प्रसन्नता नहीं अनुभव करता हूँ, परंतु घर-परिवार की यादें और घूमना-मिलना आदि बातें दिमाग में चक्कर काटती

रहती हैं। मुझे भय लगता है कि पेरोल मिल भी गया परंतु कहीं समस्तीपुर केस में जमानत नहीं मिली तो क्या होगा? वास्तव में मैं पुन: मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। ऐसी आशा है कि इस सप्ताह के अंत तक कुछ निश्चित सूचना प्राप्त होगी। अभी अध्ययन का क्रम बिगड़ गया है। प्रयत्न कर रहा हूँ कि जाने के पूर्व जिन पुस्तकों को प्रारंभ किया था, उन्हें समाप्त कर लूँ।

तमिलनाडु में लगा राष्ट्रपति शासन

आज प्रात: काल समाचार मिला कि तमिलनाडु विधानसभा को भंगकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इस बात का अंदेशा था कि तमिलनाडु और गुजरात की सरकारें अब अधिक दिनों की मेहमान नहीं हैं, किंतु इस समाचार से सदमा पहुँचा। पिछले कई दिनों से इन दोनों सरकारों के विरुद्ध अनर्गल प्रचार एवं विष वमन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी खुलेआम इन सरकारों के विरुद्ध भाषण कर रही थीं। कहा गया कि आपातकालीन स्थिति का दुरुपयोग किया जा रहा है। हिंसा भड़कायी जा रही है, कांग्रेस के लोगों का कत्ल एवं अंधाधुंध गिरफ्तारी की जा रही है।

कम्युनिस्ट सरकार पर कृपा

तमिलनाडु के बगल के प्रांत केरल में चुनाव गत सितंबर में होने थे, परंतु उसे जीवन दिया गया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस समर्थक कम्युनिस्टों की सरकार थी, परंतु तमिलनाडु सरकार को 21 मार्च के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। सारे देश के कांग्रेसी समुद्र में ये दो ही विरोधी टापू थे, जहाँ से विरोधियों को हर प्रकार की सहायता मिल रही थी। किंतु इस आधार को भी काट दिया गया। तमिलनाडु में कांग्रेस को मात्र 7 सीटें हैं, जबकि डी.एम.के. के पास 167 सीटें हैं। यह एक ऐसा प्रांत था, जहाँ विरोधियों की सरकार 1972 के चुनावों में कायम हुई थी। कामराज की मृत्यु के पश्चात् संगठन कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। अब इंदिरा ने अंतिम चाल चली, ताकि यदि चुनाव हो भी, तो किसी भी प्रांत में सरकार विरोधियों के हाथ में न हो। ऐसी संभावना है कि अतिशीघ्र गुजरात सरकार का भी पतन कराने का प्रयास होगा। गुजरात में भी राजनीतिक वातावरण गरम है।

इंतजार में बीतते दिन, स्वप्न में कटती रातें

07.02.1976 (शनिवार)

आज से 10 दिन पूर्व पेरोल की सूचना आई है, किंतु आज तक इंतजार कर रहा हूँ। वास्तव में जेल जीवन के पिछले 9 महीनों में हजारीबाग जेल की यात्रा मानसिक

रूप से अधिक कष्टदायी रही, विशेषकर पिछले 10 दिन। मैं सोच रहा था कि मंगल या बुधवार तक शायद चला जाऊँगा। कपिल साहब ने कहा था कि नींद की गोली की आवश्कता पड़ेगी। वास्तव में वही स्थिति है। शुरू के दो-तीन दिन तो रात को अचानक नींद टूट जाती। घंटों जागता रहता। नींद आती तो रोज स्वप्न देखता रहता हूँ। परेशान हो गया हूँ। प्रतिदिन पत्र का एवं इस बात का इंतजार रहता है कि राइटर रिहाई का संदेश लेकर आ रहा है, इसी उत्सुकता में पढ़ाई का क्रम भी गड़बड़ा गया है। लगता है दो-चार किलो वजन घट गया होगा।

प्रत्येक आवाज और आहट से लगता है कि मानो मेरा कोई संदेश लेकर आ रहा है। वास्तविक जेल का अनुभव इसी समय होता है। जेल जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब मनुष्य बाहर की चिंता से मुक्त होकर रहे। मुझे प्रथम दिन से ही लग रहा था कि कहीं डीआईआर में बेल मिलेगा कि नहीं? जो हो, जल्दी से कोई निश्चित समाचार प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, ताकि मन लगाकर यहाँ जीवन व्यतीत कर सकूँ।

कांग्रेस के प्रभावी विकल्प की प्रतीक्षा

23.03.1976 (मंगलवार)

आज करीब डेढ़ महीने के बाद डायरी लिख रहा हूँ। पी.एम.सी.एच. के बंदी वार्ड में नजरबंद हूँ। हजारीबाग जेल से कब छूटा, पेरोल अवधि में क्या देखा, यहाँ कब और कैसे आ गया, ये सब कल लिखूँगा। आज रात्रि बी.बी.सी. ने समाचार दिया है कि बंबई में छह विरोधी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाने का फैसला किया है। 71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत के बाद से कांग्रेस के विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही थी। 1967 की कांग्रेस विरोधी हवा के बाद बने संयुक्त मोर्चा की सरकारों के कटु अनुभवों के बाद से देश में एक प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ का उभरना

25.03.1976 (बृहस्पतिवार)

Our National Committment यह एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मेरी टेबुल पर रखा है। भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला यह **Document** लोक संघर्ष समिति द्वारा प्रसारित है। कांग्रेस के भावी विकल्प का **Manifesto** है, यह शायद दत्तोपंतजी की कुशाग्रता का परिणाम है। यह दस्तावेज विभिन्न स्तर के लोगों के बीच उनकी प्रतिक्रया जानने हेतु प्रसारित है।

1967 के आम चुनाव में विरोधी दलों ने कांग्रेस विरोधी हवा का फायदा उठाकर

कांग्रेस को आठ प्रांतों में शिकस्त दी, किंतु कांग्रेस की यह हार किसी एक विरोधी दल द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न विरोधी दलों द्वारा मिली थी। उस समय देश की राजनीति में सैकड़ों छोटे-बड़े दल थे। केवल बंगाल में मार्क्सवाद का आधार लेकर काम करने वाली 20-25 पार्टियाँ थीं। मद्रास में द्रविड मुनेत्र कषगम् (डी.एम.के.) तो बिहार में भारतीय क्रांति दल (बी.के.डी.) जैसी छोटी-छोटी पार्टियाँ प्रत्येक प्रांत में थीं। अखिल भारतीय स्तर पर जनसंघ एक नई शक्ति के रूप में उभरता हुआ दल था।

संयुक्त मोर्चे का विफल प्रयोग

समाजवादी पार्टी और बंगाल तथा केरल में साम्यवादी पार्टी ने भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, किंतु हाथी के समान भारी-भरकम कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई एक दल अखिल भारतीय स्तर पर नहीं दीख रहा था। कांग्रेस को तो बहुमत आठ प्रांतों में नहीं था, लेकिन किसी एक विरोधी दल को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। परिणामत: कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार होकर संयुक्त मोर्चे का प्रयोग हुआ। जनसंघ और साम्यवादी दल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में एक साथ कार्य करने को विवश हुए।

कांग्रेस को जनता नहीं चाहती थी, किंतु उसे कोई एक ऐसा विराधी दल भी नहीं दिखाई पड़ता था। फलस्वरूप केवल कांग्रेस विरोधी भावनाओं के आवेश में विपक्ष के किसी-न-किसी अच्छे उम्मीदवार को जनता ने विजयी बना दिया।

संयुक्त मोर्चा की सरकार से जनता को कुछ उम्मीद बँधी थी। प्रारंभ में उनके द्वारा कुछ अच्छे काम भी हुए, परंतु शीघ्र ही विभिन्न विरोधी दलों के मोर्चे में आपसी कलह की होड़ मच गई। जिलाधिकारी के पास एक ही मंत्रिमंडल के दो सदस्यों के परस्पर विरुद्ध आदेश आते थे। शीघ्र ही संयुक्त मोर्चे टूट गए। जनता का स्वप्न भंग हुआ। उसे लगा कि कांग्रेस कितनी भी खराब क्यों न हो, स्थापित स्थायित्व कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस और विरोधी दलों के बीच जो एक दीवार थी, वह दीवार इस बार टूट गई। आयाराम-गयाराम का ताँता लग गया।

ग्रैंड एलायंस और धुव्रीकरण

संयुक्त मोर्चे की पराजय से कांग्रेस के प्रभावी विकल्प की खोज होने लगी। आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि जब तक कोई एक प्रभावशाली विरोधी दल नहीं होगा, तब तक संयुक्त मोर्चे से जनता का भला नहीं होने वाला है। 1971 के लोकसभा चुनाव में ग्रैंड एलायंस (Grand alliance) द्वारा धुव्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यों तो 1967 में कांग्रेस के टूटने के बाद ही कहा जाने लगा था कि पार्टी के भीतर जो

प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी लोग थे, उनको निष्कासित कर कांग्रेस ने अपना समाजवादी चेहरा साफ कर लिया है। 1967 के बाद केंद्र में कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग लेना पड़ा। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में भारत ने अमरीका खेमे से बाहर निकल कर रूस की ओर हाथ बढ़ाया। परिणामत: देश के राजनीतिक क्षितिज पर कम्युनिस्टों (CPI) ने कांग्रेस के समीप पहुँच कर जनसंघ, संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी जैसी तथाकथित दक्षिणपंथी पार्टियों को नजदीक आने के लिए विवश कर दिया। समाजवादी पार्टी डॉ. लोहिया के निधन के बाद विघटन एवं किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में पहुँची हुई थी। Left Unity (वामपंथी एकता) के नाम पर CP और CPM ने नजदीक आने का प्रयास किया था।

कांग्रेस ने लिया कम्युनिस्टों का सहारा

ग्रैंड एलायंस के बावजूद इंदिरा कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई। हौवा खड़ा किया गया कि दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक तत्त्वों ने गठजोड़ कर लिया है। कांग्रेस ने भी सी.पी. और एम.एल. का सहारा लिया। संसद् में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस को इनके सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, किंतु फिर भी रूस के दबाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.) और कांग्रेस का प्रेम गहरा होता गया। इधर करारी हार के बाद विरोधी दलों की तो कमर टूट गई। प्रत्येक दल में विघटन प्रारंभ हो गया।

ध्रुवीकरण की राजनीतिक मजबूरी

विरोधी दलों का जनता पर से प्रभाव कम होने लगा। कांग्रेस के विशाल बहुमत के समक्ष विरोधी दल बौने हो गए। धीरे-धीरे सत्ता पर इंदिरा की पकड़ मजबूत होने लगी, किंतु जनता पर उसकी भी पकड़ ढीली पड़ गई। लोकसभा में विरोधी दलों की आवाज नक्कारखाने में तूती के समान गूँजा करती थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारे को भुला दिया। जनता का विश्वास राजनीतिक दलों पर से उठने लगा। जनता को लगा कि विरोधी दल शक्तिहीन हैं, बिखरे हुए हैं, असंगठित हैं और उधर कांग्रेस जनता का हित करने में असमर्थ है। इस निराशा के वातावरण ने शक्तिहीन राजनीतिक दलों को धुव्रीकरण के लिए बाध्य कर दिया।

अध्ययन बाधित, मिलने वालों से परेशानी

02.04.1976 (शुक्रवार)

जब से पी.एम.सी.एच. के कैदी वार्ड में आया हूँ। व्यवस्थित होने का प्रयास करता हूँ, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। आज करीब 22 दिन हो गए, किंतु

पढ़ाई का क्रम व्यवस्थित नहीं चल पा रहा है। मिलने वालों से परेशान हूँ। पिछले चार दिनों में तो शायद 8-8 घंटे खड़े होकर तार पर से बात करनी पड़ी है। रात को भी साधारणतया 09.30 बज जाता है मिलते-मिलते। पिछले 7 महीनों के एकांतवास के बाद मिलने की इच्छा बहुत हद तक समाप्त हो गई है। मुझको याद है कि पिछली बार जब बाँकीपुर जेल में लोग मिलने आते, तो राम बहादुर, जो अनिच्छा प्रकट करते थे और कई बार तो भेंट भी करने नहीं जाते थे। मुझे कभी-कभी बड़ा गुस्सा आता था कि सामाजिक कार्यकर्ता होकर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु इस बार मैं मिलने वालों से परेशान हूँ।

पिछले दो-तीन दिनों से तो दोपहर की नींद के ही समय कोई चला आता है। कभी-कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। एक ही साथ तीन झुंड पहुँच जाते हैं, किससे पहले या एक साथ बात करूँ, यह समस्या हो जाती है। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक लोगों से परिचय एवं संबंध बनाए रखना आवश्यक होता है। यहाँ रहने से एकमात्र फायदा स्थानीय लोगों से मिलने की सुविधा ही है।

स्टालिन-कालीन रूस का आईना *कैंसर वार्ड*

03.04.1976 (शनिवार)

यहाँ आने के बाद अब तक तीन पुस्तकें समाप्त कर चुका हूँ—Freedom At Midnight, JPs Biography और कैंसर वार्ड। कैंसर वार्ड नोबेल पुरस्कार विजेता सोल्जेनित्सिन (रूसी लेखक) की कृति है। रूसी से अंग्रेजी और फिर हिंदी अनुवाद होने के कारण पुस्तक में भाषा का प्रवाह नहीं है। साधारणतया बड़ी मुश्किल से लोग 100-125 पृष्ठ ही पढ़ पाते हैं। कई बार तो भयंकर बोरियत भी होती है। चूँकि यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है, अत: मैंने अंत तक इसे पढ़ा है। इस पुस्तक में अस्पताल के कैंसर वार्ड में भरती रोगियों की आपसी बातचीत, उनकी व्यक्तिगत जीवन कहानियों के माध्यम से लेखक ने रूसी जीवन पद्धति का सही विश्लेषण किया है।

कैंसर वार्ड एक ऐसा वार्ड है, जहाँ से लौट कर शायद ही कोई जाता है। यदि जाता भी है तो अस्पताल से बाहर मरने के लिए। एक छोटा सा वार्ड है, रोगियों से बुरी तरह भरा हुआ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मौत के नाम तक से आतंकित है। रूस में तो सरकार लोगों की मौत के नाम तक से इतनी डरती है कि उसने कभी कब्रगाहों की दुरावस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। वार्ड के बाहर पंक्ति लगी है, उन नए-नए रोगियों की, जो प्रवेश पाना चाहते हैं। कई दिनों के बाद बिस्तर तो नहीं, संयोग से जमीन नसीब हो जाती है। डॉक्टर लोग रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर निश्चय करते हैं कि

वार्ड के वे रोगी जिनका जीना अब संभव नहीं है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, ताकि वे बाहर मर सकें। अन्यथा उनके रजिस्टर में मरने वालों की संख्या बढ़ जाती।

साम्यवाद-विरोध पर यातना

कोस्ताव्लोतोव एक पात्र है, जो यातना शिविर में दस वर्ष काट निख्तरन निर्वासित का जीवन व्यतीत करता हुआ जिंदगी के अंतिम क्षणों में कैंसर वार्ड में था। रूस के अंदर थोड़ा भी सरकार विरोधी, साम्यवाद विरोधी या वर्तमान व्यवस्था से असंतोष प्रकट करने का अर्थ होता है यातना शिविर में कैद। स्टालिन के समय में तो लाखों लोगों को विभिन्न शिविरों की यातनामय जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी। शिविर की अवधि समाप्त होने पर उन्हें सामान्य नागरिकों के साथ प्रमुख शहरों में रहने की अनुमति नहीं थी। उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था। इसका मतलब था देश की मानव बस्तियों से कोसों दूर रूस के किसी बंजर रेगिस्तानी या काफी ठंडे इलाके में शेष जीवन व्यतीत करना, यानी मरने को बाध्य करना।

प्रेमिका से सामूहिक बलात्कार

कोस्ताग्लोतोव अपनी युवावस्था के दिनों में मस्ती के साथ हँसी, खेलकूद, गप्पबाजी और कॉलेज में लड़के-लड़कियों के साथ मस्ती करने वाला आम छात्र ही था। कभी-कभी उसकी बातों से असंतोष भी व्यक्त हो जाता था। अचानक एक दिन रात्रि एक बजे जब वह अपनी प्रेमिका से मिलकर लौट रहा था, तो उसे पकड़ लिया गया, उसकी प्रेमिका भी गिरफ्तार थी। दोनों प्रेमी-प्रेमिका एवं उनके साथ के अन्य 5 मित्र यातना शिविरों में अलग-अलग रखे गए। कोस्तोग्लोतोव बेचारा प्रेमिका की फोटो से भी वंचित कर दिया गया। उसकी प्रेमिका को नग्न कर बीसों लोगों ने बलात्कार किया था। शिविर की कठिन जिंदगी के बाद निख्तर निर्वासित का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। रसौली हो जाने पर बड़ी मुश्किल से कैंसर वार्ड में प्रवेश मिला था। स्वभाव से विरोधी कोस्ता यहाँ भी दिनभर बातचीत में व्यवस्था विरोधी बात ही बोला करता था। अस्पताल में उपचार व्यवस्था अत्यंत आतंकित करने वाली थी। रसौली में थोड़ा सुधार होते ही कोस्ता अस्पताल से मुक्ति चाह रहा था। जिस व्यक्ति को 29 दिन पूर्व जीवन की आशा नहीं थी, जिसने जीवन की मानवीय संवेदनाओं को अनुभव तक नहीं किया था, वह कोस्ता महसूस कर रहा था कि उसके शरीर पर जानवरों के समान प्रयोग किया जा रहा है। उसका कैंसर विशेष प्रकार का था।

कैंसर रोगी कोस्ता का प्रेम

कैंसर वार्ड की नर्स जोया गौगार्न खास तरह के कैंसर रोगी कोस्ता पर शोध कर रही थी। वह वहाँ से जाना चाहता था। अब चाहता था कि जितने दिन जीवित रहूँ, उतने ही दिन कम-से-कम जीवन का उपभोग कर सकूँ। वह पूर्णतया ठीक नहीं होना चाहता। थोड़ा सुधार ही पर्याप्त है। वह नर्स जोया गौगार्न से प्रेम करने लगता है। उसके साथ नया संसार बनाने की कल्पना कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, जिसकी गरदन पर मौत सवार है और न जानें किस क्षण दबोच ले, वह एक जवान नर्स के साथ निर्वासित क्षेत्र में फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। किंतु क्या मौत के मुँह में बैठकर पुनः नया जीवन व्यतीत करना संभव है? किंतु उसे क्या मालूम था।

एक और घटना है। एक अपराधी व्यक्ति एक मकान में शरण लेने पहुँचा। रातभर उस मकान में रहकर अगले दिन चल पड़ा। उसे पकड़ लिया गया। उसने उस स्थान का नाम बता दिया, जहाँ वह ठहरा था। पुलिस ने वहाँ पहुँचकर बूढ़े दंपती को गिरफ्तार कर लिया। जवान बेटे और बहू ने बूढ़े दंपती से अपना संबंध- विच्छेद कर लिया। बूढ़ा और बूढ़ी 70 वर्ष की आयु में यातना शिविर में पहुँच गए। फिर वहीं उनकी मृत्यु हो गई।

हर रूसी की जासूसी

पावेल एक सरकारी अधिकारी था, जो लोगों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखता था। रूस में प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे पर मानो जासूसी ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कार्ड के आधार पर कब, कौन व्यक्ति देशद्रोही, करार कर शिविर में रख दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति आतंकित रहता है कि कहीं बातचीत के क्रम में या उसकी कोई गतिविधि संदेहात्मक न हो जाए। पावेल एक मामूली ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता था, जो पार्टी से संबंधित रहने के कारण आज एक उच्चस्थ अफसर बन गया था। किंतु अब उसे सामान्य गंदे लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती, सफर में गंदे लोगों के साथ बैठना उसे नापसंद था। वह अब एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति था, किंतु जब अस्पताल पहुँचा तो उसकी पत्नी के प्रयासों के बावजूद उसके लिए अलग नर्स की व्यवस्था नहीं हो सकी। उसने पैसा देकर भी नर्स रखना चाहा, किंतु संभव नहीं हुआ। यहाँ के दमघोंटू वातावरण में पावेल बेचैनी महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी ने जब से कह दिया कि रोदीवेच वापस आ गया, तब से पावेल परेशान था। रोदीवेच को पावेल ने गलत आरोप लगाकर शिविर में बंद करा दिया था और उसके मकान पर अवैध कब्जा कर लिया था। अब उसे लग रहा था कि कहीं वह मुझसे बदला न ले। इससे भी अधिक डर था कि कहीं गलत गवाही के आरोप में उसे

गिरफ्तार न कर लिया जाए। पावेल का चरित्र रूस के नए वर्ग का प्रतिनिधि है, जो रूस में सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर पनप रहा है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और उच्चस्थ सरकारी अफसर रूस के नए सुविधाभोगी वर्ग को जन्म दे रहे हैं।

इस पुस्तक को और अधिक रोचक बनाया जा सकता था। प्रारंभ के 200 पृष्ठों तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि वास्तव में इस लेखन का क्या उद्देश्य है। एक-एक घटना को इतना अधिक खींचा गया है कि बोरियत हो जाती है।

पी.एम.सी.एच. में मुश्किल हुईं मुलाकातें

16.04.1976 (शुक्रवार)

पेरोल से छूटे आज पूरे दो मास हो गए हैं। अस्पताल में भरती हुए भी डेढ़ मास हो रहा है। अस्पताल तो यह सोचकर आया था कि पटना में रहने का मौका मिलेगा, यहाँ रोज भीतर बैठकर लोगों से भेंट-मुलाकात हो पाएगी, किंतु दुर्भाग्य कि जिस दिन आया उसी दिन से भीतर आने पर रोक लगा दी गई है। तार पर से ही लोगों से मिलना होता था। यह भी बड़ा खराब लगता था, लेकिन यह सोचकर कि चलो भेंट तो हो जाती है। किंतु कल तो उस पर भी रोक लग गई। अब आप तार से भी किसी से बात नहीं कर सकते।

कल जब मैं रवि से बात कर रहा था कि अचानक सीनियर एस.पी. द्विवेदी एवं अन्य कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुँच गए। हम बातों में मशगूल थे, ध्यान भी नहीं दे पाया कि कोई जीप आई है, या कोई आ रहा है। मुश्किल से जब वे 15 फीट पर होंगे तब नजर पड़ी कि कोई पुलिस ऑफिसर है। मैंने रवि से कहा कि भागो, किंतु वह कुछ समझ नहीं पाया। इतने में एस.पी. निकट पहुँच चुका था, वह चिल्लाया, ''पकड़ो'' ए.एस.आई. रणविजय सिंह ने झपट्टा मारा, किंतु जब तक रवि तार से हट चुका था, साइकिल घुमाकर वह तेजी से भागा। बगल में अरुण के पिताजी एवं माँ उससे बातें कर रहे थे। उनको वहीं पकड़ने का आदेश मिला। मैं हक्का-बक्का रह गया, कहीं रवि तो नहीं पकड़ा गया। मैं परेशान था। यदि वह पकड़ा जाएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके घरवाले परेशान हो जाएँगे।

कई बार पकड़ाते-पकड़ाते बचा रवि

चौबेजी से मैं यही कह रहा था। राजनीतिक व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी है। हम तो जेल जाते हैं, चिंता की बात नहीं, किंतु कहीं हमारे चलते कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति फँस जाए, तो बड़ी तकलीफ होगी। यह पाँचवीं बार है कि जब रवि पकड़ाते-पकड़ाते बच गया। पहली बार जब मैं मीसा में गिरफ्तार हुआ था, अंबर होटल में उस समय भी

रवि साथ ही था। दूसरी बार पुन: बी.एन. कॉलेज के समक्ष जब अनशन पर बैठा, उस समय भी रवि साथ था। उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी, किंतु उसे और अन्य मित्रों को बाद में छोड़ दिया गया। हजारीबाग में पेरोल से छूटने पर हुई मेरी गिरफ्तारी से अधिक चिंता मुझे यही थी कि कहीं दीपक और रवि नहीं पकड़ा जाए। इसके पूर्व भी दो बार सिनेमा हाल में हमें भागना पड़ा था। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी रवि हिम्मत करता है। कई बार सोचता हूँ कि उससे कह दूँ कि भाई तुम्हें सरकारी नौकरी में जाना है, क्यों कभी मेरे चलते फँस गए, तो जिदंगी चौपट हो जाएगी। किंतु मेरी भी इच्छा नहीं होती है कि संबंध टूटे।

फ्रीडम ऐट मिडनाइट और अन्य पुस्तकें

17.04.1976 (मंगलवार)

यहाँ आने के पश्चात अध्ययन का क्रम अभी तक नहीं बन पाया है। बहुत प्रयास करने के बाद कुछ पुस्तकें समाप्त कर पाया हूँ। जब से मिलने पर रोक लगी है, तब से कुछ अधिक समय मिल पाता है, किंतु प्रात: काल 09.30 बजे के पहले नींद नहीं टूटने के कारण सारा कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाता है। कुछ दिन पूर्व Larrie Collins and Dominiques Lapierre की एक और पुस्तक 'Is Paris Burning' मैंने पढ़कर समाप्त की है। इन लेखकों की तीन महत्त्वपूर्ण कृतियों में से प्रथम दो (फ्रीडम ऐट मिडनाइट, इज पेरिस बर्निंग) मैंने पढ़ी है।

शायद पुस्तक लिखने का इनका तरीका दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। लेखकों में एक अमरीकी और दूसरा फ्रांसीसी, दोनों ने मिलकर फ्रीडम ऐट मिडनाइट के लिए 4 वर्षों तक प्रयास कर 12 हजार लोगों के साक्षात्कार लेकर 1 टन कागजात तैयार किए। इन दोनों ने लंदन के समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया कि 1940-47 तक जिस भी अंग्रेज ने भारत में किसी भी पद पर कार्य किया है, वे आवेदन करें। कुल 2000 आवेदन-पत्र आए। अनुसंधान विभाग के लोगों ने आवेदनकर्ताओं से मिलकर प्रश्नावली के आधार पर 150 रिपोर्ट तैयार की। दो पूर्ण वर्ष इन्होंने भारत में व्यतीत किए। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, संस्थाओं से भेंट कर एक विस्तृत शब्द चित्र खींचा।

गांधी हत्याकांड का सजीव वर्णन

पुस्तक में गांधी हत्याकांड का वर्णन तो इतना सजीव है, मानो आँखों के समक्ष चलचित्र चल रहा हो। इसके लिए इन लोगों ने गोपाल गोड्से, मदन आदि के साथ महीनों व्यतीत किए, उन्हें साथ लेकर जिन-जिन स्थानों पर वे हत्या के पूर्व ये ठहरे या

गए थे, उनका निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, हत्या के दिन कौन था, कौन कैसे आया, इन सारी बातों का रिहर्सल किया गया, जिसके चित्र ये लोग खींच रहे थे। भारत के बाद लेखकों ने पाकिस्तान और इंग्लैंड में बहुत समय व्यतीत कर तथ्य जुटाए या उनकी पुष्टि की। ऐतिहासिक घटनाओं से सीधे जुड़े लोगों को खोजकर उनका 30 घंटे तक साक्षात्कार करना, 1 टन कागज से तथ्यपरक दस्तावेज तैयार करना और उनकी जाँच तथा विश्लेषण के आधार पर टाइप किए हुए 6000 डॉक्यूमेंट तैयार करना वाकई पुस्तक लेखन की आधार सामग्री को प्रामाणिक बनाने का अनूठा तरीका था।

अनूठा लेखन और कठिन परिश्रम

इसके बाद अंतिम वर्ष इन लेखकों ने फ्रांस के एक कोने में बैठकर 16-16 घंटे कार्य किया। सारी घटनाओं में जो अंश उन्हें अत्यधिक पसंद आए, उसे दोनों ने अलग-अलग चुनकर अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक जन भाषा में हो और उसकी शैली जन सामान्य को आकर्षित कर सके, इस हेतु उन लोगों ने इस पुस्तक के अंशों को एक किसान की पत्नी से पढ़ाना प्रारंभ किया। जब तक विषय उसकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह अपने लेखन में सुधार करते रहते। इतने परिश्रम का फल है इनकी पुस्तकें।

तीन पुस्तकों ने विश्व में तहलका मचा दिया। अत्यंत शोर-शराबे, प्रचार और विवादास्पद बातों के कारण पुस्तक प्रकाशित होने के पूर्व ही चर्चा का विषय बन जाती है। शायद ही भारत की कोई ऐसी पत्रिका हो, जिसमें इस पुस्तक की विशद् चर्चा नहीं हुई हो। इतने कठिन और बहुस्तरीय प्रयास से शायद ही कोई पुस्तक लिखी जाती हो। घटना से संबंधित होकर और उसमें पैठ कर लिखी पुस्तक का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है, मानो पाठक कोई फिल्म देख रहा है। आँखों के सामने घटना के सारे पात्र सजीव हो जाते हैं , सारी स्थितियाँ नाचने लगती हैं। एक बार पुस्तक प्रारंभ करने के बाद पाठक इतना मशगूल हो जाता कि छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती।

लाठीचार्ज, अनशन और ठंडी रात में यात्रा

03.05.1976 (सोमवार)

दिन के तीन बज रहे हैं। वार्ड का सिर धूप से तप रहा है। मैं सोया था, पसीने ने उठा दिया। आज से मात्र तीन दिन पूर्व पी.एम.सी.एच. में था और आज भागलपुर सेक्टर-3 में हूँ। इस बार की मेरी जेल यात्रा सनसनीखेज परिवर्तनों से भरी है। दरभंगा में लाठीचार्ज और 6 दिन के अनशन के पश्चात् अचानक 27 दिसंबर की ठंडी रात को हजारीबाग के लिए रवाना। डेढ़ मास हजारीबाग रहकर पेरोल पर छूटा। हजारीबाग के

डी.सी. ने बाहर निकलने के 15 मिनट बाद ही मारपीट कर पुनः भीतर धकेल दिया था। बड़ी मुश्किल से छूटा तो किसी प्रकार 11 दिन पेरोल काटकर 28 फरवरी को पी.एम.सी.एच. में भरती हुआ। पी.एम.सी.एच. में भी रोज की किचकिच हो रही थी। जब डॉक्टर का रुख अनुकूल हुआ और ऐसा लगा कि अब 2-4 महीने रहना हो, तो अचानक भागलपुर भेज दिए गए।

जिस दिन पी.एम.सी.एच. में मैंने प्रवेश किया उसी क्षण से वार्ड के भीतर मिलने पर रोक लगा दी गई। अन्यथा उसके पहले लोग दिन भर वार्ड में बैठकर मुलाकात करते थे। मैंने सोचा कि चलो तार पर से तो मुलाकात होती ही है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ के गार्ड से लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। मैंने प्रारंभ में ही लोगों से कहा था कि अस्पताल में रहकर सिपाहियों से संघर्ष उचित नहीं है, किंतु उस समय तो लोग अतिक्रांतिकारिता के चक्कर में थे, और अब पछताते हैं। यह सब संघर्ष चल ही रहा था कि एक दिन अचानक सीनियर एस.पी. और अन्य अधिकारी निरीक्षण पर आए और तार पर से बात करने पर भी रोक लगा दी गई। बड़ी परेशानी में पड़ गया। रवि आता था मिलने, किंतु मुझे डर लगता रहता था कि कहीं कोई पकड़ न ले। इसी बीच रविवार को कैदी वार्ड से निकल कर अस्पताल जाने के बहाने मैं घर चला गया। पता नहीं कैसे किसी ने देख लिया और थाने में रिपोर्ट कर दी। थाने का जमादार आकर पूछताछ करने लगा कि आकर रविवार के दिन कैसे सुशील मोदी अस्पताल गए। संयोग से रजिस्टर पर दर्ज था कि मैं 11 बजे से 2 बजे तक अनुपस्थित था। नर्स जिसने लिखकर दिया था और सिपाही, दोनों का हालत खराब थी।

इंदिरा गांधी की पटना यात्रा

इसी दौरान इंदिरा गांधी के पटना आने का कार्यक्रम घोषित हुआ। पटने में काफी सतर्कता बरती जा रही थी। तार पर से मिलने पर इतनी कड़ाई कर दी गई कि थाने का एक जमादार तैनात कर दिया गया कि वह बात करने वालों को गिरफ्तार कर ले। मैं भी सोच रहा था कि कहाँ पी.एम.सी.एच. में आया था कि आराम से रहूँगा, भेंट मुलाकात होती रहेगी और कहाँ इतनी परेशानी सिर पर आ पड़ी। 29 तारीख को अचानक 10 बजे देखता हूँ कि 5 डॉक्टरों की एक टीम एक-एक रोगी का निरीक्षण कर रही है। हम सभी सोचने लगे कि अचानक यह मेडिकल बोर्ड क्यों आ गया है? डॉक्टरों ने काफी अच्छी प्रकार से बात की और सारी बातों को नोट किया। डॉक्टर लखन लाल का रुख बड़ा बढ़िया था। मैं निश्चिंत था कि मैं तो डिस्चार्ज नहीं किया जाऊँगा। अचानक 2 बजे दिन में डॉक्टर जैन आया और उसने बतलाया कि सारे लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग डिस्चार्ज हो जाएँ। बात सच थी।

कारा-तबादला की खबर से हड़कंप

सारे वार्ड में खलबली मच गई। मालूम हुआ कि गृह सचिव ने कई बार फोन किया कि जल्द से मेडिकल बोर्ड बैठाकर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। पुलिस ऑफिसर बोर्ड की बैठक के समय बैठकर दबाव डाल रहे थे। संध्या 6 बजे ए.आई.डी. आया। उसने हम सबों का नाम नोट कर लिया। हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आज ही रात किसी कारा में स्थानांतरित कर दिए जाएँगे। कारण केवल इतना था कि प्रशासन को यह खबर लगी कि शायद इस वार्ड में इंदिरा की सभा को भंग करने की योजना बनी है और यहाँ से किसी प्रकार का व्यवधान हो सकता है। हम सभी जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम को रवि आ गया। उसको मैंने सुबह 5 बजे बुलाया। किंतु अचानका रात को 10 बजे पुलिस पहुँच गई, बक्सर और भागलपुर जेल ले जाने को। किंतु पुलिस को यह ज्ञात न था कि कौन कैदी किस जेल में जाएँगे। अत: कार्यक्रम प्रात: काल के लिए स्थगित हो गया।

इंदिरा के कार्यक्रम में लगा प्रशासन

इसी बीच भैया को फोन कर बुलवा लिया था। रात को नींद ही नहीं आ रही थी, किस समय ले जाने हेतु गाड़ी आ जाएगी कोई नहीं जानता था। रात भर यूँ ही करवट बदलता रहा। सुबह रवि को बुलाया था, डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि सुबह नींद ही न टूटे। इसी कारण से रात भर नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे ही उठ गया। देखता हूँ कि मिनी बस पहुँच गई है। रवि भी आ चुका था। कुछ ही मिनट उससे बात हुई कि सी.आई.डी. का आदमी पहुँच गया, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई पकड़ न लें, जबकि ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। उस समय तक ज्ञात हो चुका था कि मुझे और 10 अन्य लोगों को भागलपुर, अश्विनी चौबेजी, गोपालजी एवं अन्य 10 को बक्सर जेल भेजा जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो बरात को ले जाने बसें आई हुई हैं। पीरबहोर से ललिता तिवारी और रणविजय पहुँच गया। सबों को जल्दी-जल्दी बस में लादकर 7.30 बजे तक हमें विदा कर दिया गया। सारा प्रशासन जैसे इंदिरा गांधी के कार्यक्रम की सफलता के लिए लगा दिया गया हो।

बिहार की दो सबसे अच्छी जेलों में कुछ दिन

08.05.1976 (शनिवार)

यहाँ आए करीब आठ दिन हो गए हैं। स्थानांतरण जिस दिन हो रहा था, उस समय ज्ञात हुआ कि भागलपुर जा रहा हूँ, तो एक अर्थ में प्रसन्नता ही हुई कि चलो फुलवारी या भागलपुर के लिए प्रयास कर रहा था और वहीं जाने का अवसर भी मिल

गया है। ये दोनों इस समय बिहार की सबसे अच्छी जेलों में से एक है। मुलाकात की पूरी छूट है, जब चाहें, जितनी देर बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10 वार्ड हैं, जिसमें औसतन 10 व्यक्ति हैं। भोजन का स्तर अत्यंत उच्च श्रेणी का है। मेडिकल सुविधा के नाम पर प्रोटीनेक्स हार्लिक्स की बात छोड़ दें, बोरोलीन , पाउडर, सब उपलब्ध है। हर कैदी को दूध, अंडा, पावरोटी दिया जाता है। नंबरबंदी भी रात्रि 10 बजे होती है। प्रत्येक वार्ड में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। लगता ही नहीं है कि जेल है, किंतु उपरोक्त सुविधाओं का उपयोग मैं दो ही दिन कर पाया।

जेल से भागे नक्सली

अचानक 4 तारीख की दोपहर में सोकर मैं उठा ही था कि अचानक 3.15 बजे धमाके की आवाज हुई और लोग भागने लगे। इतने में पगली घंटी और गोली चलने का आवाज आने लगी। सब लोग स्तब्ध थे। हमें लगा कि शायद सेक्टर-2 में गोली चल रही है। दरवाजे के किनारे बैठकर मैं गोली की आवाज सुन रहा था। मेरे वार्ड के ठीक बगल में ही गुमटी है, जहाँ से एक बदहवास सिपाही पागलों के समान बक रहा था और गोली चला रहा था। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि कुछ नक्सलवादी भाग गए हैं और कुछ मारे गए हैं। शाम को तालाबंदी 5 बजे ही हो गई। रात भर चर्चा चलती रही कि कैसे क्या घटना हुई है। अगले दिन ज्ञात हुआ कि नंदलाल नामक एक कैदी हेड वार्डर वंशरोपण सिंह का प्रियपात्र था। उसका नक्सलियों से अच्छा संबंध था। उसका जेल में काफी दबदबा था और ऐसा लोगों का कहना है कि वह जेल में नक्सलवाद के सिद्धांत से अत्यंत प्रभावित भी हुआ था। घटना के दिन नंदलाल ने नक्सलियों को रेती सप्लाई कर दी और दोपहर के भोजन के बाद मस्ती से गाना गाने के आड़ में वे अपना डंडा बेड़ी काटने लगे। एक नक्सली ने सिपाही से पाखाना जाने के लिए दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलते ही उसने चक्कू मारकर चाभी छीन ली और सारे मित्रों को सेल से मुक्त कर दिया।

नक्सल-समर्थक बंदी की मदद

इसी बीच नंदलाल ने मुलाकात का गलत पुरजा बनाकर सिपाही के द्वारा एक सेल खुलवा दिया और ज्योंहि एक बाहर निकला उसने सिपाही को चक्कू मारकर सारे सेल खोल डाले। इसी बीच वार्ड नं. 3 के सामने पहुँचा। वहाँ कुछ मजदूर छप्पर छा रहे थे। एक सीढ़ी रखी थी और एक सिपाही देखभाल कर रहा था। नंदलाल ने उस सिपाही को चक्कू मारकर सीढ़ी छीन ली और उसे ले जाकर दीवार से लगा दिया। सारे नक्सली वहाँ पहुँच गए और पहले एक बम गुमटी पर फेंककर उसे जान से मारने का असफल

प्रयास किया। सीढ़ी पर चढ़कर वे दीवार कूदने लगे। उस दीवार से लगी 3 गुमटियों से गोली चलनी प्रारंभ हो गई। इसी बीच राइफल पार्टी पहुँच गई।

संयोग से गुमटी के सिपाही ने चिल्ला-चिल्लाकर राइफल पार्टी को अपनी ओर बुला लिया। इस राइफल पार्टी ने रगेद-रगेद कर नक्सलियों को मार डाला। कुल मिलाकर 15 लोग मारे गए और मात्र 5 भाग निकले। उस दिन की घटना के बाद से यहाँ आतंक का दौर प्रारंभ हो गया है।

पिछले पाँच दिनों से आई.जी. यहाँ आया हुआ है। सी.बी.आई., सी.आई.डी. के सारे लोग रोज इंस्पेक्शन करने आते हैं। मुलाकात पर पूरी तौर से प्रतिबंध लग चुका है। नंबरबंदी भी अब 6 बजे प्रारंभ हो गई है। कल प्रत्येक मीसाबंदी के सामानों की चेकिंग हुई। केवल पैसा और पोस्टकार्ड लिया जा रहा था। बड़ा खराब लगा कि हेड वार्डर बंशरोपण सिंह को ही भागलपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्तार कर रखा गया है।

सबको खुश कर नहीं सकते

09.05.1976 (रविवार)

यहाँ आकर पटना पूरी तरह से दिन में भूल गया हूँ। परिवार के सारे लोगों से मिल चुका हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ आए महीनों हो गए हैं। मुलाकात की चिंता अब उतनी नहीं रह गई है। सोच रहा था कि शायद कोई आज आएगा।

आज जलपान में हलुवा, काबुली चना, रोटी और सब्जी थी। भोजन से अच्छा स्तर जलपान का ही है। आज 2.30 बजे सेक्टर की बैठक में विशेष आमंत्रित के नाते मुझे बुलाया गया था। बैठक में जेल की वर्तमान समस्या पर विचार होने वाला था। बैठक के अंत में कमेटी का गठन हो रहा था। मैंने तो यह निश्चित कर रखा था कि जेल की किसी सभा की अध्यक्षता नहीं करूँगा एवं किसी समिति का सदस्य नहीं रहूँगा। पिछले कुछ महीनों के जेल अनुभव ने सिखा दिया था कि समिति में रहने का अर्थ गाली सुनना है। सबों को आप खुश कर नहीं सकते और असंतुष्ट अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं।

...तब जाना कि दुर्भावना कैसे छिपी थी

आज जब समिति का चयन हो रहा था, तब भागवत यादव नामक एक सज्जन ने कहा कि बाहर से आए छात्र नेताओं को भी रखा जाए। उसका इशारा मेरी ओर था। अपने किसी व्यक्ति ने सहयोग ही नहीं दिया। राजेश और दुर्लभ ने तुरंत प्रतिकार किया। दुर्लभ ने छूटते ही कहा कि छात्र नेता तो सब हैं, हम क्या गदहों के नेता हैं? मामला यही खत्म हो गया, किंतु मेरे दिल पर बड़ी चोट लगी। बाद में मैंने भागवतजी से कहा भी कि मेरा

उपकार करने के स्थान पर आपने अपमान करा दिया। राजेश, नरेंद्र सिंह का बहनोई है और दुर्लभ देवघर का कार्यकर्ता है। इन लोगों से अच्छी बातचीत होती थी, किंतु उनके मन में मेरे प्रति इतनी दुर्भावना भी है, मुझे ज्ञात न था। इसका एकमात्र कारण है संघ की शाखा में मेरा जाना।

दुष्प्रचार सहने की शक्ति नहीं

इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों से मैं बहुत ज्यादा आहत हो जाता हूँ। कोई व्यक्ति यदि मेरे खिलाफ आरोप लगाने लगता है, तो मुझे कई बार ग्लानि एवं राजनीति छोड़ देने की इच्छा होती है। नेताओं के समान घेघरपना मुझमें नहीं है और इस प्रकार के ऊटपटाँग आरोपों से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। राजनीति में रहकर दुष्प्रचार सहने की जो शक्ति होनी चाहिए, वह मुझमें नहीं है।

डॉक्टरी जाँच की पीड़ा ने तोड़ा तन-मन

06.06.1976 (रविवार)

आज कई दिनों के बाद डायरी लिख रहा हूँ। 29 तारीख को मैं अस्पताल गया था, हिमेच्यूरिया की शिकायत लेकर। सोचा था कि शायद इसके माध्यम से मैं पी.एम.सी.एच. जा सकूँगा। वहाँ डॉ. एम.पी. सिन्हा से भेंट हुई। वे अनिल राय के श्वसुर हैं, यह उनसे ज्ञात हुआ। अनिल ने आई.पी.एस. कंपलीट किया है। उन्होंने बातचीत के बाद cytosocopy के लिए अगले दिन बुलाया। मैं बड़ा प्रसन्न था, चलो अच्छे डॉक्टर से भेंट हो गई। अगले दिन पहुचने पर मुझे ओटी में ले गए। वहाँ वे लोग dilatation की तैयारी कर रहे थे। सोचा, यह कहाँ फँस गया—पहली बार किसी अन्य के समक्ष पैंट वगैरह खोलना पड़ा। मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाया। लिंग के छिद्र में पतली सुई घुसा दी गई। काफी दर्द हो रहा था। भय भी लग रहा था कि इसकी आवश्कता नहीं थी, यह क्यों कर रहे हैं। करीब 7 मिनट तक यह क्रम चलता रहा। Morphia की सुई दे दी गई थी। Ambulance में जेल पहुँचाया गया। दिनभर सोया रहा। डॉक्टर ने कहा था कि बुखार हो सकता है। अगले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, किंतु रविवार को सुबह से ही तबीयत सुस्त सी थी, फिर भी मैंने स्नान एवं हलका जलपान कर लिया। कुछ ही मिनटों में बुखार चढ़ गया, ज्वर 103 डिग्री तक पहुँच गया। पूरे 48 घंटे तक ज्वर 3-7 के बीच रहा। कोई डॉक्टर नहीं आया। एक 12 रुपए वाला डॉक्टर आया, किंतु उसकी दवाई से फायदा नहीं हुआ। पूरे छह दिनों तक ज्वर से पीड़ित रहा। करीब 5 दिन तक भोजन भी नहीं किया। ऐसे समय में माँ की याद आती थी। सोचता था कि बुढ़ापे में यदि बीमार पड़ गया तो कौन सेवा करेगा? ऐसे समय ही मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। सोचने लगा कि शादी और बच्चे शायद

इसीलिए आवश्यक हैं। इस समय सुधीर राजहंस ने बहुत सेवा की। उसके कारण मुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। हर समय वह नजदीक बैठा रहता था, प्रो. पांडेयजी भी एक दिन रात को 1 बजे तक पंखा झलते रहे। अरुणांतर, पवनजी, ब्रह्मदेव बाबू, सतीशजी, भागवतजी एवं अन्य अनेक लोगों ने भी पर्याप्त ध्यान दिया। सबसे अधिक निराशा प्रेमनाथ पांडेय के व्यवहार से हुई। एक तो उसने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया और दूसरे ऐसी अवस्था में भी हमेशा मजाक उड़ाते रहे, जो मुझे बहुत खराब लगता था। एक दिन तो मैं काफी उत्तेजित हो गया। उस दिन के बाद कई दिनों तक वार्त्ता भी नहीं हुई। खाए 7-8 दिन हो गए, किंतु अभी भी कमजोरी बनी हुई है।

भैया-भाभी से भेंट की खुशी

07.06.1976 (सोमवार)

आज से तीन दिन पूर्व चौबेजी आए थे। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अगले दिन भाभी, प्रकाश भैया, चौबेजी और आनंद आए थे। बड़ी खुशी हुई, किंतु वार्त्ता से संतुष्टि नहीं हुई। सी.आई.डी. का व्यक्ति बगल में बैठा बातों को सुनने का प्रयास कर रहा था। कुल मिलाकर आधे घंटे बात हुई, वह भी महत्त्वपूर्ण बातें, जिन्हें मैं जानना चाह रहा था, नहीं हो पाई। पंखा मेरा आ गया था। 30 तारीख को लालू यहाँ आ गया। उसके साथ रवि का एक पत्र भी था। ज्ञात हुआ कि वह बीमार था। मैं भी उस समय बीमार था। अभी मैं पी.एम.सी.एच. जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज ज्ञात हुआ कि गृह विभाग से मेरी स्वास्थ्य रिपोर्ट माँगी गई है। मैंने पी.एम.सी.एच. में लिखा था कि मेरी आँखें खराब हो रही हैं और मेरा वजन गिरा रहा है। उसी संबंध में रिपोर्ट माँगी गई है। पेट के दर्द (Abdominal Pain) के सहारे पी.एम.सी.एच. जाने के प्रयास में हूँ।

□

पेरोल पर रिहाई, पिटाई, फिर जेल

सरकार से अपनी सगी बहन उषा की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल (छुट्टी) माँगी थी। हजारीबाग जेल प्रशासन की शिथिलता के कारण उषा की शादी के समय तक पेरोल नहीं मिल पाया और मैं उस पारिवारिक उत्सव में भाग लेने से वंचित रह गया। इस बीच, चचेरी बहन रेणु की शादी 21 जनवरी को निर्धारित हो गई। 19 जनवरी को पेरोल मिला। सोचा, चलो, सगी बहन न सही, चचेरी बहन की शादी में तो शामिल हो जाऊँगा, परंतु दुर्भाग्यवश, एक संवेदनहीन अफसर के चलते चचेरी बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो सका। पेरोल पर रिहा होने की इजाजत बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद मिली थी। आपातकाल के दौरान अधिकारियों के निरंकुश अहंकार और अत्याचार की दुःखती यादों की तरह यह घटना भी जेल डायरी में दर्ज हुई।

13.05.1976 (बृहस्पतिवार)

आज प्रात: अचानक हजारीबाग जेल से पेरोल पर रिहा होने के समय की घटनाएँ याद आ गईं। मुझे विश्वास था कि रविवार को अवश्य ही कोई लेने आएगा। प्रात: काल 7 बजे ही गेट राइटर ने आकर सूचना दी कि आपकी पेरोल की रिहाई का कागज लेकर दो आदमी आए हैं। मुझको विश्वास हो गया कि अवश्य रवि तो होगा ही। भय लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई और चक्कर हो जाए। इसी कारण जब तक गेट पर से पुरजा बन कर नहीं आया, तब तक मैंने अपना सामान नहीं बाँधा। पूरे 17 दिन इंतजार में बीत चुके थे। करीब 10 बजे पुरजा बनकर आया। सारा समान बाँधकर, लोगों से विदाई लेकर गेट में प्रविष्ट हुआ। रवि और दीपक घई सामने थे। रवि से भेंट हुए अधिक समय नहीं बीता था, किंतु जिस परिस्थिति में भेंट होती रही थी, उसके

कारण रोमांच हो रहा था। गेट पर कपड़े को लेकर झंझट हो गई। मेरे पास छह मास वाले कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें बाँट चुका था। एक घंटा कपड़े के संघर्ष में बीत गया। गुस्से में आकर मैंने एक-एक कपड़ा जमा कर दिया।

मुक्त आकाश के नीचे कुछ पल

दीपक घई बार-बार प्रयास कर रहा था कि झंझट न हो, जल्दी से यहाँ से छुटकारा मिले। करीब 1 बजे हम गेट से बाहर हुए। रिक्शा पर सामान रखकर हम पैदल रवाना हुए। बड़ा विचित्र लग रहा था। फाटक से निकलते ही मैंने कहा कि मुक्त आकाश के नीचे आ गया हूँ। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि इतने महीनों के बाद मुक्त मुलाकात हुई है, पता नहीं कितना परिवर्तन हो गया होगा।

भारी पड़ी डी.एम. से मिलने की जिद

दीपक ने मना किया कि डी.एम. के डेरे पर मत जाएँ, जल्दी से पहले पटना पहुँचा जाए, बाद में देखा जाएगा। किंतु मैं जिद पर अड़ा था। मैंने यहाँ तक कहा दिया कि मुझे तो अभी महीनों में जेल रहना है, मुलाकात की दिक्कत तो मुझे उठानी पड़ेगी, आपको क्या है। हजारीबाग जेल में मुलाकात संबंधी कठिनाइयों के संबंध में बात करने मैं डी.एम. के यहाँ जा रहा था। डी.एम. का घर जेल फाटक से एक फर्लांग पर है। जेल से निकलने के दस मिनट पश्चात् ही मैं डी.एम. के घर पर था। दीपक ने कहा भी कि मैं साथ में चलता हूँ। लेकिन मुझे अज्ञात रूप से भय लगा कि क्यों इसको अपने परिचय से जोड़ूँ, क्यों अपने से Identify करूँगा। वहाँ सी.आई.डी. से लेकर कई प्रकार के लोग रहते हैं। बिना मतलब के इन्हें पहचान जाएँगे। अत: दोनों को डी.एम. के गेट पर छोड़कर अकेला मैं डी.एम. के यहाँ गया। भूख जोरों से लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा भी कि बस दस मिनट में आ जाता हूँ।

डी.एम. के बँगले पर उनके पी.ए. से भेंट हुई। मैंने उसे अपना परिचय दिया और किस विषय पर बात करना चाहता हूँ, यह भी बताया। वह मुझे पहचान नहीं पाया, किंतु उसने अच्छी प्रकार से बात की और कहा कि कुछ देर बैठें, डी.एम. खाना खा रहे हैं, उसके पश्चात् पुरजा भेज दूँगा। करीब आधा घंटा बीत गया, मैं वहीं प्रतीक्षा करता रहा। एक बार तो सोचा कि चल चलूँ, बहुत समय हो गया, परंतु यह सोचकर कि थोड़ी देर में मुलाकात हो ही जाएगी, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। पी.ए. ने मुझे यहाँ तक बतलाया कि किस प्रकार समस्या को उनके सामने रखा जाए।

करीब 01.15 बज गया। पी.ए. पता नहीं पुरजा ले गया या मौखिक उसने डी.एम.

से कुछ कहा। लौटकर बतलाया कि वे व्यस्त हैं, आपसे नहीं मिल सकते, फिर कभी भेंट करा दूँगा।

गाड़ी से उतरते ही पीटने लगा डी.एम.

मैं निराश होकर कमरे से बाहर निकला। अचानक बगल के कमरे से डी.एम. दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय भी बाहर निकला। 32 साल का नाटे कद का दुबला-पतला चश्मा पहने छोकरे जैसा डी.एम. निकल कर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी का शीशा उतारने लगा। मैंने सोचा कि शायद पी.ए. ने झूठ कह दिया है, क्यों नहीं खड़े-खड़े उससे एक मिनट बात ही कर लूँ। मैंने गाड़ी के समीप से ही कहा, ''सर एक मिनट''' ।'' इतना कहना था कि डी.एम. गाड़ी पर से उतरा। मुझे लगा कि वह मुझसे बात करने आ रहा है। किंतु मैं धोखे में था। उसने आते ही मुझे झापड़ मारना शुरू कर दिया। मैं अचंभित रह गया कि यह क्या हुआ? मुझे लगा कि यदि मैंने प्रतिकार किया तो यह शायद और उत्तेजित हो जाए। अत: मैं क्षमा माँगने लगा। मैंने कहा कि सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, कल मेरी बहन की शादी है, मैं पेरोल पर आया हूँ, किंतु वह तो घूसों-थप्पड़ों से मारे जा रहा था और गालियाँ बक रहा था। मैं जमीन पर थोड़ी दूर पर गिर पड़ा, चप्पल दूर फेंका गई।

साले,'''जानता नहीं इमरजेंसी है

मैं उठा और चप्पल पहनने लगा, सोचा कि अब यहाँ से खिसक जाऊँ, किंतु इसी बीच उसने कॉलर पकड़ कर उठाया और फिर मारने लगा। बक रहा था साले जिले का मालिक हूँ, सब नेतागिरी निकाल दूँगा, क्रीमिनल मीसा में बंदकर दूँगा, जानता नहीं इमरजेंसी है। वह अंग्रेजी में गालियाँ बकता रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद मार-पीट कर छोड़ दे। कल रेणु की शादी है, इतनी मुश्किल से पेरोल हुआ, कितनी परेशानी के बाद डी.आई.आर. की जमानत हुई और यह मैं कहाँ फँस गया।

मुझे कमरे में बंदकर दिया गया। जिस कमरे में कुछ मिनटों पूर्व कुरसी पर बैठा था, वहीं अब जमीन पर बैठा था। अभी तक आँख से आँसू नहीं आया था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस गेट पर खड़े दीपक, रवि को न पकड़ ले। कमरे की खुली खिड़की से एक व्यक्ति को बुलाकर मैंने उसे बताया कि मेरे दोस्त गेट पर हैं, उनसे कह दो कि चले जाएँ। उससे ही मालूम हुआ कि वे इस घटना को देखते ही चले गए।

फूट-फूट कर रोया, दुर्भाग्य को कोसता रहा

थोड़ी देर बाद अचानक मैं फूट-फूट कर रोने लगा। जो भी क्लर्क या चपरासी

भीतर आता, मैं उससे कहता कि मुझे छुड़ा दीजिए, कल बहन की शादी है। मैं वहीं जमीन पर बूस्शर्ट, पायजामा पहने मार खाया पागलों के समान बैठा था। बगल के कमरे में डी.एम. कुछ टाइप करवा रहा था। मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद मैं छोड़ दिया जाऊँगा। कई बार सोचा कि डी.एम. से जाकर बात करूँ। फिर लगा कि जब बिना बात किए यह हाल किया है, तो कहीं वह और क्रुद्ध न हो जाए। थोड़ी देर में उसके पी.ए. ने थाने में फोन कर पुलिस को आने की सूचना दी। मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता कमरे में बैठा आगे की काररवाई का इंतजार करता रहा।

थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उठाकर मुझे ले गई। मुझे हजारीबाग कोतवाली थाना में बंदकर दिया गया। डर के मारे कोई थाना आकर पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगले दिन मुझे कोर्ट में उपस्थित किया गया। बड़ी मुश्किल से जमानत मिली। इसके बाद मैं किसी तरह सड़क मार्ग से अपने घर पटना पहुँचा।

□

छात्र आंदोलन में गिरफ्तार

1974 के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के प्रारंभिक चरण में छात्र नेता श्री सुशील कुमार मोदी की गिरफ्तारी के लिए जारी पटना के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति।

जिला दंडाधिकारी, पटना का कार्यालय

आदेश

पटना, दिनांक 10 अगस्त, 1974

ज्ञापांक—4289/गो.

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 (सं. 26, 1971) की धारा 8 के अनुसरण में, आप, श्री सुशील कुमार मोदी, जेनरल सेक्रेटरी, पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ, पटना को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आधारों पर मेरे आदेश संख्या 4061/सी. दिनांक 31.7.74 में उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ए)(2) के अंतर्गत आपको निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है, जिसे आपने उसी तिथि से प्राप्त किया है।

आधार

1. आपने दिनांक 17 एवं 18 फरवरी, 1974 को विश्वविद्यालय क्षेत्र में पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ की हुई बैठक में भाग लिया, जिसमें बिहार राज्य के अन्य बहुत से छात्र नेता भी सम्मिलित थे। आपने उसमें एक अतिशय उत्तेजक भाषण देकर छात्रों को वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करने हेतु उकसाया और उत्तेजित किया कि घोर अव्यवस्था एवं उपद्रव फैलाने के लिए हिंसात्मक विद्रोह किया जाए। इस प्रकार आप लोक व्यवस्था को पूर्णत: विछिन्न कर जनता

में बदअमन फैलाना चाहते हैं।

2. आपने दिनांक 26.2.74 को मुख्यमंत्री के छज्जुबाग स्थित निवासस्थान के सामने विद्यार्थियों द्वारा आयोजित मिलीटेंट (हिंसात्मक) प्रदर्शन में भाग लिया एवं एक अतिशय उत्तेजक भाषण देकर वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध छात्रों को आपने संघर्ष जारी रखने और जरूरत पड़ने पर, हिंसात्मक काररवाई, धमकी, बलप्रयोग, आगजनी, इत्यादि कामों पर उतरने के लिए उकसाया। साथ-ही-साथ आपने पुन: उक्त बैठक में सचिवालय भवन/विधान सभा का घेराव करके तथा विधान सभा जाने वाली सभी सड़कों पर धरना देकर किसी मंत्री या विधान सभा के सदस्य को विधान सभा भवन में प्रवेश नहीं करने देने के लिए छात्रों को कहा।
3. माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.7.74 को आपको आतंरिक सुरक्षा अधिनियम के अतंर्गत अवरोधन से मुक्त करने का आदेश दिया। उस दिन संध्या 4 बजे, जबकि आप अन्य सुरक्षा बंदियों के साथ फुलवारीशरीफ कैंप जेल ले जाए जा रहे थे, आपने श्री ए.के. बसु, कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना को, जो फुलवारी कैंप कारा से विचाराधीन बंदी श्री अश्विनी कुमार चौबे पर हुए कथित प्रहार संबंधी जाँचोपरांत लौट रहे थे, दो घंटों तक घेराव करके रखा, उन्हें अपमानित किया एवं माँग की कि सहायक कारापाल एवं प्रभारी कारापाल फुलवारीशरीफ कैंप कारा को तुरंत उसी क्षण उसी जगह निलंबित कर दें, क्योंकि इन दोनों कारा अधिकारियों ने, आपके मतानुसार, चौबे पर कथित प्रहार में भाग लिया है। कारा महानिरीक्षक ने जब समझाना चाहा कि बिना निर्धारित नियमों का पालन किए ऐसा करना संभव नहीं है, तब आपने उन्हें भयानक परिणामों की धमकी दी एवं कहा कि आप उनका पटना में रहना दुश्वार कर देंगे तथा कोई ताकत उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। इस धमकी को प्रदर्शित करने के लिए आपने उनकी कार पर बड़े ही खूँखार ढंग से प्रहार किया और निम्नांकित नारे लगाए—

   ''खून का बदला खून से लेंगे,
   जेल का फाटक टूटेगा, साथी मेरा छूटेगा''

   पुन: आपने ऐसी घोषणा की कि श्री चौबे के खून का बदला खून से लिया जाएगा और अब आप लोग शांति से बैठे नहीं रहेंगे। ऐसी सूचना है कि आपने उस जगह जमा आदमियों को आह्वान किया कि फुलवारी कैंप कारा की ओर बढ़ें एवं उसकी दीवाल तथा दरवाजे तोड़कर सभी बंदियों को मुक्त कर दें। पुलिस द्वारा बीच-बचाव करने से किसी प्रकार स्थिति बिगड़ने से बची।
4. दिनांक 3.7.74 को संध्या 6.30 बजे आप एवं आपके दूसरे साथियों ने श्री कपिलदेव सिंह, स.वि.स. का बांकीपुर केंद्रीय कारा में घेराव किया, उन्हें दुभार्षित

तथा अपमानित किया और उन्हें बाध्य किया कि जबतक वे सदन से अपना त्यागपत्र लिखकर नहीं दे देते हैं, तब तक उस स्थान से हटने नहीं दिया जाएगा। सूचना है कि आपने अतिशय उत्तेजक नारे लगाए एवं जेल को तोड़ देने का आह्वान किया।

5. दिनांक 6.7.74 को आपने अदालतगंज से एक जुलूस निकाला एवं प्रदर्शनकारियों की एक सभा कदमकुआँ कांग्रेस मैदान में की। उसमें आपने एक अतिशय उत्तेजक भाषण दिया तथा विद्यार्थियों को जेल के अधिकारियों से श्री अश्विनी कुमार चौबे पर फुलवारीशरीफ कैंप कारा में दिनांक 2.7.74 को हुए कथित प्रहार का बदला लेने के लिए उकसाया। अदालतगंज से कदमकुआँ कांग्रेस मैदान तक जुलूस का नेतृत्व करते हुए तथा कदमकुआँ कांग्रेस मैदान उक्त बैठक में आपने निम्नांकित अतिशय उत्तेजक नारे लगाए—
जेल का फाटक टूटेगा साथी मेरा छूटेगा, खून का बदला खून से लेंगे। तथा छात्रों को हिंसा पर उतरने के लिए उकसाया, क्योंकि, आपके अनुसार, शांतिपूर्ण ढंग से कुछ भी नहीं किया जा सकता है।
6. दिनांक 13.7.74 को आपने पुन: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर करीब 8.30 बजे सुबह एक दूसरा जुलूस निकाला एवं बी.एन. कॉलेज के सामने घरना देने का प्रयास किया ताकि शांतिपूर्ण चल रही परीक्षा में खलल पहुँचे, किंतु आपका प्रयास पुलिस के द्वारा बेकार कर दिया गया।

अत: मेरा समाधान हो गया है कि उपर्युक्त परिस्थिति में, यदि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो आप ऐसे और भी कार्यकलापों में भाग लेंगे, जिनसे लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं, विजय शंकर दूबे, जिला दंडाधिकारी, पटना, आपको अभिरक्षण में निरुद्ध रखना आवश्यक समझता हूँ ताकि आपको ऐसे काम करने से रोका जा सके जो कि लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल हो।

संप्रति बक्सर केंद्रीय कारा में निरुद्ध आप, श्री सुशील कुमार मोदी, महासचिव, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, पटना को सूचित किया जाता है कि आप इस आदेश के विरुद्ध जिसके अधीन आप निरुद्ध किए गए हैं, लिखित अभ्यावेदन कर सकते हैं। यदि आप कोई अभ्यावेदन करना चाहें तो उसे उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को संबोधित करते हुए कारा अधीक्षक के माध्यम से भेजें।

आपको पुन: सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.7.74 से मगध एवं पटना विश्वविद्यालय की होने वाली इंटरमीडियट परीक्षा के फलस्वरूप पटना शहर के विभिन्न स्थानों की सनसनीपूर्ण और विस्फोटक विधि-व्यवस्था की स्थिति में व्यस्त रहने के कारण

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत पाँच दिनों के भीतर उक्त आदेश आप पर तामिल नहीं कराया जा सकता। फिर भी, उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत, आप पर उक्त आदेश का तामिला पंद्रह दिनों के अंदर किया जा रहा है।

ह./- विजय शंकर दूबे
जिला दंडाधिकारी, पटना

ज्ञापांक 4289/गो. दिनांक 10 अगस्त, 1974

प्रतिलिपि : तीन प्रतियों में, अधीक्षक, केंद्रीय कारा, बक्सर को तामिला कराने एवं दो प्रति तामिला प्रतिवेदन लौटाने के लिए अग्रसारित।

ह./- विजय शंकर दूबे
जिला दंडाधिकारी, पटना

परिवर्तन पर चिंतन

सामाजिक परिर्वतन की चुनौती

देश की युवा शक्ति ही सामाजिक बदलाव का सबसे प्रबल संवाहक बन सकती है, लेकिन स्वाधीन भारत में इस काम के लिए बने सरकारी संगठन जहाँ सेवा भावना की कमी और भ्रष्टाचार के शिकार हुए, वहीं राजनीतिक दलों से जुड़े अधिकतर छात्र-युवा संगठन सीमित और स्वार्थपूर्ण दोहन के चलते बेमानी हो गए। वाम दलों से जुड़े संगठनों में ईमानदारी, जुनून और परिश्रम करने का माद्दा तो था, लेकिन उनकी वैचारिकता हमेशा भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से कटी रही। ऐसे में बदलाव का अनोखा तरीका ईजाद किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने, यानी परिवर्तन की शुरुआत स्व से। इस स्व-परिवर्तन के उदाहरण द्वारा समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे समाज के सामान्य लोग परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो सकें। लेकिन इस प्रयोग को पूरे समाज का सहयोग प्राप्त किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता।

गंगोत्तरी से प्रारंभ होकर गंगा भारत के अनेक राज्यों को अपनी कल-कल, छल-छल ध्वनि से मुग्ध कर बहती हुई सागर में समाविष्ट हो जाती है। जल का इतना अथाह प्रवाह, फिर भी बगल के खेत सूखे हैं। तटवर्ती शहरों के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी ओर वर्षा में हुंकार भरती हुई यही भागीरथी कभी-कभी रौद्र रूप धारण कर अपने किनारों को तोड़कर खेत-गाँव और नगरों को भी जलमग्न कर देती है। महानदी गंगा की विकराल बाढ़ अल्पकालिक विनाश के साथ धरती की उर्वरता का दीर्घकालिक वरदान भी देती है, फिर भी चिंता का विषय यह है कि गंगा जैसी बड़ी नदियों को सार्वकालिक वरदान में कैसे बदला जाए। आम दिनों में तटवर्ती खेतों को सूखा-प्यासा छोड़कर लाखों क्यूसेक्स नदीजल का समुद्र में मिल जाना और

वर्षाकाल में जलप्लावन से फसलों की बरबादी—परंतु इसमें गंगा का क्या दोष?

भारत की 12 करोड़ छात्र-युवा शक्ति का हाल भी गंगा की तरह है। जैसे गंगा की जल ऊर्जा और सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, उसी तरह छात्रों-युवाओं के अदम्य उत्साह और परिवर्तनकारी अक्षय ऊर्जा का स्रोत या तो बेकार पड़ा है या फिर कभी गंगा के समान सारी मर्यादाओं को तोड़कर विध्वंस का तांडव नृत्य करता दिखता है। शक्ति का प्रवाह है, परंतु समाज के लिए अनुपयोगी है। इस शक्ति के रहते देश में निरक्षरता, अस्पृश्यता, गरीबी, बेकारी, दहेजप्रथा, जातिवाद, धर्मांतरण जैसी समस्याएँ कैसे बनी हुई हैं? युवा शक्ति और समस्या, ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते। जाग्रत् युवा शक्ति है, तो समस्या नहीं हो सकती। और यदि समस्या है, तो समझना चाहिए कि शक्ति का प्रवाह सूख गया है। परंतु इसके लिए क्या केवल छात्र-युवा शक्ति ही जिम्मेदार है?

महापुरुषों ने किया युवाओं का आह्वान

जिस भी व्यक्ति या संस्था ने इस ऊर्जा की शक्ति को पहचाना और उसका उपयोग समस्या-समाधान के लिए किया, उसे सफलता अवश्य मिली है। दुनिया के अधिकांश देशों की आजादी का इतिहास इसका गवाह है। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, सावरकर—जिस किसी महापुरुष ने भी विश्वास के साथ आह्वान किया, युवा शक्ति ने उसका प्रत्युत्तर संघर्ष व बलिदान से दिया। परंतु देश की आजादी के पश्चात् इस शक्ति का उपयोग समस्याओं के रचनात्मक समाधान हेतु नहीं हुआ। परिणामत: यह शक्ति निराश, हताश होकर समय-समय पर अपनी असीम ऊर्जा को विध्वंस की अग्नि में निस्सृत करती रहती है।

विफल रही सरकारी संस्थाएँ

आजादी के पश्चात् सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) व नेहरू युवक केंद्र जैसी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा इस ऊर्जा को दिशा देने का असफल प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा युवकों में कठोर जीवन, साहस, शौर्य, सैन्य-प्रशिक्षण आदि दिया जाता रहा। सामाजिक बुराइयों व प्राकृतिक विपदाओं के विरुद्ध छात्रों-युवकों को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवक केंद्र प्रारंभ किए गए; परंतु सरकार की अन्य योजनाओं के समान ये कार्यक्रम भी असफल रहे। संवेदनहीन नौकरशाही द्वारा सरकारी पैसे से संचालित ये अभियान छात्रों-युवकों को सामाजिक कार्य हेतु प्रेरित नहीं कर पाए। ये योजनाएँ समाज-सेवा के नाम पर सर्टिफिकेट, वरदी, पैसा, जलपान और प्रवेश में सुविधा पाने

आदि का माध्यम बनकर रह गईं। आज ये संस्थाएँ हर महाविद्यालय व हर जिले में हैं, परंतु संचालकों में निस्स्वार्थता व सेवा-भाव के अभाव में ये छात्रों में सामाजिक दायित्व-बोध पैदा नहीं कर पा रहीं।

राजनीतिक दलों ने किया सीमित इस्तेमाल

गैर-सरकारी स्तर पर युवकों में बीसियों संगठन कार्यरत हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने-अपने छात्र-युवा संगठन बनाए हैं। अधिकांश छात्र युवा संगठन राजनीतिक दलों के अंग के रूप में कार्य करते हैं। युवा जनता, कोई जनता युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय छात्र संगठन, छात्र क्रांति दल आदि भिन्न-भिन्न नाम हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये राजनीतिक दल के पुछल्ले के रूप में काम करते हैं। ये मूल राजनीतिक संगठन में छात्र-युवकों की भरती के उपकरण मात्र हैं। हर दल छात्रों-युवकों की फौज चाहता है, परंतु सीमित उपयोग हेतु।

अर्थात् सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई हेतु नहीं, बल्कि नेताओं की जय-जयकार, सभाओं की व्यवस्था तथा जुलूस प्रदर्शन में शरीक होकर शासन से टकराने आदि के लिए। जब कभी इन संगठनों के छात्र-युवा अपनी सीमा का अतिक्रमण करते दिखते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी की माँग करते हैं, तो उनकी ओर कुछ टुकड़े फेंककर उनकी धार भोथरी कर दी जाती है। जब इन संगठनों का उद्देश्य ही इतना क्षुद्र स्वार्थ है, तो इनसे सामाजिक परिवर्तन में सहभाग की अपेक्षा ही बेकार है।

सामाजिक संदर्भ से कटे वाम छात्र संगठन

वामपंथी छात्र-युवा संगठन अधिक संगठित एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। एसएफआई, एआईडीएसओ एवं नक्सलवाद से जुड़े छात्र संगठन आज पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा में अधिक सक्रिय एवं प्रभावी हैं। ये अपने दल के लिए छात्रों, युवकों की भरती कर उनके सैद्धांतिक प्रशिक्षण का प्रयास करते हैं। कभी-कभार शैक्षणिक एवं आर्थिक मुद्दों पर संघर्ष भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में छात्रों की भूमिका के बारे में उनकी सोच अत्यंत भिन्न है।

उनकी मान्यता है कि आर्थिक संरचना प्रमुख राष्ट्रधर्म है तथा अन्य सभी प्रकार की रचनाएँ (सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि) आर्थिक रचना की उपज है। उनके विचार में अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज प्रथा, अश्लीलता आदि सामाजिक समस्याएँ पूँजीवादी आर्थिक ढाँचे की उपज हैं। अत: जब तक सत्ता प्राप्त कर आर्थिक ढाँचे को परिवर्तित नहीं किया जाता, तब तक सामाजिक समस्याएँ दूर नहीं होंगी।

उनकी सोच है कि पूँजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति की अगुवाई

सर्वहारा या मजदूर करेगा तथा छात्र या अन्य वर्ग उसके सहायक होंगे। इस सोच के कारण वामपंथी छात्र-युवा संगठन भारतीय संदर्भ में अर्थहीन हो गए हैं। भारतीय समस्याओं को मार्क्सवादी चश्मे से विश्लेषण करने के कारण संगठन असंगत व औचित्यहीन बन गए हैं। स्पष्ट है, ये संगठन भी सामाजिक परिवर्तन में छात्रों की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए।

सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन तक उपयोग

आज तक युवाशक्ति का उपयोग केवल राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुआ है। चाहे वह थाईलैंड, इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी हो या भारत में 1967 का गैर-कांग्रेसवाद या 1974 का छात्र आंदोलन, जो 1977 में सत्ता-परिवर्तन में परिणत हुआ। इस शक्ति ने निरंकुश, भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी, सत्ताधारियों को सत्ताच्युत किया है, परंतु सत्ता-परिवर्तन के बाद हर बार यह शक्ति बिखरी, बँटी या सत्ता के गलियारे में भटक गई है। सत्ता-परिवर्तन को ही इसने अपना गंतव्य मान लिया। सत्ता-परिवर्तन के पश्चात् समाज-परिवर्तन में इस शक्ति को अपनी पहचान बनानी शेष है।

लीक से हटकर विद्यार्थी परिषद्

ऊपर वर्णित इन सब छात्र-युवा संगठनों की लीक से परे एक संगठन ऐसा भी है, जो सत्ता एवं दलीय राजनीति से अलिप्त रहते हुए, शैक्षिक परिवार की कल्पना में विश्वास रखते हुए, संघर्ष एवं रचनात्मकता को दोहरी प्रक्रिया द्वारा देश के छात्रों को सामाजिक परिवर्तन के हथियार के रूप में परिणत कर रहा है। यह संगठन है—अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्। यह एक ओर समरूप समाधान हेतु रचनात्मक संघर्ष करता है, वहीं दूसरी ओर समाधान का रचनात्मक विकल्प भी प्रस्तुत करता है, साथ ही अवकाशकालीन रोजगार योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर व औद्योगिक भ्रमणों के माध्यम से रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शैक्षिक परिवर्तन हेतु धरना, प्रदर्शन व हस्ताक्षर अभियान आयोजित करता है, तो विचार-गोष्ठी, चर्चा व परिसंवाद के माध्यम से शिक्षा की वैकल्पिक योजना भी तैयार करता है।

विद्यार्थी परिषद् पिछले 20 वर्षों से छात्रों के पुस्तक-दान द्वारा बुक बैंक, रक्तदान अधिकोष, विद्यादान द्वारा नि:शुल्क शिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान द्वारा श्रमानुभव, महापुरुषों की जयंती, प्रतिभा विकास हेतु स्पर्धाएँ छात्रसंघ के चुनाव, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आदि के माध्यम से छात्रों-युवकों में सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा, दायित्व-बोध परिश्रमशीलता एवं अनुशासन का संस्कार पैदा कर रही है।

सामाजिक प्रश्नों से जूझनेवाले युवा

इन कार्यक्रमों से गुजरनेवाले छात्र के मन में जातिवाद, अस्पृश्यता, तिलक-दहेज व पाश्चात्यीकरण के प्रति अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। वह सोचता है कि ऊँच-नीच पर आधारित जाति व्यवस्था क्या उचित है? विवाह में दहेज, फिजूलखर्ची, दिखावा औचित्यपूर्ण है? नारी को समानता का अधिकार क्यों नहीं? यह गरीबी, बेकारी, भुखमरी क्यों? क्या इनके समाधान में मेरी कोई भूमिका नहीं है? ऐसे सैकड़ों सवाल उसे समाधान में योगदान हेतु प्रेरित करते हैं और समय-समय पर परिषद् उनके प्रश्नों को मंच प्रदान कर देती है।

परिषद् एक ऐसा आंदोलन है, जो पूरे देश में हजारों ऐसे युवकों में ध्येयवाद, आदर्शवाद उत्पन्न करने में सफल हुआ है, जिनकी जिंदगी को एक नया अर्थ मिल गया है। जिनके लिए देशभक्ति, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति व भारतीय मूल्यों की प्रस्थापना है। सामाजिक न्याय, जिनके लिए अस्पृश्यता, तिलक-दहेज, जातिवाद जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरक है तथा आर्थिक समता, जिन्हें शोषण, भ्रष्टाचार अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चुनौती स्वीकार कराती है।

परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से

इस सामाजिक बदलाव को लाने का अनोखा तरीका भी ईजाद किया है विद्यार्थी परिषद् ने, यानी परिवर्तन की शुरुआत स्व से। इस स्व परिवर्तन के उदाहरण द्वारा समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे समाज के सामान्य लोग परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो सकें।

परंतु क्या यह छात्र-युवा शक्ति अकेले सभी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है? क्या निरक्षरता, अस्पृश्यता, बेकारी जैसी विकराल समस्याओं को केवल छात्र-युवा दूर कर सकेंगे? कदापि नहीं। ये संपूर्ण समाज की समस्याएँ हैं। अत: संपूर्ण समाज को इस परिवर्तन-प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा। हाँ, अपनी आस्था एवं अंतर्निहित क्षमता के कारण युवा अगुवाई कर सकता है, व्यवस्था की जड़ें हिला सकता है। परंतु संपूर्ण वृक्ष को धराशायी करने और सुव्यवस्था का नया पौधा रोपने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा।

□

सामाजिक पृष्ठभूमि के आईने में झाँकता आरक्षण का औचित्य

"A Nation is as great as its common man" ***की उक्ति यदि सत्य है, तो 15.5 प्रतिशत हरिजन और 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, अर्थात् शिक्षा-संपत्ति-सम्मान से वंचित लगभग 75 प्रतिशत लोगों के कठिन परिस्थितियों में बने रहते यह देश न तो विकसित कहला सकता है, न 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है। दुनिया में है कोई ऐसा देश, जिसने 75 प्रतिशत पिछड़े लोगों के रहते विकास किया हो? गांधी के अंतिम व्यक्ति के विकास के बिना समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। अब यदि कुछ हिस्सा अपने पद-दलित, उपेक्षित बांधवों को देना ही पड़े, तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आज तक जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई, शासन नहीं किया, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं की, यदि वे आरक्षण की बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासक, शासक, विधायक, मंत्री बनते दिख पड़ रहे हैं, तो उससे ईर्ष्या क्यों? यह तो विकास का शुभ संकेत है कि समाज आगे बढ़ रहा है।***

भारतीय संविधान लागू होने के पहले से इस देश के विधान मंडलों तथा अनेक राज्यों में शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण का प्रावधान था। इन विशेष प्रावधानों का कभी किसी ने मुखर विरोध नहीं किया। फिर अचानक 1978 के पश्चात् आरक्षण इतना विवादास्पद कैसे बन गया? कारण, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने आरक्षण को हमेशा अपनी राजनीति का हथियार बनाया। गुजरात और मध्य प्रदेश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। चुनाव के मौके पर गुजरात में 18 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 29 प्रतिशत के अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा कर दी गई। चुनाव में पिछड़े वर्गों का भरपूर वोट

इकट्ठा किया गया। लाभ मिल जाने पर चुनाव के पश्चात् बढ़ाए गए आरक्षण को स्थगित भी कर दिया गया। चुनाव के समय इस गलत निर्णय पर चुप्पी साधने वाला विपक्ष भी चुनाव के बाद मुखर हो गया।

गलत मंशा से किया गया कोई फैसला न तो सामाजिक न्याय दिला सकता है और न ही राजनीतिक जागृति पैदा कर सकता है। ऐसे फैसले आपसी मनमुटाव और जाति संघर्ष ही बढ़ाते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यही हुआ। लेकिन किसी माधव सिंह सोलंकी या अर्जुन सिंह की गलतियों ये हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आरक्षण स्वयं ही गलत नीति है।

गुजरात के आंदोलनकारी नवीन आरक्षण का विरोध करते-करते संपूर्ण आरक्षण को ही समाप्त करने की माँग करने लगे। देश के सवर्ण समुदाय का एक बड़ा वर्ग आरक्षण के औचित्य पर प्रश्न चिह्न लगा रहा है? क्या यह आरक्षण अनंत काल तक चलने वाला है? प्रतिभा, योग्यता की कीमत पर अयोग्य लोगों को बढ़ावा क्या उचित है? क्या जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? अगर करना है तो आर्थिक आधार क्यों नहीं? गरीब क्या सवर्णों में नहीं हैं? आदि-आदि प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

पिछड़े वर्गों के नेता भी अपनी सहजातियों को स्वयं की योग्यता एवं परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की बजाय ऊँची जातियों के विरुद्ध विष वमन कर घृणा एवं द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। अब तक ऊँची जातियों ने हमें पैरों तले रौंदा है, अब हम उसका बदला लेंगे। अनेक स्थानों पर साम्यवादी गुटों ने इसे वर्ग संघर्ष का हिंसात्मक रूप प्रदान कर दिया है। परिणामत: आरक्षण के मुद्दे पर सामाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है। सामाजिक एकरसता के उद्देश्य से उत्पन्न आरक्षण सामाजिक विघटन का कारण बन रहा है?

विकृत जाति व्यवस्था

आरक्षण के औचित्य पर बहस से पहले इस देश की जन्मना जाति व्यव्स्था से उत्पन्न ऊँच-नीच पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर विचार करना होगा। कर्मो की उत्तम वर्ण व्यवस्था कालक्रम में जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। हिंदू समाज 5 हजार से अधिक छोटी-छोटी जातियों के घरौंदे में विभक्त हो गया। जाति विशेष में उत्पन्न व्यक्ति के लिए पूर्व से ही कर्म एवं प्रतिष्ठा निर्धारित हो गई। अंतरजातीय विवाह, खान-पान, रोटी-बेटी के संबंध प्रतिबंधित हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्हें द्विज या सवर्ण भी कहते हैं, से उत्पन्न जातियों ने शिक्षा, सम्पत्ति, शासन, सम्मान पर एकाधिकार कर लिया।

शिक्षा, संपत्ति, शासन, सम्मान से वंचित जातियाँ समाज में असम्मानित, निकृष्ट

पेशों द्वारा जीविकोपार्जन करती हुई, गाँव के अंतिम छोर पर अस्पृश्य की जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दी गईं। हरिजनों के लिए मंदिर के दरवाजे, साथ बैठकर भोजन करने और कुएँ पर पानी भरने पर भी सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया गया। अन्य अवर्ण जातियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। कानून के सामने सभी बराबर नहीं थे। भिन्न-भिन्न जातियों के लिए अलग-अलग विधान थे। स्मृति, धर्मग्रंथों के माध्यम से इन विशेषाधिकारों, अस्पृश्यता और दोहरी न्याय व्यवस्था को वैधानिकता का जामा पहना दिया गया। पूर्व जन्म के पाप का फल समझकर, हीन भाव से ग्रसित देश की बहुसंख्य आबादी ने इस निकृष्ट जीवन को चुपचाप स्वीकार कर लिया, जिसके लिए धर्म की गलत व्याख्या जिम्मेदार थी।

समय-समय पर अनेक संतों, महात्माओं, कवियों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध समाज को जागृत किया, परंतु गुलामी के विरुद्ध संघर्षरत समाज इन सुधारों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे सका। बाल विवाह, सती-प्रथा, परदा-प्रथा, अस्पृश्यता विदेश गमन की निषिद्धता आदि विकृतियाँ गुलामी के कालखंड की देन हैं। विदेशी आक्रमण से बचाव हेतु उत्पन्न इन प्रथाओं ने तत्कालिक त्राण अवश्य दिलाया, परंतु यही समाज की बेड़ियाँ भी बन गईं।

निष्कर्षत: इस जाति व्यवस्था ने समाज में गहरी खाई उत्पन्न कर दी। एक ब्राह्मण जूते का व्यापार करने पर भी सम्मानित होता है। दूसरी ओर एक शूद्र अध्यापक, शासक बनने पर भी सम्मान योग्य नहीं। सवर्ण जाति में उत्पन्न व्यक्ति गुणहीन होने पर भी श्रेष्ठ हो जाता है और गुणवान व्यक्ति अन्य जाति में उत्पन्न होने के कारण निम्न हो जाता है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, समाज में ऊँची जातियों के आगे उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। कथित ऊँची जातियों को सम्मान देना उसका कर्तव्य माना जाता है।

जाति व्यवस्था से उत्पन्न गरीबी

जाति व्यवस्था की इन्हीं विसंगतियों का परिणाम है कि आज देश के 100 गरीबों में 95 गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जातियों में से हैं। यदि अशिक्षित, निरक्षर लोगों का सर्वेक्षण किया जाए तो 95 फीसद, इन्हीं वर्गों के लोग पाए जाएँगे। खेतिहर एवं औद्योगिक मजदूर, भिखारी, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, चपरासी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, कुली, श्रमिक, खेत में काम करने वाली महिलाएँ, यानी ऐसे पेशे, जिनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, उनमें काम कर जीवन जीने वाले शत-प्रतिशत लोग इन्हीं वर्गों के मिलेंगे। इन कामों को करता हुआ शायद ही कोई सवर्ण मिले। वहीं चिकित्सक, शिक्षक, व्यापार, इंजीनियर आदि सम्मानप्रद पेशों में केवल तथाकथित सवर्ण जाति के

लोग दिखलाई पड़ेंगे। तात्पर्य यह कि यद्यपि गरीबी, बेकारी, भुखमरी, ऊँची जाति के लोगों में भी है परंतु निर्धनों में निर्धनतम और अशिक्षितों में सबसे अधिक अशिक्षित पिछड़े वर्ग के लोग ही मिलेंगे। यदि शारीरिक रूप से कठिन हस्तकला या रोजगार के जरिए गूजर, गड़रिया, कोइरी, काछी, लोहार, कुम्हार, नाई, तेली, बढ़ई कहार आदि सैकड़ों जातियों के किसी व्यक्ति ने सुखद जीवन के लायक धन अर्जित भी कर लिया, तो उसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं है। वहीं एक ऊँची जाति का व्यक्ति गरीब होने पर भी सम्मान का पात्र है। अत: गरीब दोनों हैं, परंतु दोनों की गरीबी में अंतर है। एक की गरीबी रोजगार के अभाव के कारण है, तो दूसरे की गरीबी जाति व्यवस्था की निम्नतर सीढ़ी पर उत्पन्न होने के कारण सम्मान के अभाव की है।

विकास सामान्य व्यक्ति का स्तर

आरक्षण की भूमिका यहीं पर उत्पन्न होती है। किसी भी देश की समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर है कि उस देश के सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है? सामान्य व्यक्ति की आर्थिक, शैक्षणिक सामाजिक उन्नति पर ही देश की प्रगति निर्भर है। किसी देश के कुछ लोगों द्वारा केवल घन, ऐश्वर्य, यश, शिक्षा, प्राप्त कर लेने से नहीं कह सकते कि देश प्रगति कर रहा है। "A Nation is as great as its common man" की उक्ति यदि सत्य है, तो 15.5 प्रतिशत हरिजन और 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, अर्थात् शिक्षा–संपत्ति–सम्मान से वंचित लगभग 75 प्रतिशत लोगों के कठिन परिस्थितियों में बने रहते यह देश न तो विकसित कहला सकता है न 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को स्वीकार कर सकेगा। दुनिया में है कोई ऐसा देश, जिसने 75 प्रतिशत पिछड़े लोगों के रहते विकास किया हो? गांधी के अंतिम व्यक्ति के विकास के बिना समाज का विकास कभी नहीं हो सकता।

समान अवसर बनाम विशेष अवसर

समाज के सम्यक् विकास के लिए सदियों से उपेक्षित समूहों को शिक्षा, संपत्ति, शासन और प्रशासन के अधिकार दिलाना हर समाज का कर्तव्य होना चाहिए। परंतु यदि इन्हें सदियों से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के साथ स्पर्धा में खड़ा कर दिया जाए तो ये कभी सत्ता, शिक्षा, सेवा के गलियारे तक नहीं पहुँच पाएँगे।

'समान अवसर' के सिद्धांत की दुहाई देकर यदि किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति की किसी ऊँची जाति के व्यक्ति के साथ मेडीकल, इंजीनियरिंग, सेवा या चुनाव में खुली स्पर्धा में खड़ा कर दिया जाए तो यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। तो फिर क्या उन्हें इन पेशों में जाने से वंचित

कर दिया जाए? नहीं, कदापि नहीं। 'समान अवसर' का सिद्धांत वहीं लागू होता है, जहाँ सभी समान हो। असमान लोगों की स्पर्धा सदैव असमानता को ही जन्म देती है। एक लाइट वेट पहलवान को किसी हेवी वेट से स्पर्धा कराना कहाँ तक उचित होगा? जब समाज में असमानता है तो समानता का तत्त्व लागू करना न केवल अनुचित है, बल्कि अन्यायपूर्ण है। हट्टे-कट्टे व्यक्ति के साथ कमजोर भी दौड़े, यदि यह आवश्यक है तो कमजोर को संरक्षण देना आवश्यक होगा। हम कहेंगे यह जो स्वस्थ व्यक्ति है वह एक मील दौड़ेगा, तुम सिर्फ एक फर्लांग दौड़ो। इसे ही विभेदकारक संरक्षण (Protective Discrimination) कहते हैं। यद्यपि यह संरक्षण विभेदमूलक है, परंतु सामाजिक न्याय एवं मानवीय दृष्टि से आवश्यक है।

यदि पिछड़े लोगों की शिक्षा, सेवा शासन में हिस्सेदारी देश के विकास के लिए आवश्यक है और ये खुली स्पर्धा द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो विशेष संरक्षण द्वारा इन्हें यह हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करनी होगी। 'समान अवसर' प्रतिभा, विभेद के नाम पर उनको वंचित करना देश के लिए घातक होगा। वहीं समाज मानवीय समझा जाता है जो अपने कमजोर, दुर्बल, अपाहिज बूढ़े लोगों को संरक्षण देता है। क्या घर में छोटे भाई के बीमार पड़ने पर उसके लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जाती? बसों, सिनेमा हॉल, पार्क आदि में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं रखा जाता? यह संरक्षण कृत्रिम विषमता को अवश्य जन्म देता है, लेकिन हेतुत: यह दुर्बल बाँधवों के लिए सुरक्षा का प्रबंध है।

आरक्षण : परिणाम की समानता

एच.जी. गेंस के अनुसार समानता मूलत: * तीन प्रकार की होती हैं—1. अवसर की समानता 2. व्यवहार की समानता तथा 3. परिणाम की समानता। इन तीनों में परिणाम की समानता ही एकमात्र समतावादी सिद्धांत है। यदि अवसर एवं व्यवहार की समानता से विषमता उत्पन्न होती है, तो इस समानता का कोई अर्थ नहीं है। परंतु लक्ष्य यदि सामाजिक समता उत्पन्न करना है, तो उसके लिए असमान अवसर या असमान व्यवहार भी करना पड़े तो यह केवल उचित नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण होगा।

अत: परिणाम की समानता हेतु, यानी सत्ता, सेवा, शिक्षा में इन उपेक्षित बंधुओं को समान हिस्सेदारी देने के लिए विशेष अवसर (Preferential Treatment) देना होगा। इसी 'विशेष अवसर' सिद्धांत का व्यावहारिक रूप आरक्षण है। इसे विभेदमूलक क्षतिपूर्ति (Compensatory Discrimination) भी कहते हैं। अर्थात् सदियों से पिछड़े लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए यदि शेष समाज के साथ विभेदमूलक व्यवहार भी किया जाए तो यह अनुचित नहीं। गांधीजी कहा करते थे,

''आज हरिजनों के लिए सवर्ण हिंदू जो कुछ भी करता है, वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनके प्रति किए गए अपराधों का अश्रूपूर्ण प्रायश्चित के अलावा कुछ भी नहीं होगा।'' पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, ''रस्सी की मजबूती उसके कच्चे धागों पर निर्भर करती है। यदि कच्चे धागे पर ध्यान नहीं दिया गया तो रस्सी के टूटने का डर रहता है।'' क्या समाज के इन कमजोर वर्गों के और टूटने के पहले उन्हें संरक्षण देना आवश्यक नहीं, ताकि वे भी शिक्षा, सेवा सत्ता में हिस्सेदार बनकर देश के विकास में योगदान कर सकें।

सवर्ण जातियों का अघोषित आरक्षण

अभी तक तो सेवा, शिक्षा शासन में 18 प्रतिशत सवर्ण जातियों का ही अघोषित आरक्षण था। अन्यथा क्या कारण कि आजादी के 37 वर्षों बाद भी प्रथम श्रेणी की सेवाओं में इन दोनों (SC and ST) का प्रतिनिधित्व 5.68 फीसद है, जबकि इनके लिए आरक्षण 22.5 फीसदी है। इसका अर्थ है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ दोष अवश्य है? अन्यथा आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा पीछे क्यों रह गया? समाज के जिस वर्ग को पढ़ने का, आगे आने का जितना मौका मिलेगा, वह उतना ही आगे जाएगा। सवर्ण जातियों का आज यदि वर्चस्व है, तो उसका कारण केवल उनकी जन्मजात योग्यता नहीं है? भारत की द्विज जातियों को सैकड़ों सालों से यह मौका मिलता आया है, जिससे उनमें योग्यता, पात्रता उत्पन्न हो गई। बेचारे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को भी यदि सैकड़ों वर्षों से मौका मिला होता तो वे कभी किसी से पीछे नहीं रहते?

सामाजिक न्याय का तकाजा

अब यदि कुछ हिस्सा अपने पद-दलित, उपेक्षित बाँधवों को देना ही पड़े तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आज तक जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई, शासन नहीं किया, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं की, यदि वे आरक्षण की बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासक, शासक, विधायक, मंत्री बनते दिख रहे हैं, तो उससे ईर्ष्या क्यों? यह तो विकास का शुभ संकेत है कि समाज आगे बढ़ रहा है। बस में काफी पहले आने के बाद भी किसी महिला के आने पर उठना पड़ जाता हैं, उस समय ईर्ष्या क्यों नहीं होती? घर में बीमार भाई को अधिक दूध, फल प्राप्त होते देख गुस्सा क्यों नहीं आता? इसके विपरीत यदि कोई अपंग दौड़ने लगे, बीमार भाई स्वस्थ हो जाए, तो प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार अपने पिछड़े बाँधवों को उच्च पदों पर आते देख खुशी क्यों नहीं होती? आँखों में हर्ष के आँसू क्यों नहीं बहते? मन में यह विचार क्यों नहीं आता कि सदियों से उपेक्षित बंधु अब आगे बढ़ रहे हैं। किसी देशभक्त के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है?

कहीं पिछड़ों को मिले थोड़े-बहुत अधिकरों से झुँझला कर समाज का सवर्ण समुदाय 'प्रतिभा' समान अवसर योग्यता की आड़ में इन अधिकारों को छीनने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? कहीं आरक्षण विरोध के पीछे दलितों को हेय निगाह से देखने वाली वह सवर्णी मानसिकता तो नहीं है, जिसने आज तक दलितों के उत्थान के प्रत्येक प्रयास का विरोध ही किया है।

दलितों में उत्पन्न अधिकार की उत्कट आकांक्षा की गति को कुंठित करना, अवरोध उत्पन्न करना आत्मघाती होगा। अपने हितों, अधिकारों की कटौती होती है, तो भी समाज के व्यापक हित में इसे स्वीकार करना चाहिए। आइए, दलितों को उनके अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता दिलाने हेतु समाज की मानसिकता को बदलें तथा आवश्यकता पड़ने पर समाज के निहित स्वार्थ, रूढ़िवाद के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष भी करें।

विधानमंडल, शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण

विधान मंडलों में आरक्षण

विधानमंडलों, सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का इतिहास पुराना है। मार्ले-मिंटो सुधारों के अंतर्गत 1909 में सर्वप्रथम मुसलमानों व यूरोपियनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। 17 अगस्त, 1932 को गांधीजी के विरोध के बावजूद अंग्रेज प्रधानमंत्री मेकडोनाल्ड ने 'कम्यूनल ऑवार्ड' घोषित किया। इस घोषणा से अछूतों को काफी राजनीतिक अधिकार मिले थे। इसी में अछूतों के लिए अगल 'इलेक्टोरेट' (पृथक निर्वाचन) की बात कही गई थी। अन्य कुछ बातें थीं, सुरक्षित क्षेत्रों में अछूतों का प्रतिनिधि केवल अछूतों के वोटों से ही चुना जाएगा तथा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी अछूतों को वोट देने का अधिकार होगा, जिससे उनका अधिकार सवर्णों पर भी रहे। गांधीजी हिंदू समाज को सवर्ण और अछूत में बाँटने के खिलाफ थे।

पुणे समझौता

गांधीजी उन दिनों यरवदा जेल, पूना में बंद थे। जेल से उन्होंने प्रधानमंत्री मेकडोनाल्ड को पत्र लिखा, ''यदि अछूतों को हिंदुओं से पृथक किया गया, तो वे अपने जीवन की बाजी लगा देंगे।'' ब्रिटिश हुकूमत के अस्वीकार किए जाने पर गांधीजी ने इस ऑवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन की घोषणा कर दी। पूरे देश में खलबली मच गई। 23 सितंबर को डॉ. अंबेडकर गांधीजी से मिलने जेल गए। गांधीजी का तर्क था कि आगामी दस वर्षों से छुआछूत मिट जाएगी। समानता आ जाएगी। डॉ. अंबेडकर कहते थे कि जो हिंदू दिमाग है, उसमें छुआछूत 25 वर्षों में भी खत्म नहीं होगी और न ही अछूत समान

स्तर पर आएँगे। गांधीजी की ओर से डॉ. अंबेडकर को यह आश्वासन देने के पश्चात् कि हिंदू धर्म को स्वयं को सुधारने का अंतिम अबसर दिया जाए, डॉ. अंबेडकर समझौते पर राजी हो गए। 24 सितंबर, 1932 को सायं 5 बजे पूना जेल में प्रसिद्ध 'पूना पैक्ट' हुआ। अछूतों की ओर से घनश्याम दास बिड़ला, राजाजी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवासन, सी.एम. राजा, देवदास गांधी, ठक्कर बापा आदि ने भी हस्ताक्षर किए।

सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

इस समझौते के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन के स्थान पर 'संयुक्त मतदान परंतु सीट सुरक्षित' की व्यवस्था थी, यानी उस सीट हेतु उम्मीदवार बनने का अधिकार केवल दलित का होगा, परंतु सारा हिंदू समाज संयुक्त रूप से मतदान करेगा। यहीं से दलितों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति प्रारंभ हुई।

गांधीजी जानते थे कि यदि दलितों के लिए सुरक्षित सीट की व्यवस्था नहीं की गई तो अस्पृश्यता से जर्जर हिंदू समाज में एक भी दलित विधानमंडल तक नहीं पहुँच पाएगा। दलितों का विधानमंडल में जाना आवश्यक है, परंतु वह इस आधार पर नहीं कि दलित ही दलित को वोट देकर सदैव के लिए हिंदू समाज से स्वयं को पृथक कर ले, बल्कि दलित खड़ा होगा और संपूर्ण हिंदू समाज उसके लिए मतदान करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप दलितों को प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन से प्राप्त 71 सीट की बजाय 151 सीट तथा केंद्रीय असेंबली में कुल सीट का 18 प्रतिशत प्राप्त हुईं।

गुजराती संत नरसिंह मेहता ने अपने भजनों में 'हरिजन' शब्द प्रयोग किया है। वहीं से गांधीजी ने इसे लेकर सर्वप्रथम 'दलितों' के लिए प्रयुक्त किया। पुणे समझौते के बाद गांधीजी ने 21 दिन का उपवास आत्म शुद्धि तथा अछूतोद्धार हेतु किया। उन्होंने साबरमती आश्रम हरिजन उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 1933 फरवरी में गांधीजी ने 'हरिजन' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक, 12,500 मील की यात्रा गांधीजी ने केवल हरिजनोद्धार हेतु की और इस कार्य हेतु 8 लाख रुपए इकट्ठे किए।

दलितों के लिए 'अनुसूचित जातियाँ' शब्द प्रयोग पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जिसमें पुणे समझौते (Puna Pact) के तहत विधानमंडलों में सुरक्षित सीट की व्यवस्था थी। भारतीय संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 के तहत लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में 10 वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक 'अनुसूचित जाति' तथा 'जन जाति' हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई।

इसलिए दलितों और पिछड़ों को जो आरक्षण आज मिला है, वह हमारा संवैधानिक दायित्व है। अगर अंग्रेजों की कूटनीति सफल हो गई होती, तो 1947 में सिर्फ दो देश

हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते, बल्कि एक तीसरा देश और बनता, जिसका शासक कोई दलित या पिछड़ा होता। लेकिन अंबेडकर जैसे समझदार निर्भीक और विद्वान् तथा गांधी सरीखे राष्ट्रवादी एवं दूरदृष्टि वाले नेता के कारण देश टूटने से बचा।

शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण

20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में समाज के 18 प्रतिशत सवर्ण विशेषकर मद्रास, मैसूर राज्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। समाज के सर्वाधिक जागरूक सवर्ण समुदाय ने ही ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं, शिक्षा, सेवाओं का सर्वाधिक लाभ पाया। 1900 में मद्रास राज्य में ब्राह्मणों की साक्षरता 73.6 प्रतिशत, जबकि पिछड़ी जातियों में मात्र 6.9 प्रतिशत।

मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तथा द्विशासन प्रणाली से प्रेरित होकर गैर ब्राह्मण अभिजात्य वर्ग ने 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन किया, जो प्रारंभ से ही मद्रास राज्य में ब्राह्मण प्रामुख्य के विरुद्ध आवाज उठाता रहा। 1920 में जस्टिस पार्टी के शासन में आने के बाद 1921 में सरकारी सेवाओं में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति के संबंध में विशेष व्यवस्था की गई। 1927 में सरकारी आदेश से मद्रास राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं के लिए पूरे समाज को 5 हिस्सों में बाँटा गया और प्रत्येक हिस्से की जातियों को अपने हिस्से की सीट हेतु ही प्रयास करना था। यह व्यवस्था 1947 तक चलती रही।

इसी प्रकार मैसूर राज्य में 1921 में मिल्लर कमेटी तथा बंबई में 1928 में ओ.एच.बी. स्टार्ट की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर शिक्षा तथा नौकरियों में पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा देने हेतु व्यवस्था की गई।

इस प्रकार मद्रास, मैसूर, बंबई, त्रावणकोर-कोचीन जैसे दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के आंदोलन के परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शिक्षा तथा सेवाओं में विशेष व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके परिणामस्वरूप सवर्ण जातियों का वर्चस्व कम किया जा सका। दुर्भाग्य से उत्तर भारत के राज्यों में ऐसा कोई आंदोलन या सुधार का प्रयास नहीं हुआ।

आरक्षण की संवैधानिकता

भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक अनुच्छेदों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी सेवाओं में संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं—

संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 16(4), 320(4) तथा 335 में किया गया है। इसके अनुसार

(क) प्रशासन की कार्यपटुता का ध्यान रखते हुए।
(ख) पिछड़े वर्ग के नागरिकों हेतु।
(ग) यदि इनका राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

तो सेवाओं का आरक्षण किया जा सकता है। इन अनुच्छदों में आरक्षण की कोई कालावधि तथा प्रतिशत का उल्लेख नहीं है।

शिक्षा में आरक्षण

मद्रास राज्य के सरकारी आदेश (जिसके तहत तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण किया गया था) के विरुद्ध दो ब्राह्मण उम्मीदवारों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की कि इस निर्णय से संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अधीन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसमें धर्म, वंश, जाति, भाषा के आधार पर सरकार द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। 'चंपकल दोराइराजन' के इस सुप्रसिद्ध मुकदमें में न्यायालय ने सरकारी आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक करार कर दिया।

इस निर्णय से देशभर में खलबली मच गई। अनेक राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन बिल, 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 में एक और खंड (4) जोड़ा गया।

अनुच्छेद 15(4)—राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग की उन्नति के लिए अथवा अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यह करने में संविधान का अनुच्छेद 15 या 29(2) किसी भी प्रकार बाधक नहीं है।

संविधान के इन्हीं दोनों अनुच्छेदों 15(4), 16(4) के आधार पर सरकार के अधीनस्थ सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

पिछड़ा वर्ग आयोग

संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने तथा उनकी स्थिति में सुधार के सुझाव हेतु आयोग का गठन करें। इस अनुच्छेद का स्पष्ट अर्थ है कि SC और ST के अलावा समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इन वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) OBC के नाम से पहचाना जाता है।

आरक्षण का अधिकांश विवाद तब प्रारंभ हुआ, जब यह प्रश्न उठा कि OBC किसे कहा जाए? उसको निर्धारित करने का मापदंड क्यों हो? सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ा कौन है? आदि प्रश्न खड़े हुए तथा OBC के लिए भी आरक्षण प्रारंभ किया गया। यहाँ

यह स्पष्ट रहे कि अन्य पिछड़ा वर्ग SC और ST से अलग हैं।

काका कालेलकर आयोग

देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जून, 1953 को काला कालेलकर एम.पी. की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग ने 31 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सुपुर्द कर दी। केंद्र सरकार ने 3 सितंबर, 1956 को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश संसद् में इस रिपोर्ट पर कभी भी चर्चा नहीं हो सकी।

आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु कुछ कसौटी प्रस्तुत की और उस आधार पर 2399 जातियों या समूहों की सूची तैयार की, जो पिछड़ी हैं तथा उसमें 837 को अधिक पिछड़ा बताया गया।

आयोग ने पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों हेतु सभी तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में 70 प्रतिशत आरक्षण तथा सरकारी सेवाओं की प्रथम श्रेणी में 25 प्रतिशत द्वितीय में 33½ प्रतिशत, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में 40 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की।

यह रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। 11 में से 5 सदस्य इससे सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने मूल प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति को 30 पेज की चिट्ठी में रिपोर्ट की मूल मान्यताओं से ही असहमति प्रकट कर दी। उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट जमा करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं होना चाहिए तथा सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने यह कहते हुए आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया कि (1) पिछड़ेपन की पहचान हेतु कोई वस्तुपरक मानक (Objective Test) नहीं लगाए गए। (2) जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि—

1. पिछड़े वर्गों की कोई अखिल भारतीय सूची न तैयार की जाए
2. केंद्र सरकार की सेवाओं में SC और ST के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षण न किया जाए।

अंततः गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त, 1961 को सभी राज्य सरकारों को सूचित

किया, ''यद्यपि राज्य सरकारों को पिछड़ेपन की अपनी-अपनी परिभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, परंतु केंद्र सरकार की निगाह में अच्छा हो कि जाति के स्थान पर आर्थिक आधार पर स्वीकार किया जाए।''

मंडल आयोग की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ही केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने 1 जनवरी, 1979 को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति पर विचार करने हेतु बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एम.पी. (अब स्वर्गीय) की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। आयोग ने 31 दिसंबर, 1980 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

आयोग को मुख्यत: दो विषयों पर विचार करने को कहा गया

1. सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार निश्चित करना।
2. उपरोक्त प्रकार से निश्चित सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु सुझाव देना।

मंडल आयोग ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने के कारणों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी कसौटियाँ निर्धारित कीं, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पहलुओं की ओर ध्यान दिया गया था।

आयोग ने सरकारी तंत्र की सहायता से प्रत्येक जिले के 2 गाँव तथा एक शहरी प्रखंड में सर्वेक्षण कराया। इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े वर्ग की सूची, देशव्यापी भ्रमण से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी आदि के आधार पर पूरे भारतवर्ष में कुल मिलाकर 3743 जातियों को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया।

मंडल आयोग के अनुसार संपूर्ण देश में SC-15.50 फीसद, ST-7.51 प्रतिशत हैं। उच्च वर्गीय हिंदू जाति समूह-17.58 प्रतिशत है, जिनमें ब्राह्मण- 5.52 प्रतिशत, राजपूत-3.90, मराठा-2.21, जाट-1.00, बनिया-1.88, कायस्थ- 1.07 तथा उच्च वर्गीय-2.00 प्रतिशत हैं। गैर हिंदू जातियों में मुसलिम-11.19, ईसाई-2.60, सिक्ख-1.87, बौद्ध-0.70 तथा जैन-0.47 प्रतिशत हैं। इस आधार पर गणना कर आयोग ने पाया कि भारत में पिछड़ी जातियों का प्रमाण 52.10 प्रतिशत है, जिसमें 8.40 प्रतिशत अहिंदू समाज का पिछड़ी जातियों का है।

चूँकि बालाजी बनाम मैसूर राज्य में आरक्षण की अधिकतम मर्यादा 50 प्रतिशत बताई गई है और केंद्रीय सेवाओं में पहले से 22.5 प्रतिशत का आरक्षण SC और ST के

लिए है। अत: पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 होने के बावजूद उपरोक्त मर्यादा को ध्यान में रखकर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया है।

मंडल आयोग की अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1. खुली प्रतियोगिताओं में योग्यता के आधार पर भरती किए गए अन्य पिछड़ें वर्गों के उम्मीदवारों को उनके 27 प्रतिशत का आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।
2. उपयुक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति में भी बाध्य बनाया जाना चाहिए।
3. न भरे गए आरक्षण कोटा को 3 साल की अवधि तक के लिए जारी रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात् ही अनारक्षित किया जाए।
4. सीधी भरती हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट SC और ST को समान ही दी जानी चाहिए।
5. पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए SC और ST के समान ही रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
6. आरक्षण की उपर्युक्त योजना को पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ केंद्रीय तथा राज्य सरकार के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सभी भरतियों में भी लागू किया जाए।
7. सरकार से किसी न किसी रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में भी उपर्युक्त आधार पर भरती हेतु बाध्य किया जाए।
8. सभी विश्वविद्यालयों तथा संबंधित कॉलेजों में भी उपरोक्त आरक्षण किया जाना चाहिए।
9. मंडल आयोग ने उपरोक्त अनुशंसा के अतिरिक्त अन्य सुझाव भी दिए हैं। प्रौढ़ शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, आवासीय विद्यालय, तकनीकी संस्थाओं में विशेष कोचिंग, भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन, अतिरिक्त भूमि का पिछड़ों में वितरण, वित्तीय सहायता हेतु अलग संस्थान, अन्य पिछड़े वर्ग हेतु अलग मंत्रालय आदि सुझाव भी आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

अन्य में आयोग का सुझाव है कि उसकी अनुशंसाओं को लागू करने के 20 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

आयोग के एक सदस्य श्री एलआर नायक ने अंतिम क्षणों में एक स्थान पर मतभेद प्रकट किया है। उनके अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों को दो भागों में विभक्त किया

जाना चाहिए (क) मध्यवर्गीय पिछड़ी जातियाँ तथा (ख) अधिक पिछड़ी जातियाँ अर्थात् (i) Intermediate Backward Classes and (ii) Depressed Backward Classes.

विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग

काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने के बाद अनेक राज्य सरकारों ने सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़े वर्ग हेतु अनेक आयोगों का गठन किया। अब तक आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों ने 15 कमीशनों या कमेटियों का गठन किया, जिनकी अनुशंसा के आधार पर विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किया गया गया है।

□

आरक्षण की आग में जलता गुजरात

सन् 1981 में स्नातकोत्तर चिकित्सा की कक्षाओं में आरक्षण के विरुद्ध गुजरात में अत्यंत उग्र आंदोलन हुए, जो अंततः सवर्ण-दलित दंगों में परिणत हो गए। परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर मेडिकल में अपूर्त स्थानों को आगे ले जाने (कैरी फॉरवर्ड) तथा अंतरबदली प्रणाली (इंटरचेंज एबिलिटी) को समाप्त कर दिया गया। संयोगवश इस आंदोलन के दौरान माधव सिंह सोलंकी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के कारण आरक्षण पिछड़ा वर्ग के उत्थान का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुँचने की सीढ़ी बन गया। यदि सभी स्थान आरक्षित या अनरक्षित कर दिए जाएँ, तो भी उच्च और पिछड़े वर्ग के हजारों प्रतिभावान छात्र बेकार ही रह जाएँगे। पूर्ण रोजगार या काम के अधिकार हेतु संघर्ष करने के बजाय सरकार नौकरी में चंद सीटों के लिए अगड़ों और पिछड़ों को आपस में लड़ाकर वोट की राजनीति कर रही है।

देश के अन्य राज्यों के समान ही गुजरात में प्रारंभ से ही आबादी के अनुपात में सेवा तथा शिक्षा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु क्रमश: 7 तथा 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। कांग्रेस के श्री घनश्याम भाई ओझा के मुख्यमंत्रित्व काल में 8 अगस्त, 1972 को बख्शी आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग को सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़े वर्ग की पड़ताल कर उनके विकास हेतु सुझाव देने थे। बख्शी आयोग ने 27 फरवरी, 1976 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। 1 अप्रैल, 1978 को बाबू भाई पटेल की जनता सरकार ने बक्शी आयोग की सभी अनुशंसाओं को शब्दश: स्वीकार कर लागू करने की घोषणा कर दी।

बक्शी आयोग के अनुसार—

(क) सामाजिक, शैक्षिणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 82 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (अदर बैकवर्ड क्लास) घोषित किया गया।

(ख) उपर्युक्त 82 जातियों के सदस्यों हेतु शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग श्रेणी में 10 प्रतिशत था प्रथम व द्वितीय श्रेणी हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण।

(ग) सरकारी सेवा में प्रवेश के समय ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, न कि प्रोन्नति में भी।

(घ) 55 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करनेवाला छात्र ही शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के आधार पर प्रवेश का अधिकारी होगा।

(च) आरक्षित एवं अनरक्षित सीट के छात्रों के न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत से अधिक का अंतर न हो अर्थात् यदि अनरक्षित सीट 75 प्रतिशत न्यूनतम अंक पर भरी जाती हैं, तो आरक्षित सीट 70 प्रतिशत से कम अंक पर न भरी जाए।

(छ) यह आरक्षण लागू होने के दस वर्ष तक लागू रहेगा अर्थात् 1987 तक इस रिपोर्ट के आधार पर जब जनता सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण किया, तो गुजरात में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है। इस प्रकार 1978 में गुजरात में कुल आरक्षण 31 प्रतिशत हो गया।

योग्यता के स्तर में ह्रास लाए बिना हुए आरक्षण को किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण बक्शी आयोग की अनुशंसाएँ हैं। इसके निर्णय में 55 प्रतिशत न्यूनतम अंक 5 प्रतिशत अधिकतम अंतर, दस वर्ष की अवधि आदि ऐसे अनेक प्रतिबंध थे, जिससे कि पिछड़े वर्गों में आरक्षण के कारण निहित स्वार्थ न पैदा हो सके तथा सेवाओं की कार्यकुशलता भी बनाई रखी जा सके।

सन् 1981 में स्नातकोत्तर चिकित्सा की कक्षाओं में आरक्षण के विरुद्ध गुजरात में अत्यंत उग्र आंदोलन हुए, जो अंततः सवर्ण-दलित दंगों में परिणत हो गया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर मेडिकल में अपूर्त स्थानों को आगे ले जाने (कैरी फारवर्ड) तथा अंतरबदली प्रणाली (इंटरचेंज एबिलिटी) को समाप्त कर दिया गया। संयोगवश इस आंदोलन के दौरान माधव सिंह सोलंकी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

राणे कमीशन

इस आंदोलन के कुछ दिनों पश्चात् 20 अप्रैल, 1981 को जस्टिस राणे की अध्यक्षता में एक नया कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे अन्य अनेक समूहों के अभ्यावेदन पर विचार करना था कि उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाए या नहीं। राणे

कमीशन ने 30 अक्तूबर, 1983 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी।

काफी दिनों तक सोलंकी सरकार इस रिपोर्ट पर बैठी रही। फिर एक दिन अचानक रिपोर्ट को बिना प्रकाशित किए ही सोलंकी सरकार के एक अत्यंत कनिष्ठ मंत्री ने राणे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 28 प्रतिशत अर्थात् 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी।

राणे कमीशन ने जातीय आधार पर पिछड़ापन निर्धारित करने की प्रवृत्ति को अनुचित एवं राष्ट्रघाती बताते हुए नए सिरे से व्यवसाय तथा आमदनी के आधार पर 63 व्यवसायों को आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया। इन 63 व्यवसायों के उन्हीं सदस्यों को आरक्षण का अधिकारी बनाया, जिनकी वार्षिक आमदनी दस हजार रुपए से कम है। राणे कमीशन ने बक्शी पंच की अन्य अनुशंसाओं (दस वर्ष की मर्यादा, 55 प्रतिशत न्यूनांक, केवल प्रवेश में आरक्षण आदि) को अमान्य कर दिया।

माधव सिंह सोलंकी ने राणे कमीशन के इस सुझाव को (कि जाति को पिछड़ेपन का आधार न बनाया जाए) यह कहकर अमान्य कर दिया कि यह विषय आयोग के कार्यक्षेत्र में ही नहीं था। अंतत: सोलंकी सरकार ने दोनों पंच की केवल उन्हीं बातों को स्वीकार किया, जो कांग्रेस के चुनावी हित में थीं। अर्थात् बक्शी पंच की सभी पुरानी बातों को स्वीकार करते हुए राणे पंच के 18 प्रतिशत बढ़ोतरी को केवल जोड़ दिया गया। इस प्रकार गुजरात में कुल आरक्षण 7 प्रतिशत, शिड्यूल्ड कास्ट, 14 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स तथा 28 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियाँ, यानी कुल आरक्षण 47 प्रतिशत हो गया।

आंदोलन की शुरुआत

सरकार के इस निर्णय का मोरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सर्वप्रथम विरोध किया। एल.डी. इंजीनियरिंग छात्र संघ के सचिव श्री विवेक पटेल के संयोजकत्व में अखिल गुजरात शिक्षण नवरचना समिति गठित हुई, परंतु चुनावी माहौल में विरोध कुछ दब सा गया। कोई भी राजनैतिक दल पिछड़े वर्ग के वोट के लोभ में इस विषय पर खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था।

विधानसभा चुनाव में 'KHAM' (K-क्षत्रिय, H-हरिजन, A-आदिवासी, M-मुसलिम की एकजुटता का नारा बुलंद किया गया। आरक्षण में वृद्धि का लाभ कांग्रेस पार्टी को मार्च में संपन्न चुनावों में मिला भी। 82 प्रतिशत मत पाकर कांग्रेस ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 मार्च को माधवसिंह सोलंकी पुन: दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए।

नई सरकार के गठन के साथ ही आरक्षण विरोधियों की सक्रियता बढ़ गई। अहमदाबाद के अत्यंत प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल शारदा विद्या मंदिर के अभिभावकों ने

एक बैठक आयोजित कर आरक्षण में वृद्धि का विरोध किया। इस घटना ने अन्य विद्यालयों के अभिभावकों को भी विरोध के लिए प्रेरित किया। नवरचना समिति ने 18 मार्च से प्रारंभ होनेवाली दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा के बहिष्कार तथा गुजरात बंद का आह्वान किया। 15 मार्च को अहमदाबाद के सभी प्रमुख विद्यालयों के अभिभावकों ने एक सम्मेलन में श्री शंकर भाई पटेल की अध्यक्षता में अखिल गुजरात वाली महामंडल का गठन कर नवरचना समिति के परीक्षा बहिष्कार का समर्थन कर दिया। जिंदगी बरबाद होने से बचाने के लिए एक वर्ष बरबाद करने में हर्ज नहीं—इस नारे ने परीक्षा बहिष्कार को गति प्रदान कर दी। वाली महामंडल के गठन ने गुजरात के छात्र आंदोलन को जनांदोलन में परिवर्तित कर दिया।

आरक्षण विरोधियों के परीक्षा-बहिष्कार एवं उसे अभिभावकों के खुले समर्थन से भयभीत होकर माधव सिंह सोलंकी ने 16 मार्च को बढ़ाए गए 18 प्रतिशत नवीन आरक्षण को एक वर्ष के लिए स्थगित रखने तथा इसे पंच को सुपुर्द करने की घोषणा कर दी। परीक्षाएँ भी 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गईं। सरकार की इस घोषणा के बावजूद आंदोलनकारी 18 मार्च के बंद के लिए दृढ़ थे और उन्हें बंद में अभूतपूर्व सफलता भी मिली।

आंदोलन की माँगें

वस्तुत: 16 मार्च की सरकारी घोषणा के पश्चात् आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। 31 प्रतिशत आरक्षण तो सन् 1978 से ही था और बढ़ाया गया 18 प्रतिशत आरक्षण स्थगित कर दिया गया था। फिर भी आंदोलनकारी नई माँगों के साथ मैदान में थे। वे अब माँग करने लगे कि संपूर्ण आरक्षण सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने जो माँगें रखीं, वे इस प्रकार थीं—

1. 1989 तक सभी क्षेत्रों से आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।
2. परिवार नियोजन जिसने किया हो, अर्थात् एक परिवार के दो सदस्यों को ही आरक्षण का लाभ मिले।
3. आरक्षण का लाभ जीवन में एक बार ही मिले अर्थात् प्रवेश या नौकरी या प्रोन्नति में।
4. दस हजार से कम वार्षिक आय के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले।
5. रोस्टर पद्धति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।
6. सवर्ण और अवर्ण छात्रों के न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत से अधिक का अंतर प्रवेश में न हो।

7. सन् 1984 में जितनी आरक्षित सीटें खाली रह गई थीं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए तथा 1989 तक पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए।

वास्तविकता क्या है?

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ाए गए 18 प्रतिशत आरक्षण के विरोध से प्रारंभ हुआ आंदोलन संपूर्ण आरक्षण को समाप्त करने के आंदोलन में परिणत हो गया। यह आंदोलन एक ऐसी कल्पित समस्या को लेकर चल रहा है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। पिछड़े वर्ग को लग रहा है कि उसे कुछ मिल गया तथा उच्च वर्ग कुछ छिना हुआ महसूस कर रहा है, परंतु वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है।

सन् 1981 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में आरक्षण समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। आम धारणा यह थी कि आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश कठिन हो गया है, परंतु 1981 में मेडिकल स्नातकोत्तर कक्षाओं में 857 दाखिले दिए गए, जिनमें 217 स्थान आरक्षित थे। इसमें से केवल 37 उम्मीदवार दाखिला लेने आए। गुजरात में चिकित्सा विज्ञान में 117 प्रोफेसरों और ट्यूटरों में से केवल 21 अनुसूचित जाति के हैं। (जो कि 7 प्रतिशत आरक्षित कोटे की तुलना में 3 प्रतिशत है।) मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 679 कर्मचारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है और केवल दो कर्मचारी जनजाति के हैं।

गुजरात के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों में आरक्षित स्थानों पर प्रवेश की स्थिति इस प्रकार रही है—

कुल आरक्षण भरी गई आरक्षित सीटों का (प्रतिशत में)

		1982-83	*1983-84*	*1984-85*
1. अनुसूचित जाति	7	–	–	6.4
2. अनुसूचित जनजाति	14	6.2	5.8	3.4
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	10	4.41	4.05	6.16
कुल योग	**31**	**10.61**	**9.85**	**15.96**

अर्थात् 1984-85 में अन्य पिछड़े वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षित स्थानों में से केवल 6.16 प्रतिशत स्थान भरे गए तथा कुल 31 प्रतिशत आरक्षण का आधा 15.96 प्रतिशत ही भरा गया। इसके बावजूद इस बचे-खुचे आरक्षण को भी समाप्त करने की

माँग की जा रही है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि जब 10 प्रतिशत आरक्षित स्थान ही खाली रह जाते हैं, तो उसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत क्यों किया गया? अर्थात् आरक्षण की इस बढ़ोत्तरी से न तो पिछड़े वर्ग को लाभ हुआ है और न ही उच्च वर्ग को नुकसान। क्या सारा झगड़ा मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ सौ सीटों तथा कुछ हजार नौकरियों के लिए है? यदि सभी स्थान आरक्षित या अनारक्षित कर दिए जाएँ, तो भी उच्च और पिछड़े वर्ग के हजारों प्रतिभावान छात्र बेकार ही रह जाएँगे। पूर्ण रोजगार या काम के अधिकार हेतु संघर्ष करने के बजाय सरकार चंद सीटों के लिए अगड़ों और पिछड़ों को आपस में लड़ाकर वोट की राजनीति कर रही है।

आंदोलन की दंगे में परिणति

माधव सिंह सोलंकी ने 18 मार्च के बंद की सफलता को देखते हुए इसे सांप्रदायिक एवं जातीय दंगे में परिणत करने की कोशिश की, जो दुर्भाग्यवश कामयाब भी रहे। मुसलिमों, दलितों और पिछड़े वर्गों को उकसाया गया कि आरक्षण तुम्हारे लिए किया गया और तुम ही चुप बैठे हो। परिणामत: गुजरात का आरक्षण विरोधी आंदोलन, हिंदू-मुसलिम, सवर्ण-हरिजन, सवर्ण-आदिवासी, सवर्ण-पिछड़ा वर्ग और पुलिस बनाम जनता के सांप्रदायिक एवं जातीय दंगे में परिणत हो गया।

सरकार द्वारा संरक्षित पुलिस ने दमन, अत्याचार और संगठित हिंसा के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकारी कर्मचारी भी रोस्टर पद्धति हेतु गठित गुजरात के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री साधवानी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने की माँग को लेकर हड़ताल पर चले गए। आंदोलनकारियों की हठधर्मिता तथा सोलंकी सरकार के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों ने गुजरात के सभी वर्गों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया है।

दलों का जातीय आधार

गुजरात के इस आंदोलन ने राज्य की सभी जातियों, दलों, संगठनों, लोगों को लंबवत् विभाजित कर दिया। यद्यपि विपक्षी दलों ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया, परंतु उनकी अप्रत्यक्ष सहानुभूति आंदोलन के साथ रही। दलों के विभाजन का कारण शायद उनके भिन्न-भिन्न जातीय आधार भी हैं। जहाँ राज्य के विपक्ष के साथ ब्राह्मण, बनिया, पटेल (कुल 30 प्रतिशत) हैं, जो आरक्षण से बाहर हैं। वहीं कांग्रेस के साथ क्षत्रिय (40 प्रतिशत), दलित (7 प्रतिशत) और आदिवासी (14) प्रतिशत हैं, जो आरक्षण से संरक्षित हैं।

गुजरात के राजनीतिक दलों के इस जातीय समीकरण तथा कांग्रेस की आंतरिक

गुटबाजी ने संघर्ष को और अधिक तीव्र कर दिया है। विपक्ष जहाँ अपने सवर्ण आधार के अधिकार को बचाने की कोशिश में लगा है, वहीं सत्ताधारी दल दलित, आदिवासी, मुसलिम, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के नाम पर एकजुट कर रहा है। सत्ताधारी दल के ही प्रबोध रावल, झीता भाई दरजी जैसे लोग आंतरिक कलह के कारण आरक्षण विरोधी आंदोलन को अप्रत्यक्ष सहयोग देकर माधव सिंह का तख्त पलटने की कोशिश में लगे रहे।

1975 तथा 77 के चुनाव में विपक्ष सरकार में आया, जिसमें पटेलों एवं अन्य सवर्णों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के लिए अधिक समय तक सत्ता से बाहर रहना असंभव था। अत: कांग्रेस के सनत मेहता, झीनाभाई दरजी आदि नेताओं ने सवर्णों के विरोध में अन्य जातियों को संगठित करने हेतु 'KHAM' खाम अर्थात् K-क्षेत्रिय, H-हरिजन, A-आदिवासी और M-मुसलिम की एकजुटता का नारा बुलंद किया। परिणामस्वरूप 1975 में जहाँ गुजरात विधानसभा में पटेलों की संख्या 44 (24 प्रतिशत) थी, 1980 से घटकर 33 (18 प्रतिशत) हो गई और क्षत्रिय 29 (16 प्रतिशत) से बढ़कर 39 (29 प्रतिशत) हो गए।

क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के कारण आरक्षण पिछड़ा वर्ग के उत्थान का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुँचने की सीढ़ी बन गया। किसी को भी कमजोर वर्ग की चिंता नहीं? चिंता है तो कमजोर वर्ग के कंधे पर बैठकर कुरसी तक पहुँचने की। परिणामत: आरक्षण एक विवाद का मुद्दा बन गया है।

आंदोलनकारियों को 16 मार्च को ही अपने आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए था। इसके बजाय संपूर्ण आरक्षण को समाप्त करने की माँग से आंदोलन ने देशव्यापी सहानुभूति खो दी तथा संपूर्ण आंदोलन को पिछड़ा वर्ग विरोधी बना दिया। आंदोलन को स्थगित न कर आरक्षण विरोधियों ने जातीय द्वेष एवं सांप्रदायिक दंगा कराने में सरकार की मदद की। वस्तुत: आंदोलन को छात्र, कर्मचारी, अभिभावक नहीं, बल्कि दो माह तक सरकार एवं उसकी पुलिस ही अपने कुटिल तथा मूर्खतापूर्ण कृत्यों से चलाती रही।

क्या इस आंदोलन का परिणाम बातचीत से निकालना संभव था? कदापि नहीं। जो आंदोलनकारी संपूर्ण आरक्षण समाप्त करने से कम पर समझौता करेगा, उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा और संपूर्ण आरक्षण समाप्त करना राज्य सरकार के बूते के बाहर की चीज है। सोलंकी एक ओर तो गुजरात के देवराज अर्स, बिहार के कर्पूरी ठाकुर बन बैठे, वहीं अपने हाथ से लगाई आग अब उनके अस्तित्व को ही खाक में मिलाने पर तुली थी। स्थगित परीक्षाएँ माधव सिंह सोलंकी एवं आंदोलनकारियों के भाग्य का फैसला करेंगी, परंतु आखिर इस विवाद की कितनी कीमत समाज को चुकानी होगी?

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और गुजरात आंदोलन

गृह मंत्री श्री एस.व्ही. चव्हाण तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी ने अनेक बार यह बयान दिया कि गुजरात के आरक्षण विरोधी आंदोलन के पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् है। कई पत्रिकाओं में सोलंकी का यह बयान भी छपा है कि नवरचना समिति ने 7 सदस्यों में से 5 विद्यार्थी परिषद् के हैं।

परंतु यह आरोप पूर्णतया बेबुनियाद तथा अपनी असफलता को छिपाने का एक राजनीतिक ओछापन है। विद्यार्थी परिषद् का गुजरात के आरक्षण विरोधी आंदोलन से कोई संबंध नहीं है तथा परिषद् का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर इस आंदोलन से नहीं जुड़ा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को ऐतिहासिक आवश्यकता मानती है। अत: इन वर्गों के लिए आरक्षण को समाप्त करने की गुजरात के आंदोलनकारियों की माँग से पूर्ण असहमति रखती है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तो आज के विपक्षी दल जनता पार्टी और भाजपा ने ही लागू किया था। उस समय किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। अत: गुजरात में 1978 से लागू 31 प्रतिशत आरक्षण से परिषद् सहमत है। परंतु चुनाव के दौरान राणे कमीशन की अनुशंसा के नाम पर 18 प्रतिशत वृद्धि का विद्यार्थी परिषद् विरोध करती है।

विद्यार्थी परिषद् का स्पष्ट मत है कि देश के किसी भी राज्य में नवीन आरक्षण लागू करने या पहले के आरक्षण में वृद्धि तब तक न की जाए, जब तक कि आरक्षण के विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर राष्ट्रीय आम सहमति नहीं बन जाती है। देश के सभी दलों, पक्षों, संगठनों को विश्वास में लेकर आम सहमति उत्पन्न करने हेतु केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए।

□

उत्तर प्रदेश उर्दू के भँवर में

1948 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे बच्चे, जिनके अभिभावकों ने उर्दू मातृभाषा घोषित की है, उनके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन इलाकों में, जहाँ उर्दूभाषी अच्छी संख्या में हों, वहाँ सभी दफ्तरों, न्यायालयों में उर्दू में आवेदन स्वीकार किए जाएँ तथा आदेश, नियम, प्रावधान आदि उर्दू में भी प्रसारित किए जाएँ। सवाल यह है कि पहले से निर्देशित इन सुविधाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए क्यों कटिबद्ध है?

बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश भाषायी विवाद की आग में झुलसने के कगार पर है। डॉ. जगन्नाथ मिश्र के नक्शे-कदम पर चलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कांग्रेस घोषणा-पत्र में उर्दू भाषियों को दिए गए तथाकथित आश्वासन को पूरा करने हेतु अध्यादेश जारी किया और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम-1951 में संशोधन किया था। ये संशोधन मुख्य रूप से इस प्रकार थे—1. जनता द्वारा उर्दू में दिए जानेवाले आवेदन-पत्रों को ग्रहण करना, 2. उर्दू में लिखे दस्तावेजों का उनके हिंदी रूपांतरण सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए लेना, 3. महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन, 4. महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन, 5. गजट के उर्दू अनुवाद के साथ ही उर्दू भाषियों के हित में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू भाषा का प्रयोग द्वितीय राजभाषा के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य भर में नागरिकों के प्रबल विरोध के परिणामस्वरूप यह अध्यादेश पिछले डेढ़ वर्ष से कानून में परिणत नहीं किया जा सका। श्रीपति मिश्र की सरकार आगामी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विधानसभा सत्र में इस अध्यादेश को विधेयक में परिणत करने को कृतसंकल्प दिखाई पड़ती है। सरकार के इस निर्णय ने राज्य की

सांप्रदायिक, भौगोलिक और भाषायी एकता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

कोई भी प्रबुद्ध नागरिक किसी भी भाषा या बोली का विरोध नहीं कर सकता। अत: उर्दू के विरोध का तो प्रश्न ही नहीं, परंतु सवाल यह है कि क्या किसी भाषा का विकास, संरक्षण और संवर्धन केवल उसे राजभाषा बनाने से ही संभव है? 6-7 शताब्दी तक फारसी और फिर डेढ़-दो शती तक अंग्रेजी इस देश की राजभाषा थी। हिंदी को कभी कोई राज्याश्रय नहीं प्राप्त था, किंतु यह पैरों तले रौंदी जाकर भी निरंतर पनपती और बढ़ती रही। इसके विकास को कौन रोक सका? प्रश्न है कि एक ही राज्य में राजभाषा कितनी हो और उसका आधार क्या होना चाहिए?

राजभाषा का आधार

लोकसभा में 24 जनवरी, 1982 को चित्त बसु के एक प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री श्री निहार रंजन लश्कर ने बताया कि मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का जो सम्मेलन अगस्त 1981 में हुआ था, उसमें अल्पसंख्यक भाषाओं को सरकारी, प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान करने की कुछ कसौटियाँ निर्धारित की गई थीं। इन सिफारिशों के अनुसार कोई राज्य उस समिति में एक भाषा-भाषी माना जाता है, जब वहाँ की लगभग 70 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या एक भाषा बोलती है। यदि राज्य अल्पसंख्यकों की यथेष्ट संख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उसे द्विभाषी राज्य माना जाता है। जिला स्तर पर यदि किसी जिले में 60 प्रतिशत जनसंख्या उस राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा बोलती है या उसका व्यवहार करती है तो अल्पसंख्यक समुदाय की उस भाषा को उस जिले में राजभाषा के अतिरिक्त सरकारी भाषा की मान्यता प्रदान की जाएगी। जहाँ कहीं उर्दूभाषी जनसंख्या के संबंध में उपर्युक्त कसौटियाँ सही उतरती हैं, राज्य सरकार उस भाषा को दूसरी भाषा घोषित करने के संबंध में आवश्यक काररवाई करती है। राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 के गृह मंत्रालय के स्मार-पत्र के पैरा 8 से 13 तथा 1957 में शिक्षा एवं समाज सेवा मंत्रालय के मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में गठित 'कमिटी फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू' ने भी उपर्युक्त अनुशंसा को ही दोहराया है।

संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषियों की संख्या मात्र 10.51 प्रतिशत है। राज्य का कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जहाँ उर्दू भाषी 60 प्रतिशत हों, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर में भी उनकी संख्या क्रमश: 32.36, 30.34, 42.12, 22.0, 25.62 प्रतिशत ही है। अत: मात्र दस प्रतिशत वाली जुबान को राज्य की राजभाषा घोषित करने का क्या औचित्य है? यदि दस प्रतिशत वाली भाषा दूसरी राजभाषा बनती है तो फिर भोजपुर, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, अवधी क्यों नहीं? प्रश्न यह है कि आखिर

एक राज्य में कितनी राजभाषा होंगी?

उत्तर प्रदेश में 1951 के दशक में मुसलिम जनसंख्या 14.28 प्रतिशत थी, परंतु उर्दूभाषी मात्र 6.80 प्रतिशत थे। 1971 में मुसलिम आबादी जहाँ 15.48 प्रतिशत थी, वहाँ उर्दूभाषियों की संख्या 10.80 प्रतिशत पाई गई है।

उत्तर प्रदेश में उर्दू कितनी प्रचलित है, इसका अंदाजा इस तथ्य से हो जाता है। 1980 के हाई स्कूल परीक्षा में 8,97,872 छात्रों में से 14,198 तथा इंटर की परीक्षा 1980 में 5,27,508 परीक्षार्थियों में से मात्र 8,891 ने ही उर्दू विषय में परीक्षाएँ दी थीं। भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार 1979 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या कुल प्रसार संख्या का 81.1 प्रतशत है, अंग्रेजी का 6.5 प्रतिशत तथा उर्दू पत्र-पत्रिकाओं का मात्र 6.6 प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 1,493 है, जबकि उर्दू में मात्र 210 हैं।

एक राज्य, एक भाषा

राजभाषा वह भाषा है, जिसमें न्यायालय, सचिवालय, विधानमंडल, शिक्षण संस्थाएँ तथा पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सभी सरकारी कामकाज होते हैं। मुगलों के समय की राजकीय भाषा फारसी आज भी कचहरी में प्रचलित है। अंग्रेजों की अंग्रेजी अब तक इस देश की अघोषित पहली राजभाषा है और हिंदी का स्थान राजकाज में अंग्रेजी के बाद ही आता है। अब उर्दू को यदि राजभाषा बनाया गया, तो व्यवहार में वह दूसरी नहीं, तीसरी राजभाषा होगी। आखिर सरकार का कामकाज अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सहित कितनी भाषाओं में होगा? अत: सुविधा एवं व्यवहार की दृष्टि से एक राज्य में एक ही राजभाषा युक्तिसंगत है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि एक राज्य में एक राजभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के विकास-प्रसार की सुविधा न हो। मतलब इतना ही है कि सरकारी काम-काज की भाषा एक राज्य में एक ही होनी चाहिए। राज्य स्तर पर यदि एक बार द्विभाषा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, तो एक राज्य में अनेक भाषाओं को तथा प्रत्येक जिले में भी अनेक भाषा तथा बोलियों को राजभाषा तथा बोलियों को राजभाषा का दर्जा देना होगा।

भाषा और धर्म

मुसलिम लीग एवं अन्य सांप्रदायिक जमातों ने इस शताब्दी के प्रारंभ से ही यह प्रचारित करना शुरू किया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। इसलाम का जन्म चूँकि अरब में हुआ, इसलिए कहा जा सकता है कि

इसलाम के अनुयायियों की मातृभाषा अरब है। भाषा का संबंध देशकाल से होता है, धर्म से नहीं। इतिहास साक्षी है कि सूफियों ने इसलाम का प्रचार अवधी में प्रेमाख्यानकों के माध्यम से किया था। ईसाइयों ने हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से ईसाइयत का प्रचार किया। ईसाइयों की मूलभाषा हिब्रू थी, पर आज दुनिया के विभिन्न भाषाभाषी ईसाई हैं।

हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलिमों की, यह धारणा ही भ्रामक है। इस धारणा ने उर्दू का जितना नुकसान किया है, उतना किसी अन्य ने नहीं। यदि उर्दू केवल मुसलिमों की जुबान होती तो पाकिस्तान के टूटने और बँगलादेश की उत्पत्ति का क्या कारण था? क्या यह सच नहीं कि तमिलनाडु का मुसलिम तमिल, केरल का मलयालम, तुर्की का तुर्की भाषा और भोजपुर का मुसलमान भोजपुरी बोलता है, उर्दू नहीं। व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, वह वहाँ की प्रचलित जुबान से ही अपना काम चलाता है। मलिक मुहम्मद जायसी, रहीम और रसखान मुसलमान होते हुए भी फारसी के कवि नहीं, बल्कि ब्रजभाषा या अवधी के कवि थे। मुसलमान होते हुए भी खुसरो हिंदी की खड़ी बोली के पहले कवि माने गए। कृष्णचंदर, प्रेमचंद, राजेंदर सिंह बेदी, अमृता प्रीतम और फिराक गोरखपुरी (रघुपति सहाय) किस भाषा के लेखक हैं? ये लेखक हिंदू थे, लेकिन उनकी रचनाएँ उर्दू की हैं। इसी प्रकार सहयाह सुलामी, डॉ. मलिक मुहम्मद और राही मासूम रजा हिंदी के लेखक हैं। भाषा को धर्म के आधार पर बाँटना देश की एकता के लिए खतरनाक है।

उर्दू का ऐतिहासिक संदर्भ

उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में ही एक व्यावहारिक बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ, जिसे बाद में फारसी लिपि प्रदान कर दी गई। वस्तुत: मध्य युग में पश्चिमी और मध्य एशिया के विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे अपनी जरूरत और सहूलियत के लिए बनाया था। ये आक्रमणकारी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, बुखारा आदि अनेकों देशों से आते थे। ये लोग हिंदुस्तानी नगरों के बाहर छावनी में रहते थे। उन सबकी भाषाएँ अलग-अलग थीं। कोई अरबी बोलता था, तो कोई फारसी, कोई पश्तो तो कोई तुर्की। आक्रमणकारी न तो यहाँ की भाषा जानते थे और न तो वे यहाँ आए दूसरे आक्रमणकारियों से किसी एक भाषा में बात कर सकते थे। इन सैनिकों की अधिकांश छावनियाँ दिल्ली, मेरठ, बरेली, सहारनपुर आदि इलाकों में थीं। खड़ी बोली के इलाके यही हैं। अतएव उन्होंने यहाँ की खड़ी बोली की क्रियाएँ, विभक्तियाँ और कुछ आवश्यक शब्द सीखकर उनके ढाँचे में अपनी-अपनी बोलियों के शब्दों को मिलाकर बोलना प्रारंभ कर दिया। अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की आदि अनेक भाषाओं का एक विचित्र कॉकटेल बन गया।

यह बोली सैनिक छावनी और उसके बाजारों तक सीमित रही। छावनी को लश्कर या उर्दू भी कहते थे। अतएव वह लश्करी या उर्दू की बोली के लिए उर्दू शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया।

जब तक खड़ी बोली में हिंदी और संस्कृत के शब्द अधिक थे, वह हिंदी हिंदवी ही रही, किंतु जब इस भाषा पर अरबी और फारसी का प्रभुत्व हो गया तो यह उर्दू कहलाने लगी।

उर्दू अलगाव की भाषा

जिन्ना साहब के एक बयान के अनुसार पाकिस्तान इसलाम के कारण नहीं, बल्कि उर्दू के कारण बना। देश के विभाजन में उर्दू के विवाद ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू के फारसीकरण के परिणामस्वरूप वह मध्य-पूर्व के संदर्भों और संस्कृति की वाहिका बनी और भारतीय संस्कृति और साहित्यिक परंपराओं से अलग हो गई, इसलिए भारत में उत्पन्न होने पर भी इसकी आत्मा भारतीय नहीं रही। उर्दू को सदैव अलगाव एवं पृथकता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। विभाजन से पहले पाकिस्तान के नाम के साथ उर्दू जुड़ गई। इसे मुसलिमों की जुबान बनाने और उसे तथाकथित उसके अधिकार दिलाने के आंदोलन ने अंततः देश विभाजन की शक्ल अख्तियार कर ली।

आज जिस उर्दू को राजभाषा बनाने की बात की जा रही है, वह लखनऊ के बाजारों में बोली जानेवाली या सिनेमा में बोली जानेवाली हिंदी की शैली उर्दू नहीं, अपितु एक ऐसी भाषा है, जो फारसी के बोझ से लदी है और जिसके हिंदी और संस्कृत के शब्दों को चुन-चुनकर निकाल दिया गया है। उसमें उपमा, अलंकार, संदर्भ—सब फारसी साहित्य या मध्य-पूर्व एशिया के हैं। उसका आधार फारसी और मध्यपूर्व एशिया की संस्कृति है। इसका दुष्परिणाम जो होना था, वह हुआ है। आज शब्दों में क्या, भावों में भी उर्दू बाह्य निष्ठाभिमुखी हो गई है। पंडित निजर नरामुन चकवस्त की भगवान् राम पर यह नज्म···रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नामा। एक दूसरी जगह सीताजी का रूप वर्णित करते हुए लिखते हैं, 'लव लाल बाख्शों से लिए दुर्रे अदन' से यहाँ मध्यपूर्व की संस्कृति बोल रही है। जनाब चकवस्त को सीताजी के ओठों की उपमा बदख्शों के लाल (माणिक) और दाँतों की उपमा अदन के मोतियों (दुर्रे) से देने की सूझी। उन्हें भारतीय उपमा नहीं मिली। उर्दू का शायर भारतीयता से कट जाता है। यही कारण है कि उर्दू को देवनागरी लिपि में लिखे जाने का आभिजात्य वर्ग विरोध करता है, क्योंकि फारसी के कारण मध्यपूर्व की संस्कृति से रागात्मक संबंध बनाए रखने में सुविधा होती है। क्या इस अलगाव की भाषा को राजभाषा का दर्जा देने से पुनः देश में

पृथकता और विभाजन की प्रवृत्ति का बीजारोपण नहीं होगा? आवश्यकता है तो उर्दू को देवनागरी लिपि देकर उसके भारतीयकरण की। व्यावहारिक सच तो यह है कि उर्दू के गालिब, मीर से लेकर फिराक, फैज और अमृता प्रीतम तक की रचनाएँ अगर देवनागरी लिपि में न छपतीं, तो इन महान् रचनाओं का पाठक संसार इतना बड़ा न होता।

द्विभाषा के परिणाम

दरअसल, सरकार ने तत्काल केवल पाँच उद्देश्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की बात कही है, परंतु एक बार दूसरी राजभाषा बन जाने पर धीरे-धीरे हिंदी के समानांतर सभी स्तरों पर इसके व्यापक प्रयोग की माँग बढ़ेगी और सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उर्दू को दूसरी राजभाषा बना दिया गया तो सरकारी कामकाज फारसी लिपि वाली उर्दू में करना होगा। अधिकारी तथा कर्मचारी राजभाषा होने के कारण इस लिपि और भाषा को पढ़ने-लिखने तथा बोलने के लिए बाध्य होंगे।

अत: उर्दू का उक्त स्तर का ज्ञान और कार्यकुशलता सरकारी सेवा के लिए आवश्यक शर्त हो जाएगी। स्वाभाविक है कि हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता हो जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों की सेवा में प्राथमिकता दी जाएगी—

1. राजभाषा होने के कारण हाई स्कूलों तथा इंटर कॉलेजों में उर्दू का पढ़ना तथा फारसी लिपि में लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
2. विधानमंडल में जो सदस्य चाहेंगे, वे उसी में बोल सकेंगे। उनके भाषण फारसी लिपि में रखे जाएँगे तथा विधानमंडलों की काररवाई को इसी लिपि में छापना पड़ेगा। प्रश्न भी उर्दू में किए जाएँगे और उत्तर भी मंत्रियों को इसी भाषा में देने होंगे।
3. सरकारी विज्ञाप्तियाँ, आदेश, रिपोर्ट, गजट, बजट, राज्यपाल का अभिभाषण तथा अन्य सभी प्रकाशन उर्दू भाषा और फारसी लिपि में प्रकाशित करने होंगे।
4. प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति एवं उर्दू विभाग की अलग स्थापना करनी होगी।
5. परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू में भी छापने होंगे किसी भी विषय की उत्तर-पुस्तिका उर्दू में लिखने का अधिकार होगा।
6. प्रशासन को प्रत्येक स्तर पर हजारों की संख्या में अनुवादक नियुक्त करने होंगे।
7. सभी सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशन के नामपट्ट, साईन बोर्ड, सवारी गाड़ियों की अंकपट्टी—सब उर्दू में भी लिखने होंगे।
8. प्रत्येक दफ्तर में उर्दू के टंकण, यंत्रों एवं मुद्रण की व्यवस्था करनी होगी।

9. उर्दू की दूसरी राजभाषा बनाने के उपर्युक्त परिणामस्वरूप राज्य की जनता पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त व्यय-भार अनावश्यक रूप से बढ़ेगा।

1948 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि वे बच्चे, जिनके अभिभावकों ने उर्दू मातृभाषा घोषित की है, उनके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन इलाकों में, जहाँ उर्दूभाषी अच्छी संख्या में हों, वहाँ सभी दफ्तरों, न्यायालयों में उर्दू में आवेदन स्वीकार किए जाएँ तथा आदेश, नियम, प्रावधान आदि उर्दू में भी प्रसारित किए जाएँ। सवाल यह है कि पहले से निर्देशित इन सुविधाओं के बावजूद सरकार उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए क्यों कटिबद्ध है? पिछले 34 वर्षों से जिस उर्दू का खयाल तक नहीं आया, उसके प्रति अचानक इतनी हमदर्दी कैसे?

सवाल अल्पसंख्यकों के थोक वोट का

उर्दू को अल्पसंख्यकों की भाषा करार कर उसे दूसरी भाषा का दर्जा देकर अल्पसंख्यकों के थोक वोट का सौदा किया जा रहा है। क्या वे बिकाऊ हैं? बिहार सरकार ने दूसरी भाषा के जिस भूत को खड़ा किया, वह अब अपना करतब देश के प्रत्येक राज्य में दिखाने लगा है। बिहार, उत्तर प्रदेश के पश्चात् अन्य हिंदी भाषाभाषी प्रांतों में भी उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की माँग उठ रही है। मुसलिम लीग ने तो उर्दू को संपूर्ण देश की दूसरी राष्ट्रभाषा बनाने की माँग की है। क्या यह राष्ट्रीय एकता के लिए भस्मासुर नहीं बनेगा?

□

अपनों ने दिया बिहार सिंड्रोम का दाग

सत्ताधारी दल से जुड़े अजित सरकार, ब्रजबिहारी प्रसाद, अशोक सिंह, गुरुदास चटर्जी जैसे चार-चार विधायक कुछ समय के अंतराल पर सुरक्षित माने गए क्षेत्र में मारे गए—यदि यही मंगलराज है, तो जंगलराज क्या होता है? जिस राज्य में सबसे कम बिजली, सबसे खराब सड़कें, सबसे अधिक अनपढ़, सबसे अधिक गरीब और सबसे ज्यादा बीमार लोग हों और जहाँ प्रत्येक गरीब रैली में गरीबों की बढ़ती संख्या को महिमामंडित किया जाए, उस राज्य के लोगों पर अगर दूसरे लोग हँसते हैं, तो गुनहगार कौन है?

डेढ़ सौ वर्ष पहले बिहारी मजदूरों को पानी के जहाजों में भर-भरकर अंग्रेज समुद्र-पार के मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, वेस्टइंडीज आदि देशों में खेती-मजदूरी जैसे काम कराने के लिए ले गए थे। उनसे झूठे वादे किए गए, प्रलोभन दिया गया या जबरदस्ती की गई थी। असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के चाय बगानों से लेकर कलकत्ता (कोलकाता) तक में उनसे हाड़तोड़ मजदूरी कराई जाती थी। आदमी को हाथ-रिक्शे पर बैठाकर खींचने जैसा अमानवीय कार्य करने तक के लिए बिहारी मजदूर बाध्य होता था। रोजी-रोटी के लिए ऐसे कठोर तथा अपमानजनक कार्यों से जुड़े रहने के कारण बिहारी मजदूरों को परदेस, यानी दूसरे देशों या राज्यों में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई।

आजादी के बाद स्थितियाँ तेजी से बदलीं। पिछले 30-40 वर्षों के दौरान जब चिकित्सक, अभियंता, प्राध्यापक और दूसरे बौद्धिक पेशे से जुड़े बिहार के सैकड़ों लोगों ने भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी अपना स्थान बनाया, तब बिहारियों को प्रतिष्ठा मिलने लगी। आज अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में बिहार के अनेक लोग महत्त्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रहे हैं। केवल इंग्लैंड में 5

हजार से ज्यादा बिहारी डॉक्टर हैं। अमेरिका का ऐसा कोई शहर नहीं है, जहाँ बिहार के लोग पद-प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हों।

नकारात्मक राजनीति का नतीजा

कड़वी सच्चाई यह भी है कि बिहार कई कारणों से पिछड़ा रहा। विकास को राजनीति के मुख्य एजेंडे से बाहर रखने के कारण यह राज्य तेजी से बढ़ती अपनी आबादी और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने में कामयाब नहीं रहा। नकारात्मक राजनीति का परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर-इंजीनियर-मैनेजर या उद्यमी के रूप में धन कमाने के लिए बिहार से बाहर जानेवालों की संख्या तो मुट्ठी भर रही, लेकिन रोटी कमाने की मजबूरी में राज्य से पलायन-विस्थापन करनेवालों की संख्या लाखों में पहुँच गई। आज अगर ये लाखों मेहनतकश बिहारी दूसरे राज्यों में अपमान या हँसी के पात्र बनते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण बिहार की वर्तमान राजनैतिक स्थिति है, इसका स्वर्णिम अतीत नहीं।

जेपी का बिहार ऐसा क्यों हो गया?

पिछले दिनों मैं इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रुसेल्स और स्विट्जरलैंड के दर्जनों शहरों में लगभग एक माह की यात्रा पर था। हर जगह भारतीय एक ही सवाल पूछते थे कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के बिहार की ऐसी स्थिति कैसे बन गई? इस सवाल का उत्तर कठिन नहीं, कड़वा अवश्य है। आज अगर बिहार के लोगों को अन्य देशों या भारत के दूसरे राज्यों के लोग हँसी-उपहास के पात्र के रूप में देखते हैं, तो यह दोष देखनेवालों का नहीं, बल्कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का है।

मीडिया में हास्यास्पद छवि

पिछले 10-15 वर्षों में छोटा परदा (टी.वी.) हो या अखबार, बिहार गलत और अप्रिय कारणों से लगभग प्रतिदिन सुर्खियों में रहता है। यहाँ की महिला मुख्यमंत्री, सत्तारूढ़ दल के सुप्रीमो तथा आए दिन होनेवाली आपराधिक घटनाओं को पढ़कर या टी.वी. पर देख-सुनकर यदि कोई बिहार सिंड्रोम की चर्चा करता है, तो चर्चा करनेवाला दोषी है या वे लोग, जिन्होंने इस बीमारी (बिहार सिंड्रोम) को पैदा किया?

सिर्फ दस्तखत करनेवाली मुख्यमंत्री

बिहार में वर्षों तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर एक ऐसी महिला बैठी रही, जो यदा-

कदा कुछ शब्द बोलती, कभी-कभार दफ्तर जाती और बड़ी कठनाई से हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ नहीं लिख पाती थी। इस पर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अगर कोई बिहार का मजाक उड़ाता रहा, तो दोष किसका था? राजद यानी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अपनी बेढंगी हरकत और ऊटपटाँग टिप्पणियों से हास्यास्पद बने रहे। वे अपने साथ-साथ बिहार का मजाक बनाकर लोगों को हँसाते रहे।

हास्य अभिनेता जैसे दिखे पार्टी सुप्रीमो

एक लंबे दौर तक लोगों ने एक बिहारी नेता को टी.वी. पर हास्य अभिनेता के रूप में देखा। वे दुनिया को हँसाते रहते हैं। इनकी हरकतों को देखकर या सुनकर कोई बिहार के बारे में यदि अनुचित धारणा बनाता है, तो क्या गलत है? कश्मीर एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर देश के किस राज्य में इतने नृशंस, अमानुषिक और घृणित तरीके से सामूहिक नरसंहार होते रहे हैं? और वह भी एक-दो नहीं, घात-प्रतिघात की शृंखला बन जाती है। घोटाले तो और भी राज्यों में हुए होंगे, परंतु सरकारी खजाने से एक हजार करोड़ रुपए खुद राज्य के मुखिया के संरक्षण में निकाल लिये जाएँ, इससे भी शर्मनाक घोटाला क्या हो सकता है?

जंगलराज में बढ़ीं हत्याएँ, गरीबी

सत्ताधारी दल से जुड़े अजित सरकार, ब्रज बिहारी प्रसाद, अशोक सिंह, गुरुदास चटर्जी जैसे चार-चार विधायक कुछ समय के अंतराल पर सुरक्षित माने गए क्षेत्र में मारे गए—यदि यह मंगलराज है, तो जंगलराज क्या होता है? जिस राज्य में सबसे कम बिजली, सबसे खराब सड़कें, सबसे अधिक अनपढ़, सबसे अधिक गरीब और सबसे ज्यादा बीमार लोग हों और जहाँ प्रत्येक गरीब रैली में गरीबों की बढ़ती संख्या को महिमामंडित किया जाए, उस राज्य के लोगों पर अगर दूसरे लोग हँसते हैं, तो गुनहगार कौन है?

पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेशर्म जेल-यात्राएँ

जेल तो बहुत लोग गए होंगे, परंतु यहाँ दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक दर्जन मंत्री-विधायक, आधे दर्जन कुलपति, अलकतरा मंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार के चलते जेल जाने पर शर्मिंदा नहीं महसूस करते। जहाँ जात-पाँत की राजनीति हर तरह के भ्रष्टाचार, अपराध और अनैतिक आचरण को जातीयता की चादर ओढ़ाकर महिमामंडित करती हो, वहाँ आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और शिक्षा की लौ जलाना कितना मुश्किल है, यह सहज ही समझा जा सकता

है। दुर्भाग्यवश, हमारे बिहार को ऐसे बीमारू राज्य में परिणत करनेवाली ताकतें राजनीतिक-सामाजिक रूप से हावी रही हैं। इस राज्य को दूसरों ने नहीं, अपनों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया।

हाईकोर्ट को सरकार का ठेंगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मसजिद को लेकर दिया गया अपना वचन नहीं निभाया होगा, परंतु इस राज्य में तो सड़क पर बने मैनहोल पर ढक्कन लगाने से लेकर कूड़ा हटाने जैसी मामूली बातों पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होती रही। राज्य सरकार अदालत को ठेंगा दिखा देती है। न्यायालय ने भी बिहार की ऐसी सरकार के समक्ष लगभग आत्म-समर्पण ही कर दिया है।

बदसूरती से नहीं, आईने से शिकायत

आज बिहार अराजकता, हिंसा, बेरोजगारी, हत्या-बलात्कार और पलायन को मजबूर करती गरीबी का पर्याय बन गया है। जब कभी बिहारी की ऐसी दुर्दशा से विचलित गैर-बिहारी बुद्धिजीवियों ने यहाँ की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक बीमारियों का जिक्र किया, तब बीमारी का इलाज करने की बजाय डॉक्टरों (बुद्धिजीवियों) को कोसा जाने लगा। उनके बारे में यह कहना कि बिहार के प्रति उनके पूर्वग्रहों की जड़ें अभी सूखी नहीं हैं, उन विचारकों के प्रति अन्याय तो है ही, खुद को धोखे में रखने का आत्मघात भी है। हम जो हो चुके हैं, दर्पण में वही दिखेगा। जिन लोगों ने बिहार का चेहरा खराब किया है, बीमार किया, उनको सत्ता से हटाए-बदले बिना बिहार का चेहरा नहीं दमकेगा।

दूसरों पर दोष मढ़ने से पहले अपने भीतर झाँककर देखें कि हमारी क्या-क्या कमजोरियाँ हैं, जिसके कारण लोग हम पर हँसते हैं। बिहार को अपमानजनक स्थिति से उबारने के लिए चतुर्दिक् और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अतीत के गौरव की धरती पर पैर रखकर भावी बिहार का चेहरा सँवारने के लिए निश्चित और सकारात्मक प्रयास करने होंगे। आपातकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष में बिहार ने देश की अगुआई की थी।

दशरथ माँझी से लें प्रेरणा

आज भी बिहार में योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और संसाधनों की इतनी प्रचुरता है कि एक नए बिहार का निर्माण कर इसे अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि प्रदेश की छवि को दागदार बनानेवाले लोगों को जनता पहले चित्त से उतारे,

फिर सत्ता से। 11 करोड़ बिहारवासी जिस दिन यह संकल्प कर लेंगे, देश-दुनिया में बिहारी कहलाना गर्व का विषय हो जाएगा। बिहार सिंड्रोम से मुक्ति पाने का रास्ता यही है और यह रास्ता हमें दशरथ माँझी जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर खुद ही बनाना होगा। □

आखिर कब तक दोयम नागरिक की जिंदगी जीते रहेंगे कश्मीरी हिंदू?

कश्मीर मेडिकल कॉलेज के हिंदू छात्रों के कमरे में घुसकर जमायते तुलवा समर्थकों ने हिंदू देवी-देवताओं के चित्र फाड़ डाले। इसलामी राज्य में बुतपरस्ती गुनाह है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के एक विशाल कक्ष को मसजिद में बदल दिया गया, परंतु गैर-मुसलिम छात्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का भी अधिकार नहीं। महाविद्यालयों में इसलामी पुस्तकालय प्रारंभ किया गया है, जहाँ भारत-विरोधी सांप्रदायिक साहित्य के वितरण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था है। जमायते तुलबा की इन हरकतों का प्रशासन मूकदर्शक है। पता नहीं, वहाँ की कांग्रेस समर्थित सरकार की धर्म-निरपेक्षता की परिभाषा क्या है?

बस श्रीनगर से पहलगाम जा रही थी। बगल में बैठा व्यक्ति मेरी दाढ़ी के कारण भ्रमित हो गया। मैंने उसे विश्वास में लेकर पूछा, कश्मीर के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? उसने निस्संकोच कहना शुरू किया···जब पाकिस्तानी फौज आती है, तो हमारी बहू-बेटियों को देखकर आँख मूँद लेती है और हिंदुस्तानी फौज उनकी इज्जत लूटती है। और फिर पाकिस्तान इसलामी मुल्क है व भारत हिंदू मुल्क। अगर कल वोट पड़ें, तो सभी कश्मीरी इसलाम के लिए ही वोट देंगे।···ये वाक्य किसी जमाते इसलाम के प्रचारक के नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी के एक सामान्य कश्मीरी के हैं। आखिर 38 वर्ष से धारा 370 के अंतर्गत की गई अरबों रुपए की विशेष सुविधा के बावजूद कश्मीर को हम देश की मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ पाए? शेख अब्दुल्ला से लेकर गुलशाह तक अपने सीने पर भारत समर्थक होने का तमगा टाँगने के बाद भी अपने अनुयायियों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से क्यों नहीं रोक पाए?

हर गुस्से का शिकार

जिन दिनों मैं कश्मीर घाटी में था, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे। गैर-मुसलिमों की दुकानों तथा घरों पर पथराव हो रहा था। कारण? इजराइल में ताश के पत्ते के पीछे मक्के-मदीना की तसवीर छपी थी। इस गुनाह की सजा कश्मीर की गैर-मुसलिम आबादी भुगत रही थी। मकबूल बट्ट हो या भुट्टो को फाँसी, क्रिकेट टीम की जीत का प्रश्न हो या कलकत्ता उच्च न्यायालय में कुरान शरीफ पर मुकदमा—हर गुस्से का शिकार होता है बेचारा कश्मीर का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय।

कश्मीर मेडिकल कॉलेज के हिंदू छात्रों के कमरे में घुसकर जमायते तुलवा समर्थकों ने हिंदू देवी-देवताओं के चित्र फाड़ डाले। इसलामी राज्य में बुतपरस्ती गुनाह है। उसकी सजा बुतपरस्तों को मिल रही थी। विश्वविद्यालय के एक विशाल कक्ष को मसजिद में बदल दिया गया। मेडिकल कॉलेज में ग्रीन हाउस के लिए निर्धारित स्थान मसजिद में परिवर्तित हो गई। एक विभागाध्यक्ष ने उसका सार्वजनिक उद्घाटन कर डाला, परंतु गैर-मुसलिम छात्रों को एकत्र होने, सभा करने, धार्मिक उत्सव मनाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का भी अधिकार नहीं। महाविद्यालयों में इसलामी पुस्तकालय प्रारंभ किया गया है, जहाँ भारत-विरोधी सांप्रदायिक साहित्य के वितरण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था है। जमायते तुलबा की इन हरकतों का प्रशासन मूकदर्शक है। आजकल जमायत और गुलशाह में छन रही है। पता नहीं, कांग्रेस समर्थित सरकार की धर्म-निरपेक्षता की परिभाषा क्या है?

कश्मीरयत का अहसास

कश्मीरी आदमी की जुबान कश्मीरी है, जिसका उर्दू से दूर का भी रिश्ता नहीं। 1971 की जनगणना में 46 लाख की आबादी में मात्र 11,578 लोग उर्दू भाषी थे। फिर भी अरबी लिपि में उर्दू को जम्मू-कश्मीर राज्य की राजभाषा घोषित किया गया है। शायद कश्मीरयत का अहसास खत्म कराने हेतु, क्योंकि कश्मीरयत भारतीयता के अधिक नजदीक है। उर्दू के द्वारा ही इसलामीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अत: अरबी लिपि में ही उर्दू को प्रचारित किया जा रहा है। कश्मीरी की अपनी शारदा लिपि मृत हो चुकी है। अब कश्मीरी को अरबी लिपि में लिखा जा रहा। देवनागरी लिपि में लिखने का अधिकार परीक्षाओं में नहीं है। शोध द्वारा सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है कि कश्मीरी संस्कृत से नहीं, फारसी से निकली है। हिंदी और संस्कृत का पठन-पाठन नाममात्र के लिए है। हिंदी-संस्कृत के नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। मजबूरन छात्र उर्दू, फारसी पढ़ने के लिए बाध्य हैं।

जम्मू में एक वरिष्ठ पत्रकार खराराज पुरी ने कहा कि कश्मीरी में कश्मीरयत का

अहसास उत्पन्न करा दें, यह पूर्णत: भारतीय बन जाएगा। कश्मीर अकबर और अहमदशाह अब्दाली को विदेशी आक्रमणकारी मानता है। वह यह मानता है कि कश्मीर अकबर के आने पर गुलाम हुआ। 400 वर्ष के पूर्व का कश्मीरी इतिहास हिंदू इतिहास ही है। कश्मीर की संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, लोकगीत, नृत्य, सब हिंदुत्व से ओतप्रोत है। कश्मीरी सैकड़ों मजारों तथा हजरत बल को पूजता है, जो इसलाम विरोधी है। पाक समर्थक एवं मुसलिम फंडामेंटल कश्मीरयों की इन कमजोरियों को जानते हैं। अत: विश्वविद्यालय में मुगल आगमन के बाद का इतिहास पढ़ाया जाता है। योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरयत के अहसास को समाप्त कर कट्टर इसलाम के अहसास को उत्पन्न किया जा रहा है। तभी तो उन्हें भारत विरोधी और इसलाम के नाम पर पाक का समर्थक बनाया जा सकता है।

पंगु बनाने का षड्यंत्र

वर्षों से राज्य की गैर-मुसलिम आबादी को आर्थिक-राजनीतिक दृष्टि से पंगु बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, ताकि वे पलायन हेतु बाध्य हो सकें। 1936 की मुसलिम लीग, जो 1938 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल गई, वस्तुत: घाटी तक सीमित एक मुसलिम पार्टी थी। डोगरा राजा हरि सिंह के हिंदू आधिपत्य को मुद्दा बनाकर शेख अब्दुल्ला ने घाटी के मुसलिम कश्मीरियों को संगठित किया। शासनारूढ़ होने पर 1953 में 'जमीन जोतनेवाले की' का नारा देकर एक ओर तो जमीन पर से हिंदू आधिपत्य को समाप्त कर दिया गया और दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला ने आम कश्मीरी मुसलिमों को जमीन देकर अपने राजनीतिक आधार को सुदृढ़ कर लिया। जमीन और नौकरी पर आश्रित कश्मीरी हिंदू जमीन से बेदखल होकर धीरे-धीरे कश्मीर छोड़ने लगे।

बची-खुची नौकरी का आधार भी समाप्त कर कश्मीर की गैर-मुसलिम आबादी के लिए कश्मीर में रहना असंभव कर दिया गया है। बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक पानेवाले गैर-मुसलिम छात्रों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं में प्रवेश नहीं है। लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त छात्र को साक्षात्कार की आड़ में अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से हर वर्ष 15-20 छात्र राज्य सरकार के सांप्रदायिक निर्णयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त कर प्रवेश पाते हैं। साक्षात्कार को जानबूझकर लिखित परीक्षा से अधिक महत्त्व दिया जाता है, ताकि गैर-मुसलिम छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा सके। अब तो प्रवेश का आधार, नियम और शर्तों को गजट में भी प्रकाशित नहीं किया जाता, ताकि कोर्ट में ले जाना असंभव हो जाए।

मुश्किल किया जा रहा है जीना

अगर किसी हिंदू को किसी तरह तकनीकी संस्थाओं या सरकारी सेवा में स्थान मिल भी गया, तो वह कश्मीर में दूसरे दरजे के नागरिक की जिंदगी जीने को बाध्य है। गैर-मुसलिम छात्रों को रैगिंग और आंतरिक मूल्यांकन के जरिए कम अंक प्रदान कर उनका रहना मुश्किल कर दिया जाता है। गैर-मुसलिम सरकारी कर्मचारियों का दूर-दराज के कठिन इलाकों में स्थानांतरण, प्रोन्नति में बाधा और अन्य सुविधाओं में सांप्रदायिक भेदभाव सामान्य बात है। उद्देश्य है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना, ताकि वे राज्य को छोड़कर जाने को बाध्य हों।

धार्मिक स्वतंत्रता का हनन

धार्मिक स्वातंत्र्य का अधिकार राज्य के गैर-मुसलिमों को नहीं है। 'राज तरंगिणी' में कलहन ने कश्मीर में एक हजार मंदिरों का उल्लेख किया है। आज मुश्किल से सौ बचे हैं। मंदिर संचालन में अव्यवस्था का बहाना कर सरकार हस्तक्षेप करती है। मंदिरों की जमीन पर राज्य के बहुसंख्यकों ने स्थान-स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रत्येक मंदिर को विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। राज्य के सैकड़ों धार्मिक स्थलों, प्राचीन इमारतों, शहर की सड़कों के हिंदू नाम बदले जा चुके हैं। सरकार 300 और नामों को बदलने का विचार कर रही है।

इसलामी राज्य पर सहमति

कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। प्रत्येक कश्मीरी भारतीय नागरिक है, परंतु प्रत्येक भारतीय कश्मीर का नागरिक नहीं है। राज्य के नागरिकों के अतिरिक्त बाहर के लोगों को जमीन, संपत्ति, मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार से बड़ी संख्या में मुसलिम कश्मीर आ रहे हैं। उन्हें चोरी-छिपे नागरिक अधिकार दिए जा रहे हैं, परंतु जब कश्मीरी हिंदू नागरिकता के प्रमाण-पत्र के लिए जाता है, तो उसे हर प्रकार से तंग किया जाता है। राज्य में 40 हजार से अधिक लोगों को विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। परंतु अवैध रूप से आए सैकड़ों मुसलिमों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। आज राज्य में दर्जनों मुसलिम फंडामेंटल संगठन पूर्ण इसलामीकरण की प्रक्रिया में संलग्न हैं। जमायते इसलामी, जमायते तुलबा, अल्लाह वाले, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मुहाजे आजादी कश्मीर, कश्मीर लिबरेशन आर्मी, आवामी एक्शन कमेटी आदि अपने अलगे तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर भारत विरोधी या केंद्र सरकार विरोधी प्रचार में जुटे हैं। करोड़ों रुपए पाकिस्तान, लीबिया, सऊदी अरब से प्राप्त हो रहे हैं। मुसलिम देशों से विदेशी धन मिलने की बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है।

इन सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य है, कश्मीर में ऐसे हालात उत्पन्न करना, ताकि बचे-खुचे गैर-मुसलिम भी राज्य छोड़कर चले जाएँ और स्वतंत्र कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का मार्ग प्रशस्त हो सके। स्वतंत्र कश्मीर, आत्म-निर्णय के अधिकार और पाक में विलय के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है, परंतु भारत से अलग होने तथा इसलामी राज्य बनाने पर आम सहमति है।

इसलामी राज्य में बाधक

1975 में शेख अब्दुल्ला के सत्ता में आने के बाद आत्म-निर्णय का अधिकार वाली धारा कमजोर पड़ गई। दुनिया में उठी इसलाम लहर एवं उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने का काम जमायते इसलामी ने किया। 1980 में अंतरराष्ट्रीय शीरत कॉन्फ्रेंस की सफलता ने जमात के हौसले बुलंद कर दिए, जिस में काबा के इमाम भी शरीक हुए थे। जमायत को मालूम है कि जम्मू तथा लद्दाख की गैर-मुसलिम (हिंदू-बौद्ध) आबादी इसलामी राज्य में बाधक है। अत: 'बृहत् कश्मीर' का नारा दिया गया, जिसमें संपूर्ण कश्मीर घाटी, जम्मू के डोडा, पुँछ, रजौरी तथा लद्दाख के कारगिल आदि मुसलिम बहुल जिले सम्मिलित हैं। इस नारे ने राज्य के मुसलिम संप्रदायवादियों को आकर्षित किया है।

1971 की जनगणना के अनुसार कश्मीर घाटी की 24 लाख आबादी में हिंदू मात्र 1,15,071 (4.7 फीसद) एवं सिख 29,250 बचे हैं। मुसलिम आबादी घाटी में 2,28,9530 (94 प्रतिशत) है। अनंतनाग जिले में 33 हजार, श्रीनगर में 60 हजार तथा बारामूला में 21 हजार हिंदू हैं। इस क्षेत्र में 54 हजार बौद्ध मतावलंबी हैं, जो लेह जिले तक सीमित हैं, जबकि कारगिल में 49 हजार शिया मुसलिम हैं। लद्दाख के सैकड़ों बौद्धों को पिछले वर्षों में मुसलिम बना लिया गया। कारगिल के शिया-मुसलिम इस कोशिश में हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए।

जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में मुसलिम 33.8 प्रतिशत हैं। सीमावर्ती जिले डोडा, पुँछ और रजौरी में मुसलिम जनसंख्या क्रमश: 63.6 प्रतिशत, 88.8 प्रतिशत तथा 60.9 है। उधमपुर जिले में भी मुसलिम 33.5 प्रतिशत हैं।

हिंदुओं का पलायन जारी

आजादी के पश्चात् से हिंदू आबादी के पलायन का क्रम जारी है। पिछले 37 वर्षों में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़कर जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार कश्मीर के बाहर 4 लाख से अधिक कश्मीरी हिंदू हैं। अगर नौकरी, खेती और संपत्ति से रहित 4.7 प्रतिशत बचा हुआ हिंदू भी कश्मीर छोड़ दे, तो फिर कश्मीर का क्या होगा?

5-6 जुलाई, 1985 को श्रीनगर में आयोजित हिंदू युवक सम्मेलन में आह्वान किया गया कि वे किसी भी हालत में कश्मीर न छोड़ें। अगर हिंदू कश्मीर छोड़ देगा, तो कश्मीर को भारत में रखना मुश्किल हो जाएगा। एक नौजवान ने सभा में पूछा, क्या कश्मीर को भारत में रखने की जिम्मेदारी केवल कश्मीरियों की है? शेष भारत का कोई दायित्व नहीं? आखिर कब तक इस अपमान के साथ हम दोयम नागरिक की जिंदगी जीते रहेंगे? युवक के इन सवालों का उत्तर सारे भारत को खोजना होगा। अन्यथा संगीनों की छाया के बावजूद धारा 370 के संरक्षण के चलते कश्मीर को बहुत दिनों तक भारत में रख पाना मुश्किल हो जाएगा।

□

सामाजिक परिर्वतन की चुनौती

देश की युवा शक्ति ही सामाजिक बदलाव का सबसे प्रबल संवाहक बन सकती है, लेकिन स्वाधीन भारत में इस काम के लिए बने सरकारी संगठन जहाँ सेवा भावना की कमी और भ्रष्टाचार के शिकार हुए, वहीं राजनीतिक दलों से जुड़े अधिकतर छात्र-युवा संगठन सीमित और स्वार्थपूर्ण दोहन के चलते बेमानी हो गए। वाम दलों से जुड़े संगठनों में ईमानदारी, जुनून और परिश्रम करने का माद्दा तो था, लेकिन उनकी वैचारिकता हमेशा भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से कटी रही। ऐसे में बदलाव का अनोखा तरीका ईजाद किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने, यानी परिवर्तन की शुरुआत स्व से। इस स्व-परिवर्तन के उदाहरण द्वारा समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे समाज के सामान्य लोग परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो सकें। लेकिन इस प्रयोग को पूरे समाज का सहयोग प्राप्त किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता।

गंगोत्तरी से प्रारंभ होकर गंगा भारत के अनेक राज्यों को अपनी कल-कल, छल-छल ध्वनि से मुग्ध कर बहती हुई सागर में समाविष्ट हो जाती है। जल का इतना अथाह प्रवाह, फिर भी बगल के खेत सूखे हैं। तटवर्ती शहरों के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी ओर वर्षा में हुँकार भरती हुई यही भागीरथी कभी-कभी रौद्र रूप धारण कर अपने किनारों को तोड़कर खेत-गाँव और नगरों को भी जलमग्न कर देती है। महानदी गंगा की विकराल बाढ़ अल्पकालिक विनाश के साथ धरती की उर्वरता का दीर्घकालिक वरदान भी देती है, फिर भी चिंता का विषय यह है कि गंगा जैसी बड़ी नदियों को सार्वकालिक वरदान में कैसे बदला जाए। आम दिनों में तटवर्ती खेतों को सूखा-प्यासा छोड़कर लाखों क्यूसेक्स नदीजल का समुद्र में मिल जाना और

वर्षाकाल में जलप्लावन से फसलों की बरबादी—परंतु इसमें गंगा का क्या दोष?

भारत की 12 करोड़ छात्र-युवा शक्ति का हाल भी गंगा की तरह है। जैसे गंगा की जल ऊर्जा और सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, उसी तरह छात्रों-युवाओं के अदम्य उत्साह और परिवर्तनकारी अक्षय ऊर्जा का स्रोत या तो बेकार पड़ा है या फिर कभी गंगा के समान सारी मर्यादाओं को तोड़कर विध्वंस का तांडव नृत्य करता दिखता है। शक्ति का प्रवाह है, परंतु समाज के लिए अनुपयोगी है। इस शक्ति के रहते देश में निरक्षरता, अस्पृश्यता, गरीबी, बेकारी, दहेजप्रथा, जातिवाद, धर्मांतरण जैसी समस्याएँ कैसे बनी हुई हैं? युवा शक्ति और समस्या, ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते। जाग्रत् युवा शक्ति है, तो समस्या नहीं हो सकती। और यदि समस्या है, तो समझना चाहिए कि शक्ति का प्रवाह सूख गया है। परंतु इसके लिए क्या केवल छात्र-युवा शक्ति ही जिम्मेदार है?

महापुरुषों ने किया युवाओं का आह्वान

जिस भी व्यक्ति या संस्था ने इस ऊर्जा की शक्ति को पहचाना और उसका उपयोग समस्या-समाधान के लिए किया, उसे सफलता अवश्य मिली है। दुनिया के अधिकांश देशों की आजादी का इतिहास इसका गवाह है। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, सावरकर—जिस किसी महापुरुष ने भी विश्वास के साथ आह्वान किया, युवा शक्ति ने उसका प्रत्युत्तर संघर्ष व बलिदान से दिया। परंतु देश की आजादी के पश्चात् इस शक्ति का उपयोग समस्याओं के रचनात्मक समाधान हेतु नहीं हुआ। परिणामत: यह शक्ति निराश, हताश होकर समय-समय पर अपनी असीम ऊर्जा को विध्वंस की अग्नि में निस्सृत करती रहती है।

विफल रही सरकारी संस्थाएँ

आजादी के पश्चात् सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) व नेहरू युवक केंद्र जैसी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा इस ऊर्जा को दिशा देने का असफल प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा युवकों में कठोर जीवन, साहस, शौर्य, सैन्य-प्रशिक्षण आदि दिया जाता रहा। सामाजिक बुराइयों व प्राकृतिक विपदाओं के विरुद्ध छात्रों-युवकों को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवक केंद्र प्रारंभ किए गए; परंतु सरकार की अन्य योजनाओं के समान ये कार्यक्रम भी असफल रहे। संवेदनहीन नौकरशाही द्वारा सरकारी पैसे से संचालित ये अभियान छात्रों-युवकों को सामाजिक कार्य हेतु प्रेरित नहीं कर पाए। ये योजनाएँ समाज-सेवा के नाम पर सर्टिफिकेट, वरदी, पैसा, जलपान और प्रवेश में सुविधा पाने

आदि का माध्यम बनकर रह गईं। आज ये संस्थाएँ हर महाविद्यालय व हर जिले में हैं, परंतु संचालकों में निस्स्वार्थता व सेवा-भाव के अभाव में ये छात्रों में सामाजिक दायित्व-बोध पैदा नहीं कर पा रहीं।

राजनीतिक दलों ने किया सीमित इस्तेमाल

गैर-सरकारी स्तर पर युवकों में बीसियों संगठन कार्यरत हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने-अपने छात्र-युवा संगठन बनाए हैं। अधिकांश छात्र युवा संगठन राजनीतिक दलों के अंग के रूप में कार्य करते हैं। युवा जनता, कोई जनता युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय छात्र संगठन, छात्र क्रांति दल आदि भिन्न-भिन्न नाम हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये राजनीतिक दल के पुछल्ले के रूप में काम करते हैं। ये मूल राजनीतिक संगठन में छात्र-युवकों की भरती के उपकरण मात्र हैं। हर दल छात्रों-युवकों की फौज चाहता है, परंतु सीमित उपयोग हेतु।

अर्थात् सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई हेतु नहीं, बल्कि नेताओं की जय-जयकार, सभाओं की व्यवस्था तथा जुलूस प्रदर्शन में शरीक होकर शासन से टकराने आदि के लिए। जब कभी इन संगठनों के छात्र-युवा अपनी सीमा का अतिक्रमण करते दिखते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी की माँग करते हैं, तो उनकी ओर कुछ टुकड़े फेंककर उनकी धार भोथरी कर दी जाती है। जब इन संगठनों का उद्देश्य ही इतना क्षुद्र स्वार्थ है, तो इनसे सामाजिक परिवर्तन में सहभाग की अपेक्षा ही बेकार है।

सामाजिक संदर्भ से कटे वाम छात्र संगठन

वामपंथी छात्र-युवा संगठन अधिक संगठित एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। एसएफआई, एआईडीएसओ एवं नक्सलवाद से जुड़े छात्र संगठन आज पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा में अधिक सक्रिय एवं प्रभावी हैं। ये अपने दल के लिए छात्रों, युवकों की भरती कर उनके सैद्धांतिक प्रशिक्षण का प्रयास करते हैं। कभी-कभार शैक्षणिक एवं आर्थिक मुद्दों पर संघर्ष भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में छात्रों की भूमिका के बारे में उनकी सोच अत्यंत भिन्न है।

उनकी मान्यता है कि आर्थिक संरचना प्रमुख राष्ट्रधर्म है तथा अन्य सभी प्रकार की रचनाएँ (सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि) आर्थिक रचना की उपज है। उनके विचार में अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज प्रथा, अश्लीलता आदि सामाजिक समस्याएँ पूँजीवादी आर्थिक ढाँचे की उपज हैं। अत: जब तक सत्ता प्राप्त कर आर्थिक ढाँचे को परिवर्तित नहीं किया जाता, तब तक सामाजिक समस्याएँ दूर नहीं होंगी।

उनकी सोच है कि पूँजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति की अगुवाई

सर्वहारा या मजदूर करेगा तथा छात्र या अन्य वर्ग उसके सहायक होंगे। इस सोच के कारण वामपंथी छात्र-युवा संगठन भारतीय संदर्भ में अर्थहीन हो गए हैं। भारतीय समस्याओं को मार्क्सवादी चश्मे से विश्लेषण करने के कारण संगठन असंगत व औचित्यहीन बन गए हैं। स्पष्ट है, ये संगठन भी सामाजिक परिवर्तन में छात्रों की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए।

सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन तक उपयोग

आज तक युवाशक्ति का उपयोग केवल राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुआ है। चाहे वह थाईलैंड, इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी हो या भारत में 1967 का गैर-कांग्रेसवाद या 1974 का छात्र आंदोलन, जो 1977 में सत्ता-परिवर्तन में परिणत हुआ। इस शक्ति ने निरंकुश, भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी, सत्ताधारियों को सत्ताच्युत किया है, परंतु सत्ता-परिवर्तन के बाद हर बार यह शक्ति बिखरी, बँटी या सत्ता के गलियारे में भटक गई है। सत्ता-परिवर्तन को ही इसने अपना गंतव्य मान लिया। सत्ता-परिवर्तन के पश्चात् समाज-परिवर्तन में इस शक्ति को अपनी पहचान बनानी शेष है।

लीक से हटकर विद्यार्थी परिषद्

ऊपर वर्णित इन सब छात्र-युवा संगठनों की लीक से परे एक संगठन ऐसा भी है, जो सत्ता एवं दलीय राजनीति से अलिप्त रहते हुए, शैक्षिक परिवार की कल्पना में विश्वास रखते हुए, संघर्ष एवं रचनात्मकता को दोहरी प्रक्रिया द्वारा देश के छात्रों को सामाजिक परिवर्तन के हथियार के रूप में परिणत कर रहा है। यह संगठन है—अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्। यह एक ओर समरूप समाधान हेतु रचनात्मक संघर्ष करता है, वहीं दूसरी ओर समाधान का रचनात्मक विकल्प भी प्रस्तुत करता है, साथ ही अवकाशकालीन रोजगार योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर व औद्योगिक भ्रमणों के माध्यम से रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शैक्षिक परिवर्तन हेतु धरना, प्रदर्शन व हस्ताक्षर अभियान आयोजित करता है, तो विचार-गोष्ठी, चर्चा व परिसंवाद के माध्यम से शिक्षा की वैकल्पिक योजना भी तैयार करता है।

विद्यार्थी परिषद् पिछले 20 वर्षों से छात्रों के पुस्तक-दान द्वारा बुक बैंक, रक्तदान अधिकोष, विद्यादान द्वारा नि:शुल्क शिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान द्वारा श्रमानुभव, महापुरुषों की जयंती, प्रतिभा विकास हेतु स्पर्धाएँ छात्रसंघ के चुनाव, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आदि के माध्यम से छात्रों-युवकों में सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा, दायित्व-बोध परिश्रमशीलता एवं अनुशासन का संस्कार पैदा कर रही है।

सामाजिक प्रश्नों से जूझनेवाले युवा

इन कार्यक्रमों से गुजरनेवाले छात्र के मन में जातिवाद, अस्पृश्यता, तिलक-दहेज व पाश्चात्यीकरण के प्रति अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। वह सोचता है कि ऊँच-नीच पर आधारित जाति व्यवस्था क्या उचित है? विवाह में दहेज, फिजूलखर्ची, दिखावा औचित्यपूर्ण है? नारी को समानता का अधिकार क्यों नहीं? यह गरीबी, बेकारी, भुखमरी क्यों? क्या इनके समाधान में मेरी कोई भूमिका नहीं है? ऐसे सैकड़ों सवाल उसे समाधान में योगदान हेतु प्रेरित करते हैं और समय-समय पर परिषद् उनके प्रश्नों को मंच प्रदान कर देती है।

परिषद् एक ऐसा आंदोलन है, जो पूरे देश में हजारों ऐसे युवकों में ध्येयवाद, आदर्शवाद उत्पन्न करने में सफल हुआ है, जिनकी जिंदगी को एक नया अर्थ मिल गया है। जिनके लिए देशभक्ति, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति व भारतीय मूल्यों की प्रस्थापना है। सामाजिक न्याय, जिनके लिए अस्पृश्यता, तिलक-दहेज, जातिवाद जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरक है तथा आर्थिक समता, जिन्हें शोषण, भ्रष्टाचार अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चुनौती स्वीकार कराती है।

परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से

इस सामाजिक बदलाव को लाने का अनोखा तरीका भी ईजाद किया है विद्यार्थी परिषद् ने, यानी परिवर्तन की शुरुआत स्व से। इस स्व परिवर्तन के उदाहरण द्वारा समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे समाज के सामान्य लोग परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो सकें।

परंतु क्या यह छात्र-युवा शक्ति अकेले सभी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है? क्या निरक्षरता, अस्पृश्यता, बेकारी जैसी विकराल समस्याओं को केवल छात्र-युवा दूर कर सकेंगे? कदापि नहीं। ये संपूर्ण समाज की समस्याएँ हैं। अत: संपूर्ण समाज को इस परिवर्तन-प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा। हाँ, अपनी आस्था एवं अंतर्निहित क्षमता के कारण युवा अगुवाई कर सकता है, व्यवस्था की जड़ें हिला सकता है। परंतु संपूर्ण वृक्ष को धराशायी करने और सुव्यवस्था का नया पौधा रोपने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा।

□

सदन मुखर प्रतिरोध

घोटालों में आकंठ डूबी लालू सरकार

बिहार विधान सभा में मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद की सरकार ने वर्ष 1996-97 का जो बजट पेश किया, उस पर 25 जून, 1996 को सामान्य बहस के दौरान प्रतिपक्ष के नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने अकाट्य तर्कों और प्रामाणिक आँकड़ों के आधार जो ओजस्वी भाषण किया, उससे राज्य की जनता यह जान सकी कि लालू सरकार किस तरह करोड़ों रुपए के घपलों-घोटालों में आकंठ डूबी है, घोटालेबाज पकड़े नहीं जा रहे हैं, जाँच के आदेश बेअसर हैं और गरीबों को धोखा देने के लिए सिर्फ कागज पर चल रहे हैं चरवाहा विद्यालय। सभी गरीबों को पक्का मकान और धोती-साड़ी देने की योजनाएँ भी हवा-हवाई हैं। श्री मोदी ने सदन को बताया कि न तो राज्य में सन् 2000 तक ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाना संभव है, न 50 हजार करोड़ रुपए का निजी निवेश यहाँ आने वाला है। प्रस्तुत है, सदन में हुई बहस का मुख्य अंश–

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार की एक चर्चित मंत्री श्रीमती कांति सिंह का अखबार में बयान आया कि चरवाहा विद्यालय का विस्तार देश भर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विदेश में जाकर इस विद्यालय की चर्चा की। वर्ष 1992–93 में योजना आयोग की एक टीम कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए बिहार आई थी। उसने 50 प्रतिशत चरवाहा विद्यालयों को बंद पाया।

हमने चरवाहा विद्यालय, गोरौल के निरीक्षण के लिए बीजेपी के कार्यकर्त्ताओं की एक टोली भेजी। उसने वापस आकर बताया कि कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों को पिछले 6 माह से न तो किताबें मिली हैं और न ही उन्हें दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। वर्ष में एक बार उन्हें पोशाक दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन दो साल से नहीं मिला है। वहाँ पढ़ रहे 50 मुसहर बच्चे को एक रुपया प्रतिदिन दिया जाना था, परंतु 6

माह से उन्हें कोई राशि नहीं दी गई है। वहाँ वन विभाग द्वारा फलदार वृक्ष लगाने, मत्स्य विभाग द्वारा तालाब बनवाने, कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण लगाने एवं कल्याण विभाग द्वारा दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश था, परंतु इनमें में किसी भी काम की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या आप यही व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं?

महोदय, क्या किसी विधायक या मंत्री का बेटा चरवाहा विधालय में पढ़ता है? इस विद्यालय को शुरू करने के पीछे 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे को पढ़ाई के साथ-साथ काम सिखाने का कांसेप्ट था, यह कहाँ गया?

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (मंत्री) : महोदय, मुख्यमंत्रीजी की परिकल्पना बेसिक एजुकेशन सिस्टम की तरह पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार की थी और इसीलिए 119 चरवाहा विद्यालयों का चयन किया गया। उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ चरवाहा विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूल भी रहेंगे। सरकार ने राशि आवंटित की है और हमारे सभी प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो बताएँ, हम उसे मीट करेंगे। लेकिन, चरवाहा विद्यालय चल रहे हैं। बेसिक एजुकेशन भी पूरे बिहार में मुस्तैदी से लागू किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : मैं इस कल्पना का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आधे से अधिक चरवाहा विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। विद्यार्थियों को वहाँ बुलाने के लिए मुख्यमंत्रीजी ने एक गीत गाया—

ओ हल चलाने वालों,
ओ चूहा पकड़ने वालों,
ओ सुअर पकड़ने वालों,
पढ़ना-लिखना सीखो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज उन विद्यालयों के बच्चे कह रहे हैं—

ओ सरकार चलाने वालों,
हेलीकॉप्टर से उड़ने वालों,
घोटाला करने वालों,
सावधान- सावधान।

महोदय, उन विद्यालयों में आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (मंत्री) : यदि आपके मन में गरीबों के लिए दर्द होता, तब ऐसी बातें नहीं करते, यही सामंतवाद है। आप कहिए, हाफ पैंट पहनने

वालों, लाठी लेकर चलने वालों।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : महोदय, आपने धोती-साड़ी योजना की घोषणा की, जिसके तहत बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 66 लाख परिवारों को दो-दो धोती-साड़ी दी जानी है। इसके लिए टेंडर भी निकाला लेकिन किसी गरीब को यह नहीं मिला। पुनः तीन माह में धोती-साड़ी देने की दुबारा घोषणा की गई। लेकिन मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं आकर भी इस अवधि में इसे वितरित नहीं करा सकते हैं। टेंडर निकालने और फाइनलाईज करने तथा ऑर्डर निकालने में समय लगेगा, फिर भी आप तीन महीने में काम होने की बात कह रहे हैं। फिर इसके लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किस मद से होगा?

बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है और सहार के बीडीओ ने इसपर 21 महीने से रोक लगा रखी है।

श्री रवींद्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। नेता, विरोधी दल को गाँव, प्रखंड एवं जिले का दौरा करना चाहिए। इन्हें करेक्ट फीगर बताना चाहिए। चरवाहा विद्यालयों में प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है। मेरे गृह जिला मधेपुरा में जिला पदाधिकारी ने आमसभा करके नियमित रूप से इसका भुगतान किया है। आपने गलत सूचना दी है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अगर मैं गलत सूचना दे रहा हूँ ,तब मुख्यमंत्रीजी अपने उत्तर में इसे स्पष्ट कर दें। अध्यक्षजी, सहार प्रखंड में जाने पर वहाँ के बीडीओ ने मुझे बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च—इस तीन माह का पेमेंट कर दिया गया है तथा शेष 21 माह का बकाया है और उसका वितरण नहीं किया गया है।

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री) : मैं आपकी ही मदद कर रहा हूँ। यह सही है कि वृद्धावस्था पेंशन का काफी बकाया है। सदन में मेरे घोषणा के अनुरूप लेटेस्ट दो महीने का पेमेंट हो रहा है। भारत सरकार की एक स्कीम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपया भुगतान किया जाना है, जिसमें 25 रु. राज्य सरकार देगी और 75 रु. केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। मैंने इसका रिव्यू किया है, इसका भुगतान हो रहा है। भुगतान में शिकायत के मामले को देखूँगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इन्हें बोलने दीजिए। धोती-साड़ी अथवा जिस योजना का भी जिक्र किया जा रहा है, उसके संबंध में जबाव दूँगा।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, धोती-साड़ी के लिए 200 करोड़ रुपए कहाँ से आएँगे? योजना आयोग ने तो यह कहकर इसे

अस्वीकृत कर दिया कि वह इसका प्रावधान नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में क्या अन्य योजनाओं की राशि की कटौती कर इसके लिए व्यवस्था की जाएगी? एक जोड़ी धोती-साड़ी एक वर्ष में दी जाएगी या पाँच वर्षों में? डेढ़ वर्ष तो समाप्त हो गए।

क्या पाँच साल में देंगे एक धोती-साड़ी?

अध्यक्ष महोदय, बिहार में 12-13 लाख बुनकर हैं और यहाँ की सूती मिलें बंद पड़ी हैं। पंडौल, सिवान एवं भागलपुर सहित बिहार की अन्य सूती मिलों को चालू करने पर यहाँ के बुनकरों को रोजगार भी मिलेगा और गरीबों को धोती-साड़ी भी मिल सकेगी। बुनकरों को को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ने की घोषणा 5-7 दिनों पहले की गई। मेरा आग्रह होगा कि 200 करोड़ रुपए बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन, मुख्यमंत्री बताएँ कि धोती-साड़ी एक साल में एक बार देंगे या पाँच साल में एक बार?

24000 गाँवों में बिजली के दर्शन नहीं

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 तक बिहार के सभी गाँवों का विद्युतीकरण करने की घोषणा सदन के भीतर और बाहर की गई और इसके नाम पर जनता से वोट भी माँगे गए। लेकिन, आज स्थिति कैसी है? आपकी घोषणा के डेढ़ साल हो गए, वर्ष 2000 तक आप लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य सरकार को पहले का 282 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा है, अन्यथा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु पैसा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार के 24000 गाँवों में बिजली के दर्शन भी नहीं होते हैं। एक ओर यहाँ विद्युत्/ऊर्जा मंत्री नहीं हैं, दूसरी ओर वित्त आयुक्त श्री वी.एस. दूबेजी को बिजली बोर्ड का भी प्रभार दिया गया है। यद्यपि वे एक ईमानदार अफसर हैं,लेकिन एक साथ वे दोनों कार्यों के साथ न्याय कैसे कर पाएँगे? बिजली बोर्ड जैसे महत्त्वपूर्ण महकमा में फुलटाइम अध्यक्ष होना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री) : दूबेजी एक सक्षम पदाधिकारी हैं और ऐसे लोगों को चार-पाँच विभागों का दायित्व दिया जा सकता है। पावर मिनिस्टर मैं ही हूँ, पावर तो यहाँ है··· (मजाकिया लहजे में)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने बिहार को हाँगकाँग और सिंगापुर की तरह बनने की बात कही थी। पटना राजधानी है, यहाँ एक-दो घंटे के लिए बिजली जाती है, लेकिन बिहार के गाँवों में बिजली की स्थिति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

तीन साल से बिजली नहीं, तार चोरी गए

नक्सलवाद से प्रभावित सहार प्रखंड के बी.डी.ओ. ने बताया कि वहाँ तीन वर्षों से बिजली नहीं आई है। बिहार के तीन हजार गाँवों में बिजली के तार गए ही नहीं हैं और ग्यारह हजार गाँवों में तार की चोरी के कारण बिजली नहीं पहुँच पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी बताएँ कि सरकार क्या सन् 2000 ई. तक प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचा पाएगी?

क्या 25 वर्ष में देंगे गरीबों को मकान?

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक गरीब को 5 साल के भीतर पक्का मकान बनाकर देने की घोषणा की गई है। शायद मुख्यमंत्रीजी को बिहार में गरीबों की संख्या का अनुमान नहीं है। यदि 5 सदस्यों का भी एक परिवार माना जाए, तब गरीबी रेखा के अंदर बसर करने वाले साढ़े चार करोड़ आबादी को कम-से-कम एक करोड़ मकान चाहिए। यदि 80 लाख मकान की ही आवश्यकता मानी जाए, तब भी 5 साल में 10 लाख मकान ही बन सकेंगे, क्योंकि सरकार एक वर्ष में 2 लाख मकान ही बना पा रही है। इस प्रकार 80-90 लाख मकान बनाने में 25 वर्ष लगेंगे। यदि आप काम ही नहीं कर पाते हैं, तब घोषणा क्यों करते हैं? क्या सरकार 25 साल में मकान देगी? ऐसी अव्यावहारिक घोषणा का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ा है।

बिहार में कितना पूँजी निवेश हुआ?

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने हाँगकाँग, सिंगापुर, इंग्लैंड और अमेरीका आदि देशों की यात्रा की तथा वहाँ एन.आर.आई. मीट में शामिल हुए। ऐसा लगा, मानो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? विदेश यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साईन करने के बाद बिहार में कितना पूँजी निवेश हुआ? यद्यपि मुख्यमंत्री को धीरुभाई अंबानी के घर नहीं जाना चाहिए था, फिर भी उन्होंने बड़े गौरव से वहाँ जाने की बात कही और बताया कि श्री अंबानी ने बिहार में 15 हजार करोड़ रुपए निवेश करने का आश्वासन दिया है। क्या ऐसा हो पाया?

विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्रीजी ने बिहार में 50 हजार करोड़ रुपए पूँजी निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि एन.आर.आई. किरण मेहता ने कागज और कोयला के क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपए के पूँजी निवेश का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार एक बड़ी कंपनी एस्सार ऑयल द्वारा मिथेन गैस बनाने के लिए, बॉम्बे की स्टरलाई कंपनी द्वारा चीनी क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए, उषा मार्टिन द्वारा 4000 करोड़, हिंडालको द्वारा बिजली, अल्युनिनियम और सीमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात मुख्यमंत्री ने बताई। गंगाजल का मिनरल वाटर तैयार कर उसे बॉटलिंग करके

बेचने एवं पटना में मैरीन ड्राईव बनाने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन कोई एन.आर.आई. बिहार नहीं आया, बल्कि वे दूसरे राज्यों में अपनी पूँजी निवेश कर रहे हैं।

कितनी बंद मिलें चालू हो सकीं?

महोदय, एक एन.आर.आई. को बेली रोड पर काफी महत्त्वपूर्ण और कीमती जमीन अस्पताल बनाने के लिए दी गई। मैं अस्पताल बनाने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यह इंडस्ट्री नहीं है।

मैं मुख्यमंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि इनकी विदेश यात्रा के बाद बिहार में देशी और विदेशी पूँजी का कितना निवेश हुआ? बिहार में बंद पड़े कितने उद्योग चालू हुए, जपला सीमेंट फैक्टरी, अशोक पेपर मिल एवं ठाकुर पेपर मिल की क्या स्थिति है? आज बिहार के औद्योगिक प्रांगण की कैसी हालत है?

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री) : मोदीजी, आपको जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाहिए।...

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : बिहार में उद्योग-धंधे बंद पड़े हुए हैं। विदेशी पूँजी का निवेश होने पर यहाँ की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन, किरण मेहता और धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी बिहार आने को तैयार नहीं हैं, जबकि वे दूसरे राज्यों में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया लेकिन विकास योजनाएँ ठप्प पड़ी हैं। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं?

दवा खरीद में फरजीबाड़ा

इस राज्य में अनेक घोटाले हुए हैं। इस सरकार के एक मंत्री श्री महावीर प्रसाद ने बयान देकर 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की फरजी दवा खरीद की बात स्वीकार की है और इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराने हेतु मुख्यमंत्रीजी के पास फाईल भेजी है। महालेखाकार के अंकेक्षण दल ने भी वर्ष 1990-91 में 10 करोड़, 91-92 में 20 करोड़, 92-93 में 4 करोड़, 93-94 में 25 करोड़, और 1994-95 में 26 करोड़ रुपए के अवैध अथवा फरजी दवा की खरीद का मामला पाया। उसने भी इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराने की अनुशंसा की, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी जाँच किससे कराई जा रही है? पशुपालन घोटाला को छोड़कर अन्य घोटालों की चर्चा मैं करूँगा।

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय...

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने छपवाया है। इन्होंने न तो उनपर काररवाई की और न ही उनके वक्तव्य का खंडन ही किया।

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संबंधित पदाधिकारी से तीन-चार विंदुओं पर एक्सप्लानेशन पूछा है। यह फाईल मुख्यमंत्री के पास प्रक्रिया के तहत ही आनी थी।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : यह एम.एस.डी. का मामला और इसमें एक सौ करोड़ रुपए के घोटाले की जाँच आप करा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में तीन सौ करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला पकड़ा गया है। इस विभाग में अनेक घोटाले हुए हैं। इनकी जाँच किससे कराई जाएगी?

कीटनाशक खरीद में 100 करोड़ का घपला

पिछले वर्ष मई-जून में विजिलेंस ने वृक्षारोपण एवं कीटनाशक दवा तथा पॉलीथीन की खरीद में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला पकड़ा और एफ.आई.आर. दर्ज किया। अध्यक्ष महोदय, 16 अगस्त, 1995 को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर एतराज व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी की गिरफ्तारी एक माह तक रोक देने का आदेश दिया गया। इस दरम्यान पी.सी.सी.एफ को एक्सप्लानेशन पूछने और अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया। ऐसा आदेश स्वयं मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने दिया। इस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वारंट निकल जाने के बाद राज्य सरकार को गिरफ्तारी रोकने संबंधी आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। बिहार की जनता को बताना पड़ेगा कि इन घोटालों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी सरकार द्वारा क्यों रोकी गई?

माननीय सदस्य श्री तनवीर हसनजी ने 12 दिसंबर, 1995 को विधान परिषद् में ध्यानाकर्षण के दौरान वन विकास निगम में करंज के बीज एवं केंदू पत्ता की खरीद में 50 करोड़ रुपए से अधिक के घपला के संबंध में बताया। इस संबंध में मंत्री श्री तुलसीदास मेहताजी ने एम.डी. श्री प्रेम शरण को सस्पेंड करने का आदेश दिया, किंतु वे 5 माह तक इसे कार्यानिवत कराने का साहस नहीं जुटा पाए। एम.डी. पैसा कमाते रहे और अंतत: 31 जनवरी को रिटायर हो गए, लेकिन सस्पेंड नहीं हुए और इस प्रकार पूरा घपला ज्यों-का-त्यों रह गया। विधान परिषद् के सभापित ने इसकी पूरी फाईल मँगाई।

श्री तुलसीदास मेहता (मंत्री) : निगरानी विभाग में…

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सरकारी विभागों में स्थापना व्यय, स्टेशनरी, पेंसिल आदि के लिए प्रावधान की गई राशि से अधिक की निकासी हुई है, जो फ्रॉडिज्म है, धोखाधड़ी है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1987-88 से 1994-95 के बीच 430 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निकासी की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग की जाँच के लिए 13 जनवरी को कमेटी बना दी, लेकिन 4 माह के बाद भी जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

दफ्तरों में 487 करोड़ का घोटाला

बिहार सरकार के 70 हजार दफ्तरों में से 5 हजार दफ्तरों की जाँच में 478 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने एफिडेविट दाखिल कर इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि यह घपला एडवांस, एरियर एवं स्टेशनरी में हुआ है। यह मामला 1995 से 1991 के बीच का है, जिसकी जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। एक माह के अंदर राशि जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं उनके चल-अचल संपत्ति से राशि वसूलने की बात कही गई, लेकिन अभी तक मात्र 70 लाख रुपए की वसूली की जा सकी। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने एफ.आई.आर. दर्ज किए गए और कितने मामलों में कुर्की-जब्ती की गई? मेरा मानना है कि सारा मामला जहाँ का तहाँ रह गया। यदि पाँच हजार दफ्तरों की जाँच में 478 करोड़ रुपए का घोटाला पता चला है, तब सभी दफ्तरों की जाँच करने पर पता नहीं कितने करोड़ रुपए के घोटाले का परदाफाश होगा?

अलकतरा घोटाला

कांग्रेस के कुछ लोगों ने अलकतरा घोटला की बात की है। इलियास साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी इससे संबंधित तथ्य हैं। कलकत्ता से भेजे जाने वाले एवं यहाँ पहुँचने वाले अलकतरे की जाँच क्या कभी कराई गई है? मंत्री ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में 86 करोड़ रुपए का अलकतरा खरीदा गया है। मेरे पास इसका प्रमाण है कि विभिन डिविजनों में निर्धारित मात्रा से कम अलकतरा पहुँचा है। ठीकेदार 60 प्रतिशत अलकतरा कलकत्ता में ही बेच देते हैं और केवल 40 प्रतिशत ही यहाँ पहुँचता है। इस संबंध में मैं इलियास साहब से सदन में इस आशय के प्रतिवेदन की माँग करता हूँ कि किस वर्ष कितना अलकतरा कलकत्ता से आया, किस डिविजन में कितना भेजा गया, इससे कितने कि.मी. सड़क बननी थी और कितने किलो मीटर सड़क बन सकी?

मो. इलियास हुसैन (मंत्री) : तेरह हजार चार सौ किमी में से…

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : हमारे पास लिखित जानकारी है।

□

दबंगई पर उतरे राबड़ी सरकार के मंत्री और भ्रष्टाचार में डूबी नौकरशाही

बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के पक्ष में 24 मार्च, 1998 को विरोधी दल के नेता श्री सुशील कुमार मोदी के भाषण का संपादित अंश।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, केंद्र में चाहे किसी भी दल की सरकार बनी हो, लेकिन औपचारिकतावश ही सही, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसके गठन के स्वागत का जिक्र होना चाहिए था, जो नहीं है। मैं सदन की ओर से दिल्ली में बनी नई सरकार का स्वागत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के क्रम में माननीय मुख्यमंत्रीजी को उपस्थित रहना चाहिए था···।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसुजी के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण वहाँ विरोधी पक्ष के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इतनी महत्त्वपूर्ण चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अनुपस्थिति के संबंध में सत्ताधारी दल को विचार करना चाहिए।

···लेकिन जहर नहीं खाएँगे लालू

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसादजी ने घोषणा की थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर वे जहर खाकर मर जाएँगे। हालाँकि मैं जानता हूँ कि इस घोषणा का हाल भी पिछले आठ वर्षों के दौरान की गई घोषणाओं जैसा ही होगा, जिन पर कभी अमल नहीं किया गया।

(व्यवधान, शोर-शराबा)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—वैसे हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दिल्ली की किसी भी दुकान में जहर उपलब्ध नहीं हो, इसलिए ऐसा अवसर नहीं आएगा, ये लोग चिंता नहीं करें।

श्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा (मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर के सवाल पर हूँ। वे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति रखें और बताएँ कि किन-किन बिंदुओं पर क्या छूट गया है और क्या जोड़ा जाए? वे बताएँ कि बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं?

वादा याद दिलाने पर गुस्सा क्यों?

श्री सुशील कुमारी मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल के लोगों को गुस्सा क्यों आता है? परसों गुस्से में इन्होंने सदन में ही एक विधायक को पीट दिया। यदि माननीय विधायक ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने जाते हैं, किसी अपराधी को शरण दिलाने जाते हैं, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता है। बिहार की नौ करोड़ जनता को धोती-साड़ी देने का वायदा मुख्यमंत्री को याद करा देने के कारण उन्हें गुस्सा आ गया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। जब लालूजी मुख्यमंत्री थे, तब मैंने विधानसभा में उनसे स्पष्ट पूछा था कि एक जोड़ी धोती-साड़ी एक साल में मिला करेगी या पाँच साल में? सदन की प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, उन्होंने सालभर में एक जोड़ी धोती-साड़ी देने की बात कही थी। तीन साल हो गए उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों को धोती-साड़ी नहीं मिली।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब रैली के तीन दिन पहले हाजीपुर में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि एक महीना के भीतर गरीबों को 15 रुपए में धोती-साड़ी का वितरण नहीं कराने पर वे राजनीति छोड़ देंगे। सभी अखबारों में यह खबर छपी है और इसकी कटिंग भी है। वैद्यनाथ पांडे ने बयान दिया है कि 32 करोड़ रुपए की धोती-साड़ी की आपूर्ति 33 जिलों में की गई है। यद्यपि सी.बी.आई. से इसकी जाँच कराई जा रही है, परंतु इससे पूर्व सदन जानना चाहेगा कि आकाश नामक संस्था द्वारा आपूर्ति की गई धोती-साड़ी का वितरण कहाँ किया गया? इस संस्था को आपूर्ति के लिए भुगतान भी कर दिया गया। जाँच के दायरे में इसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने संबंधी विषय को क्यों नहीं लाया गया? 3 दिसंबर, 1996 को चीफ सेक्रेटरी एके बसाक की अध्यक्षता में आहूत बैठक में धोती-साड़ी की कीमत अधिक बताते हुए निगरानी आयुक्त ने इसपर आपत्ति की थी। फिर किसके कहने पर आकाश नामक संस्था को इसका कांट्रैक्ट दिया गया?

33 लाख रुपए का कंबल वितरण किया गया, जिसकी आपूर्ति इस संस्था द्वारा 110 रुपए प्रति कंबल की दर से की गई थी। कंबल घटिया होने के कारण इसका विरोध किया गया, परंतु पुन: उसी संस्था को धोती-साड़ी आपूर्ति करने का आदेश दिया गया। सदन इसका कारण जानना चाहेगा।

सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जाँच के कारण क्या धोती-साड़ी योजना स्थगित कर दी जाएगी? पशुपालन घोटाला की जाँच जारी रहने के कारण क्या राजकुमार महासेठ को मंत्री पद से हटाकर पशुपालन विभाग को बंदकर दिया गया? उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय किए गए वायदे के मुताबिक आज लोग आपसे धोती-साड़ी की माँग कर रहे हैं। इस बात की याद दिलाने या इसे कुरेदने पर आपको गुस्सा आ गया और आपने पिटाई कर दी।

तीन जोड़ी धोती-साड़ी दीजिए

उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विरोधी दल का कर्तव्य है कि वह सरकार द्वारा किए गए वायदों की याद दिलाए, उसे कुरेदे। अभी भी आपके पास समय है। इसलिए गरीबों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी धोती-साड़ी उपलब्ध कराने के अपने वायदे के मुताबिक तीन वर्षों के लिए तीन जोड़ी धोती-साड़ी उन्हें उपलब्ध कराने की घोषणा सदन में कीजिए। जनता पिछले तीन वर्षों से इसका इंतजार कर रही है।

आपने प्रत्येक गरीब को लाल कार्ड देने का वायदा किया था। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के पेज नं. 8 पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले 84 लाख परिवारों को लाल कार्ड उपलब्ध करा दिए जाने का उल्लेख है। मैं अभिभाषण के इस अंश को चुनौती देता हूँ। इसके वितरण का अभिप्राय यह है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को तीन रुपए प्रति किलो की दर से 6 किलोग्राम गेहूँ और चार रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 4 किग्रा. चाबल उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री लाल बाबू प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉइंट ऑफ आर्डर है। मैं विरोधी दल के माननीय नेता श्री सुशील कुमार मोदी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को क्यों बिथड्रॉ कर लिया? सिविल कोड की बात हुई। फिर रामजन्म भूमि पर मंदिर बनाने के कार्यक्रम का क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्राडिज्म नहीं तो और क्या है?

उपाध्यक्ष—प्वॉइंट ऑफ आर्डर के नाम पर खड़ा हो जाना परिपाटी सी बनती जा रही है, जो ठीक नहीं है। इसे बंद किया जाए। प्वाइंट ऑफ आर्डर के नाम पर बोलने की इजाजत देना और उसे सुनना आसन की मजबूरी होती है। यह प्वाइंट ऑफ आर्डर का विषय नहीं है। यह प्वॉइंट ऑफ इनफॉरमेशन का विषय हो सकता है और इस

संबंध में आसन को यह निर्णय लेने का अधिकार कि इजाजत दी जाए अथवा नहीं।

श्री महावीर चौधरी—माननीय सदस्य प्वॉइंट ऑफ आर्डर के नाम पर किसी भी विषय पर बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

2/3 लोगों को भी नहीं मिला लाल कार्ड

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—पूरे बिहार में 2/3 लोगों को भी लाल कार्ड नहीं उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिन्हें मिला है, उनमें से बहुत कम लोगों को आधे दाम पर अनाज मिल रहा है। गरीबों के नाम पर आने वाले अनाज की कालाबाजारी हो रही है। उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसी सूचना है कि 7 सीमावर्ती जिलों—पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, साहेबगंज तथा पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण से तस्करी के माध्यम से अनाज बँगलादेश एवं नेपाल जा रहा है।

केंद्रीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 16 हजार टन अनाज बिहार सरकार को भेजा गया है। लेकिन वह इसका वितरण नहीं करा रही है, जबकि लोग लाल कार्ड लेकर घूम रहे हैं। उन्हें न तो धोती-साड़ी मिल रही है और न ही राशन। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा थी, परंतु क्या इसे अपंगों, अपाहिजों, विधवाओं और विकलांगों को दिया जा रहा है? मुख्यमंत्रीजी को यह जानकर आश्चर्य है और वे इसकी समीक्षा कर रही हैं। वे कहती हैं, ''रउआ सब के न बँटल!'' लेकिन इसके नहीं बाँटे जाने का कारण बताने वाला कोई नहीं है। पैसा दीजिएगा तब तो बँटेगा।

वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान बंद

वर्ष 1996-97 में 116 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया, परंतु कितने पैसे मिले? श्री रामदास राय, राज्यमंत्री के हवाले से छपा है कि 93 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि में से मात्र 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले अप्रैल से लेकर अब तक, अर्थात एक साल से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान अधिकांश जिलों में बंद है। कभी यह पेंशन दो माह का मिलता है, फिर चार माह का नहीं मिलता है। मुख्यमंत्रीजी इसे नहीं बाँटे जाने की बात कहती हैं। आप लोगों के रहते इसे क्यों नहीं बाँटा जा रहा है?

दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के तहत गरीब आदमी के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दस हजार रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। तीन दिन पहले अखबारों में मंत्री का बयान आया है कि पारिवारिक लाभ योजना और मातृत्व लाभ योजना में काफी राशि पड़ी हुई है, जबकि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में 13 दिन ही शेष रह

गए हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए चल रही योजनाओं की कैसी स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में लोक सभा के 26 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल को सर्वाधिक सफलता मिली है, परंतु वहाँ का क्या हाल है?

बंद हुई सभी 13 चीनी मिलें

अंग्रेजों ने 1904 ई. में चीनी मिल लगाई, लेकिन आजादी के 50 वर्षों के बाद भी उन्हें चलाने की काबिलियत इनमें नहीं है। वर्ष 1990 में श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के समय 15 में से 13 चीनी मिलें चल रही थीं और जब श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं तब वे सभी 13 चालू मिलें बंद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राघवेंद्रजी किसानों को गन्ना का मूल्य दिलवाने की शेखी बधारते थे, लेकिन, आज तक उन्होंने इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया, जबकि उत्तर बिहार में चीनी उद्योग ही एकमात्र उद्योग है। अगर चीनी मिलें नहीं चलानी थीं, तब यह बात इन किसानों को बता देनी चाहिए थी।

श्री राजकुमार महासेठ—चीनी मिलों का भुगतान हाईकोर्ट के आदेशानुसार बंद है, न कि सरकारी आदेश से।

गन्ना जला देने को बाध्य हुए किसान

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—हाईकोर्ट ने भुगतान बंद करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि उसने पहले वेतन की व्यवस्था करने को कहा है। गन्ना अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार रिजर्व एरिया में उत्पादित गन्ना को खरीदने का दायित्व चीनी मिलों का है। बिहार के किसान लाखों टन गन्ना या तो जला देने के लिए बाध्य हो गए हैं अथवा उन्हें निजी चीनी मिलों के हाथों कौड़ी के भाव बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? यदि चीनी मिलें चालू नहीं रखनी थीं, तब किसानों को गन्ना का उत्पादन करने से मना कर दिया जाना चाहिए था।

ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार बढ़ा

उपाध्यक्ष महोदय, अशोकजी ने अपने भाषण में एन.सी. सक्सेना का नाम लिया है। एन.सी. सक्सेना की बातें कड़वी हो सकती हैं, परंतु क्या उनमें सच्चाई नहीं है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार ऊपर स्तर पर बढ़ रहा है, इसलिए निचले स्तर के

अफसरों को भी पैसा बनाने की छूट मिली हुई है। ऊपर से नीचे तक के अफसर राजनीतिक आकाओं के लिए पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। ईमानदार अफसर काम में मन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से संरक्षण मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग बिहार को अपनी निजी संपत्ति मान रहे हैं। बिहार के अनेक अफसर अंग्रेजी दा बन रहे हैं। वे भ्रष्ट और अल्पकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय हैं।

श्री सक्सेना अपने पत्र में आगे लिखते हैं कि बिहार सरकार को पैसा देने की बजाय यदि प्रत्येक गरीब को 2350 रुपए मनी ऑर्डर से सीधे भेज दिए जाएँ, तो उसके पास पहुँच जाएँगे, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से भेजे हुए पैसे गरीबों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

गरीबों को सीधे पैसे भेजने पर विचार

महोदय, पचास साल में बिहार को ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया गया कि गरीबों को सीधे पैसा भेजने के लिए केंद्र सरकार को विचार करना पड़ रहा है। बी.डी.ओ., सी.ओ. और कलक्टर सब मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। विगत आठ वर्षों में ग्रामीण विकास के नाम पर ग्यारह हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं सदन में चुनौती देते हुए कहता हूँ कि बिहार में 30-40 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में ली जा रही है। 400 करोड़ रुपए की लूट हो रही है। नीचे से ऊपर तक के नौकरशाह और उन्हें संरक्षण देनेवाले राजनीतिज्ञों ने बिहार को लूट लिया है। आखिर गरीबों तक पैसे क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव को क्यों ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, सक्सेना साहब लिखते हैं कि 1997-98 में 1117 करोड़ रुपए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए, जबकि मंत्री श्री अवध बिहारीजी ने तीन दिन पहले अखबारों में 65 प्रतिशत राशि खर्च होने के संबंध में बयान दिया है। शेष राशि साल के अंत तक आपने क्यों खर्च नहीं की?

बिहार की स्थिति मध्य युग जैसी

उपाध्यक्ष महोदय, सक्सेना साहब के अनुसार बिहार की स्थिति मध्य युग की याद दिलाती है। बिहार के अफसरों और उगाही करने वालों में फर्क करना असंभव हो गया है।बिहार की यही वास्तविक स्थिति है, जिस पर पत्र में टिप्पणी की गई है।

ईमानदारीपूर्वक पत्र लिखने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव को धमकी दी जाती है। ईमानदारी से काम करने पर यू.एन. विश्वास को भी धमकी मिलती है। उस पत्र के आधार पर सरकार को अपने दामन में झाँककर देखना चाहिए और अपने आपको ठीक

करने का प्रयास करना चाहिए, अभी भी समय है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के प्रधानमंत्रित्व काल का नहीं, बल्कि उस समय का है जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे।

कोई ईमानदार अफसर नहीं बचा

पटना हाईकोर्ट में बिहार की खस्ताहाल सड़कों पर बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस राज्य में शायद एक भी ईमानदार अफसर नहीं रह गया है। यह बात केवल बिहार की नौकरशाही पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञों पर भी एक तमाचा है। यहाँ मुख्य सचिव और डी.जी.पी. को तीन-तीन बार एक्सटेंशन मिला है, जबकि ईमानदार अफसर दिल्ली जा रहे हैं।

मुंशीलाल राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ।

उपाध्यक्ष—क्या व्यवस्था है?

मुंशीलाल राय—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, विरोधी दल हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करने के पहले उसे देख लें। ऐसा कोई फैसला नहीं आया है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—महोदय अखबारों में छपा है, उन पर प्रतिबंध लगा दीजिए।

मुंशीलाल राय—गलत है। हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार को संरक्षण देने पर यह सदन···

(व्यवधान, शोर)

उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के विभिन्न अखबारों यथा जनसत्ता, पायोनियर आदि में छपा है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। अगर यह आपत्तिजनक है, तब याचिका दाखिल करें और यदि अखबारों ने गलत छापा है, तब उनके विरुद्ध काररवाई करें।

श्री मुंशीलाल राय—उपाध्यक्ष महोदय, यह हाईकोर्ट का फैसला नहीं है, सदन में गलत बयान नहीं दिया जाना चाहिए। नेता, विरोधी दल अखबारों के आधार पर बोल रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात कहें, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करना अथवा राज्यपाल का नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उसकी कॉपी मैं दिखला दूँगा।

श्री मुंशीलाल राय—नहीं है, नहीं दिखला सकते हैं।

घोटालों की जाँच रिपोर्ट दबी

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय, तीन सौ करोड़

रुपए के अलकतरा घोटाले की जाँच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन कई सालों के बाद भी आज तक सदन में नहीं रखा गया। मैं चाहूँगा कि इसे चालू सत्र में ही सदन के समक्ष रखा जाए। इसी प्रकार 400 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले की जाँच के लिए सदन की कमेटी बनी थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसका जाँच प्रतिवेदन सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया?

उपाध्यक्ष महोदय, दो साल बीत गए, लेकिन टाटा लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, इसके पीछे कैसी साँठ-गाँठ चल रही है? माननीय सदस्य श्री विक्रम कुँवर ने 300 करोड़ रुपए के दवा घोटाला की जाँच सी.बी.आई. से कराने का प्रश्न उठाया था। इस पर क्या निर्णय लिये गए? इन सारे प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना होगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संस्थाएँ दंतहीन

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सभी संस्थाओं को बिहार सरकार ने दंतहीन एवं नुमाईशी बनाकर रखा है। लोकायुक्त का पद दो वर्षों से खाली है। निगरानी विभाग के आई.डी., डी.पी. ओझा को पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। उनका कहना है कि इस विभाग के सर्कुलर के मुताबिक मुख्य सचिव/ मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना निगरानी थाना में मामला दायर नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, निगरानी विभाग में अभी 1400 मामले लंबित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री शेषमुनी राम के विरुद्ध निगरानी थाना में मामला दर्ज करने की अनुमति चार वर्षों तक नहीं दी। अंततः सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार करने के बाद ही सरकार को ऐसी अनुमति देनी पड़ी।

माननीय मंत्री श्री मुंशीलाल राय द्वारा सदन में नन-बैंकिंग कंपनियों का मामला उठाया गया था। जेबीजी, हेलियस, पाटला आदि विभिन्न नन-बैंकिंग कंपनियाँ बिहार के लोगों का एक हजार करोड़ रुपया लेकर चली गईं, लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ काररवाई नहीं की। इसके संबंध में जाँच आयोग गठित करने की घोषणा विधानसभा में की गई थी जिसे दो वर्षों में रिपोर्ट देना है। यह निर्णय डेढ़ वर्ष पूर्व लिया गया, लेकिन आयोग ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। तीन दिन पहले माननीय मंत्री श्री अकलू राम महतोजी ने बयान दिया कि जस्टिस नागेंद्र राय को इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। दो पद अभी भी खाली है।

पशुपालन घोटाला उजागर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने 4 मार्च, 1996 को सैयद अली अहमद साहब की अध्यक्षता में अधिकाई व्यय जाँच आयोग का गठन किया। इसका कार्य वर्ष 1977 से लेकर आज तक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में किए

गए अधिक व्यय की जाँच करना था। इस आयोग के गठन के दो वर्ष के बाद भी इसकी रिपोर्ट नहीं आई। अतत: इसके चेयरमैन ने दिनांक- 03.03.1998 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस आयोग का कोई उपयोग नहीं रह गया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार यदि चाहे तो वर्ष 1977 से अभी तक की बजाय तीन वर्ष के अधिकाई व्यय की जाँच कराए ताकि सही समय पर इसे पूरा किया जा सके।

बिना जरूरत के जाँच आयोग

उपाध्यक्ष महोदय, चेयरमैन द्वारा आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने के लिए लिखे जाने के बावजूद 17 मार्च को इस संबंध में चिट्ठी निर्गत कर इसे विस्तारित कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश नहीं है तो और क्या? पटना हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में अधिकाई व्यय जाँच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं बताई थी, फिर भी इसे अभी तक बनाए रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक- 09.10.1995 को जैक (झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद्) का गठन हो गया है, लेकिन ढाई वर्षों के बाद भी इसका चुनाव नहीं हुआ। दो-दो बार चुनाव हार जाने के बावजूद इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं, जबकि जैक के प्रावधान की धारा 12 (2), के अनुसार चुनाव हारने के बाद कोई भी व्यक्ति इसके अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी जैक चुनाव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। इस सदन द्वारा अलग राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा ही जा चुका है। मैं तो मुख्यमंत्रीजी से आग्रह करूँगा कि वे प्रधानमंत्रीजी से बिहार से अलग वनांचल राज्य गठित करने को कहें।

महोदय, यह सरकार इतने अधिक कमीशन गठित करने की घोषणा क्यों करती है? रणवीर सेना के मामले को लेकर भी अमीर दास आयोग बनाने की घोषणा की गई, परंतु तीन माह बीत जाने के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई।

चैंबर में घुसकर एस.डी.ओ. की पिटाई

महोदय, परसों जिस तरह का दृश्य सदन में था, वही इसके बाहर भी है। हमारी मुख्यमंत्री यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, भाई, जेठ, देवर आदि को नियंत्रण में रखें। पहले तो सिर्फ उनके भाई का ही इस प्रकार का व्यवहार होता था, लेकिन 11 मार्च को महावीर प्रसाद राय और नागेंद्र प्रसाद राय ने पटना के एस.डी.ओ. के चेंबर में घुसकर उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया। उनकी पिटाई की और तरह-तरह की धमकियाँ दीं। जब इसके

विरोध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की, तब दोषियों के विरुद्ध एक कमजोर एफ.आई.आर. दर्ज करके उन्हें बेल दिलवा दिया गया।

सी.एम. की ससुराल वालों का हमला

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री के भाइयों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। गोपालगंज जिला के उचका ओपी पर 4 दिन पहले पथराव करने वाले कौन थे? हथुआ बाजार में चोरों ने डेढ़ लाख रुपए का कपड़ा चुरा लिया। थाना प्रभारी द्वारा मुख्यमंत्री की ससुराल फुलवरिया में छापामारी करने पर पूर्व मुख्यमंत्री के भाई मंगरू यादव एवं अन्य ने थाना पर हमला कर दिया। वहाँ के मुंशी को बगल के थाना में शरण लेनी पड़ी। क्या सत्ताधारी दल के लोगों एवं मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदारों का यही आचरण होगा?

मंत्रियों-विधायकों पर बूथ लूट के मामले

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि वे अपने मंत्रियों को सँभालकर रखें। उन्हें मंत्रिपरिषद् के दायित्व के बारे में पता होना चाहिए। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस सरकार के दो दर्जन मंत्री और विधायक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अथवा बूथ कब्जा करते हुए पकड़े गए और उन्हें विभिन्न थानों में रखा गया। उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया और किसी को जमानत पर रिहा किया गया। हमारी बहन श्रीमती सीता सिन्हाजी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें समस्तीपुर थाना में जमानत करानी पड़ी। श्री रामदास राय को बूथ लूटने के आरोप में ग्रामीणों ने घेर लिया। इसके बाद उनके खिलाफ थाना में एफ.आई.आर. दर्ज हुआ, वे फरार घोषित हुए और तब 10 दिनों पहले जमानत करानी पड़ी। सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के राज्यमंत्री के अंगरक्षक देवेंद्र प्रसाद यादव को बंदूक की नोक पर बूथ नं. 209 कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हिलसा के विधायक को बूथ कब्जा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गया के एक विधायक पर भी आरोप है। विधायक भिखन बैठा, मोतीउर रहमान और मुंशीलाल राय पर भी आरोप है। मंत्री मुंशीलाल राय से उनका गार्ड वापस ले लिया गया और उन्हें हाजीपुर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। एक मंत्री का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है?

पूरे देश में बिहार शर्मसार हुआ

उपाध्यक्ष महोदय मेरे पास दर्जनों नाम हैं, जिनके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसी सदन के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। मैं इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करना

चाहता हूँ। लेकिन इस घटना से पूरे देश में बिहार का सिर शर्म से झुक गया। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने विधान सभा में बड़ी बहादुरी से मेरा हाथ मरोड़कर कागज छीना था। उनपर भी पारू थाना में एफ.आई.आर. दर्ज है।

श्री राम विचार राय (मंत्री)—मोदीजी, उस कुरसी पर बैठने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। आपकी बातें सत्य से परे हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सी सरकार चल रही है। इतने बड़े पैमाने पर बूथ लूटे जाने के बाद भी भाजपा-समता गठबंधन ने 174 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल केवल 90 विधानसभा क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। महोदय मेरे पास 34 मंत्रियों की सूची है, जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 20 हजार मतों से हारे हैं। श्रीमती आबो देवी इनमें सबसे ऊपर रहीं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में 64 हजार मतों से पीछे रह गईं। खूब बोलने और हल्ला मचाने वाले मंत्री श्री देवनाथ प्रसादजी और रवींद्रचरण यादवजी का भी यही हाल हुआ। वे शरद यादवजी को मधेपुरा में घुसने से रोकने की धमकी देते थे, लेकिन उदाकिशुनगंज विधानसभा क्षेत्र में 9 हजार मतों से पीछे रहे।

(व्यवधान)

श्री अंबिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक इंफॉरमेशन देते हुए नेता, विरोधी दल से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जिस आधार पर अभी वे चुनाव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, क्या उसी आधार पर वे महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार से इस्तीफा की माँग करेंगे?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—महोदय, केवल इनकी सीटें ही नहीं घटी हैं, बल्कि इनका वोट भी 31 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत रह गया है। इस नैतिकता के आधार पर पहले रावड़ीजी इस्तीफा दें फिर मैं महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा दिलवाने की गारंटी देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह (मंत्री)—महोदय नेता, विरोधी दल ने सदन की परंपरा को ध्वस्त किया है···।

उपाध्यक्ष—मैं नेता, विरोधी दल का भाषण गौर से सुन रहा था। माननीय मंत्री जगदानंदजी द्वारा उठाई गई नियमापत्ति के संबंध में मेरे दृष्टिकोण में नेता, विरोधी दल ने वैसा कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है।

(व्यवधान)

जिन बिंदुओं पर नियमापत्ति उठायी गई है, उनके संबंध में प्रोसीडिंग को मैं पुन: देख लूँगा। यदि इस प्रकार का कोई आरोप···।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बातों से सत्ताधारी दल के लोगों को काफी तकलीफ हो रही है।

उपाध्यक्ष—मोदीजी, इस प्रकार का कोई आरोप पाए जाने पर उस अंश को मैं निकाल दूँगा।

(व्यवधान)

सी.एम. सुइट में कैसे ठहरते हैं लालू?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—लालूजी अभी मुख्यमंत्री नहीं हैं, फिर किस हैसियत से वे बिहार निवास में मुख्यमंत्री के कमरे में ठहरते हैं? प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सुइट में केवल वह और उनके साथ के गेस्ट ही रह सकते हैं, जबकि इस नियम का उल्लंघन करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह वहाँ जाकर महीनों रहते हैं और गाड़ियाँ, टेलीफोन एवं तमाम साधनों का उपयोग करते हैं। अगर मेरी यह बात गलत हो, तो आप मुझे इसकी सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि वे ऐसी परम्परा को रोकें?

उपाध्यक्ष—अब समाप्त कीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल)—माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ने अभी अपने भाषण में एक बार भी श्रीमती राबड़ी देवी का नाम नहीं लिया है, बल्कि वे सिर्फ लालूजी का गुणगान करते रहे। मैं सत्ताधारी दल के लोगों से कहना चाहूँगा कि अगले पाँच साल तक लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। □

बिहार के लिए वरदान सिद्ध होगा झारखंड का गठन

बिहार पुनर्गठन विधेयक 1998 पर 18-21 जुलाई, 1998 को बिहार विधानसभा में बहस के दौरान विरोधी दल के नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने अपने लंबे सारगर्भित भाषण में भौगोलिक, राजनीतिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बिहार का विभाजन कर नए झारखंड राज्य का गठन करना 21वीं सदी में दोनों क्षेत्रों की जनता के तेज विकास के लिए आवश्यक है, जबकि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल राज्य के बँटवारे पर भावनाएँ भड़का कर अवसरवादी राजनीति कर रहा है। यहाँ प्रस्तुत है सदन की कार्यवाही और श्री मोदी के भाषण का संपादित अंश।

श्री जगबंधु अधिकारी (उपाध्यक्ष)—नेता विरोधी दल, माननीय सुशील कुमार मोदी अपने विचार रखें।

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय,

1992 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने घोषणा की थी कि ''झारखंड मेरी लाश पर बनेगा''। उसी लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में जेल जाने से 7 दिन पूर्व 22 जुलाई, 97 को विधानसभा से, मात्र एक मिनट में, बिना किसी वाद-विवाद के, अलग झारखंड राज्य गठित करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करा दिया। मैं सदन की उस दिन की कार्यवाही के अंशों को झूठ, फरेब, धूर्तता और विश्वाससघात के इतिहास का दस्तावेज बनाना चाहता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे अवसरवादी नेताओं को पहचान सके, जो कभी अलग राज्य और बिहार के बँटवारे का विरोध करते हुए अपनी लाश पर झारखंड बनने की बात करते हैं और कभी अपनी अल्पमत सरकार

को बचाने के लिए अपनी बात से पलटकर अलग राज्य के पक्ष में प्रस्ताव पास कराते हैं, तथा फिर एक ही वर्ष के भीतर उन्हें अलग राज्य बनने से देश के टूटने का खतरा दिखाई पड़ने लगता है।

विपक्ष को निष्कासित कर पास कराया बिल

महोदय 22 जुलाई, 97 को भाजपा, समता पार्टी, जनता दल समेत अनेक दलों के लगभग 80 विधायकों को 5 दिनों के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि वे चारा घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद से इस्तीफे की माँग कर रहे थे। उस दौरान सदन में केवल लालू समर्थक, कांग्रेस, झारखंडी पार्टियाँ तथा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक सदन में उपस्थित रह गए थे। अंतराल के बाद जब कार्यवाही प्रारंभ हुई तो संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुनाथ झा ने प्रस्ताव रखा—

''अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि वह पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करे।''

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सभा केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि वह पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करे।

''प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ।''

आदरणीय श्री राजो सिंह, जो कांग्रेस में रहते हुए राजद सरकार के राजनीतिक सलाहकार हैं, वे खड़े होकर कहते हैं, अध्यक्ष महोदय···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—राजो सिंह हमारी पार्टी के माननीय सांसद हैं और वे किसी के राजनीतिक सलाहकार नहीं हैं, राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। इस तरह की अनर्गल बातें न किया करें।

श्री सुशील कुमार मोदी—श्री राजो बाबू खड़े हो गए और बोले; अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा हो गया, लेकिन आप हमारे झारखंड के नेताओं से कहिए कि वे हम लोगों को एक जोड़ा धोती और विदाई दे दें। जाइए, अब आप लोग बढ़िया से सँभालिए।

श्री फुरकान अंसारी—अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, इस पर एक मिनट हमारी बात को भी सुन ली जाए।

अध्यक्ष—यह बिल नहीं है, आप बैठिए। जब प्रस्ताव पास हो गया तो फिर इस पर बहस क्या होगी?

कभी बँटवारे का समर्थन, कभी विरोध

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, यह है 22 जुलाई, 1997 की कार्यवाही का अंश। 1992-93 में यदि झारखंड का विरोध उचित था, तो अलग राज्य के पक्ष में

1997 में प्रस्ताव क्यों? और यदि 22 जुलाई, 97 के विभाजन का प्रस्तावित उचित था तो आज अलग राज्य का विरोध क्यों? इसका अर्थ है कि अलग राज्य का आज जो राजद विरोध कर रहा है, उसका कोई नैतिक, तार्किक आधार नहीं, बल्कि शुद्ध अवसरवाद है। एक बार सरकार बचाने के लिए ये विभाजन का प्रस्ताव पास करा सकते हैं और पुन: उसी सरकार को बचाने के लिए अलग राज्य का प्रस्ताव वापस ले सकते हैं।

श्री फुरकान अंसारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉइंट ऑफ इंफॉरमेशन है। उस दिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने सदन का वाकआउट किया था, निकाले नहीं गए थे।

उपाध्यक्ष—वे तो बोल ही रहे हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री जयप्रकाश यादवजी बार-बार अपने भाषण में लोकनायक जयप्रकाशजी का जिक्र कर रहे थे, परंतु उन्हें पता नहीं है कि अलग राज्य पर जेपी के क्या विचार थे?

जेपी भी चाहते थे बिहार का बँटवारा

जेपी ने अपनी मृत्यु से लगभग दो वर्ष पूर्व लोहिया विचार मंच के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपने जीवन की अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर और दक्षिण बिहार का बँटवारा कर दिया जाए, क्योंकि दोनों की संस्कृति एक-दूसरे से भिन्न है। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न इन दोनों क्षेत्रों का इस बँटवारे से विकास होगा। 12 नवंबर, 77 को पटना के ब्रज किशोर मेमोरियल हॉल में लोहिया विचार मंच के कार्यक्रम में (जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात समाजवादी चिंतक किशन पटनायक कर रहे थे) जेपी ने कहा था—

इस बँटवारे में दोनों का कल्याण होगा। मैं इस अवसर पर बिहारवासियों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो भारतीय हूँ मगर बिहार प्रदेश भारत का हृदय है। बिहार का एक हजार वर्ष का इतिहास भारत का इतिहास है। आज मैं बिहार के दो टुकड़े करने के पक्ष में हूँ। उत्तर बिहार की संस्कृति दक्षिण बिहार से भिन्न है। यह मैं जानता हूँ कि बँटवारे के नाम से ही भावोत्तेजना पैदा हो जाती है। लगता है, कुछ खो जाने वाला है। लेकिन इससे दोनों क्षेत्रों का विकास होगा। छोटे-छोटे राज्य बने, प्रशासन गहराई में जाए, आज प्रशासन का ढाँचा मात्र खड़ा है। जज-कलक्टर का स्वराज में नया स्वरूप होना चाहिए। मैं बिहार के बँटवारे की बात आज इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सबकी शक्ति जगे।

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने किन-किन राज्यों में अलग राज्य संबंधी बिल लाया है? जिन राज्यों ने अलग राज्य के पक्ष में

प्रस्ताव पारित नहीं किया, उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बिल नहीं लाया। विदर्भ की माँग भाजपा की पुरानी माँग है। भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र में विदर्भ अलग राज्य का उल्लेख है। भाजपा इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़ी। लेकिन चूँकि महाराष्ट्र विधानसभा ने आज तक विदर्भ अलग राज्य के पक्ष में प्रस्ताव पारित नहीं किया, इसलिए केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र में अलग राज्य का बिल नहीं लाया। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की विधान सभाओं ने क्रमश वनांचल, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के अलग राज्य का प्रस्ताव पारित किया, इसलिए केंद्र की सरकार ने इन तीन राज्यों के ही पुनर्गठन का विधेयक लाने का निर्णय लिया। संविधान के अनुसार अलग राज्य के गठन हेतु किसी विधानसभा का प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। केंद्र सरकार स्वयंमेव राज्य पुनर्गठन हेतु सक्षम है।

प्रस्तावित झारखंड की सीमा का उल्लेख नहीं

उपाध्यक्ष महोदय, 22 जुलाई, 97 को विधानसभा से पारित प्रस्ताव में जानबूझ कर प्रस्तावित झारखंड राज्य की सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। अब सरकार कहती है कि वह 18 जिलों के नहीं, बल्कि 26 जिलों के वृहत्तर झारखंड के पक्ष में है तथा प्रस्ताव में उल्लिखित झारखंड का अर्थ बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल तथा उड़ीसा के 26 जिलों से है।

राज्य सरकार ने बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद् का गठन किया है। बिहार विधानसभा को अन्य राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अलग राज्य बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में झारखंड शब्द बिहार के ही 18 जिलों को मिलाकर बनने वाले अलग राज्य से प्रतिध्वनित होता है न कि चार राज्यों के 26 जिलों को मिलाकर बनने वाले किसी अन्य राज्य से।

एक ओर तो सरकार कहती है कि वह बिहार विभाजन के पक्ष में नहीं है, किसी भी कीमत पर बिहार को बँटने नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर कहती है कि 26 जिलों के बृहतर झारखंड राज्य के पक्ष में है। यदि 18 जिलों के वनांचल बनने से शेष बिहार को आर्थिक दृष्टि से नुकसान होगा तो क्या 26 जिलों के झारखंड बनने से शेष बिहार को लाभ होगा? और विभाजन तो बिहार का हर हाल में होगा, चाहे वह 18 जिलों का वनांचल बने या 26 जिलों का झारखंड। तो फिर विभाजन का विरोध क्यों? लाश पर झारखंड बनने की बात क्यों? हर हाल में बिहार का विभाजन तो होगा ही, परंतु ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, मानो अलग राज्य की माँग करने वाले बिहार विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं।

बँटवारे पर राजद की दोरंगी नीति

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष से जितने लोगों ने भाषण किया, वे एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी हालत में बिहार नहीं बँटेगा। तो फिर 26 जिलों के बिहार विभाजन का समर्थन क्यों? अगर आप भी विभाजन के पक्षधर हैं तो बिहार के लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास क्यों? या तो साफ कहिए कि 26 जिले हों या 18 जिले, किसी भी कीमत पर झारखंड राज्य नहीं बनेगा। राज्य का बँटवारा नहीं होगा, परंतु आप दक्षिण बिहार में जाकर बृहतर झारखंड के पक्ष में भाषण करते हैं और उत्तर बिहार में विभाजन का विरोध करते हैं, यह दोरंगी नीति नहीं चलेगी। इस अवसरवाद को हम बेनकाब करेंगे।

बँटवारे को जबरदस्ती कैसे रोक सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, विवाद इस बात पर हो सकता है कि बँटवारे में किस भाई को कितनी संपत्ति मिले, परंतु यदि कोई भाई यह कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ और आप जबरदस्ती कहें कि अलग नहीं होने देंगे, तो यह नहीं चलेगा। बिहार के लोग कह सकते हैं कि वनांचल अलग राज्य बनने से खनिज संपदा की रॉयल्टी के 700 करोड़ पाने से बिहार वंचित हो जाएगा। इसलिए इस 700 करोड़ में बिहार को भी हिस्सा मिलना चाहिए। दक्षिण बिहार के अलग होने से बिहार सेल्स-टैक्स के बड़े हिस्से से वंचित हो जाएगा, इसलिए उसमें भी बिहार को हिस्सा मिले। अलग राज्य बनने से शेष बिहार आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाएगा, इसलिए बिहार को आर्थिक पैकेज मिले, क्षतिपूर्ति मिले, विशेष सहायता मिले, ये बातें समझ में आ सकती हैं, परंतु यदि कोई यह कहे कि किसी भी हालत में बाँटने नहीं देंगे, तो क्या यह उचित होगा?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष—शांति, शांति।

बिरसा भगवान् से प्रेरित है आंदोलन

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, बिरसा भगवान् की शताब्दी मनाई जा रही है। इन्हीं बिरसा भगवान् से प्रेरणा लेकर 82 वर्षों से अलग राज्य का आंदोलन चल रहा है। लालू यादव जब पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी 30 वर्ष पूर्व से अलग राज्य का आंदोलन चल रहा है। आप उस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? अगर आप जन आकांक्षाओं को कुचलेंगे, तो पृथकतावादी, अलगाववादी ताकतों को बल मिलेगा। 82 साल पुराना आंदोलन अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। आज जब अलग राज्य का सपना पूरा होने जा रहा है, तो आप कहेंगे कि हम बँटने नहीं देंगे, हम

बिहार का विभाजन नहीं होने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 26 जिलों को मिलाकर ही झारखंड राज्य बनना है तो राजद वाले उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित कराएँ। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तथा पश्चिम बंगाल में सी.पी.एम. की सरकार है, जिनके बलबूते पर बिहार सरकार टिकी है। ज्योति बसु, सोनिया गांधी से यह कह कर लालू यादव उन विधानसभाओं से अलग राज्य का प्रस्ताव पारित कराएँ, किसने रोका है?

श्री हिंद केशरी यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर हूँ। जिस स्टेट का ये जिक्र कर रहे हैं। सदन से पास हुआ, चारों राज्यों को मिलाकर झारखंड बनाने का, उसका विरोध करके केंद्र सरकार ने अपमान किया है। बिहार को बाँटने के लिए वनांचल को अलग कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, हमलोग बिहार को बँटने नहीं देंगे।

झारखंड पहले भी अलग था

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, वनांचल या झारखंड क्षेत्र 1936 के पहले कभी बिहार का हिस्सा नहीं था। छोटानागपुर-संथालपरगना को ब्रिटिश शासन काल से ही अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त था।

1. बंगाल ऐक्ट 1883 के तहत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल भूखंड को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था, जिसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस प्रांत का विधिवत उद्घाटन 15 जनवरी, 1834 को किया गया, जिसकी राजधानी लोहरदगा को बनाया गया था।
2. बंगाल ऐक्ट 1854 के तहत साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी प्रांत का नाम बदलकर छोटानागपुर रखा गया। इसका मानचित्र डब्ल्यू.डब्ल्यू. मूटर द्वारा संपादित।
3. 1855-56 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छोटानागपुर, असम, आराकान की 6 अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों में बंगाल प्रांत विभाजित था। 1936 से पहले झारखंड बिहार का हिस्सा नहीं था।

संपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण हैं कि वर्तमान बिहार का यह स्वरूप 1936 में प्राप्त हुआ। इसके पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छोटानागपुर इन चार अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर बंगाल प्रांत कहा जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व ले. गर्वनर के अंतर्गत आनेवाले बंगाल प्रांत में निम्न क्षेत्र थे—

क्रमांक	राज्य	क्षेत्रफल	आबादी	जिलों की संख्या
01	बंगाल	97,068	42,943,325	27
02	उड़ीसा	9,841	4,343,150	04
03	बिहार	35,532	21,547,538	10
04	छोटानागपुर	32,433	67,10,110	06

सच्चिदानंद सिन्हा, महेश बाबू की भूमिका

1905 में जब अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल के हिस्से को असम में मिलाकर एक नया राज्य बनाकर बंगाल को विभाजित कर दिया तो बिहार में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, संपादक, हिंदुस्तान रिव्यू एवं श्री महेश नारायण, संपादक, बिहार टाइम्स के नेतृत्व में बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर को मिलाकर बंगाल से पृथक अलग राज्य का आंदोलन खड़ा किया गया। इस आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि 1912 में जब बंगाल के विभाजन को रद्द कर पूर्वी बंगाल को बंगाल में मिला दिया गया, तो बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर को बंगाल से अलग कर एक पृथक राज्य का गठन किया गया, जो बिहार-उड़ीसा राज्य के नाम से जाना जाएगा।

महोदय, 1 अप्रैल, 1936 को बिहार को पुनः विभाजित कर उड़ीसा और बिहार (छोटानागपुर सहित) नामक दो अलग राज्य गठित किए गए।

1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर वर्तमान बिहार का 3,166 वर्गमील क्षेत्र—मानभूम का पुरूलिया तथा किशनगंज का इसलामपुर, बंगाल में चला गया।

छोटानागपुर-संथालपरगना की हमेशा बिहार से अलग एक स्वतंत्र पहचान रही है। सभी दस्तावेजों में बिहार के साथ-साथ छोटानागपुर का अलग से उल्लेख मिलता है। इसी भिन्नता के कारण 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अलग से बना तथा शेष बिहार के लिए काश्तकारी अधिनियम अलग था। छोटानागपुर में कलक्टर को डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) कहते हैं। 1912 में जब बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर को बंगाल से अलग कर बिहार-उड़ीसा नामक पृथक राज्य बनाया गया तो पटना में नई राजधानी तथा राँची में ग्रीष्मकालीन राजधानी और दोनों स्थानों पर अलग-अलग सचिवालय का निर्माण किया गया।

विकास के लिए बंगाल से अलग हुआ था बिहार

जब बिहार बृहतर बंगाल का हिस्सा था, उस समय से बिहार के लोगों में प्रबल भावना थी कि जब तक बिहार बंगाल से अलग नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को 25 अगस्त, 1912 को भारत के गवर्नर जनरल ने पत्र लिखा कि इन बिहारियों को जबरदस्ती बंगालियों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए इन्हें कभी विकास का उचित अवसर नहीं मिल पाया। बिहार बिहारियों के लिए यह आवाज उठती रही है, क्योंकि बिहार के हिस्से के दफ्तरों में बंगाल के लोगों का कब्जा है। हाल के दिनों में बिहार के लोगों में जबरदस्त जागृति आई है, यह भाव प्रबल हुआ है कि तब तक बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है जब तक बिहार बंगाल से अलग नहीं होगा।

आज जिस प्रकार अलग राज्य बनने का कुछ निहित स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा जनता को भड़काकर विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अलग राज्य बनने से बाकी बिहार बालू फाँकेगा, उसी प्रकार बिहार को जब बंगाल से अलग किया गया तो बंगाल में प्रबल विरोध हुआ। उन दिनों रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस से लेकर सचिवालय तक की तमाम नौकरियों में बंगाल का कब्जा था। नौकरी का अर्थ था बंगाल। बंगाल के लोगों को भड़काया गया कि अगर बिहार अलग हो जाएगा तो वे नौकरी करने कहाँ जाएँगे, बंगाली युवक बेरोजगार हो जाएँगे। अगर उस समय बिहार को बंगाल से अलग नहीं किया जाता, तो क्या बिहार का विकास हो पाता?

आर्थिक नुकसान और भरपाई का मुद्दा

1936 में जब उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, तो उस समय भी विभाजन से होने वाली आर्थिक क्षति का मामला उठा था। 27 फरवरी, 1936 को बाबू राधा प्रसाद सिन्हा ने विधानमंडल में एक प्रस्ताव रखा था कि यह परिषद् सरकार को अनुशंसा करती है कि वह सर आटोनामियर से आग्रह करे कि बिहार एवं नए राज्य उड़ीसा में परिसंपत्तियों का संतोषजनक तथा समान वितरण इस प्रकार हो कि इन्हें आर्थिक लाभों से वंचित न होना पड़े, जैसा कि पूर्व की व्यवस्था (बृहतर बंगाल के साथ जब बिहार था) में हुआ था।

उस समय भी उड़ीसा को बिहार से अलग करने का विरोध हुआ था, क्योंकि बिहार–उड़ीसा संयुक्त राज्य ब्रिटिश भारत का 60 प्रतिशत कोयला, 80 प्रतिशत अभ्रक, संपूर्ण लोहा तथा संपूर्ण ताँबा उत्पादित करता था। आज उड़ीसा बिहार से अलग होकर इससे काफी आगे बढ़ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय की विधानसभा ने उड़ीसा अलग होने पर सरकार से क्षतिपूर्ति की माँग की थी। वर्तमान विधानसभा भी प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार के

नेतृत्व में दिल्ली चलकर आर्थिक पैकेज की माँग करे। यह बात समझ में आ सकती है, परंतु आप कहते हैं कि बँटवारा ही नहीं होगा, लाश पर बँटवारा होगा, कुरबानी दे देंगे। क्या वनांचल बिहार से अलग होकर भारत से बाहर चला जाएगा? क्या छोटे राज्य बनने से देश टूट जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा?

क्या 150 साल पुराना अखंड बिहार चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, अब तो राबड़ी सरकार को विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हमें 150 वर्ष पुराना अखंड बिहार चाहिए, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, आराकान सभी सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो अपने अमृतसर अधिवेशन में पश्चिम बंगाल और बिहार के विलयन के प्रस्ताव पर स्वीकृति भी दे दी थी।

23 जनवरी, 1956 को बंगाल के मुख्यमंत्री डॉ. बिधानचंद्र राय तथा डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार को बंगाल में मिला देने के प्रस्ताव पर संयुक्त हस्ताक्षर भी कर दिए थे।

बिहार-बंगाल को फिर एक करने का विरोध

24 फरवरी, 1956 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने विधानसभा में बिहार-बंगाल के विलयन का औपचारिक प्रस्ताव रखा। दो दिन की गंभीर बहस के बाद 25 फरवरी, 1956 को विधानसभा ने बिहार-बंगाल के विलयन के प्रस्ताव को 157/25 के बहुमत से अपनी स्वीकृति दे दी। परंतु सदन के बाहर एक आदमी था, जिसने बिहार-बंगाल विलयन का कड़ा विरोध किया, जिसने 13 मार्च, 1956 को दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से निर्णायक बातचीत की। इस आदमी का नाम जयप्रकाश नारायण था। परिणामत: मई 1956 में बंगाल के मुख्यमंत्री ने बिहार-बंगाल विलयन के उस प्रस्ताव को वापस ले लिया।

तो क्या यह सरकार, जो अखंड बिहार की बात कह रही है, वह इस बंगाल-उड़ीसा-आराकन के विलय के प्रस्ताव को पुन: जिंदा करना चाहती है? क्योंकि एक समय में ये सारे इलाके एक ही प्रांत के हिस्से थे।

(व्यवधान, शोर-शराबा)

श्री महावीर चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाबू का प्रस्ताव बिहार के बँटवारे का नहीं, दोनों राज्य को जोड़ने का प्रस्ताव था।

राज्य का विलयन, पुनर्गठन संविधान सम्मत

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, 1905 में बंग-भंग के पूर्व ब्रिटिश भारत में 12 प्रांत थे—

(1) निचला प्रांत (वृहतर बंगाल-बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर सहित) (2)मद्रास (3) बंबई, (4) संयुक्त प्रांत (5) पंजाब (6) मध्य प्रांत (7) असम (8) नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर राज्य (9) अजमेर-मेवाड़ (10) कुर्ग (11) ब्रिटिश बलुचिस्तान और (12) वर्मा।

जब देश आजाद हुआ, उस समय 600 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। संविधान लागू होने के समय 9-पार्ट-ए, 8-पार्ट-बी, 10-पार्ट-सी श्रेणी के राज्य थे।

संविधान निर्माताओं की यदि मंशा होती कि राज्यों की संख्या नहीं बढ़ानी है, तो संविधान की धारा 2 एवं 3 द्वारा सामान्य बहुत से नए राज्यों के गठन का प्रावधान नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण, विलयन, पुनर्गठन संविधानसम्मत है।

1953 में आंध्र राज्य के गठन हेतु चलाए गए हिंसक और उग्र आंदोलन तथा देश के अन्य राज्यों में पुनर्गठन की माँग को ध्यान में रखकर 22 दिसंबर, 1953 को पंडित नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने 16 राज्य तथा 3 केंद्रशासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की।

आयोग ने अकाली दल के पृथक पंजाब की माँग को अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने पेसू, पंजाब (हरियाणा सहित) तथा हिमाचल को एक राज्य पंजाब में ही रखने की अनुशंसा की। परंतु 10 वर्षों के भीतर ही पंजाब में अलग राज्य बनाने का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ (केंद्रशासित) राज्य का गठन करना पड़ा।

बँटवारे से बालू फाँकने की आशंका निर्मूल

मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया, तो यही कहा गया कि हरियाणा के लोग भूखों मरेंगे, बालू फाँकेंगे, बीच का संपन्न हिस्सा पंजाब खाद्यान्न का भंडार है और पंजाब के हरियाणा वाले हिस्से को हमेशा दुर्भिक्ष, अकाल का सामना करना पड़ता है।

आयोग के विरोध के बावजूद पंजाब बना। जिस हरियाणा के बारे में कहा गया कि सूखा और बाढ़ से प्रभावित रहता है, वह आज देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से एक है। अलग होने के बाद पंजाब, हरियाणा दोनों ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

हिमाचल प्रदेश का पंजाब के साथ विलय करने की अनुशंसा आयोग ने की थी। आयोग का मत था कि हिमाचल प्रदेश अत्यंत छोटा राज्य है और आर्थिक दृष्टि से अलग होकर टिक नहीं पाएगा, परंतु 1966 में हिमाचल प्रदेश नामक अलग पूर्ण राज्य का गठन किया गया। आज हिमाचल प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है।

आयोग ने विदर्भ अलग राज्य की अनुशंसा की थी, परंतु अनुशंसा के 40 वर्ष बाद भी विदर्भ अलग राज्य नहीं बन सका।

अलग गुजरात के लिए मोरारजी का अनशन

महोदय, उस समय बंबई प्रदेश था, महाराष्ट्र प्रदेश नहीं था। गुजरात के लोग अलग राज्य चाहते थे। आयोग ने गुजरात, वर्तमान महाराष्ट्र, बंबई को मिलाकर बंबई राज्य बनाने की अनुशंसा की। महाराष्ट्र में बंबई राज्य का गठन भी 1956 में हो गया। गुजरात अलग राज्य के लिए मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन कर दिया। 1960 में बंबई प्रदेश विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश का निर्माण किया गया। बंबई को लेकर विवाद था कि वह गुजरात में रहे या महाराष्ट्र में। उस जमाने में 12 करोड़ प्रति वर्ष बंबई से राजस्व की आय होती थी। बंबई को महाराष्ट्र में रखने का फैसला हुआ। लोग कहने लगे कि गुजरात में सूखा पड़ता है, रेगिस्तानी इलाका है। गुजरात बंबई के बिना पंगु हो जाएगा। लोग बालू फाँकेंगे। महोदय, 35 वर्षों के अंदर गुजरात देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में है।

क्या राज्य का पुनर्गठन होना देश को तोड़ना है? क्या राज्यों की सीमाओं के परिसीमन से देश कमजोर हो जाएगा? आजादी के समय 26 राज्य थे, आयोग ने 16 राज्य तथा 13 केंद्र शासित क्षेत्रों की अनुशंसा की थी। आज 25 राज्य तथा 7 केंद्रशासित क्षेत्र हैं और कल प्रशासनिक एवं विकास की दृष्टि से 40 राज्य बनाने पड़ें, तो क्या देश कमजोर हो जाएगा? आपने 2-3 प्रखंडों के, एक- दो विधानसभा क्षेत्रों का लोहरदगा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, कोडरमा को जिला बना दिया, 200 नए छोटे प्रखंड बना दिए, तो क्या राज्य कमजोर हो गया?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, राबड़ीजी अभी तक नहीं बोली हैं, बोलना चाहें तो बोलिए, आप भी, आप…

श्री रवींद्र चरण यादव (मंत्री, राजस्व)—पहले आप अच्छी तरह से बोल लीजिए, आपका जबाब दिया जाएगा।

श्री सुशील कुमार मोदी—जबाब देना हो, तो राबड़ीजी जबाब दें, कम-से- कम एक घंटा बोलें। तब तो समझेंगे जबाब है।

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबू ने जो विचार रखा था, उसका भी मैं सदन में उल्लेख करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास कैसे करवट लेता है। आज कहा जा रहा है कि वनांचल

के अलग हो जाने से बिहार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहेगा। इसके विपरीत बिहार सरकार ने झारखंड राज्य के सवाल पर राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने कहा था—

''बिहार से अलग हो कर झारखंड आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहेगा। हम झारखंड की बरबादी नहीं चाहते, झारखंड की आर्थिक अक्षमता उसके प्रांत बनने में ऐसा व्यवधान है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।'' विडंबना है कि जिस बिहार सरकार ने आयोग के सामने यह तर्क दिया था कि झारखंड आर्थिक रूप से अक्षम है, घाटे वाला क्षेत्र है, वही अब तर्क दे रहा है कि झारखंड बिहीन बिहार का अर्थ है—सिर्फ बालू और बाढ़।

राज्य पुनर्गठन आयोग के तर्क

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में झारखंड अलग राज्य की माँग को स्वीकार नहीं किया। परंतु आयोग की अस्वीकृति के मुख्य कारण निम्न थे—

1. झारखंड पार्टी को गत चुनाव में झारखंड क्षेत्र में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
2. दक्षिण बिहार में झारखंड पार्टी के अलावा अन्य दल अलग राज्य के विरोध में हैं।
3. आदिवासी आबादी कुल आबादी की 1/3 है, वह भी अनेक भाषाओं में विभाजित है।
4. यदि आदिवासी एकमत भी हों तो भी उचित नहीं कि अल्पसंख्यक मत पर निर्णय लिया जाए।
5. अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। बोकारो में थर्मल पावर है, जिससे शेष बिहार वंचित हो जाएगा तथा उच्च शिक्षा का केंद्र पटना एवं बिहार विश्वविद्यालय, उत्तर बिहार में है, जिससे झारखंड क्षेत्र वंचित हो जाएगा।

आयोग ने सुझाव दिया था कि छोटानागपुर, संथालपरगना के लिए विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाए, जो 16 वर्ष बाद मृतावस्था में गठित किया गया।

महोदय, अलग वनांचल राज्य का विरोध करने वाले संविधान सभा का भी हवाला देते हैं, परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि संविधान सभा की एक उपसमिति ने (जो आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों के प्रशासन की रूपरेखा पर विचार कर रही थी) अत्यंत संक्षिप्त और सतही तरीके से झारखंड राज्य के सुझाव पर विचार कर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। यह उपसमिति इस प्रस्ताव की गहराई में नहीं जा पाई, क्योंकि अलग राज्यों का गठन उसकी विचार सीमा में नहीं था।

संविधान सभा की उपसमिति के सुझाव खारिज

महोदय, आयोग ने संविधान सभा की उपसमिति के सुझावों को तत्कालीन केंद्र सरकार ने ही कूड़ेदान में फेंक दिया। आयोग की अनुशंसा के बावजूद आजतक विदर्भ राज्य नहीं बना। पंजाब तथा बंबई के विभाजन के अस्वीकार करने के कुछ ही वर्षों के भीतर पंजाब तथा बंबई का विभाजन कर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। इसलिए आयोग की 40 वर्ष पुरानी अनुशंसा को आधार बनाकर वनांचल के गठन को रोकना इतिहास के पहिए को पीछे घुमाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि विभाजन से बिहार का अपमान होगा। बिहार का अपमान बिहार के बँटवारे से नहीं होता है। अगर बिहार का अपमान हुआ तो ऐसे झूठे, धोखेबाज, भ्रष्ट, अवसरवादी, विश्वासघाती राजनेताओं के सत्तासीन रहने से हुआ है, जिन्होंने आज तक बिहार को गरीब एवं पिछड़ा बनाकर रखा और अब राजनीतिक लाभ के लिए कभी वनांचल का विरोध करते हैं, कभी समर्थन और फिर विरोध करने लग जाते हैं।

महोदय, जिन लोगों को जेल जाते वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है, ऐसे कायर और बुजदिल लोग धमकी दे रहे हैं कि हमारी लाश पर बिहार बँटेगा।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। प्रकृति ने बिहार को दो स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है— एक दक्षिण बिहार का पठारी इलाका, जिसका क्षेत्रफल 80 लाख हेक्टेयर और आबादी 2 करोड़ 18 लाख तथा जनसंख्या घनत्व 273 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है एवं दूसरा उत्तर बिहार, मध्य बिहार का मैदानी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल लगभग 98 लाख हेक्टेयर, आबादी 6 करोड़ 45 लाख तथा जनसंख्या घनत्व 701 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

महोदय, मैदानी क्षेत्र की भूमि अत्यंत उपजाऊ किस्म की है, जबकि पठारी क्षेत्र की भूमि उबड़-खाबड़ एवं कम उर्वरा वाली है। राज्य की करीब संपूर्ण खनिज संपदा पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। जहाँ मैदानी इलाका कृषि विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त है वहीं पर्वतीय क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त है। यदि विकास की सही दृष्टि अपनायी गई होती, तो ये दोनों क्षेत्र विकास के संदर्भ में एक-दूसरे के पूरक सिद्ध होते और राज्य की दोनों भुजाएँ समान रूप से बलशाली होतीं।

राज्य के दोनों हिस्सों में कसक

महोदय, आज स्थिति ठीक विपरीत है। दक्षिण बिहार के लोगों को लगता है कि रॉयल्टी, वाणिज्यकर द्वारा अरबों का राजस्व देने के बावजूद छोटानागपुर-संथालपरगना का विकास नहीं हुआ। वे इस दोहन, शोषण, पिछड़ेपन के लिए उत्तर बिहार को दोषी

मानते हैं। वहीं शेष बिहार के लोगों को लगता है कि राज्य के विकास के नाम पर केंद्र से जो पूँजी निवेश हुआ, उसका अधिकांश हिस्सा वनांचल में खर्च हो रहा है। परंतु वास्तविकता है कि बिहार के दोनों ही क्षेत्र विकास के विभिन्न मानदंडों पर काफी पिछड़े हैं और गरीबी का दंश समान रूप से झेल रहे हैं।

महोदय, वनांचल की खनिज संपदा से बिहार को क्या लाभ मिला? रॉयल्टी के पैसे के अलावा बिहार में खनिज आधारित कितने उद्योग लगे? कोयला, ताँबा, अभ्रख, लोहा से बिहार को क्या लाभ मिला? दक्षिण बिहार के खनिज को मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हरियाणा आसानी से रेल द्वारा ले जाया जा सकता है, परंतु पूर्णिया या दरभंगा पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। दक्षिण बिहार से पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी तक रेल लाइन 50 वर्षों में नहीं बिछी, परंतु मुंबई, दिल्ली तक सीधी रेल लाइन बिछ गई। उत्तर बिहार में मीटर गेज रेल लाइन भी सभी इलाकों में नहीं है।

पिछड़ेपन के लिए लालू, जगन्नाथ जिम्मेवार

महोदय, अगर बिहार के खनिज से दिल्ली, बंबई, मद्रास का विकास हुआ और बिहार का विकास नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग और इनकी मूल पार्टियाँ जिम्मेवार नहीं, जिन्होंने 50 वर्षों तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया और आज कहते हैं कि अलग राज्य बनेगा तो बिहार बालू फाँकेंगा?

महोदय, मोकामा और हाजीपुर में 50 साल में मात्र दो पुल बने। किसने आपको विकास करने से मना किया था? 50 वर्षों में यहाँ खनिज आधारित उद्योग क्यों नहीं लगे? वनांचल क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग बिहार में सड़कों, नहरों, अस्पतालों, विद्यालयों के निर्माण में कम और राज्य के प्रशासन-तंत्र पर अधिक हुआ।

झारखंड नहीं, वनांचल क्यों? इस सवाल का जबाब जब प्रस्ताव पर बहस होगी, तब दूँगा, चिंता मत करिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि केंद्र सरकार से आने वाले पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण बिहार के अंदर खर्च हुआ। एच.ई.सी. का कारखाना कहाँ लगा, दक्षिण बिहार में। बिहार में टाटा का कारखाना, आइरन स्पंज का कारखाना, टाटा स्टील, टिस्को, टेल्को, उषा मार्टिन, बिहार कॉपर- ये सारे-के-सारे कारखानें दक्षिण बिहार में लगे। उत्तर बिहार के लोगों को लगता है कि केंद्र से जो पैसा आया, वह तो वहाँ चला गया। 50 साल के अंदर बिहार का क्या विकास हुआ?

श्री बाबू ने रखी बिहार के विकास की नींव

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्गीय श्री बाबूजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास

से बरौनी के अंदर बरौनी फर्टिलाइजर और तेलशोधक कारखाना लगा। लेकिन बरौनी के बाद उत्तर बिहार के अंदर एक भी···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने श्री बाबू को याद तो किया, लेकिन आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। जिन खनिजों की बात आपने की थी कि खनिज आधारित उद्योग नहीं लगे, पर अब आप क्लियरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पंज आयरन उद्योग, उषा मार्टिन और जिन अन्य उद्योगों की बात आप कर रहे हैं, वे खनिज पर आधारित उद्योग ही हैं। आप बात कीजिए पाइरेट की, बॉक्साइट पर आधारित उद्योग की।

50 साल में बंद हुई सारी चीनी मिलें

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 50 साल के अंदर केवल बरौनी औद्योगिक इकाई में कुछ उद्योग लगे। माननीय जार्ज फर्नांडीज जब भारत सरकार के उद्योग मंत्री बने, मुजफ्फरपुर में आई.डी.पी.एल. कारखाना और कांटी में थर्मल पावर खुला।

उपाध्यक्ष महोदय, 1904 में चंपारण के जंगलों के अंदर जाकर अंग्रेज चीनी मिल लगा सकते हैं, 1947 के पहले देश का 35 प्रतिशत गन्ना हम पैदा करते थे, 40 प्रतिशत चीनी का उत्पादन हम करते थे। लेकिन आजादी की 50वीं वर्षगाँठ पर आपने तमाम चीनी मिलों को बंदकर दिया। राज्य में 15 सरकारी चीनी मिलें हैं, आज एक भी चीनी मिल नहीं चल रही है। इसके बावजूद आप कहते हैं कि उत्तर बिहार और शेष बिहार का विकास करेंगे? किसने मना किया आपको चीनी मिलों को चालू करने से? किसने कहा था कि चीनी मिलों को मत चलाईए? आप सिर्फ चाहते हैं कि रॉयल्टी के पैसे से यहाँ के कर्मचारियों का वेतन का भुगतान होता रहे, नेताओं का भरण-पोषण होता रहे। 50 साल में आपने उद्योगों का जाल क्यों नहीं खड़ा किया?

मध्य, उत्तर बिहार में कोई उद्योग नहीं

उपाध्यक्ष महोदय, आज रोहतास उद्योग समूह मरणासन्न है, चिमनी से धुआँ निकल रहा है। क्या आपने प्रयास किया कि रोहतास उद्योग समूह को जिंदा किया जाए? ठाकुर पेपर मिल, अशोक पेपर मिल की आज क्या स्थिति है? एक भी उद्योग उत्तर बिहार और मध्य बिहार के अंदर नहीं चल रहा है।

श्री बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आजादी के प्रारंभिक 15-20 वर्षों के अंदर गंडक और कोशी परियोजनाओं पर काफी पैसा खर्च किया गया, लेकिन 1970-72 के बाद इन परियोजनाओं पर खर्च बंदकर दिया गया। जगदा बाबू आठ वर्ष से राज्य

के सिंचाई मंत्री हैं। वे यहाँ बैठे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कोशी परियोजना, बागमती परियोजना और गंडक परियोजना का क्या हाल है? उत्तर बिहार का 68 लाख हेक्टेअर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। उसमें से मात्र 33 लाख हेक्टेयर जमीन को आपने बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की है। किसने मना किया था आपको बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने से? 1988 के बाद बाढ़ नियंत्रण और नए तटबंधों के निर्माण में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। एक हेक्टेयर जमीन को भी बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और आज आप घड़ियाली आँसू बहाते हैं कि दक्षिण बिहार अलग हो जाएगा तो बाढ़ पीड़ितों का क्या होगा?

पूरी नहीं कर सके सिंचाई परियोजनाएँ

उपाध्यक्ष महोदय, 50 साल तक सरकार में रहे लोगों ने केवल राहत के पैसे को बाँटने का काम किया। यदि ये चाहते तो जितने पैसे राहत मद में खर्च किए गए, उतने पैसे से बिहार की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता था। उतने पैसे से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन आपने कुछ नहीं किया और अफसोस जाहिर करते हैं कि हर साल बाढ़ से 29 जिले डूब जाते हैं।

बिहार के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं

हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 95 में विदेश यात्रा पर गए थे। वहाँ से आने के बाद बहुत सपना दिखाया गया, परंतु इस इलाके में एक भी उद्योग नहीं लगा। उत्तर और मध्य बिहार में उद्योगों के लिए पर्याप्त वातावरण है। संसाधन है। इस क्षेत्र में जूट है, तंबाकू है, मिर्च है, मसाला है, ईख है, केला है, दूध है, घी है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को सारी नैसर्गिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। यहाँ 50 हजार से ज्यादा झील, चौर, आहर और पोखर हैं, जहाँ मछली पालन को एक उद्योग के रूप में खड़ा किया जा सकता है। हम इससे विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। यदि आंध्र प्रदेश की मछली बिहार में आ सकती है तो बिहार की मछली बाहर क्यों नहीं भेजी जा सकती है?

1988-89 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बिहार के लिए 10,234 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो राजीव पैकेज के नाम से चर्चित हुआ। इसमें मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) में 500 करोड़ रुपए की तत्कालीन लागत पर एक मिनी स्टील प्लांट स्थापित करने को छोड़कर शेष 9,734 करोड़ की परियोजनाएँ शेष बिहार के लिए प्रस्तावित थीं। इस परियोजना के तहत 4,754 करोड़ रुपए बाढ़ एवं जल निकासी की समस्या के निदान के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने के लिए प्रस्तावित था, परंतु इस पैकेज का क्या हुआ, सरकार ने इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से प्रयास किए?

सारे घोटालों को जड़ें वनांचल में ही क्यों?

विधायक बनने के पूर्व मेरी यह धारणा थी कि छोटानागपुर-संथालपरगना जैसे दुरूह क्षेत्र में कोई अधिकारी/कर्मचारी जाना नहीं चाहते होंगे, परंतु विधायक बनने के बाद मेरी वह सोच बदल गई। अब तो देखता हूँ कि जो उस क्षेत्र में चला गया, वहाँ से हटना नहीं चाहता। उत्तर या मध्य बिहार में जाना नहीं चाहता क्योंकि इस क्षेत्र में लूट की पूरी छूट है। शायद यही कारण है कि पिछले दो-तीन वर्षो में जितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ है उनकी जड़ें वनांचल में ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1,000 करोड़ रुपए के पशुपालन घोटाले, 300 करोड़ रुपए के दवा घोटाले, 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले, 100 करोड़ रुपए के वन घोटाले की जड़ें तो वनांचल क्षेत्र में हैं ही, 300 करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाले की भी बहुत बड़ी राशि इसी क्षेत्र से लूटी गई। चर्चित मस्टर रोल घोटाला का परदाफाश भी वनांचल के साहेबगंज में हुआ। वस्तुत: सतारूढ़ दल से जुड़े राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने इस क्षेत्र को जी भरकर लूटा है। यह क्षेत्र चारागाह बनकर रह गया है।

(व्यवधान, विरोध, शोर)

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, घोटाले की चर्चा होते ही सतारूढ़ दल के लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, पशुपालन घोटाला कहाँ हुआ?

महोदय, पशुपालन घोटाला के मुख्य केंद्र रहे—छोटानागपुर-संथालपरगना के राँची, चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर और गुमला, जहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक है, क्योंकि इन अबोध और सरल आदिवासियों को लूटना आसान है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1000 करोड़ रुपए के पशुपालन घोटाले में 1993-94 के दौरान इन पाँच जिलों में 469 करोड़ रुपए फरजी ढंग से खजाने से निकाल लिये गए।

मुख्यालय से दूसरे स्थानों तक पशुओं को पहुँचाने के नाम पर ट्रांसपोर्टरों ने जो फरजी बिल बनाया, उसमें मवेशियों को स्कूटर, कार और टैंकरों तक पर ढोना दिखलाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, घोटवार स्थित दुग्ध आपूर्ति के डेयरी फॉर्म के डॉ. जैनुएल भैंगराज मछली की चोइया, गेंहू की भूस्सी और बादाम तो खरीदते ही थे, भैंस की सींग में तेल लगाने के लिए 15 लाख रुपए मूल्य का 49 हजार 450 किलो सरसों तेल भी एक वर्ष में राँची में ही खरीदा गया। 200 से 250 करोड़ रुपए का अलकतरा घोटाला हुआ। इसमें भी सबसे बड़ा भाग लूटा गया राँची, बरही और हजारीबाग में।

महोदय 103 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हुआ। विक्रम कुँवरजी उस घोटाले की जाँच समिति के सदस्य थे। यह घोटाला भी कहाँ हुआ? दुमका जिला के विभिन्न अस्पतालों में 5 करोड़ 28 लाख रुपए फरजी ढंग से निकाल लिए गए।

उपायक्ष महोदय, इंदर सिंह नामधारीजी बैठे हैं। 400 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर या पटना में नहीं हुआ। 400 करोड़ रुपए का यह घोटाला भी राँची में हुआ। राँची में 200 एकड़ जमीन को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम कर दी गई।

श्री जगदानंद सिंह (मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, हम नेता विरोधी दल से केवल आग्रह करना चाहते हैं कि आज दस बजे के बाद एक बहस होगी, जो कुछ उन्हें कहना है, कहने का मौका मिलेगा। जितनी बातें याद आएँ, जितनी मन में भड़ास हो, उसे निकालेंगे। फिर दूसरी बहस कंफीडेंस पर होने वाली है। सरकार में क्यों विश्वास नहीं करेंगे, इन सवालों पर पूरी चर्चा करेंगे।

सारे भूमि घोटाले का क्षेत्र छोटानागपुर

श्री सुशील कुमार मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, भूमि घोटाला की जाँच के लिए विधानसभा की समिति बनी। सारे-के-सारे भूमि घोटाले का क्षेत्र छोटानागपुर रहा। वन विभाग में एक सौ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कीटनाशक दवा की खरीदगी, पॉलिथीन पैक, वृक्षारोपण के मद में-सारे-के-सारे घोटाले दक्षिण बिहार में ही हुए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह शोध का विषय है। क्या कारण है कि मध्य बिहार और उत्तर बिहार में बड़े-बडे घोटाले नहीं हुए?

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने दक्षिण बिहार को उपनिवेश बनाकर रखा है, वह राज्य के पुनर्गठन के बाद उनके हाथ से चला जाएगा। घबराहट उन्हें इस बात की है। उत्तर बिहार के नेताओं ने आजादी के 50 सालों में दक्षिण बिहार की फैक्टरियों में अपने लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया। अपने बेटे और भाई को टिस्को और टेल्को में नौकरी दिलाई। इनके प्रबंधकों से चंदा वसूलने, कोयला क्षेत्र की रंगदारी और माफियागिरी से हिस्सा लेने, वन क्षेत्र की कीमती लकड़ी और रत्न-पत्थरों के अवैध खनन से कालाबाजारी कर लाभ कमाने तथा पूँजीपतियों का भयादोहन करने का काम उत्तर बिहार के नेताओं ने किया।

दक्षिण बिहार का दोहन स्वार्थ के लिए

उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार के उद्योग और खनिज पदार्थों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया गया। यदि उन पैसों का इस्तेमाल उन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए होता तो पता नहीं बिहार के इन दोनों भू भागों का विकास ग्राफ कहाँ-से-कहाँ पहुँच जाता।

माननीय सदस्य श्री वैद्यनाथ पांडेयजी यहाँ बैठे हैं। मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। पांडेयजी क्यों नहीं चाहते हैं कि दक्षिण बिहार अलग हो जाए? उन्हें पता है कि यदि दक्षिण बिहार अलग हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की रोजी-रोटी चलना मुश्किल हो

जाएगा। यदि 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो सकता है, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो सकता है और आजादी के बाद वर्ष 1956 में बिहार का 4 हजार वर्गमील क्षेत्र बंगाल में जा सकता है, तब बिहार के 18 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने में क्या नुकसान है?

दक्षिण बिहार की बैसाखी को छोड़ना जरूरी

उपाध्यक्ष महोदय, आम लोगों की धारणा है कि जबतक झारखंड अलग नहीं होगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मेरी सोच इससे अलग है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जबतक दक्षिण बिहार की वैशाखी को फेकेंगे नहीं, उत्तर और मध्य बिहार का विकास नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर और मध्य बिहार का विकास हो, तो वनांचल क्षेत्र के खनिजों और उद्योगों से मिलने वाले पैसे पर गिद्ध दृष्टि डालना बंद करना पड़ेगा। इस क्षेत्र को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। आप वैसे परिवारों को जानते हैं, जिनका छोटा बेटा कमाता है, बड़ा बेटा नहीं। बड़ा बेटा सोचता है कि उसे कमाने की क्या जरूरत है, छोटे भाई की कमाई पर ही भरण- पोषण हो रहा है। पिछले 50 वर्षो में उत्तर और मध्य बिहार के राजनेताओं ने इसी मानसिकता को पैदा किया तथा दक्षिण बिहार की कमाई पर आश्रित रहे। न तो दक्षिण बिहार का विकास हुआ और न मध्य बिहार का और न उत्तर बिहार का। अब भारतीय जनता पार्टी-समता पार्टी यदि यह माँग करती है कि दोनों क्षेत्रों को अलग किया जाए तो क्या गलत है?

बिहार-झारखंड, दोनों को मिले विशेष पैकेज

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के पुनर्गठन के पश्चात दोनों क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए हमने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की माँग की है। हमने केंद्र सरकार से उत्तर और मध्य बिहार के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ तथा वनांचल के लिए 85 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की माँग की है। यह पैसा केवल एक साल के लिए नहीं है। यह पैसा अगले 15-20 साल के लिए मिलना चाहिए। सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जब दोनों राज्य अलग होंगे, तो हम राज्य की उन बंद चीनी मिलों को चलाकर दिखाएँगे, जिन्हें राज्य की वर्तमान सरकार चला नहीं पाई। जिस बाढ़ नियंत्रण के काम को पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस और राजद के लोगों ने नहीं किया, बाढ़ नियंत्रण को शिड्यूल्ड करके हम राज्य को बाढ़ के अभिशाप से मुक्त कराएँगे। आज रोहतास इंडस्ट्रीज, कटिहार जूट मिल आदि बंद हैं, इनको चालू करके दिखाएँगे। कृषि पर आधारित उद्योग खड़ा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का बँटवारा झारखंड राज्य की माँग को पूरा करने के

लिए नहीं, बल्कि शेष बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि बिहार की जनता ने सेवा का अवसर हमारी पार्टी को दिया, तो दस साल के अंदर शेष बिहार को हम हरियाणा और पंजाब के समान बनाकर दिखा देंगे। आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आपने उत्तर बिहार की उर्वरा भूमि को मिट्टी बना दिया, हम उस मिट्टी को सोना बनाकर दिखा देंगे। मैं अपने राजद के मित्रों से आग्रह करूँगा कि वे गलतफहमी में न रहें कि अलग राज्य का विरोध करने से अगले चुनाव में उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा।

श्री महेंद्र प्रसाद सिंह—दिल्ली की सल्तनत मिलने के बाद आपने क्या किया है, जगजाहिर है।

श्री सुशील कुमार मोदी—मैं एक लाइन में बता दूँ कि वर्तमान में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के गठन के बाद नवीनगर में सुपर थर्मल पावर की स्वीकृति प्रदान की गई। कहलगाँव में 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और मोकामा से फरक्का तक एन.एच. के निर्माण की मंजूरी सिर्फ चार महीने के भीतर दी है। इसलिए मैं राजद के मित्रों से कहना चाहूँगा कि वे बिहार के अंदर कोई विद्वेष और कटुता पैदा नहीं करें। इससे उन्हें कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलेगा।

हमारा नारा होगा—जय बिहार! जय वनांचल!

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, यदि यह विधानसभा राज्य पुनर्गठन संबंधी इस विधेयक को अस्वीकृत भी कर देगी, तो केंद्र सरकार को अलग राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार अलग राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए अलग राज्य बनकर रहेगा, वनांचल बनकर रहेगा। बिहार का दोनों भाग प्रगति करेगा। हमारी दो भुजाएँ समान रूप से बलशाली होंगी। नारा केवल जय झारखंड, जय वनांचल ही नहीं होगा, नारा होगा–जय बिहार! जय वनांचल!

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का दोनों भाग प्रगति करेगा और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के साथ कदम–से–कदम मिलाकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। हम वनांचल और शेष बिहार को हिंदुस्तान के सबसे संपन्न राज्यों की श्रेणी में लाकर दिखाएँगे। यह हमारा संकल्प है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करूँगा कि वे इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दें। धन्यवाद!

□

बिहार शर्मसार,
अपराधियों के साथ सरकार

बिहार के चर्चित चारा घोटाला में अभियुक्त बनने पर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी परिस्थितिवश अचानक घरेलू महिला से राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गईं। लालू प्रसाद उनके माध्यम से राजकाज चलाते रहे। राबड़ी देवी की सरकार में जिस तरह से जाति और पार्टी देखकर अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण मिला, विकास योजनाएँ ठप रहीं और रोजी-रोटी के लिए पलायन बढ़ा, उससे जनता कराह उठी थी। शासन की नाकामी के चलते मुख्य सचिव को हिरासत में लिये जाने तक की नौबत आई। अदालत को गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी। उस कठिन दौर में विरोधी दल के नेता रहे श्री सुशील कुमार मोदी ने राबड़ी देवी की सरकार के विरुद्ध 16 दिसंबर, 2003 को विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर जितने तार्किक, तथ्यपरक और साहसिक ढंग से सत्तापक्ष को बेनकाब किया, वह बिहार के संसदीय इतिहास में मील का पत्थर बन चुका है। प्रस्तुत है, उस दिन की सदन की कार्यवाही का मुख्य अंश।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन वर्तमान मंत्रिमंडल पर करने योग्य कार्य नहीं करने और न करने योग्य कार्य करने पर अविश्वास प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। महोदय, कुछ ही घंटे के लिए क्यों न हो, किसी राज्य के मुख्य सचिव को न्यायिक हिरासत

में रहना पड़ा और उन्हें अपनी जमानत करानी पड़ी। शायद आजाद भारत की यह पहली घटना है। मुख्यमंत्री द्वारा किसी मुकदमे के बारे में न्यायाधीश को टेलीफोन किया गया है। इस संबंध में ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी दर्ज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। संभवत: दुनिया के संसदीय इतिहास की यह पहली घटना है।

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खाँ (मंत्री) : मुख्य न्यायाधीश की कल की टिप्पणी समाचार-पत्रों में छपी है और उन्होंने इस मैटर को समाप्त करने के संबंध में कहा है। सदन में फिर से इन बातों की चर्चा करने से गलत परंपरा की शुरुआत होगी।

अध्यक्ष : आगे बढ़िए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : यह सामान्य घटना नहीं है। हमलोग भी टेलीफोन करते हैं…

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आगे बढ़िए। समाचार-पत्रों में छप जाने पर बात समाप्त हो गई।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : फिर क्यों उठा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, ''प्रभु उन्हें माफ करना क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।'' मैं समझता हूँ कि इससे कड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इनके पास समाचार-पत्र की कटिंग है लेकिन, मेरे पास ऑरिजिनल कॉपी है।

अध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद नहीं है, आगे बढ़िए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। खंडपीठ ने मुख्यमंत्री को कहा है कि टेलीफोन करने से किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, शकील साहब द्वारा रोके जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह खबर पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी है। मेरे पास ऑरिजिनल ऑर्डर है। आप वकील हैं, लेकिन मैं भी आपसे कम अंग्रेजी नहीं जानता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल) : आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। कोर्ट ने ऐसी बात नहीं कही है।

अध्यक्ष : शकील अहमद खाँ साहब, आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

श्री सुशील कुमा मोदी (नेता, विरोधी दल) : एक अपराधी के खिलाफ काररवाई करने के कारण एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया। आज जनता नारा लगा रही है, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, डी.पी. ओझा जैसा हो।

(व्यवधान)

श्री रवींद्र चरण यादव : मोदीजी, आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए।

अध्यक्ष : क्यों बोल रहे हैं आप लोग?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की शपथ लेने वाले लोग अपराधियों से मिलने के लिए जेल में लाइन लगाकर खड़े हैं। राज्य सरकार के थिंक-टैंक माने जानेवाले वरिष्ठतम व्यक्ति को जनता तीन घंटे तक घेरकर रखती है और उन्हें जान बचा कर भागना पड़ता है। अपराधी को छोटा भाई बताते हुए कहा जाता है कि उसने न्यायालय का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण मैंने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक परिस्थिति पैदा हो गई है और हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।

अध्यक्ष : माननीया मुख्यमंत्रीजी, जायज बातें ही प्रोसीडिंग में जाएँगी।

(व्यवधान)

श्रीमती राबड़ी देवी (मुख्यमंत्री) : आप विरोधी दल के नेता हैं, अपने पद से इस्तीफा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोर्ट के ऑर्डर से प्रमाणित होने पर ही कोई अपराधी होता है।

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : मोदीजी, आप इस्तीफा देकर ओझाजी को नेता, विरोधी दल बनाइए, आमने-सामने की लड़ाई होगी। मैं चुनौती देती हूँ, हिम्मत है तो ऐसा कीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : मैं मुख्यमंत्रीजी से आज नहीं बोलने का आग्रह करूँगा। जब आप बोलती हैं…

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : अपराधी कैसे कहिएगा? क्या आपकी पार्टी में अपराधी नहीं हैं? क्या भारत सरकार को अपराधी नहीं चला रहे हैं? इस देश का मुखिया अपराधी है।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : फिर क्यों उठा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलन में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों पर व्यक्तिगत धन उपार्जन में लगे रहने का आरोप लगाया है। मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री बदनाम।…

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : बताइए, कब बोली हूँ? मीडिया तो आपका है ही···

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : राबड़ीजी, आप मत गुस्साइए। इस राज्य में गंगाजल···

आपके पास बोलने के लिए कौन सा मुद्दा है? पूर्वेजी, अभी तो केवल मुख्यमंत्री के विषय में नारा लग रहा है। लेकिन, अब नारा लगने वाला है, किसी को भी चुन दो, लालू प्रसाद को धुन दो।

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : इसीलिए ओझाजी को नेता, विरोधी दल बनाने को कह रही हूँ। किसी को हटाने या बैठाने का हक जनता को है और उनके कारण ही हम लोग हाउस में आए हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी, (नेता, विराधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मालूम पड़ता है कि राबड़ीजी आज साहेब से झगड़ा करके आई हैं और इसी कारण गुस्से में हैं। अभी तो हमने शुरुआत ही की है।

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : मैं सपने में भी लड़ाई की बात नहीं सोचती हूँ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अभी तो हमने साहेब का पोल खोला ही नहीं है। चीफ जस्टिस की टिप्पणी की चर्चा करने पर आपने मुझे पागल कह दिया, लेकिन आप घर में नहीं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं।

श्रीमती राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री : पागल हैं तो सरकार आपका ईलाज करा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा, आप लोग देवर-भाभी का संबंध छोड़कर मुख्यमंत्री और विपक्ष के रूप में बोलिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कल जगदाबाबू ने अविश्वास प्रस्ताव में मेरे द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पूछा था। यह तो वही बात हुई मानो कोई अपराधी अपने अपराध के विषय में पूछ रहा हो। उसे तो न्यायालय में जाकर अपनी बात कहनी पड़ती है। जगदाबाबू को उनके क्रियाकलापों के बारे में मालूम है।

बिहारी कहलाना अब शर्म की बात

मेरा आरोप है कि विगत 13 वर्षों से बिहार अविश्वास का पर्याय बनकर रह गया है। यहाँ का आदमी अपने को बिहारी कहने में शर्म महसूस कर रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ बिहारी छात्रों ने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपने को यूपी और मध्य

प्रदेश का बताया। उन्होंने अपने को बिहारी बताने पर लोगों के हँसने की बात कही। बिहार की डिग्री की देश में मान्यता नहीं है। देश में होने वाला कोई भी असंभव काम बिहार में होता है। देश में सबसे कम बिजली, खराब सड़कों, सर्वाधिक गरीबी एवं निरक्षता तथा सबसे अधिक अपराधी वाला राज्य बिहार है। 13 वर्षों में यह राज्य सबसे अंतिम पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। मैं चुनौती देता हूँ, यदि बिहार में विकास हुआ है, तब जगदाबाबू पिछले 12 वर्षों में इस सरकार द्वारा शुरू की गई किसी एक योजना का नाम बताएँ जो पूरे राज्य में लागू है। मैं सड़क और बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ।

विकास सिर्फ मायके-ससुराल का हुआ

इस राज्य में सिर्फ सेलार कला और फुलवरिया का विकास हुआ है, जो मुख्यमंत्री का मायका और ससुराल है। उन जगहों पर हैलीपैड, स्टेट बैंक की शाखा, एक लाख एमटी की पानी टंकी, पावर सब-स्टेशन, सब कुछ है। 1 अणे मार्ग का भी विकास हुआ है, जहाँ जाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री वहाँ के खटाल, गोशाला, खेती, कबूतर, घोड़े एवं ऊँट का पालन-पोषण आदि दिखाती हैं। वे उन्हें पटना शहर नहीं दिखाती हैं।

अपराधी को पकड़ने पर डी.जी.पी. हटाए गए

अध्यक्ष महोदय, विकास की पहली शर्त अपराध को नियंत्रित रखना है। एक शातिर अपराधी को गिफ्तार कर जेल भेजने पर डी.जी.पी. श्री डी.पी. ओझा को उनके पद से हटाकर आप कैसा मैसेज देना चाहते हैं? उनपर मुख्यमंत्री को गूँगी कह कर नारी शक्ति का अपमान करने और लक्ष्मण रेखा लाँघने का आरोप लगाया गया। लेकिन मैंने उनका ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा या सुना है, बल्कि जानबूझकर उनके बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है। वे आपके ही दुलरुआ हैं , आपने उन्हें एक ही स्थान पर विजिलेंस में डी.जी.पी., आई.डी. और डी.जी. बनाकर क्यों रखा? क्या श्री ओझा को उनके पद से हटाने के बाद रणवीर सेना के साथ उनके संबंध के बारे में जानकारी मिली?

रणवीर सेना को राजनीतिक संरक्षण

अध्यक्ष महोदय, यदि आप जानना चाहते हैं, तो मेरे पास डाक्यूमेंट हैं। कुशवाहा जाति के तीन लोगों को रणवीर सेना ने एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। इस संबंध में जहानाबाद के एस.पी. अनिल किशोर यादव (जो आपके ही आदमी हैं) ने अपनी सुपरविजन रिपोर्ट दी है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अजय सिंह ऊर्फ टुन्नू शर्मा द्वारा मोबाइल पर हुई लंबी बातचीत से रणवीर सेना के साथ उनका संबंध साबित होता है। इसमें टुन्नू शर्मा और कृष्णा शर्मा द्वारा रणवीर सेना को विदेशी हथियार की आपूर्ति

किए जाने की भी चर्चा है। इससे जिला परिषद् अध्यक्ष टुन्नू शर्मा जैसे कथित सफेदपोश बेनकाब हो जाते हैं। रिपोर्ट में उन पर काररवाई करने की अनुशंसा की गई है। यह वही अजय शर्मा उर्फ टुन्नू शर्मा हैं, जो बह्मर्षि रैली के मंच पर उपस्थित थे और वहाँ लालूजी भी गए थे। अखिलेशजी यहाँ बैठे हुए हैं, वे भी वहाँ थे और रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था।

श्री अखिलेश प्र. सिंह (राज्य मंत्री) :.....

श्री जगदीश शर्मा : .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए। दोनों की ही बात प्रोसीडिंग में नहीं गई है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल) :अध्यक्ष महोदय, अब आप ही बताएँ कि रणवीर सेना के संबंध किसके साथ हैं? महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का बयान आया कि ओझाजी को फ्री कर दिया गया है, वे अपना इलाज कराएँ। उन्हें हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सांसद शहाबुद्दीन की हत्या कराना चाहते थे।

किसी पदाधिकारी को इस प्रकार से अपमानित कर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि कोई व्यक्ति खैरनार अथवा किरण बेदी की तरह सोचता है, तब इसमें क्या गलत है? क्या आपको सरकार के इशारे पर अनुचित काम करने वाला पदाधिकारी चाहिए?

अपराधियों को बचा रही सरकार

अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के किसी मंत्री द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिए जाने पर राज्य में अपराध नहीं रुकेगा। आप लोग वेस्ट बेकरी कांड की चर्चा करते हैं, लेकिन इस राज्य में तो ऐसे कांड लगातार हो रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वकील रघुवीर शरण वर्मा एवं उनके परिवार की हत्या के मुख्य अभियुक्त वीपेंद्र वर्मा को आपने सिवान में पी.पी. (सरकारी वकील) बना कर रखा है, जबकि उसे गिरफ्तार करके झारखंड की जेल में भेज दिया गया है। उन्होंने दो ऐसे वकीलों की नियुक्ति की थी, जो शातिर सांसद की मदद कर सकें, इसलिए मामले की अपील हाईकोर्ट में करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, सीवान के ए.पी.पी. रामलाल प्रसाद को हटाकर नयादुल इसलाम को लाया गया, ताकि वह अपराधियों की मदद कर सके। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

मंत्री जेल जाकर पूछते हैं अपराधियों का हाल

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के विधि मंत्री जेल के अंदर के अपराधियों से उनका हाल-चाल पूछने जाते हैं। क्या ऐसे में अपराध पर अंकुश लग सकेगा? वे संविधान की शपथ लेने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं, अत: उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के खिलाफ (स्टेट वर्सेज) मुकदमे में आपका प्रोसेक्यूशन एजेंसी स्टेट है और उससे संबंधित विभाग का मुखिया विधि मंत्री ही ऐसा कर रहे हैं। मंत्री बयान देकर डी.जी.पी. को हटाने की माँग करते हैं।

महोदय, जिस सांसद ने डी.जी.पी. को कुरसी छोड़ने पर उनकी हत्या करने की धमकी दी है, उन्हें आप अपना छोटा भाई बताते हुए कहते हैं कि उसने आत्मसमर्पण कर न्यायालय का सम्मान किया है, मानो उन्होंने कोई एहसान किया हो। 36 मुकदमों के बाद एक में उन्हें समर्पण करना पड़ा है।

मेरी हत्या का षड्यंत्र तैयार

अध्यक्ष महोदय, कल बीजेपी कार्यालय में एक टेलीफोन आया था। टेलीफोन ऑपरेटर राम केवल को बताया गया कि सुशील मोदी की हत्या का षड्यंत्र रचा जा चुका है, अत: वे 4-5 दिन संभल कर रहें। टेलीफोनकर्ता ने बताया कि वह गुप्त रूप से सूचना दे रहा है। यह बात हमारी पार्टी के अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती राबड़ी देवी (मुख्यमंत्री) : यदि आपको मालूम है तब टेलीफोन नंबर दीजिए। वह किसका नंबर था?

अध्यक्ष : आप विधिवत रूप से दीजिएगा। इस पर काररवाई की जाएगी।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : महोदय उस व्यक्ति ने नाम नहीं बताया। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। श्री डी.पी. ओझा ने कहा है कि मैं लालूजी को जानता हूँ। माननीया मुख्यमंत्री राबड़ीजी, लालूजी को मैं जितने करीब से जानता हूँ, उतना आप भी उन्हें नहीं जानती हैं।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : आप बंदरघुड़की देकर चुप नहीं करा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शकुनीजी, आप बैठिए। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, डी.पी. ओझा

अपराधियों के खिलाफ छेड़े गए जेहाद का प्रतीक बन गए हैं। हमारा उनसे मदभेद हो सकता है, लेकिन उनका काम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। माननीय मंत्री श्री तिवारीजी सदन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पशुपालन घोटाले के एक अभियुक्त को बचाया है। मैं चाहूँगा कि डी.पी. ओझा की संपत्ति सहित सभी मंत्रियों द्वारा विगत 12 वर्षों में अर्जित संपत्ति की जाँच कराई जाए।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : मैं जानता हूँ कि यशवंत मलहोत्रा पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि उन्होंने डी.जी.पी. की रिपोर्ट तैयार की है। डी.पी. ओझा ने दो माह पहले मीरगंज के मामले पर रिपोर्ट तैयार की थी। मैं चाहता हूँ कि सी.बी.आई. से इस मामले की जाँच कराई जाए। जिस दिन डी.जी.पी. ने 100 पन्ने की रिपोर्ट दी, उसी दिन उन्हें पद से हटा दिया गया। मैं माँग करता हूँ कि सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, परंतु इसमें ऐसी हिम्मत नहीं है।

सी.एम. आवास में अभियुक्त

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उस रिपोर्ट में सारी बातें पुरानी हैं, उसमें कोई इविडेंस (साक्ष्य) की चर्चा नहीं है। वह कंफिडेंसियल रिपोर्ट भी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में रहकर एक अभियुक्त सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और शासन का संचालन का करता है। अर्थात् मुख्यमंत्री ऑफिसियल सेक्रेट ऐक्ट का उल्लंघन कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ हर बात भूमिहार और मुसलिम पर जाकर खत्म होती है। आपने तो सोनपुर मेला में बिकने वाले जानवरों को भी ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र कह दिया।

तोड़ा जा रहा है अच्छे अफसरों का मनोबल

आज कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन को मुसलिम होने के कारण फँसाया जा रहा है। श्री डी.पी. ओझा ने 13 सालों तक आपकी नौकरी की और आज वे भूमिहार हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शहाबुद्दीन केवल प्रतीक हैं, जिनपर काररवाई होने पर आप अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी ऐसा कर पाएँगे।

अध्यक्ष महोदय, सुनील पांडेय को डी.पी. ओझा ने ही पकड़ा था। आपने उनपर सीपी ठाकुर को बचाने का आरोप लगाया लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपने काररवाई क्यों नहीं की? इन्हें इस बात का गुस्सा है कि राजद का गढ़ माने जाने के बावजूद सीतामढ़ी में यह पार्टी 34000 वोटों से चुनाव हार गई, फतुहा में यह 2-3 हजार वोटों से ही जीत सकी और बाराचट्टी में भी मुश्किल से जीती। डी.जी.पी. ने

अपराध रोकने की कोशिश की इस कारण उन्हें हटा दिया गया। आज अपराधियों के विरुद्ध काररवाई करने वाले पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। इसलिए, इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता से कहना चाहूँगा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली यह सरकार जब तक रहेगी, तबतक अपराध नहीं रुक पाएगा।

लंबे समय तक विपक्ष का नेता पद

अध्यक्ष महोदय, मैंने सड़क, बिजली और पानी की चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि विगत 12-13 वर्षों में इस सदन के बहुत सारे माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से विपक्ष में चले आए हैं। मेरे जैसे 5-6 व्यक्ति ही वर्ष 1990 से लेकर आजतक विपक्ष में हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, परंतु श्री कर्पूरीजी के बाद सर्वाधिक समय तक नेता, विरोधी दल की कुरसी पर बैठने का मुझे अवसर मिला है। चुनाव के सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश गया था। वहाँ हरेक गाँव में 6 घंटे बिजली मिलती है, जबकि जनता 12 घंटे चाहती है। वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काफी काम हुए हैं।

अध्यक्ष : लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोध दल) : वहाँ काम काफी हुए हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएँ भी अधिक हैं।

महोदय मैं केवल दो-तीन घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाअंतर्गत बिहार सरकार को 31 मार्च, 2001 को 150 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन ढाई साल बाद भी आज तक यह राशि खर्च नहीं हो पाई। इस योजना में राज्य सरकार को मैचिंग ग्रांट भी नहीं देना है।

अभियंता के पद रिक्त, ठीकेदारों का पलायन

महोदय, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग में अभियंताओं के दो-तिहाई पद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के 150 पद रिक्त हैं। उप विकास आयुक्त के पद भी रिक्त हैं। इस राज्य से सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं, बल्कि ठीकेदारों का भी पलायन हुआ है। जब आपके पास अभियंता, पदाधिकारी एवं ठीकेदार नहीं होंगे, तब इस राज्य में विकास का काम कैसे होगा?

महोदय, बातचीत के दौरान परसों कांशी राम राणाजी ने मुझे बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन 4-6 महीने में इसे खर्च कैसे करेंगे? जो सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें नहीं बनवा सकती है, वह कौन सा काम करने में सक्षम है?

अध्यक्ष महोदय, शकील साहब ने कृपा करके मुझे ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित कमेटी का मेंबर बना दिया है। महोदय, इनकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 27 हजार गाँवों में बिजली नहीं है और 17 हजार गाँवों में डि-इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है।

50 साल में भी नहीं पहुँचेगी बिजली

पिछले दो वर्षो में यह सरकार एक हजार गाँवों का विद्युतीकरण कर पाई है जबकि लक्ष्य 15 हजार गाँवों का था। शकील साहब, इस गति से विद्युतीकरण का कार्य होने पर 50 साल में भी बिहार के प्रत्येक गाँव में बिजली नहीं पहुँच सकेगी। अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मामले पर रामदेव वर्माजी ने इस सदन में दर्जनों बार बहस कराई और उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार द्वारा पैसे जमा नहीं करने के कारण लोगों को भुगतान नहीं किया जा सका। अंत में 50 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सुप्रीम को आदेश देना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हरेक मुद्दे पर कोर्ट की टीका-टिप्पणी होती रहे?

असम में मारे जाते रहे बिहारी

महोदय, पिछले दिनों मैं अपनी पार्टी के नवीन कुमार सिन्हाजी, सिग्रीवाल साहब और चौबेजी के साथ असम गया, जहाँ बिहारियों पर हमला हुआ था। हम लोगों ने तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में शिविरों में रह रहे बिहारियों से भी मुलाकात की। उन लोगों ने बताया कि कई पीढ़ियों से वे असम में रह रहे हैं।

महोदय, बिहार में 10, 11 और 12 अक्तूबर को ट्रेनों पर हो रहे हमले को रोकने का प्रयास सरकार ने क्यों नहीं किया? पहली घटना 9 अक्तूबर को हुई और उसी दिन बिहार सरकार को सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया। इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई, बिहारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया और उन्हें पीटा गया। 60 से अधिक बिहारियों की हत्या कर दी गई और अभी भी बिहार के लोग वहाँ दहशत में जी रहे हैं।

...और चुनाव प्रचार में लगे रहे मंत्री

महोदय, दुःख इस बात का है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण चुनाव प्रचार में तो लगे रहे, लेकिन असम नहीं गए। लालू प्रसाद अथवा वैंकेया नायडू पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो जगदाबाबू, शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, शकील साहब अथवा किसी अन्य मंत्री

को जाना चाहिए था, लेकिन असम जाने की फुरसत उन्हें नहीं मिली।

श्रीमती राबड़ी देवी (मुख्यमंत्री) : वहाँ तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वे क्यों नहीं गए?

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : मुख्यमंत्री होने के नाते आपको जाना चाहिए था या नहीं?

डिब्रूगढ़ क्यों नहीं गए लालू?

अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख इस बात का है कि श्री लालू प्रसाद तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ न जाकर गुवाहाटी से लौट आए। वहाँ उन्होंने बिहारियों के खिलाफ जेहाद छेड़ने वाले हेमंत विश्वकर्मा और अब्दुल हुसैन से मुलाकात की तथा उनके साथ फोटो खिंचवाई। वहाँ बिहारियों के मन में आपके प्रति काफी गुस्सा है, क्योंकि अधिकांश लोग छपरा, गोपालगंज एवं आसपास के हैं और वे आपसे काफी प्रेम करते थे लेकिन उनसे मिलने न तो आप गईं और न साधुजी गए। असम में मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

रोटी के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है?

महोदय, मैंने रिलीफ पैकेज के लिए प्रधानमंत्रीजी से भी बात की है और भारत सरकार इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करके शीघ्र ही इस संबंध में घोषणा करेगी। लेकिन महोदय, इस बात पर सोचने की जरुरत है कि असम, महाराष्ट्र अथवा अन्य राज्यों से बिहारियों को मारकर क्यों भगाया जा रहा है? रोजगार की तलाश में उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है?

मेरा मानना है कि इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार आप हैं। आपने उन्हें रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ बिजली, पानी एवं सड़क की व्यवस्था नहीं कराई गई, उद्योग-धंधों को पनपने नहीं दिया गया, अपराधियों को संरक्षण दिया गया और परिणामत: लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार में डेढ़ लाख पद रिक्त हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है।

राबड़ी देवी का सम्मान करता हूँ, लेकिन...

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अंकगणित आपके पक्ष में है और सरकार बनाने के लिए राजनीति में इसका काफी महत्त्व है। फिर भी, हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, क्योंकि इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और

सीतामढ़ी के उप चुनाव का परिणाम इसे साबित भी करता है। मैं राबड़ी देवीजी का सम्मान करता हूँ, वे दो-टूक बोलती हैं। यद्यपि कभी-कभी वे बिना सोचे-समझे भी बोलती हैं, परंतु उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। फिर भी यदि श्रीमती राबड़ी देवी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब हम लोग अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनाव का एक साल बचा हुआ है। आज अपराध और विकास ऐसे मुद्दे हैं···

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : श्री डी.पी. ओझा को नेता, विरोधी दल की कुरसी पर बैठा दीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से कहना चाहूँगा कि वे अपने सीने पर हाथ रखकर बिहार की जनता के बारे में सोचें और यदि उन्हें लगता है कि बिहार के लोग अच्छी स्थिति में हैं, तब अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट दें अन्यथा इसके पक्ष मे मत डालें।

भीड़ को अब वोट में नहीं बदल सकते लालू

महोदय, एक बार माननीय जयप्रकाशजी ने कभी सेना, पुलिस एवं अन्य को अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मतदान करने का आवाहन किया था। मैं राजद विधायकों से भी सोच-समझकर मतदान करने को कहूँगा, क्योंकि आगामी 6-7 महीने में चुनाव होने वाला है और छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान जैसी स्थिति आपकी भी होनेवाली है। लालू प्रसादजी भले ही भीड़ इकट्ठी कर लें, लेकिन उसे वोट में बदलने की उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। वे जोगीजी के चुनाव प्रचार में गए, लेकिन उनका क्या हाल हुआ? यही स्थिति अब आपकी भी होने वाली है।

□

राबड़ी सरकार में चौपट हुआ बिहार

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की नेता और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जुलाई 2002 में अपने पद पर पाँच साल पूरे किए। उनके तब तक के शासनकाल में हत्या-अपहरण की बेलगाम घटनाओं, उच्च शिक्षा की दुर्गति, निवेशकों में दहशत और विकास योजनाओं के ठप होने से राज्य की स्थिति कितनी चौपट हो चुकी थी, इसके प्रामाणिक दस्तावेज बन चुके हैं विधान सभा में विपक्षी सदस्यों के भाषण। वर्ष 2002-2003 के बजट प्रस्ताव पर 26.6.2002 को विरोधी दल के नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने जो प्रभावशाली भाषण दिया, वह जनता की आँखें खोलना वाला था। प्रस्तुत है, भाषण के महत्त्वपूर्ण अंश।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : सभापित महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय बजट के सामान्य वाद-विवाद पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, आज का दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। शायद राजद के लोगों को यह स्मरण नहीं हो, आज से ठीक पाँच साल पहले श्रीमती राबड़ी देवी ने पहली बार मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था और इस बीच तीन बार लगातार शपथग्रहण कर मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का इन्हें मौका मिला है। इन पाँच वर्षों में बिहार की मुख्यमंत्री ने सचिवालय जाना बंद कर दिया है और मेरी जानकारी के अनुसार इस अवधि में…

(व्यवधान)

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, अभी बजट पर सामान्य वाद-विवाद होना है। इन्होंने क्या शुरू कर दिया?

श्री नवीन किशोर सिन्हा : सभापति महोदय, वाद-विवाद की दिशा वे तय करेंगे क्या?

व्यवधान, शोर…

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, आप बैठिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : सभापति महोदय, बजट और वित्त विभाग से जुड़े मामलों पर चर्चा हो रही है। वित्त विभाग और गृह विभाग, दोनों मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। उन्होंने सचिवालय जाना छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री विगत पाँच वर्षों में सचिवालय स्थित अपने कक्ष में 100 दिन से अधिक नहीं गई हैं और घर से ही सभी कार्यों का निष्पादन कर रही हैं। परिणामत: दो- तिहाई मंत्रियों ने भी दफ्तर जाना बंद कर दिया है और घरों में बैठकर सरकार चला रहे हैं।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : शांति, शांति।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : आप तय कर दें कि मैं क्या बोलूँ?

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : माननीय मंत्रीजी, नेता, विरोधी दल ने बोलने के क्रम में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्येक व्यक्ति के बात करने के अपने तरीके होते हैं, जिसका निर्धारण आपको नहीं करना है। असंसदीय शब्दों के प्रयोग पर आसन नजर रखेगा और विधि अनुसार उसपर काररवाई भी होगी। कृपया उन्हें बोलने दिया जाए।

कार्यालय नहीं जाते दो-तिहाई मंत्री

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : महोदय, परिणामस्वरूप दो-तिहाई मंत्री कार्यालय न जाकर घर से ही शासन का संचालन कर रहे हैं। यदि ऐसा ही करना हो, तब सचिवालय को भी बंद कर दें। सभी आई.ए.एस, आई.पी.एस. अधिकारी घर बैठकर ही राजकाज चलाएँ, सचिवालय आने का औचित्य क्या है?

सभापति महोदय, पाँच वर्षों में सरकार की हालत एक ही कक्षा में बार-बार फेल होने वाले विधार्थी की तरह हो गई है। पटना में रहकर पढ़ाई करने वाले गाँव के किसी विद्यार्थी का अभिभावक समझता है कि उसका लड़का साइंस कॉलेज अथवा किसी अन्य अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। परंतु, वह इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि पटना में ए.एन. कॉलेज, टी.पी.एस. कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आदि भी हैं, जहाँ उसका लड़का पढ़ सकता है। ग्रामीण भी इसी गलतफहमी में रहते हैं कि पटना जाकर लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है। सरकार की हालत भी यही है। इसकी स्थिति उस विद्यार्थी की तरह है, जो लगातार अनुतीर्ण होने के बाद भी समझ रहा है कि वह पढ़ाई कर रहा है।

सभापति महोदय, इस सरकार को सर्टिफिकेट कौन देगा? किसी विधार्थी द्वारा स्वयं को मेधावी बताने पर उसे इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, दानापुर और छातापुर में चुनाव जीतने से इस सरकार को सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट जनता देती है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : सभापति महोदय, न तो विरोधी दल सर्टिफिकेट देगा और न ही मैं। बजट और सरकार के कामकाज पर बात हो रही है। आपके चुनाव जीत जाने के बाद क्या बहस बंदकर दी जाए? फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है?

महोदय, योजना आयोग ने चार माह पूर्व मानव विकास सूचकांक से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। प्रत्येक राज्य को 8 बिंदुओं/मापदंडों यथा—प्रति व्यक्ति खर्च, गरीबी की स्थिति, पेय जल, पक्का मकान, साक्षरता, औपचारिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर एवं एक वर्ष तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर इसे तैयार किया गया है और इससे राज्यों की स्थिति का पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार 1981 में 15 वें स्थान पर था। 1991 में भी बिहार 15 वें स्थान पर था और वर्ष 2001 में भी यह वहीं खड़ा है। यदि राज्यों की संख्या 16 होती तो बिहार 16 वें स्थान पर चला जाता। सभापति महोदय, यह मेरा नहीं, बल्कि सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट है।

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में 5 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना गया है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, राज्स्थान एवं उत्तर प्रदेश पिछले 10 वर्षों से बीमार राज्यों की श्रेणी से ऊपर चले गए हैं। सिर्फ बिहार और असम ही उस स्थान पर अटके हुए हैं। सभापति महोदय, तमिलनाडु 7वें स्थान से चौथे स्थान पर और राजस्थान 12वें से 9वें स्थान पर चला गया है। असम 10वें से 24वें स्थान पर चला गया है और बिहार एक ही कक्षा में जस-का-तस पड़ा हुआ है, यानी 1981 एवं 1991 में भी यह 15वें स्थान पर था और आज वर्ष 2001 में भी उसी स्थान पर है। यही बिहार की स्थिति है।

निवेशकों की नजर में बिहार काफी नीचे

सभापति महोदय, इसी तरह दूसरा सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिकने वाली बिजनेस पत्रिका बिजनेस इंडिया का है। यह व्यापार और उद्योग जगत् के लोगों की महत्त्वपूर्ण पत्रिका है। इसने अपने सर्वेक्षण के दौरान हिंदुस्तान के एक हजार लोगों से पूछा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? इस मामले में भी बिहार सबसे नीचे अर्थात् 27 वें स्थान पर है। वर्ष 1995, 1997 एवं 2000 में कराए गए इसके सर्वेक्षणों में

बिहार अंतिम स्थान पर ही रहा, इस राज्य ने ऊपर जाने का कभी प्रयास ही नहीं किया।

सर्वेक्षण के दौरान पूछे जाने पर मात्र 4 प्रतिशत उद्योगपतियों ने ही बिहार में पूँजी लगाने की बात कही। आज पं. बंगाल 24वें से 10वें स्थान पर, आंध्र 12वें से चौथे और उड़ीसा भी 20वें से 15वें स्थान पर चला गया, परंतु बिहार 27वें स्थान पर ही खड़ा है। मिलिटरी के लोग कदमताल करते हैं। उसी तरह बिहार भी एक ही जगह पर कदमताल कर रहा है।

सबसे अधिक आपराधिक राजधानी

सभापति महोदय, पिछली बार सदन में बहस के दौरान आदरणीय जगदानंद बाबू ने कहा था कि क्राइम इन इंडिया 99 नामक पुस्तक के अनुसार बिहार में सबसे कम आपराधिक घटनाएँ होने के कारण यह राज्य 14वें स्थान पर है, जबकि अन्य राज्यों में यहाँ से ज्यादा अपराध हो रहे हैं।

उत्सुकतावश मैंने उस किताब (क्राइम इन इंडिया 99) को उपलब्ध करा कर सारे आँकड़ों को एकत्र किया और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सभापति महोदय कि बिहार की राजधानी पटना हिंदुस्तान की सबसे अधिक आपराधिक घटनाओं वाली राजधानी है। भारत सरकार द्वारा संकलित आँकड़ों पर आधारित क्राइम इंडिया 1999 के अनुसार वर्ष 1999 में राजधानी पटना में 226 हत्याएँ हुईं। यहाँ की आबादी 13 लाख है। उसी वर्ष कलकत्ता में 72 हत्याएँ हुईं, जबकि वहाँ की आबादी 1 करोड़, 40 लाख 28 हजार है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 115 हत्याएँ हुईं, जबकि आबादी 57 लाख है। भोपाल में मात्र 44 हत्याएँ हुईं, जबकि इसकी आबादी 16 लाख है। भोपाल में 44 और पटना में 226 हत्याएँ हुई। अहमदाबाद की आबादी 41 लाख है और 115 हत्याएँ हुईं। जयपुर 21 लाख की आबादी वाला शहर है और 47 हत्याएँ हुईं। चेन्नई में 93 और लखनऊ में 129 हत्याएँ हुईं। बिहार की राजधानी पटना में कलकत्ता से 22 गुना, हैदराबाद से 10 गुना, अहमदाबाद से 7 गुना, चेन्नई से 19 गुना एवं लखनऊ से 4 गुना अधिक हत्याएँ हुईं। बंबई से 20 गुना अधिक हत्या पटना में हुईं, जबकि वहाँ की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है।

1999 में सबसे ज्यादा अपहरण पटना से

इसी प्रकार वर्ष 1999 में सर्वाधिक अपहरण पटना शहर में हुआ। पटना में 93, हैदराबाद में 53, भोपाल में 4, जयपुर में 37, चेन्नई में 29, कलकत्ता में 41 एवं लखनऊ में 20 अपहरण हुए। क्राइम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 1999 में 5116 हत्याएँ हुईं। सबसे अधिक 16 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और वहाँ

8 हजार हत्याएँ हुईं, जबकि बिहार की आबादी 8 करोड़ और यहाँ 5116 हत्याएँ एवं 2599 अपहरण हुए।

योजना राशि का आधा भी खर्च नहीं

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने योजना आयोग के पास 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 21 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और सरकार ने सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 13 हजार करोड़ रुपए के विरुद्ध 5550 करोड़ रुपए खर्च हुए। सप्तम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 5100 करोड़ के विरुद्ध 6033 करोड़ रुपए व्यय हुए, अर्थात प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत राशि से 1000 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। लेकिन वर्ष 1990 के बाद ऐसा क्या हो गया कि पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत राशि का आधा भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं?

निर्णय न कर पाने से 5000 करोड़ का नुकसान

सभापति महोदय, वर्माजी कहते हैं कि यहाँ पैसे का संकट है, लेकिन मेरा कहना है कि इससे बड़ा संकट पैसे को खर्च करने का है। पैसे हमारे पास हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए हमारे पास ढाँचा नहीं है, ऑफिसर्स और इंजीनियर्स नहीं हैं। यहाँ निर्णय की प्रक्रिया काफी जटिल है। केसी पंतजी ने कहा है कि बिहार को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल निर्णय की प्रक्रिया के कारण हुआ है। प्राधिकृत समिति को समाप्त करने के बारे में भी कई सुझाव आए हैं। आपको सत्ता में आए हुए 12 साल हो गए, परंतु इस अवधि में निर्णय प्रक्रिया का निर्धारण नहीं हो पाया। आज काम करने वाले अच्छे ठीकेदार नहीं हैं। महोदय, केवल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि सभी अच्छे ठीकेदार भी बिहार छोड़कर चले गए। केवल सिंचाई विभाग में दो-चार अच्छे ठीकेदार रह गए हैं। आज पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग में अच्छा काम करने वाला कोई ठीकेदार नहीं है। पैसे की कमी नहीं है।

पैसे खर्च कर नहीं पाते, कोसते हैं केंद्र को

पैसे केंद्र से आते हैं,लेकिन आप उन्हें खर्च नहीं कर पाते हैं, बल्कि सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। अपने को केवल 5 वर्षों से ही सत्ता में रहने की बात बताते हुए आप केंद्र की कांग्रेसी सरकार पर 45 साल तक बिहार की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा है कि योजनाओं का निर्धारित पैसा नहीं खर्च करने वाले

दंडित होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि किसी विभाग का पैसा खर्च नहीं होने पर संबंधित मंत्री को भी दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि यह पैमाना निर्धारित होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री को ही दंडित करना होगा, क्योंकि वे स्वयं वित्त मंत्री हैं और हर एक वर्ष में डेढ़ हजार करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री, जो सरकार का नेतृत्व कर रही हैं, मंत्री से अधिक जिम्मेदार हैं।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की काफी चर्चा हो रही थी। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड ने पूरी राशि खर्च की। मेरे द्वारा साढ़े चार सौ करोड़ रुपए मिलने की बात बताए जाने पर माननीय सदस्य श्री वर्माजी ने कहा कि वस्तुत: डेढ़ सौ करोड़ रुपए ही मिले हैं। ठीक है, लेकिन यह राशि आपको 31 मार्च, 2001 में दी गई और 18 महीने में आप इसे खर्च नहीं कर पाए, तो जबाब आपको देना पड़ेगा। इस पैसे के संबंध में सांसद और विधायक का कोई विवाद नहीं था, तथा यदि था भी तो उसका समाधान भी आप ही को करना था। पड़ोसी राज्य झारखंड आज दूसरी किस्त लेने को तैयार है, मध्य प्रदेश तीसरी किस्त लेने को तैयार है, परंतु बिहार डेढ़ सौ करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया। इस राशि से 815 किमी. ग्रामीण सड़कें बनने वाली हैं। यह राशि शत-प्रतिशत केंद्र सरकार की है और इसमें राज्यांश भी नहीं देना है। फिर, 18 महीने बीत जाने के बाद भी सड़कें क्यों नहीं बनीं? मंत्रीजी ने अपने बयान में लिखा है कि तीन-चार बार निविदा निकाले जाने के बाद भी किसी ने टेंडर नहीं डाला। इस सरकार को सोचना होगा कि ठीकेदार क्यों नहीं आ रहे हैं? केंद्र सरकार का कहना है कि ठीकेदारों के पास हॉट मिक्स प्लांट, रॉलर, वाटर टैंक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, काम के अनुभव आदि होने चाहिए। इसमें गलत क्या है? मैंने भी श्री वैंकेया नायडू से इन शर्तों में ढ़ील देने का अनुरोध किया है, लेकिन शर्तों को शिथिल करने के नाम पर उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ठीका देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। पाँच साल तक योजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ठीकेदार की ही है, आज वे यहाँ नहीं हैं। सिर्फ व्यवसायी ही नहीं, बल्कि ठीकेदार भी बिहार छोड़कर चले गए हैं। 25-30 करोड़ रुपए का काम कराने वाले 10 ठीकेदार भी आज आपको नहीं मिलेंगे। आपने क्या स्थिति बना दी है?

पूर्वे जी बजट पर भाषण करने को कह रहे थे, परंतु क्या भाषण करूँ? आपको केंद्र से 300 करोड़ रुपए और मिलते। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान वैंकेया नायडू ने कहा कि 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 300 करोड़ की माँग कीजिए, क्योंकि हम भी कहीं से कर्ज लेकर ही आपको पैसा देते हैं। पैसे के लिए मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु इससे पहले से प्राप्त 150 करोड़ रुपए तो खर्च कीजिए। यह कोई मुद्दा नहीं है कि सड़क हमारे घर के बगल में न बनकर आपके घर के निकट बन रही है। आनेवाले पैसे

से बिहार की ही सड़कें बनेंगी, चाहे आपके यहाँ बनें या हमारे यहाँ। आपके पास ठीकेदारों की कमी है, जिसके कारण बिहार में काम रुका हुआ है।

सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं

सभापति महोदय, हालाँकि मुझे प्रशासन का अनुभव नहीं है, लेकिन बैठक में जाकर स्थिति से अवगत हुआ। यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि इनके पास इंजीनियर इन चीफ नहीं हैं। पिछले एक साल में अलग-अलग समय को मिलाकर 7 महीने तक इस विभाग में यह पद खाली रहा है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का नहीं होना सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है। सभापति महोदय, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं रहने के कारण इतना विलंब हुआ। विकेंद्रित व्यवस्था की बात तय हो जाने के बाद सिर्फ निर्णय लेने में 7 माह क्यों लगे? क्या सरकार 24 घंटे के अंदर इस पर निर्णय नहीं ले सकती थी? पटना मुख्यालय में सारी निविदाओं पर फैसला किया जाना है परंतु, ऐसा नहीं होने की स्थिति में जिलों में समिति बनाकर क्या इसे नहीं किया जा सकता था? खबर है कि सारे क्रशर उद्योगों को बंद करवा देने के कारण बिहार में गिट्टी नहीं मिल रही है। अलकतरा उपलब्ध नहीं होने के कारण छह महीने तक काम बंद रहा। बिना सोचे-समझे एक नई पद्धति लागू कर दी गई जिसके तहत ठीकेदार को ही इसकी व्यवस्था करनी है।

सभापति महोदय, मैं दो-चार उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई श्याम रजकजी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में छपी खबर का आज तक खंडन नहीं किया, वे चाहें तो आज भी ऐसा कर सकते हैं। शकील साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बैठक की प्रोसीडिंग्स के अनुसार इस कार्य के लिए 135 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड के पास पड़े हैं, जिसे वह खर्च नहीं कर पाया। माननीय मंत्री श्री श्याम रजकजी गुस्से में बैठक से वाक-आउट कर चले गए। इस संबंध में टेलीफोन पर बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि मंत्रीजी लघुशंका करने के लिए निकले और वहीं से गाड़ी में बैठकर बाहर चले गए। रघुवंश बाबू बहुत नाराज हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि वे कभी बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने के लिए तो कभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के पैसे खर्च नहीं हुए

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का होता है। सभापति महोदय, वर्ष 2007 तक बिहार के सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने के लिए आवश्यक राशि देने को केंद्र

सरकार तैयार है, परंतु इससे पूर्व पहले से प्राप्त राशि खर्च होनी चाहिए। महोदय, काम क्यों नहीं हुआ है? दो लाख पोल (खंभा) चाहिए, लेकिन बिहार में इसे बनाने वाली फैक्टरी एक साल में 50 हजार पोल का ही निर्माण कर सकती है। ऐसे में डेढ़ लाख पोल बिहार के बाहर से मँगाना पड़ेगा। महोदय, यदि ठीकेदार, सामान, पैसा–सब बाहर से ही लाना पड़े, तब क्या ये लोग केवल राज करने के लिए रहेंगे?

महोदय, रघुवंश बाबू ने कहा कि पैसा खर्च नहीं होने पर बिहार 150 करोड़ रुपए से वंचित हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने 355 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और यह राशि खर्च हो जाने पर बिहार को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह उपलब्ध राशि को समय से और ईमानदारीपूर्वक खर्च करे। इसके बाद अतिरिक्त राशि के लिए हम लोग आपके साथ चलेंगे। परंतु पहले की राशि खर्च नहीं होने पर हम केंद्र सरकार एवं प्लानिंग कमीशन से किस मुँह से और अधिक पैसे की माँग कर सकेंगे?

नहीं हो पाई 45 हजार पारा शिक्षकों की भरती

महोदय, पूर्वेजी बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनका विभाग क्यों छीना गया? उन्होंने 45 हजार पारा शिक्षकों को बहाल करने की घोषणा की थी। उनका नाम बदलकर रखा शिक्षा मित्र। आपने 15 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया था। विश्व बैंक को चेतावनी देनी पड़ी कि 30 जून तक उनकी नियुक्ति की प्रकिया तय नहीं होने पर पैसा रोक लिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना के लिए पैसा काफी दिनों तक पड़ा रहा और जब धमकी दी गई तब बिहार सरकार ने 45 हजार शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया। यानी आप धमकी एवं दबाव में काम करेंगे। एक ओर तो लोग बेरोजगार हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी आपने शिक्षकों को बहाल नहीं किया।

पैसा रहते हुए भी न तो आप शिक्षक बहाल कर सकते हैं, न ही शौचालय बना सकते हैं, फिर सरकार में होने का क्या फायदा है? यद्यपि यहाँ बैठे सभी लोग योग्य हैं, परंतु आगे की पंक्ति में बैठे लोगों को मैं सर्वाधिक काबिल मानता हूँ और आप भी सामने की पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि वास्तव में आप काफी योग्य मंत्री हैं, परंतु पैसा रहते हुए भी शिक्षकों की बहाली नहीं होने का क्या कारण है? मुझे तो यह भी मालूम हुआ है कि 152 मीलियन डॉलर की इस परियोजना की अवधि दो साल बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से अनुरोध करने पर उसने पैसा खर्च नहीं होने पर दिक्कत होने की चेतावनी दी है। पैसा तो खर्च करने के लिए ही है।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई का बँटाढार

राज्य के बँटवारे के बाद बिहार में केवल तीन इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हैं पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बी.आई.टी. मेसरा था, जहाँ बिहार के लड़के जाते थे, चाहे मेरिट से जाएँ अथवा मुख्यमंत्री के कोटे से।

झारखंड सरकार ने विज्ञापन निकालकर किसी को भी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की छूट दी है। श्री चंद्रिका रायजी यहाँ बैठे हुए हैं, वे बताएँ कि बिहार में क्या हुआ? सभापति महोदय, तमिलनाडु में 222, आंध्र प्रदेश में 162, महाराष्ट्र में 122 और कर्नाटक में 185 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तथा बिहार में सिर्फ 3 हैं। बी.आई.टी. मेसरा यहाँ एक्सटेंशन ब्रांच खोलने को तैयार है। इसके लिए बिल्डिंग बनाकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार योजना आयोग ने बिहार सरकार को 9 या 8 करोड़ रुपया दिया है। आपने 8 माह में बिल्डिंग तैयार कराने की बात कही थी, परंतु एक साल में भी ऐसा नहीं हुआ। पिछले वर्ष एडमिशन नहीं हो पाया, इस साल भी परीक्षा हो गई और बिहार के लड़के इसमें शामिल होने से वंचित रह गए। बिहार के हजारों लड़के आज पूना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 4-4, 5-5 लाख रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। गया, दरभंगा और मोतिहारी के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को आप निजी क्षेत्र में देने का प्रयास करते। हमने अखबार में पढ़ा है कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में सरकार ने कुछ नीतिगत निर्णय लिया है। केंद्र सरकार पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को आई.आई.टी. का दरजा देकर उसे पैसा देना चाहती है और आप इसे छपरा में खोलने की बात करते हैं। जब पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में सब ढाँचा उपलब्ध है, तब यहाँ पर ही खोलें।

सभापति महोदय, बिहार का नेतरहाट विद्यालय अब झारखंड में चला गया। एक शिक्षक बता रहे थे कि भले ही वहाँ 58 लड़के का नामांकन होता हो, परंतु एक हजार लड़के इसके लिए तैयारी करते थे, जिससे उनका शैक्षणिक स्तर कम-से-कम जरूर ऊँचा हो जाता था। वहाँ बिहार के लिए कोटा निर्धारिण हेतु क्या आपने प्रयास किया? अगर झारखंड इसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या आपने नेतरहाट जैसा विद्यालय यहाँ खोलने की योजना बनाई अथवा इस दिशा में कोई प्रयास किया?

पंचायतों के हिस्से का पैसा पड़ा रह गया

सभापति महोदय, यह सरकार सिर्फ पैसों का रोना रो रही है। योजना आयोग की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री ने दशम वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को दिया जाने वाला पैसा आज तक नहीं उपलब्ध कराने की बात कही। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि दशम वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1996-97 में बिहार

सरकार को 126 करोड़ रुपए उपलबब्ध कराए गए। केंद्र ने पंचायतों का चुनाव होने के बाद उन्हें पैसा देने को कहा। मैं आपके माध्यम से बिहार के सारे मुखिया को बताना चाहूँगा कि पंचायतों के लिए 126 करोड़ रुपए 6 साल से सरकार के खजाने में पड़े हैं, जिन्हें आज तक उन्हें नहीं दिया गया और सरकार यह कहकर बहाना बना रही है कि यह पैसा बिहार और झारखंड को मिलाकर था। बिहार और झारखंड के लिए राशि निर्धारण संबंधी निर्णय नहीं होने के कारण पंचायतों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। सच्चाई यह है कि आपने पैसा खर्च कर दिया और 1996-97 का पैसा पंचायतों को नहीं भेजा गया।

शायद हमारे विद्वान् मंत्रियों ने 11वें वित्त आयोग का वह पैरा देखा है या नहीं, जिसमें उल्लेख है कि संविधान के अनुच्छेद 11 में वर्णित अधिकार 31 मार्च, 2002 तक पंचायतों को नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर देगी। यह तिथि बीत चुकी है।

आपने संचित निधि से पंचायतों को कितना पैसा दिया? मैं बतलाना चाहता हूँ कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को एक पैसा नहीं दिया गया। केंद्र से मिले अनुदान का 25 प्रतिशत अर्थात् 27 करोड़ रुपए मैचिंग ग्रांट के रूप में पंचायतों को राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाना है। तब पंचायतें अपने कर संग्रह से 27 करोड़ रुपए एकत्र करतीं, जो नहीं कर सकीं।

सभापति महोदय, जब सरकार ने चुनाव ही नहीं कराया, तब केंद्र सरकार 126 करोड़ रुपए क्यों देती? यदि किसी क्षेत्र के माननीय सदस्य का निधन हो जाए और डेढ़-दो साल तक वह सीट खाली रह जाए, तब इस स्थिति में एक करोड़ रुपए सालाना की दर से डेढ़ साल के लिए विधायक फंड की राशि क्या आप दीजिएगा? दानापुर क्षेत्र से श्री रामानंद प्रसाद यादव अभी जीतकर आए हैं। यह सीट एक साल से खाली थी। क्या आप उन्हें पिछले एक साल के विकास फंड का पैसा दीजिएगा? जब चुनाव ही नहीं हुआ, तब उस अवधि का पैसा केंद्र सरकार क्यों देगी? सभापति महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के पास पैसा होते हुए भी वह खर्च नहीं कर पा रही है।

श्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा (मंत्री) : चुनाव नहीं होने के लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : यह आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नेता विरोधी दल, आप 40 मिनट बोल चुके हैं, आपके दल के लिए निर्धारित समय में क्या सिर्फ आप ही बोलेंगे?

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : हाँ। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि आपके पास आबकारी एवं वाणिज्य कर सहित अन्य विभाग भी हैं,

जिनसे आप राजस्व वसूलते हैं। हमारे बड़े भाई शिवानंद तिवारीजी मंत्री हैं, जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने 29 सितंबर, 2000 को सभी दलों के विधायकों वाली विभागीय परामर्शदाता समिति की बैठक में नई आबकारी नीति शीघ्र बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे राज्य को 113 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व का लाभ मिलेगा। परंतु इस घोषणा के तीन वर्षों के बाद भी यह नई नीति नहीं आ सकी। इसे मंत्रिमंडल उपसिमिति के पास भेजा गया और सालभर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति दे दी, परंतु आजतक यह लागू नहीं हो सका। राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के झगड़े के कारण बिहार को 113 करोड़ रुपए से वंचित होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, सरकार कोई भी नीति लागू करे, हमें पैसा चाहिए। अन्य राज्य, जैसे तमिलनाडु 3 हजार करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 2700 करोड़ एवं कर्नाटक 1880 करोड़ रुपए शराब की बिक्री से एकत्र कर सकता है, लेकिन साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए के अनुमान के विरुद्ध बिहार 275 करोड़ रुपए ही एकत्र कर सका। सभापति महोदय, मैं नई आबकारी नीति की स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। जब इसके संबंध में संचिका बढ़ी और इसपर मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई, तब इसे क्यों लागू नहीं किया जा सका? कुछ लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास में राज्य को लाभ से वंचित नहीं किया जाए, अन्यथा बिहार की जनता को इसका जबाव देना होगा।

नहीं बनी औद्योगिक नीति

सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने अप्रैल से नई औद्योगिक नीति लागू करने की घोषणा की थी। विश्वमोहन शर्माजी डेढ़ साल से इसकी चर्चा कर रहे हैं। औद्योगिक नीति नई बने या पुरानी ही रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई पूँजीपति यहाँ निवेश करने नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने आश्वासन दिया है, तब उसे लागू कीजिए। आप न तो पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही नीति का निर्धारण ही। अनेक बार कहने के बावजूद आप नई नीति को नहीं ला रहे हैं।

श्री विश्वमोहन शर्मा (मंत्री) : इसे कैबिनेट में भेजा जा रहा है। पुरानी नीति तो है ही।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल) : पिछले दिनों आई.टी. सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमरीका से श्री रमेश यादव भी शामिल हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, ''मोदीजी, आप हर बात में सरकार का विरोध क्यों करते हैं?'' मैंने उनसे कहा—''यादवजी, आप अमरीका से एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग इस सरकार का नाटक और तमाशा 10 वर्षों से देख रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं होनेवाला है।''

टेक्नोलॉजी पार्क क्यों नहीं खुले?

सरकार बताए कि आई.टी. सम्मेलन आयोजित होने के चार माह बाद भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्यों नहीं खुल पाया? इसके लिए विस्कोमान भवन में तीसरे तल्ले पर किराए पर लिया गया मकान धूल फाँक रहा है। टेक्नोलॉजी पार्क के खुलने पर पाँच हजार लोगों को रोजगार मिलता। आई.टी. सम्मेलन के बाद एक पैसे का इनवेस्टमेंट नहीं हुआ।

मैं मुख्यमंत्रीजी को मौर्या होटल में आयोजित रात्रि भोज के बारे में याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें रमेश यादवजी ने कहा था कि अमरीका में होने वाले सम्मेलन में यहाँ से भी डेलिगेशन जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस सम्मेलन में बिहार सरकार का कोई डेलिगेशन क्यों नहीं गया? वह सम्मेलन 22-23 जून को कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया भर के लोग गए। कांग्रेस पार्टी के अजीत जोगीजी गए, ओम प्रकाश चौटाला गए और आठ राज्यों ने अपने प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजा, लेकिन आपने एक भी पदाधिकारी या मंत्री को नहीं भेजा, जो वहाँ जाकर बिहार के बारे में बता सके। यह सरकार अपनी अक्षमता के कारण चार महीने पहले आई.टी. सम्मेलन में की गई घोषणा का भी पालन नहीं कर रही है। इस राज्य की स्थिति चिंताजनक है।

जाति और पार्टी देखकर अपराधी का संरक्षण

सभापति महोदय, पैसे खर्च नहीं होने का बहुत बड़ा कारण इस राज्य में बढ़ता हुआ अपराध है। शासन में आने के बाद अपराध के मामले में यदि जाति या पार्टी के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, तब सुधार कैसे होगा? इस मामले में न कोई हिंदू है, न मुसलिम, न बैकवर्ड और न फॉरवर्ड। कानून सबके लिए समान है, लेकिन आप भेदभाव करते हैं। सभापति महोदय, हत्या का आरोपी बनने पर आदित्य सिंह और संजय सिंह को मंत्रिमंडल से बरखास्त कर जेल भेज दिया गया, लेकिन आपकी पार्टी के राज्य मंत्री श्री राजवल्लभ यादव और श्री विनोद कुमार यादवेंदु पर हत्या के मामले में एफ.आई.आर. दायर है, शहाबुद्दीन और श्यामदेव पासवान भी आरोपी हैं, परंतु इन्हें जेल नहीं भेजा गया। एक खास जाति से संबंध रखने के कारण आदित्य सिंह और संजय सिंह को मंत्रिमंडल से निकालकर जेल भेज देना एवं अन्य लोगों से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना राज्य की जनता को कैसा संदेश देता है?

सभापति महोदय, मधेपुरा में आरकेस्ट्रा पार्टी में नाच के दौरान एक मंत्री के पुत्र की गोली से 14 साल का एक मुसलिम लड़का मारा गया। लेकिन एक महीना बाद कहा जाता है कि ऐसा गलती से कहला दिया गया था, वस्तुत: वह उसकी गोली से नहीं मरा है। सभापति महोदय, यहाँ के लोग मूर्ख नहीं हैं। दीनानाथ बैठा प्रकरण लोग भूले

नहीं हैं। उसमें भी बयान बदल दिया गया। क्या इससे लोगों के मन मे संदेह पैदा नहीं होगा, क्या इससे गलत संदेश नहीं जाता है?

अपनों को बचाने में सी.आई.डी. का दुरुपयोग

अब मैं आपको सी.आई.डी. कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार इस बात को प्रकाशित करे कि बिहार में कितने मुकदमे सी.आई.डी. कंट्रोल को दिए गए ताकि लोंगों को मालूम हो सके कि किन लोगों को बचाने के लिए और किस प्रकार इसका दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, गया में बबली जैन अपहरण कांड हुआ था, जिसके मुख्य अभियुक्त गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं। कुर्की-जप्ती एवं चार्जशीट हुई, लेकिन इस केस को सी.आई.डी. कंट्रोल में दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन किस दल से जुड़ा हुआ है? डी.डी.सी. के घर में हथियारबंद लोगों के साथ जाने के संबंध में आई.ए.एस. एसोसिएशन के लोगों ने भी बयान दिया है, परंतु इस केस को भी सी.आई.डी. कंट्रोल में भेज दिया गया है।

बिहार में ट्रिपल मर्डर, ट्रायल झारखंड में

सभापति महादेय, मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। सिवान में एक ही परिवार के तीन लोगों रघुवीर शरण वर्मा, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या हो गई। पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इस हत्याकाड के पीछे किसकी साजिश है? बिहार में किस तरह का इतिहास रचा जा रहा है? पूर्वेजी, शायद देश का यह पहला मुकदमा होगा, जिसका स्थानांतरण दूसरे राज्य अर्थात झारखंड हाईकोर्ट में हो गया। पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि हत्यारे का ताकतवर होने के कारण उसे इस राज्य में न्याय नहीं मिल सकेगा। सभापति महोदय, मुखर्जी और सब्बरवाल की खंडपीठ ने सिवान में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से संबंधित इस पूरे मामले को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। एक्यूज्ड बिहार के, पिटीशनर बिहार का, प्लेस ऑफ अकरेंस बिहार, लेकिन ट्रायल होगा झारखंड हाईकोर्ट में। इस राज्य के लिए इससे बड़े शर्म की कोई बात दूसरी नहीं हो सकती कि यहाँ के कोर्ट में ट्रायल से न्याय नहीं हो सकता है और इसलिए केस को दूसरे राज्य के न्यायालय में भेजना पड़ता है।

सभापित महोदय, अपराधियों को भी अंगरक्षक दिया गया है। सुशील मोदी के पास चार अंगरक्षक हैं और अन्य लोगों के पास एक-एक दर्जन। मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि बिहार सरकार सी.आई.डी. कंट्रोल को दिए गए मामलों और अंगरक्षक प्राप्त करने वाले लोगों की पूरी सूची प्रकाशित करे।

आपस में लड़ रहे हैं मंत्री

सभापति महोदय, इस राज्य के मंत्री और राज्य मंत्री जिस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक राज्य मंत्री ने सारे कैबिनेट मंत्रियों की जाँच सी.बी.आई. से कराने की माँग की है और यह खबर सभी टी.वी. चैनल सहित अखबारों की सुर्खियों में है। लगभग आधे दर्जन विभागों के मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के बीच झगड़ा चल रहा है और मुझे लगता है कि कहीं इनका कोई यूनियन न बन जाए। पहलवानजी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपका कोई जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन शिवानंद तिवारीजी के साथ आप राज्यमंत्री हैं और अखबारों में आपका इस प्रकार बयान देना मुझे आश्चर्यचकित करता है। तिवारीजी के साथ मेरे घोर मतभेद हो सकते हैं, परंतु वे वरीय मंत्री हैं और उनका कहना है कि वे अपराधी और संस्कारविहीन लोगों से घिरे हुए हैं। एक मंत्री ने सी.बी.आई. से जाँच कराने की माँग की है। सभापतिजी मुझे मालूम है कि परिवहन मंत्री क्यों बदले गए?

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि परिवहन विभाग दूसरे को दिया जाए।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : कमाई वाला विभाग जानबूझकर ऐसी जगह स्थानांतरित किया गया है, जहाँ से उसे रिमोट द्वारा चलाया जा सके। आज एक दर्जन विभागों को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। सभापति महोदय, मुझे पता है, सिद्दीकी साहब क्यों हटे?

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, यह मुख्यमंत्रीजी का अपना विवेकाधिकार है कि वे कौन सा विभाग किसे देती हैं? इस ढंग से आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

टाटा के शो-रूम से उठा ली गईं गाड़ियाँ

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल) : राज्यपालजी के यहाँ से अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही सिद्दिकी साहब का नेम प्लेट बंदूक के बल पर तोड़वाकर फेंक दिया गया। सभापति महोदय, इनके जिम्मे का आबकारी विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. ऐसे लोगों के पास चले गए, जो केवल दिखाने के लिए और नाममात्र के मंत्री हैं। सभापति महोदय, इस राज्य में भेदभाव किया जा रहा है। यदि सुशील मोदी ने कुछ किया होता, तो अबतक आप एफ.आई.आर. दर्ज कराकर जेल भेज दिए होते। लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देने पर बिहारशरीफ के असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स को आपके विधायक द्वारा फोन पर देख लेने की धमकी देने पर उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया जाता है। सुखदेव राय के गुंडागर्दी करने पर सुशील मोदी को एफ.आई.आर.

दर्ज कराने जाना पड़ता है। टाटा के शो-रूम से गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं और तीन दिनों तक एफ.आई.आर. नहीं होता है।

(व्यवधान)

मुख्यमंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे नहीं चलेगी।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : यह आरोप बिलकुल गलत है, इसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाए। बिना सबूत के बोल रहे हैं।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : बैठ जाएँ, शांति, शांति।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : इस राज्य को ठीक से चलाइए।

श्री रामचंद्र पूर्वे (मंत्री) : इसका प्रमाण दानापुर एवं छातापुर है। यहाँ गुजरात नहीं बनने देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : सभापित महोदय, मुख्यमंत्रीजी के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है, मैं उनका आदर करता हूँ। मुझे मालूम है कि वे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहती थीं, परंतु उन्हें गद्दी पर जबरदस्ती बैठाया गया है। किसी इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी बिहार की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी अन्यथा आज बिहार जिस 27वें स्थान पर खड़ा है उससे ऊपर कभी नहीं जा सकेगा। धन्यवाद। □

झारखंड बनने के बाद अंधकार में डूबा बिहार

बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में 18.03.2002 को महामहिम के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में विपक्ष के नेता श्री सुशील कुमार मोदी के भाषण का संपादित अंश।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के विरुद्ध एवं उस पर प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं विगत 12 वर्षों से इस सदन का सदस्य हूँ और तब से राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार है। उस समय से लगातार हम लोग राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को देखकर मुझे कौमा में चले गए मरीज की याद आती है, जो जीवित रहता है, परंतु उसकी सारी गतिविधियाँ बंद रहती हैं। यह सरकार सिर्फ नाम के लिए है और विकास संबंधी कोई काम नहीं कर रही है। 16 महीने पूर्व झारखंड के गठन के बाद तो बिहार पूरी तरह अंधकार में डूब गया है।

अपहरण की घटनाएँ पराकाष्ठा पर

रमा देवीजी के एक पारिवारिक सदस्य का, श्री बैद्यनाथ पांडेयजी के भाई का, खगड़िया के डॉ. जैन का और विमल केडिया के लड़के का अपहरण हो गया है। डी.एस.पी. स्वयं जाकर एल.आई.सी. की मैच्योरड् पॉलिसी और 9 बीघा जमीन की बिक्री के पैसे की माँग करते हुए 15 मिनट में लड़के को वापस लौटाने की बात करता है। सहरसा में अनिश्चितकालीन बंद है। बिहार के पूँजी निवेशक बाहर चले गए। अब तो ट्रक ड्राइवर, दुकानदार एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का भी अपहरण हो रहा है। वास्तव में अपहरण की घटनाएँ पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी हैं।

अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है और वे फिल्मी अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। नवादा जेल कांड इसका उदाहरण है। सरकार अपराधिकयों को जेल में बंद करती है, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ कैदी रात में जेल से बाहर निकलते हैं और अपराध करने के बाद सुबह 4-5 बजे तक पुनः वापस चले आते हैं। क्या कारा मंत्री को इसकी जानकारी है? मैं यह नहीं कहता कि अपराध को कोई पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है, परंतु लोगों में विश्वास तो पैदा किया ही जा सकता है। सभापित महोदय, स्थिति काफी गंभीर है।

कोई क्यों बिहार आएगा पूँजी लगाने?

वर्ष 1990 में ही औद्योगिक नीति बनी थी और 1995 में उसकी अवधि समाप्त हो गई, अब इसे विस्तारित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री विश्वमोहन शर्मा ने इस साल के अंत तक नई औद्योगिक नीति घोषित किए जाने की घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में होने की बात कही है। यदि केवल घोषणा में साल-डेढ़-साल लगता है, तब तो इस राज्य को भगवान् ही बचाये। कोई बड़ा पूँजीपति बिहार में आकर अपनी पूँजी क्यों लगाएगा? इसके लिए वह कर्नाटक, गुजरात या हैदराबाद क्यों नहीं जाएगा?

अभी जे.जे. ईरानी की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। श्री ईरानी ने एक सर्वे का उल्लेख करते हुए बिहार के बारे में बाहर के उद्योगपतियों की सोच का वर्णन किया है। उनके अनुसार बिहार के व्यवसायियों को दुधारू गाय समझा जाता है। इस प्रवृत्ति में परिवर्तन के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के राजनीतिज्ञों के पास इस राज्य के विकास के लिए कोई दूरगामी सोच नहीं है। ये मेरी बातें नहीं हैं, बल्कि मैं जेजे ईरानी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़कर सुना रहा हूँ।

आयोगों, समितियों से असहयोग

लालू प्रसादजी और सोनिया गांधी के बीच समझौते के तहत गठित तीन आयोगों/कमेटियों में से एक ईरानी कमेटी थी। दूसरा, श्री एस.सी. झा की अध्यक्षता में गठित आर्थिक सुधार आयोग था। श्री झा अभी कांग्रेस में हैं, पहले वे हमारी पार्टी में थे। सभापति महोदय, स्टेट गेस्ट हाउस में तीन दिनों तक इंतजार करने के बाद विजय शंकर दूबेजी की पैरवी पर मुख्यमंत्रीजी से उनकी भेंट हुई। राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने तथा कमरा, फोन एवं सेक्रेटेरियट स्टाफ नहीं दिए जाने के बावजूद उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने का बात कही। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट का क्या हस्र होगा?

तीसरा, आधारभूत संरचना आयोग का गठन किया गया परंतु सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के कारण इसके अध्यक्ष श्री डी.पी. यादव ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें भी टेलीफोन, गाड़ी, कमरा, स्टाफ आदि उपलब्ध नहीं कराए गए।

आई.टी. पर देर से आई सुबुद्धि

महोदय, पहले वे कहा करते थे कि आई.टी.-वाई.टी. क्या होता है? अब इस सरकार को सुबुद्धि आई। बायो-टेक्नोलॉजी पार्क के लिए पाँच वर्ष पहले पैसे आए थे। टिश्यू कल्चर के लिए प्राप्त 97 करोड़ रुपए वापस हो गए। केंद्र सरकार ने बायो टेक्नोलॉजी पार्क की योजना को रद्द कर दिया। यह निर्णय लेने में तीन साल लग गए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उद्योग विभाग के अधीन होगा या साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत होगा। आपकी सरकार के पास इच्छा शक्ति का अभाव है। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, आप बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं?

चिकनी सड़कें केंद्र की देन

सभापति महोदय, बिहार में 2013 कि.मी. सड़क के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य एन.एच. (नेशनल हाई वे) के अंतर्गत लिया गया है। जो काम विगत 50 वर्षों में नहीं हुआ, उसे आज केंद्र की एन.डी.ए. सरकार ने बिहार के लिए किया है। माननीय विश्वमोहनजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में आज चिकनी दिखाई पड़ने वाली सड़कें राज्य सरकार की नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की एन.एच. की हैं।

प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए खोला खजाना

सभापति महोदय, केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 650 करोड़ की स्वीकृति बिहार में गंगा रेल पुल के लिए दी थी। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वाजपेयी सरकार ने पटना-मुगलसराय रेलखंड विद्युतीकरण कार्य के लिए 140 करोड़, पटना-गया रेलखंड विद्युतीकरण कार्य के लिए 53.82 करोड़, 30 स्थानों पर ऊपरी एवं भूमिगत रेल पुल के प्रस्ताव पर 6.5 करोड़ एवं अधूरी रेल परियोजनाओं—अमान परिवर्तन कार्य हेतु जोगबनी-टिहार रेलखंड, छपरा-सिवान कप्तानगंज रेल खंड एवं समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड के लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

सभापति महोदय, 10 हजार निजी नलकूप लगाने की योजना को भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। अनेक स्थलों पर कार्य प्रारंभ भी हो गया है।

बिजली, हवाई अड्डा और आयुध कारखाना

इसी प्रकार बाढ़ में विद्युत् थर्मल पावर स्टेशन के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके भवन का शिलान्यास भी हो चुका है। एन.टी.पी.सी. कहलगाँव के फेज-2 के लिए

सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राजगीर में आयुध कारखाना स्थापित करने की लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए तीन हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी।

दिनांक 23.2.02 को गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रनवे का उद्घाटन करने जार्ज फर्नांडीज साहब आ रहे हैं। सिंगापुर और अन्य देशों के हवाई जहाज वहाँ उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के प्रयास से इसके भवन के निर्माण के लिए 52 करोड़ रु. की स्वीकृति मिली है। इसे सिंगापुर की एक कंपनी बनाएगी। 2886 करोड़ की लागत से 10 लाख सेलो ट्यूबवेल लगाए जाएँगे।

श्री लालू प्रसाद : 50 मिनट आपके दल का समय है। आधा घंटा हो गया है।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल) : अधिक बोलने के लिए कुछ और समय लूँगा। छोटे भाई को कुछ अपना समय भी दे दीजिए।

केंद्र से दूर क्यों रहती हैं मुख्यमंत्री?

सभापति महोदय, पैसे की कमी नहीं है। मुझे मालूम है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी और श्री रविशंकर प्रसाद के कार्यालय में जाकर योजनाओं की स्वीकृति कराते हैं लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री (श्रीमती राबड़ी देवी) ऐसा नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग विषयों पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, परंतु वे सिर्फ एक बार गईं। क्या अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह वे स्वयं दिल्ली जाकर पैसा (केंद्रीय सहायता) लाने का प्रयास नहीं कर सकती हैं?

माननीय सांसद श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री शकील अहमद खाँ को पत्र भेजकर सूचित किया है कि अब ग्रामीण विद्युतीकरण का संपूर्ण खर्च केंद्र वहन करेगा। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा है कि वर्ष 2007 तक बिहार के सभी गाँवों के विद्युतीकरण की योजना है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु कार्ययोजना बनाकर तुरंत केंद्र को भेजा जाना चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण की उपेक्षा

उनके पत्र में उल्लेख है कि उन्होंने पाँच वर्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री की हैसियत से वर्ष 2000 तक प्रदेश के सभी गाँवों में विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की थी लेकिन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अक्षमता एवं उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस योजना के लिए पूर्व में बोर्ड को मिले 150 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं हुआ और प्रगति नगण्य रही। उन्होंने आशंका जताई है कि राज्य सरकार अपनी अक्षमता के कारण

इस बार भी केंद्रीय योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी, इसलिए मैं माननीया मुख्यमंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 8 अरब रुपए का लाभ उठाइए।

रघुवंश बाबू का यह पत्र राजधानी नामक समाचार-पत्र में दिनांक 21.1.2002 को छपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दो वर्षों में सभी प्रखंडों में पावर स्टेशन के लिए 4 अरब रुपए की योजना अलग से मंजूर की गई है। कुटीर ज्योति योजना के तहत दलित बस्तियों के लिए आवंटित 11.43 करोड़ में से केवल 3.12 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। उन्होंने आगाह किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत विद्युतीकरण हेतु आवंटित 36.86 करोड़ में से प्रथम किश्त के रूप में दिए गए 18 करोड़ रुपए बचे हुए दो माह में खर्च नहीं होने पर शेष राशि नहीं मिल पाएगी। उन्होंने लिखा है कि बुनियादी आवश्यक कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहजी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपकी ही पार्टी के हैं और बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं तथा इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं।

क्या लालटेन युग में पहुँचाना है?

माननीय शकील साहब और श्याम रजकजी ने बिहार बोर्ड के विखंडन संबंधी मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया था। केंद्र सरकार की शर्त के अनुरूप पावर सेक्टर के रिफॉर्म के बाद ही राज्यों को मदद मिलनी थी। दिसंबर 2001 तक ऐसा करने का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया, परंतु आजतक उत्पादन और संचरण को अलग नहीं किया गया। माननीय मंत्री शकील साहब, आपके पास इसका क्या जवाब है? यदि आपका लक्ष्य गाँवों को लालटेन युग में पहुँचाना है, तब अगल बात है।

122 करोड़ रुपए का घोटाला

मैं बिहार की अराजकता के विषय में सदन को बताना चाहूँगा। परिवहन विभाग में 122 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वर्ष 1990 से 2001 के बीच जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा 1551 करोड़ रुपए संग्रहित कर बैंक में जमा किए गए, जबकि कोषागार में सिर्फ 1429 करोड़ रुपए जमा किए गए। शेष 122 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? तत्कालीन मुख्यसचिव मुकुंद प्रसाद द्वारा तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बैंकों में 77 करोड़ रुपए जमा ही नहीं किए। इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराई जानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार इसकी घोषणा करे।

□

भाजपा की सक्रियता से
पशुपालन घोटाला में लालू पर चार्जशीट

बिहार में कांग्रेस के भ्रष्ट शासन का युग 1990 में समाप्त हुआ, लेकिन उसके हाथ से निकली सत्ता जेपी के छात्र आंदोलन से पहचान बनाने वाले जिस लालू प्रसाद के हाथ में गई, उन्होंने हालात बदलने की बजाय राज्य को महाघोटालों की गहरी खाई में धकेल दिया। गरीब के नाम पर वोट लेने वालों ने घोटालों से गरीबी बढ़ाई। जहाँ कांग्रेस शासन में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 40 फीसद थी, वहीं लालू राज में उनकी संख्या 50 फीसद हो गई। लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली ही पारी में भ्रष्टाचार की लकीरें लंबी कर दीं। कांग्रेस के कुछ दागी नेता लालू प्रसाद के सलाहकार भी बन गए।

बिहार का बहुचर्चित चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला माफियागिरी के राजनीतिक संरक्षण का नतीजा था। इससे बिहार का विकास तो ठप हुआ ही, गौरवशाली अतीत वाले इस राज्य के चेहरे पर कालिख भी लगी। उस दौर में जनता ने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भाजपा को सौंपी थी। विपक्ष के नेता श्री सुशील कुमार मोदी और बिहार प्रदेश भाजपा के तत्कालीन महामंत्री सरयू राय ने लालू प्रसाद के सत्ता-संपोषित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में बिहार विधान सभा, पटना उच्च न्यायालय, मीडिया और अन्य निकायों का जिस साहस, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग किया, उसके दस्तावेज हैं ये तथ्य, जो विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से जुटाये गए हैं।

श्री मोदी और श्री राय ने मिल कर पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला और जमीन घोटाला सहित आठ बड़े घोटालों से जुड़े तथ्य जुटाकर चारा चोर, खजाना चोर शीर्षक से 56 पृष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। पुस्तिका के अनुसार लालू राज में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ और वह भी सीधे मुख्यमंत्री की जानकारी और भागीदारी में। 1987 में मात्र 60 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले के आरोप में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। यहाँ प्रस्तुत हैं उस पशुपालन घोटाले से संबंधित कुछ तथ्य, जिनके आधार पर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अंततः लालू प्रसाद को भी 2014 में सजा सुनाई गई।

पशुपालन घोटाला की सी.बी.आई. जाँच के दौरान जो सबूत सामने आ रहे हैं, उनसे साफ हो गया कि श्री लालू प्रसाद न केवल इस घोटाला में आकंठ डूबे हुए हैं, बल्कि वे ही इसके असली सूत्रधार भी हैं और घोटाला की शुरुआत से ही श्री लालू प्रसाद इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं।

अपना पूरा छात्र जीवन श्री लालू प्रसाद ने पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में गुजारा है, जो वर्षों से पशुपालन माफिया का चरागाह रहा है। आज पशुपालन माफिया के रूप में कुख्यात व्यक्तियों की कृपा से लालूजी बी.ए. पास करने के बाद वेटनरी कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो गए। जे.पी. आंदोलन के दौरान इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ इन्हीं लोगों के आर्थिक सहयोग पर आश्रित थी। 1977 में पहली बार सांसद बनने के बाद लालूजी माफिया तत्त्वों के एजेंट के रूप में काम करने लगे और इसके बाद सांसद, विधायक, विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री के रूप में वे जमकर पशुपालन माफिया गिरोह के इशारे पर ट्रांसफर-पोस्टिंग तथा उनके हित में विभिन्न प्रकार की पैरवी में लगे रहे और बदले में इनसे लाभान्वित होते रहे। आज माफिया सरगना के रूप में कुख्यात डॉ. श्याम बिहारी सिन्हा, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. रामराज राम, डॉ. ओपी दिवाकर, डॉ. बी.एन. शर्मा आदि के पक्ष में इनके द्वारा की जाती रही पैरवी और इनके पक्ष में किए गए गैरकानूनी कार्यों का भांडा अब पूरी तरह फूट चुका है। निगरानी विभाग के एक अफसर विधु भूषण द्विवेदी ने सी.बी.आई. को पत्र लिखकर पशुपालन घोटाला में श्री लालू प्रसाद के शामिल होने से संबंधित सबूतों का पुलिंदा सी.बी.आई. को पेश कर दिया।

डॉ. रामराज राम को प्रोन्नति दिलाने और पशुपालन विभाग का निदेशक बनवाने

का तो लालूजी ने ठेका ही ले लिया था। श्री बिंदेश्वरी दूबे, श्री भागवत झा आजाद, श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा आदि मुख्य मंत्रियों तथा उस समय के मुख्य सचिव को श्री लालू प्रसाद ने आधा दर्जन से अधिक पत्र इसके लिए लिखे और विभिन्न प्रकार के तर्क देकर डॉ. रामराज राम को पशुपालन विभाग का निदेशक बनवाने के लिए दबाव डाला। अंतत: विपक्ष के नेता के रूप में श्री लालू प्रसाद का यह दबाव डालो अभियान सफल हुआ और 1989 में डॉ. रामराज राम को सरकार ने गलत तरीके से पशुपालन निदेशक बना दिया।

विधान सभा की निवेदन समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्री राम लखन सिंह यादव थे, 1989 में ही पशुपालन घोटाला के लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित किया और 30 करोड़ के घोटाले की जाँच सी.बी.आई. से कराने की अनुशंसा की। 1990 के आरंभ में ही श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए। निवेदन समिति की यह रिपोर्ट विधान सभा का मुँह नहीं देख सकी और घोटाला की जाँच भी नहीं कराई गई।

इसी समय महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट से पशुपालन घोटाला के नए आयाम का पता चला जिसमें हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों को पशुओं की फरजी आपूर्ति कागज पर कर दी गई थी। जिन वाहनों पर पशुओं को ढोकर गरीबों के बीच बाँटने की बात कही गई थी, उनकी जाँच होने पर वे वाहन स्कूटर, मोटर साइकिल, जीप, कार और मोपेड पाए। लालू प्रसाद मंत्रिमंडल में तत्कालीन पशुपालन मंत्री श्री राम जीवन सिंह ने इस घोटाले की जाँच सी.बी.आई से कराने के लिए आदेश दिया था, परंतु मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद ने इस पर रोक लगा दी और फाईल अपने पास रख ली।

इस मामले में निगरानी विभाग ने भी 34/90 के नाम से मशहूर मुकदमा दायर किया था, जिसमें पशुपालन निदेशक डॉ. रामराज राम का भी नाम था। लालूजी ने इस मुकदमा से डॉ. राम राज राम का नाम हटवा दिया और उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। यह मामला 1991-92 में ही विधान सभा में और विधान परिषद् में उठाया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जवाब दिया कि इसकी जाँच सी.बी.आई. से ही नहीं, बल्कि यू.एन.ओ. से भी कराने को वे तैयार हैं, मगर यह जाँच कभी नहीं कराई गई।

1992 में भी आयकर अधिकारियों ने राँची हवाई अड्डा पर और पशुपालन माफिया के अन्य ठिकानों पर छापा मारकर 3 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति पकड़ी। छापा में घोटालेबाजों की एक डायरी भी पकड़ी गई, जिसमें पशुपालन माफिया द्वारा सरकारी खजाने से लूटी गई राशि के बँटवारा का विवरण था। आयकर अधिकारियों ने अपने स्तर से काररवाई की और बिहार सरकार के अफसरों के खिलाफ विभागीय काररवाई करने के लिए बिहार सरकार को लिखा। मगर लालूजी ने कोई काररवाई नहीं होने दी।

पशुपालन माफियाओं की पहचान 1990 से 1992 के बीच पूरी तरह से हो गई थी। मगर इन्हें पकड़ने और दंडित करने के बदले श्री लालू प्रसाद ने नियमों के विरुद्ध जाकर इनकी मदद की और सरकारी खजाने पर डाका डालने का अवसर प्रदान किया। पशुपालन माफिया के रूप में कुख्यात डॉ. श्याम बिहारी सिन्हा और इनके गिरोह के आर.के. दास, जी.एन. शर्मा, इंद्रभान प्रसाद आदि इस समय रिटायर हो रहे थे। इनकी सेवा अवधि बढ़ाने का षड्यंत्र हुआ। वित्त विभाग ने, और एकाध मामलों में पशुपालन सचिव ने इनकी सेवा अवधि बढ़ाने का विरोध भी किया। मुख्यमंत्री को इन पर चल रहे मुकदमों और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जानकारी दी गई। मगर लालू प्रसाद ने इसकी परवाह किए बिना माफियाओं को सेवा अवधि विस्तार दे दिया।

नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री का हाथ अपनी पीठ पर पाकर पशुपालन माफिया गिरोह खुलकर खेलने लगा। वर्ष 1990 में श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के पहले कुल मिलाकर पशुपालन माफिया ने सरकारी खजाना से करीब 21.70 करोड़ रुपया निकाला था। लालूजी के मुख्यमंत्री बनते ही वर्ष 1990-91 में 29.29 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हो गई। यह निकासी हर साल बढ़ती गई। 1991-92 में पशुपालन माफिया ने आवंटन से 70.72 करोड़ रुपया अधिक, 92-93 में 87.77 करोड़ रुपए अधिक, 93-94 में 125.03 करोड़ रुपए अधिक और 94-95 में 170.61 करोड़ रुपए अधिक निकाल लिये। वर्ष 1995-96 में भी 122.94 करोड़ रुपए की अधिक निकासी अवैध रूप से पशुपालन माफिया ने कर ली। कुल मिलाकर श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद 606.36 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पशुपालन माफिया ने बिहार के खजाने से कर ली।

समूची निकासी लालू प्रसाद की जानकारी में और उनेक प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन से हुई। लूट का बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री को भी मिला।

लालू प्रसाद और उनके संबंधियों द्वारा विगत 6 वर्षों में पटना, दानापुर, छपरा, गोपालगंज सहित देश के कई बड़े शहरों में खरीदे गए जमीन और मकान तथा जमा की गई सम्पत्ति इसका प्रमाण है।

पशुपालन माफिया की मदद हर स्तर पर मुख्यमंत्री ने की और उसमें कांग्रेस के नेता डॉ. जगन्नाथ मिश्र, राजो सिंह, जगदीश शर्मा आदि को सहयोगी बनाया। रिटायर्ड हो रहे माफियाओं की सेवा अविध बढ़ाने के लिए सिफारिशी चिट्ठी डॉ. जगन्नाथ मिश्र, श्री राजो सिंह और जगदीश शर्मा ने लिखी और इन चिट्ठियों पर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सेवा अवधि विस्तार किया।

पशुपालन घोटाला को दबाए रखने और इसके दोषियों की मदद करने में लालू प्रसाद ने न केवल अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अधीनस्थ

विभागों का भी दुरुपयोग किया। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से निकासी के नियमों को शिथिल कर दिया। आर्थिक संकट के कारण अन्य सभी विभागों के लिए प्रति माह गैर योजना आवंटन के 8 प्रतिशत राशि निकासी की सीमा थी, परंतु पशुपालन विभाग के लिए यह सीमा निदेशक ने ट्रेजरियों को बाजाप्ता परिपत्र जारी कर समाप्त कर दिया।

जब राँची और डोरंडा के कोषागारों ने पशुपालन विभाग के संदेहास्पद विपत्रों पर रोक लगाना आरंभ किया तो वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने दो-दो बार पत्र लिख कर कोषागार अधिकारियों को झिड़का और स्पष्टीकरण पूछा। ध्यान रहे कि श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी हैं।

11 अक्तूबर, 1991 को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र प्रकाशित किया, जिसमें पशुपालन घोटाला की चर्चा विस्तार से की गई थी। यह आरोप पत्र विभिन्न अखबारों में प्रमुखता से छापा और इसे मुख्यमंत्री के पास भी भेजा गया, परंतु कोई काररवाई नहीं हुई।

आज भी मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने में लगे हैं कि उन्होंने ही पशुपालन माफिया के खिलाफ काररवाई शुरू की। पर सच्चाई यह है कि 1992 में आयकर विभाग ने पशुपालन माफिया के खिलाफ छापामारी की और अवैध संपत्ति पकड़ा तो राँची से प्रकाशित प्रभात खबर लगातार 3 सप्ताह तक पशुपालन घोटाला के विभिन्न पहलुओं और पशुपालन माफियाओं की कारगुजारियों को उजागर करने वाली खबरें प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित करता रहा। आयकर अधिकारियों ने बिहार सरकार को सूचित किया। विपक्षी दलों ने भी काररवाई की माँग की, मगर मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर बैठे रहे।

भाजपा के सांसद ललित उरांव ने लोकसभा में पशुपालन माफिया के बारे में सवाल पूछा तो बिहार सरकार ने जवाब दिया कि पशुपालन विभाग में कोई माफिया नहीं है। इसी तरह 1994 में पटना उच्च न्यायालय में पशुपालन माफिया पर काररवाई के लिए एक रिट दाखिल कर आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार पशुपालन माफिया को संरक्षण दे रही है। इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और पशुपालन विभाग में घोटाला होने की संभावना से इनकार किया गया। नतीजतन रिट खारिज हो गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सांसद राम शरण प्रसाद यादव की शिकायत पर बिहार सरकार को पशुपालन घोटाला की जाँच करने का निर्देश दिया। जाँच आरंभ हुई मगर इसे बीच में ही रहस्यमय ढंग से रोक दिया गया।

मई 1993 में जिलाधिकारियों की बैठक में कोषागारों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में चाइबासा के जिलाधिकारी ने वहाँ के जिला पशुपालन अधिकारी बी.एन. शर्मा पर 50 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल उसे निलंबित करने का आदेश दिया। मगर 15 दिनों के बाद निलंबन का यह

आदेश वापस ले लिया गया। और बी.एन. शर्मा को पुरस्कार स्वरूप राँची में जिला पशुपालन अधिकारी के पद पर भेज दिया गया।

संथाल परगना के क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारी डॉ. शेषमुनि राम के मामले को रफा-दफा करने में मुख्यमंत्री की भूमिका भी काफी दिलचस्प है। डॉ. शेष मुनिराम ने कोषागार से 50 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली। निगरानी विभाग ने जाँच आरंभ की तो मुख्यमंत्री ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा के पत्र पर आदेशात्मक अनुशंसा लिखकर जाँच को रुकवा दिया और संचिका नौ महीने तक अपने पास दबाए रखी। घोटाला का भंडाफोड़ हो जाने के बाद 8 फरवरी, 96 को उन्होंने संचिका निगरानी विभाग को लौटाई। ध्यान रहे कि निगरानी विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन है। दिसंबर 1995 के अंतिम सप्ताह में विधान सभा के सामने महालेखाकार द्वारा पिछले तीन वर्षों का वित्त लेखे और विनियोग लेखे के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन रखा गया। इसमें पशुपालन विभाग में हुई अरबों रुपए की अवैध निकासी का विस्तृत विवरण था। जब बिहार सरकार द्वारा कोई काररवाई नहीं हुई तो भाजपा के प्रदेश महासचिव श्री सरयू राय ने 6 जनवरी, 1996 को मुख्यमंत्री और वित्त सचिव को पत्र लिखा और बताया कि विनियोग लेखे में दर्ज पशुपालन विभाग द्वारा अधिकायी व्यय वास्तव में अवैध निकासी है और एक बड़ा घोटाला है। फिर भी कोई काररवाई मुख्यमंत्री स्तर से नहीं हुई।

जनवरी 96 के तीसरे सप्ताह में वित्त आयुक्त ने कोषागारों के निरीक्षण का आदेश दिया और चाईबासा के जिलाधिकारी ने इसके अनुपालन में वहाँ के कोषागार की जाँच की तो 25 जनवरी, 96 को वहाँ से अवैध निकासी का भंडाफोड़ हुआ। तब लालू प्रसाद, जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत भिड़ाने में व्यस्त थे।

एक ओर चाईबासा का जिलाधिकारी पशुपालन माफिया के कुकृत्यों को उजागर कर रहा था तो दूसरी ओर 25 जनवरी, 96 को ही लालू प्रसाद राँची में कुख्यात पशुपालन आपूर्तिकर्ता मोहम्मद सईद का आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे, जिसकी तसवीरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं।

राँची के पशुपालन माफिया दयानंद कश्यप पर मुख्यमंत्री की मेहरबानी जग जाहिर है। 1993 में दयानंद कश्यप के घर पर छापा मारकर आयकर अधिकारियों ने करोड़ों की अवैध संपत्ति पकड़ी थी। इस घटना के तुरंत बाद दयानंद कश्यप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने उसे राँची जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यांवयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर राज्य मंत्री का ओहदा दे दिया।

पशुपालन माफिया श्री श्याम बिहारी सिन्हा तथा डॉ. आर.के. राणा को मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने राँची के बिशप वेस्टकाट स्कूल, नामकुम में पढ़ रहे अपने तीन बच्चों का स्थानीय अभिभावक बना रखा था। सी.बी.आई. द्वारा जब्त कागजात के अनुसार

उपरोक्त दोनों माफिया को ही केवल बच्चों से मिलने के लिए अधिकृत किया गया था तथा आगंतुक रजिस्टर में इन बच्चों का संबंध चाचा के रूप में उल्लिखित है।

पाटलीपुत्र ट्रेवल्स के मालिक श्री जे.पी. वर्मा, जिनकी पत्नी तथा पशु-पशुपालन विभाग के आपूर्तिकर्ता थे, समय-समय पर श्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों तथा डॉ. आर.के. राणा, डॉ. श्याम बिहारी सिन्हा आदि के लिए हवाई जहाज के टिकट कटाया करते थे।

पशुपालन घोटाला का भंडा फूटते ही मुख्यमंत्री ने इसे दबाने की पुरजोर कोशिश की। अपने चहेते आई.ए.एस. अधिकारी को तुरंत छोटानागपुर, संथाल परगना के जिलों में दौड़ाया और जिलाधिकारियों को कोषागारों की जाँच में सुस्ती बरतने का निर्देश भिजवाया, मगर तब तक भारतीय जनता पार्टी इसे मामले में सक्रिय हो चुकी थी। नतीजतन रोज एक-पर-एक घोटाले के रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा।

भाजपा ने घोटाला की जाँच सी.बी.आई. से कराने की माँग की तो मुख्यमंत्री विरोध में खड़े हो गए और एक विषेष जाँच दल का गठन कर दिया, जिसमें पशुपालन निदेशक डॉ. राम राज राम, पशुपालन सचिव बेक जुलियस भी सदस्य बनाए गए। वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह के जिम्मे इसकी देख-रेख थी। ये सभी अधिकारी आज सी.बी.आई. जाँच के कटघरे में हैं।

इस विशेष जाँच दल का असली मकसद पशुपालन घोटाला के सबूतों को अपने कब्जे में लेना था और इसने यही किया भी। इस जाँच दल द्वारा नष्ट किए गए सबूतों के कारण सी.बी.आई. को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पशुपालन घोटाला की सी.बी.आई. जाँच के लिए जब भाजपा ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तब मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार की पूरी शक्ति इसके विरुद्ध लग गई। उच्चतम न्यायालय से भी वकील बुलाए गए। उच्च न्यायालय द्वारा सी.बी.आई. से जाँच कराने का आदेश दे दिए जाने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं माने और उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करा दी। मगर वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हाई कोर्ट का निर्णय बहाल रखा बल्कि जाँच की देख-रेख का जिम्मा भी पटना हाई कोर्ट को सौंप दिया।

इसके बाद भी मुख्यमंत्री सी.बी.आई. की जाँच को प्रभावित करने से बाज नहीं आए। वे अपने पद और केंद्र में अपने समर्थक दल की सरकार होने का नाजायज फायदा उठाते रहे। वे सी.बी.आई. अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश में भी लगे हैं।

पशुपालन घोटाला : महालेखाकार के आँकड़ों में

1. पशुपालन घोटाले का मुख्य केंद्र छोटानागपुर-संथालपरगना (अब झारखंड) के 5 जिले राँची, चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर, गुमला तथा पटना जिला था, जहाँ 1993-94 से 1995-96 के तीन वर्षों में 469.62 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाल लिये गए।
2. 959 भेंड़, 5664 सुअर, 40,504 मुरगी, 1577 बकरी के लिए उपरोक्त 6 जिलों में 10.5 करोड़ के चारे की आवश्कता थी, जिसके विरुद्ध 253.33 करोड़ की फरजी खरीद की गई।
3. पशु चारा में पीला मक्का केवल 10 प्रतिशत होता है, परंतु 3 वर्षों में केवल 6 जिलों में आवश्यकता का 115 गुना अधिक यानी 154.72 करोड़ रुपए के पीला मक्का की फरजी खरीद दिखा दी गई।
4. बादाम की खल्ली संयुक्त आहार में 15 प्रतिशत होती है, परंतु इसकी खरीद 33 गुना अधिक खरीद दिखा दी गई, जिसकी कीमत 72.69 करोड़ रुपए होती है।
5. मुख्यालय से पंचायत तक पशुओं को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो फरजी बिल बनाया उसमें ट्रेकर, पुलिस वेन, बस, तेल टैंकर, स्कूटर और ऑटो रिक्शा से पशुओं की ढुलाई दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया गया।
6. राँची के होटवार स्थित दुग्ध आपूर्ति-सह-डेयरी फॉर्म, होटवार के महाप्रबंधक डॉ. जेनुअल भेंगराज मछली का चाइयाँ, गेहूँ की भुस्सी और बादाम तो खरीदते ही थे, उन्होंने भैंस के सींग में तेल लगाने के लिए 15 लाख रुपए का 49 हजार 950 किलो सरसों का तेल भी खरीद लिया।

अब यह बात अलग है कि सी.बी.आई. यह पता कर रही है कि यह तेल वास्तव में किन राजनेताओं को लगाया गया?

7. पशुपालन घोटाले की जाँच करने के लिए मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने तीन लोगों की जाँच समिति बनाई थी। उस समिति के तीनों सदस्य श्री फूलचंद सिंह, श्री बेक जूलियस तथा डॉ. राम राज राम से सी.बी.आई. दर्जनों बार पूछ-ताछ कर चुकी है तथा घोटाले के आरोप में इन तीनों पर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है।

वाह रे लालू का कमाल! घोटाले की जाँच का जिम्मा घोटालेबाजों को ही दे दिया।

जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का?
(रुपए करोड़ में)

वर्ष	मुख्यमंत्री	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	वास्तविक खर्च	अधिक व्यय (रुपए करोड़ में)	अधिक व्यय
1987-88	.....	33.07	39.99	+ 6.92	21 फीसद
1988-89	.....	36.77	42.90	+6.13	17 फीसद
1989-90	जगन्नाथ मिश्र	42.80	51.45	+8.65	20 फीसद
1990-91	लालू प्रसाद	54.92	84.21	+29.29	53 फीसद
1991-92	लालू प्रसाद	59.10	129.82	+70.72	120 फीसद
1992-93	लालू प्रसाद	66.93	154.70	+87.77	131 फीसद
1993-94	लालू प्रसाद	74.14	199.17	+125.03	169 फीसद
1994-95	लालू प्रसाद	74.40	245.01	+170.61	229 फीसद
1995-96	लालू प्रसाद	82.12	205.06	+122.94	.....

पशुपालन विभाग में लूट का आँकड़ा

कांग्रेस शासनकाल से ही पशुपालन विभाग में लूट का सिलसिला प्रारंभ हुआ। 1987-90 के तीन वर्ष में 21.70 करोड़ रुपए बजट आवंटन से ज्यादा निकाल लिये गए, परंतु लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनते ही लूट डकैती में बदल गई। लालूजी के मुख्य मंत्रित्व के पहले ही साल में 29.29 करोड़ अधिक निकाल लिये गए। दूसरे साल 70.72 करोड़, तीसरे साल 87.77 करोड़, चौथे साल 125.03 करोड़, पाँचवें वर्ष 170.61 करोड़ और छठे वर्ष जब घोटाला उजागर हुआ तो 122.94 करोड़ रुपए आवंटन से अधिक निकाले गए।

छपे हुए बजट में अधिक व्यय का उल्लेख

बजट तो प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री होने के नाते लालू प्रसाद ही विधान मंडल में रखा करते थे। 1992-93 से प्रत्येक वर्ष के बजट में पशुपालन विभाग में आवंटन से अधिक व्यय का उल्लेख था।

बजट वर्ष	विधान सभा में रखे जाने की तिथि	वर्ष जिसमें वास्तविक व्यय का जिक्र था	अधिक राशि जिसका उल्लेख था
1992-93	31.07.1992	1989-90	8.65 करोड़
1993-94	30.07.1993	1990-91	29.29 करोड़
1994-95	28.07.1994	1991-92	70.72 करोड़
1995-96	24.07.1995	1992-93	87.77 करोड़

आपने ही बजट रखा। आपके ही बजट में अधिक व्यय का उल्लेख था। फिर चुप क्यों थे? 31 जुलाई, 92 को जब 1992-93 का बजट रखा गया, जिसमें 1989-90 के 8.65 करोड़ अधिक व्यय का जिक्र था, यदि काररवाई की गई होती तो 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को रोका जा सकता था।

बिहार सरकार के वित्त विभाग ने महालेखाकार की तीन ऑडिट रिपोर्ट नवंबर 1993 से नवंबर 1994 के बीच प्राप्त की, जिसमें पशुपालन विभाग में अधिक व्यय का जिक्र था। 1990-91 की ऑडिट रिपोर्ट, जो नवंबर 94 में प्राप्त हो गई थी, पर काररवाई की गई होती तो आगे के वर्षों में घोटाले को रोका जा सकता है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन, विनियोग लेखा पर काररवाई नहीं

वर्ष	ऑडिट रिपोर्ट वित्त विभाग में प्राप्त होने की तिथि	ऑडिट रिपोर्ट विधान सभा में पेश होने की तिथि	अधिक व्यय जिसका जिक्र था (रुपए करोड़ में)	प्रतिशत
1988-89	16.11.93	29.12.93	6.13	17
1989-90	24.01.94	20.12..94	8.65	20
1990-91	07.11.94	23.06.95	29.29	53
1991-92	17.01.95	21.12.95	70.72	120
1992-93	22.05.95	21.12.95	87.77	131
1993-94	27.09.95	21.12.95	125.03	169
1994-95	15.05.96	23.07.96	170.61	229

वित्त आयोग को दिए गए प्रतिवेदन में अधिक व्यय का उल्लेख

दशम् वित्त आयोग हेतु विभाग ने मई 1994 में एक प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें मुख्य शीर्ष 2403, पशुपालन के अंतर्गत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय 1990-91 (72.79 करोड़), 1991-92 (117.60), 1992-93 (143.25) का जिक्र था।

इससे स्पष्ट है कि मई 1994 में ही राज्य सरकार को पता था कि पशुपालन विभाग में बजट आवंटन से काफी ज्यादा निकासी हो रही है, परंतु इसे रोकने और इस अधिक व्यय की जाँच का कोई प्रयास नहीं किया गया।

बचत और अधिक व्यय एक साथ

वर्ष	बजट प्रावधान	पशुपालन विभाग द्वारा सरेंडर की गई राशि	अधिव्यय
1992–93	64.94	14.11	87.77
1993–94	73.92	20.74	125.03
1994–95	74.30	18.52	170.61

घोटाला उजागर नहीं हो सके, इसलिए उपरोक्त तीनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष पशुपालन विभाग द्वारा सरेंडर राशि दिखायी गई, जबकि वास्तविकता यह थी कि करोड़ों रुपए आवंटन से अधिक व्यय हो रहे थे।

लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित की। उन्होंने पैतृक गाँव फुलवरिया (सारण) और कौटिल्य नगर (पटना) में लाखों रुपए की कीमत वाले जो आलीशान मकान बनवाए, वह तो उनकी अघोषित संपत्ति के मुकाबले तुच्छ संपदा मात्र है। लालू प्रसाद देश भर में अपनी गरीबी की यह झूठी खबर छपवाते रहे कि वे चपरासी के पद पर तैनात अपने भाई के एक छोटे–से खपरैल–छादित मकान में रहते हैं। बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आदमी गाँव (शेखपुरा, पटना) में उनके पास एक दो–मंजिला पक्का मकान था, जो उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम से है। गरीबी के नाटक से वोट और सत्ता के दुरुपयोग से नोट (संपत्ति) बटोरकर लालू प्रसाद ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया।

□

बिहार पर भारी पड़ा
200 करोड़ रुपए का अलकतरा घोटाला

बिहार में सड़क निर्माण के नाम पर हुए 200 करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाले के विरुद्ध तथ्य और ठोस सबूत जुटाकर विपक्ष के नेता श्री सुशील कुमार मोदी और बिहार प्रदेश भाजपा के महामंत्री सरयू राय ने मामले की सी.बी.आई. जाँच की माँग के साथ पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की। इसकी तार्किक परिणति के रूप में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा।

बिहार में नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण तथा सड़क मरम्मत का परिमाप 1990-91 से 1995-96 के बीच घटता गया, इसके बावजूद अलकतरा खरीद की मात्रा बढ़ती गई। 1990-91 में राज्य में 84 कि.मी. नई सड़क, 138 कि.मी. चौड़ीकरण तथा 2000 कि.मी. सड़क मरम्मत के काम हुए थे, वहीं 1994-95 में घटकर मात्र 6 कि.मी. नई सड़क, शून्य कि.मी. चौड़ीकरण और केवल 1300 कि.मी. सड़क की मरम्मत हुई, परंतु 1990-91 में 44,650 मीट्रिक टन अलकतरे की खरीद हुई और 1994-95 में यह मात्रा बढ़कर 94,000 मीट्रिक टन हो गई।

ये आँकड़े घोटाले के अकाट्य प्रमाण हैं। अर्थात् इस बीच नई सड़कों के निर्माण, मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण तथा सड़क मरम्मत के लक्ष्य की उपलब्धि 92 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई, परंतु अलकतरा खरीद की मात्रा 14 प्रतिशत से बढ़कर 93.7 प्रतिशत हो गई।

लालू प्रसाद के 6 वर्ष के शासनकाल में सड़क निर्माण/मरम्मति लक्ष्य उपलब्धि और अलकतरे की खरीद

लक्ष्य

वर्ष	नई सड़क (कि.मी. में)	चौड़ीकरण (कि.मी. में)	मरम्मत	कुल
1990–91	200	150	3,500	3,850
1991–92	200	150	3,000	3,330
1992–93	150	180	3,000	3,330
1993–94	100	120	1,000	1,220
1994–95	100	100	1,000	1,200
1995–96	10	100	2,000	2,110

उपलब्धि

वर्ष	नई सड़क (कि.मी. में)	चौड़ीकरण (कि.मी. में)	मरम्मत	कुल	अलकतरा (मीट्रिक टन)
1990–91	84	138	2000	2,222	44,650
1991–92	20	26	2000	2,046	33,550
1992–93	12	19	500	531	51,190
1993–94	32	33	500	565	9,400
1994–95	06	.....	1,300	1,306	92,650
1995–96	अप्राप्त	अप्राप्त	——	——	70,770

इसी तरह नई सड़क बनाने के निर्माण पर होने वाले खर्च भी आँख खोलने वाले हैं। 84 कि.मी. नई सड़क बनाने पर 1990–91 में जहाँ 16 करोड़ रुपए खर्च हुए वहीं 1995–96 में 10 कि.मी. नई सड़क पर 19.98 करोड़ खर्च दिखाया गया।

मंत्री श्री इलियास हुसैन द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार 1991–92 से 94–95 के बीच चार वर्षों में कुल 2 लाख 21 हजार मीट्रिक टन अलकतरा बिहार को प्राप्त हुआ, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक (डी) श्री सुनील उके के पत्रांक–पी–21019/21/ 96–डिस्ट दिनांक–16 अगस्त, 96 के अनुसार इसी अवधि के दौरान 3 लाख 14 हजार मीट्रिक टन अलकतरा बिहार को आपूर्ति किया गया।

इस प्रकार बिहार सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के आँकड़ों में 93 हजार

मीट्रिक टन का अंतर है, जिसकी कीमत 49 करोड़ रुपए है।

अलकतरा ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्टरों की बहाली घोटाले का सबसे बड़ा माध्यम था। पहले अलकतरा आपूर्ति करने वाली तेल कंपनियाँ अपने पैनल के ट्रांसपोर्टर द्वारा अलकतरा की ढुलाई कराती थीं, परंतु 1990 से ट्रांसपोर्टरों की बहाली स्वयं राज्य सरकार करने लगी। श्री इलियास हुसैन ने बिना विज्ञापन तथा टेंडर के मनमाने तरीके से चार वर्ष में 8 पैनल बनाए। कभी किसी ट्रांसपोर्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया और कुछ ही दिन बाद पैसे लेकर उसे पुन: बहाल कर दिया।

1991–92 में 15 नामों का एक पैनल 21 फरवरी, 92 को बना, जिसे पाँच माह बाद 8 जुलाई, 92 को बदल दिया गया। पुन: इस पैनल को 19 दिन बाद 16 जुलाई, 92, 14 जुलाई, 93 और 10 नवंबर, 1993 को बदल दिया गया। इसके बाद फिर 16 जुलाई, 92 को 14 ट्रांसपोर्टरों का अलग पैनल बनाया गया। पैनलों में धड़ल्ले से ऐसे ट्रांसपोर्टरों को रखा गया, जिनपर आपूर्ति में घपला के आरोप में मुकदमा चल रहा था। 16 जुलाई, 94 का पैनल 3 वर्षों के लिए था, परंतु बिना कारण बताए 31 जुलाई, 95 को उसमें से तीन ट्रांसपोर्टरों के नाम हटा दिए गए। पुन: 5 माह बाद 27 जनवरी, 96 को एक नया पैनल बनाकर उन तीनों के नाम जोड़ दिए गए। सरकार को अच्छी तरह पता था कि इन ट्रांसपोर्टरों ने 15 करोड़ रुपए मूल्य के 23 हजार टन अलकतरा की कम आपूर्ति की है, परंतु इन्हें पैनल में रखकर पुरस्कृत किया गया।

ट्रांसपोर्टरों को आपूर्ति आदेश देने में भारी घपलेबाली हुई है। कायदे से टेंडर में यह शर्त रहनी चाहिए कि कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत पहुँचाने के बाद शेष बची मात्रा का 10 प्रतिशत पहुँचाएगा, परंतु ट्रांसपोर्टर और कार्यपालक अभियंताओं की मिलीभगत से यह शर्त अनुबंध से गायब कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि ट्रांसपोर्टरों ने पूरा माल एक ही बार में उठा लिया, परंतु उसे संबंधित प्रमंडलों को नहीं पहुँचाया।

1990 के पहले कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में अलकतरे की आवश्यकता का आकलन कर मुख्यालय को सूचित करते थे। अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता द्वारा समीक्षा के उपरांत पथ निर्माण विभाग की क्रय समिति अलकतरा खरीद का निर्णय कर आपूर्ति आदेश तेल कंपनियों को दिया करती थी। परंतु 1990 के बाद प्रमंडल की आवश्यकता का विचार किए बिना सीधे अभियंता प्रमुख और मंत्री के स्तर पर से जिन प्रमंडलों ने अलकतरा की न तो माँग की थी और न ही जिसे जरूरत थी, उन प्रमंडलों के लिए भी अलकतरा खरीद के आपूर्ति आदेश दे दिए गए।

गंगापुल परियोजना, नवगछिया के नाम से 500 मीट्रिक टन अलकतरे की आपूर्ति का आदेश मुख्यालय से दे दिया गया और अलकतरा तेल कंपनी से उठाकर बेच दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने महालेखाकार को 07.03.96 को सूचित किया कि इस

प्रमंडल ने अलकतरा हेतु न तो कभी इंडेंट किया, न ही इस प्रमंडल को अलकतरे की आवश्यकता है और न ही उसके नाम से उठाए गए अलकतरे की आपूर्ति की गई।

सरकार गोलमाल के लिए दोषी ट्रांसपोर्टरों का बचाव भी करती रही है। पवन कॅरियर के मालिक के विरुद्ध दुमका पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्री परीक्षण सिंह द्वारा दुमका थाना कांड सं. 110/94 में 170 मीट्रिक टन अलकतरा नहीं पहुँचाने का आरोप है। जब इस कॅरियर के मालिक अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में गए तो सरकारी वकील ने उनकी सहायता में तर्क दिया कि राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधित अभियंता राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। 16 फरवरी, 95 को बिहार सरकार के वकील द्वारा दुमका सेशन जज के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति के कारण अभियुक्त ट्रांसपोर्टर को जमानत मिल गई।

उसी प्रकार मकदुमपुर थाना कांड सं. 77/92 दिनांक 16.07.92, जिसमें कनीय अभियंता राधे श्याम शर्मा ने विक्रय कॅरियर पर प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें कहा गया है कि एक टैंकर लॉरी में अलकतरा की जगह पानी भरा हुआ पाया गया, परंतु विक्रम कॅरियर को कभी काली सूची में नहीं रखा गया।

जिन ट्रांसपोर्टरों पर 1991 से 1995 के बीच करोड़ों रुपए के अलकतरे नहीं पहुँचाने के आरोप में विभिन्न प्रमंडलों ने 26 थानों में 60 से अधिक प्राथिमिकी दर्ज की थी, उन सभी ट्रांसपोर्टरों पर काररवाई करने की बजाए उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा।

क्र.सं.	ट्रांसपोर्टर	अलकतरा, जिसकी आपूर्ति नहीं करने का आरोप है
1.	कास्मो ट्रांसपोर्ट	9,848.06 मीट्रिक टन
2.	डी.एन. सिंह	4,997.610 मीट्रिक टन
3.	विनय कुमार सिन्हा	2,011.34 मीट्रिक टन
4.	ओरिएंटल ट्रांसपोर्ट	1,923.77 मीट्रिक टन
5.	जनार्दन प्रसाद अग्रवाल	957.72 मीट्रिक टन
6.	पवर कॅरियर	245.99 मीट्रिक टन
7.	यमुना प्रसाद	48.28 मीट्रिक टन
8.	तिरूपति ट्रांसपोर्ट	491.65 मीट्रिक टन
9.	भारत ट्रेडिंग कं.	21.13 मीट्रिक टन

इन ट्रांसपोर्टरों पर 20,545 मीट्रिक टन अलकतरा (कीमत 11 करोड़ से ज्यादा) का गोलमाल करने का आरोप है।

लोक निर्माण लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमावली में वर्ष में एक बार भंडार के सत्यापन तथा लेखा-जोखा का मिलान आवश्यक है, परंतु बिहार विधान सभा प्राक्कलन समिति के 133 वें प्रतिवेदन के अनुसार 1981-82 से ही लोक निर्माण विभाग के भंडार का वार्षिक सत्यापन बंद है। परिणामत: किस पथ प्रमंडल के पास अलकतरा कितना पहुँचा, कितना खर्च हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है।

तेल कंपनियों को महालेखाकार, बिहार के माध्यम से भुगतान मिलता रहा है, इस कारण तेल कंपनियाँ घोटाले पर से आँखें मुँदे रहीं। महालेखाकार के पास केंद्र सरकार से राज्य के लिए विभिन्न मदों में प्राप्त राशि में से तेल कंपनियों को भुगतान कर पथ निर्माण विभाग को वित्त विभाग के माध्यम से सूचित किया जाता रहा, परंतु पथ निर्माण विभाग ने इसकी अनदेखी की।

अक्तूबर 1983 में वित्त विभाग द्वारा सभी इंजीनियरिंग विभागों के लिए खरीद की लेटर ऑफ क्रेडिट पद्धति लागू की गई थी, जिसके अनुसार कार्य प्रमंडलों द्वारा कोषागारों को जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता था। परंतु श्री लालू प्रसाद की सरकार ने 1990-91 में इस पद्धति को बदल दिया और डी.जी.एस. एंड डी. से मेमो एडजस्टमेंट के आधार पर खरीद शुरू कर दी गई।

प्रतिवेदन के अनुसार डी.जी.एस. ऐंड डी. से हुई अलकतरा खरीद का भुगतान करने के लिए पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख ने अलग से बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा और समूचा आवंटन कार्य प्रमंडलों को इस निर्देश के बिना भेज दिया कि इसमें से अलकतरा आपूर्ति का भुगतान भी होना है और बजट की समूची राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई। 1990-91 से 1995-96 तक कुल 311.76 करोड़ रुपए का पूरा बजट आवंटन कार्य प्रमंडलों को दे दिया गया, जिसमें 180.93 करोड़ रुपए के अलकतरा खरीद का भुगतान अलग से सरकारी खजाना से काट लिया गया।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि डी.जी.एस. ऐंड डी. से खरीद तो जारी रखी गई परंतु भुगतान बंद कर दिया गया। इस तरह पथ निर्माण विभाग द्वारा आवंटन से अधिक की निकासी की गई। प्रतिवेदन के अनुसार पथ निर्माण विभाग में इस कदर अनियमितता बरती गई है कि विभिन्न प्रमंडलों में कितना अलकतरा आया इसका भी हिसाब नहीं है।

इस घोटाले का अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयाम भी है। बिहार की सड़कों के लिए बिहार के पैसे से उठाए गए अलकतरा को घोटालेबाजों ने पड़ोसी राज्यों के कालाबाजार में तो बेचा ही है, इसकी काफी मात्रा की तस्करी पड़ोसी देश नेपाल में हुई

है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से काफी सड़कों का निर्माण हो रहा है और वहाँ के बाजार में अलकतरा की कीमत बिहार से दोगुना से भी अधिक है।

बिहार विधान सभा में अलकतरा घोटाले पर बहस के दौरान सरकार ने 11 करोड़ रुपए मूल्य के 20 हजार मीट्रिक टन घोटाले की बात को स्वीकार किया, परंतु सी.बी.आई. से जाँच की माँग को अस्वीकार कर दिया। आनन-फानन में विधान मंडल की संयुक्त जाँच समिति का गठन कर दिया गया, जिसका संयोजक पशुपालन घोटाले के एक मुख्य अभियुक्त श्री राजो सिंह को बना दिया गया।

सी.बी.आई. जाँच की माँग तथा राजो सिंह को संयोजक बनाए जाने के विरोध में भाजपा के सदस्य ने इस समिति से इस्तीफा दे दिया। सी.पी.आई. तथा सी.पी.एम. के सदस्य भी अलग-अलग कारणों से समिति से अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी के निर्देश के बावजूद श्री राजो सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और समिति को लेकर राज्य भर में घूमते रहे। अंततः जन दबाव के आगे श्री राजो सिंह को समिति के संयोजक पद से इस्तीफा देना पड़ा।

भाजपा ने इस घोटाले की सी.बी.आई. से जाँच की माँग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दाखिल की है।

□

हमारे सदन में इतना शोर क्यों है?

लोकतंत्र में विधायिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें पाली गई हैं। हर बार विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सदन की एक दिन की काररवाई का संचालन भी काफी खर्चीला होता है। उधर, हर जन प्रतिनिधि भी बड़े परिश्रम और संसाधन का उपयोग कर जनता के मन में सकारात्मक बदलाव का भरोसा पैदा करने के बाद ही चुनाव जीत पाता है, जनप्रतिनिधि (विधायक) बनता है। लेकिन जो हकीकत है, उसमें अनेक विधायक विधायी कार्यों में बिना किसी उल्लेखनीय बौद्धिक योगदान के अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिहार में विधायिका की यह सूरत भी बदलनी चाहिए।

सदन का एक आम दृश्य—सभाध्यक्ष झल्लाकर कहते हैं—शांति, शांति···माननीय सदस्य श्री···अब आप नए नहीं हैं, साढ़े चार साल हो गए, आपको पता नहीं है कि शून्य काल में 50 शब्दों से ज्यादा लिखकर नहीं दिया जाता है। बेचारा विधायक बड़ी मेहनत से प्रश्न तैयार करता है। और 10 दिनों के बाद उसे सूचना मिलती है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अमुक नियम के तहत उसका प्रश्न अमान्य कर दिया गया है। वह आखिर प्रश्न पूछे तो किससे? प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बतानेवाला नहीं है। वह प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की पुस्तिका पढ़ने की कोशिश करता है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पता नहीं उसकी भाषा और विवरण को इतना जटिल और क्लिष्ट क्यों बना दिया गया? शुरू-शुरू में पुराने सदस्यों या विधानसभा के अनुभवी कर्मचारियों से सीखने का उत्साह रहता है। बाद में संकोच लगता है। लोग कहेंगे कि इतनी मामूली बात भी नहीं आती है। परिणाम यह होता है कि सदस्यगण विधानसभा में प्रश्न, ध्यानाकर्षण, कार्यस्थगन, निवेदन, याचिका,

विशेषाधिकार हनन, कटौती प्रस्ताव, विधेयक, बजट शून्यकाल आदि विभिन्न माध्यमों द्वारा जन समस्याओं को उठाने के अवसर और अधिकार का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते।

विधानसभा साल में चलती कितने दिन है? वह चाहे कांग्रेसी राज हो, संविद सरकार हो, जनता नामधारी किसी दल का शासन हो या गठबंधन सरकार। विधानसभा विछले 20 वर्षों में किसी भी वर्ष 32 दिन से अधिक नहीं चली है। उसमें तीन दिन शोक प्रस्ताव में चले जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद काररवाई स्थगित कर दी जाती है। 5-7 दिन शोर-शराबे, हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं।

काररवाई साल में मात्र 25 दिन

जाहिर है कि वर्ष के 365 दिनों में औसतन कुल 25 दिन ही बिहार विधानसभा प्रभावी रूप से चल पाती है। दूसरी तरफ देश के अनेक राज्य हैं, जहाँ वर्ष में 45 से 70 दिन तक विधानसभा चलती है। संसद् की काररवाई भी वर्ष में चार माह से अधिक चलती है, परंतु बेचारी बिहार विधानसभा सदन के भीतर कम, बाहर ही ज्यादा चलती है।

ग्यारह बजे सदन की काररवाई प्रारंभ होती है। अध्यक्ष महोदय। सुरक्षा प्रहरी आवाज लगाता है। अध्यक्ष का आगमन। सभी दिशाओं में झुककर सलाम करने और आसन ग्रहण करने के पूर्व ही हल्ला प्रारंभ। कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आवाजें एक-दूसरे से टकरा रही हैं। प्रश्न काल का 15 मिनट समय हंगामे में बीत गया। अल्पसूचित प्रश्न प्रारंभ होते हैं। अल्पसूचित के लिए प्रारंभ के 20 मिनट निर्धारित हैं, परंतु 2-3 प्रश्न में ही 30 मिनट से अधिक लग जाते हैं। बेचारे तारांकित प्रश्नों के लिए बचते हैं 15-20 मिनट, जबकि प्रश्नों की संख्या 70-80 तक रहती है। प्रतिदिन 80 प्रश्नों में से मात्र 8-10 प्रश्नों के मौखिक उत्तर हो पाते हैं। मंत्री राहत की साँस लेते हैं। लिखित उत्तर वर्षों बाद मिलता है। जब तक उसका औचित्य ही समाप्त हो जाता है।

बिना होम वर्क के मंत्री

प्रत्येक सदस्य को प्रति दिन 2 प्रश्न पूछने का अधिकार है, परंतु जब उत्तर मात्र 8-10 का ही होना है, तो फिर सभी लोगों के पूछने का औचित्य क्या है? मंत्री होम वर्क करके नहीं आते हैं। उत्तर देने में फँस जाते हैं। घिग्घी बँध जाती है। संक्षिप्त सा उत्तर मिलता है—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, तीसरे खंड के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है। और बस, हो गया मंत्री का उत्तर। पूछते रहिए मंत्री से पूरक और प्रति पूरक प्रश्न, मंत्री टस से मस नहीं होगा। कह देगा—इस पूरक प्रश्न का मूल प्रश्न से

संबंध ही नहीं है। अकसर नौकरशाही द्वारा तैयार किए गए उत्तर पढ़ दिए जाते हैं। जनता से बातें छिपाई जाती हैं। जनता सूचना पाने के अधिकार से वंचित रह जाती है।

जवाब स्टीरियो टाइप

ज्यादा हल्ला-गुल्ला हुआ तो एक रटा-रटाया तकिया कलाम पढ़ दिया जाता है—जाँच करा दी जाएगी, सरकार सूचना ग्रहण करती है, काररवाई की जाएगी, देख लेंगे। प्रतिदिन ऐसे पचीसों आश्वासन दिए जाते हैं।

सरकार के इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए आश्वासन समिति तथा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति कोशिश में लगी रहती है, फिर भी ग्यारह हजार से अधिक आश्वासन क्रियान्वयन और पंद्रह हजार से अधिक प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण उत्तर के इंतजार में हैं।

शून्य काल बनाम शोर काल

शून्यकाल युद्ध काल है, जिसके फेफड़े में जितनी ताकत है, वह ही किला फतह कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का सा दृश्य लगता है। प्रत्येक सदस्य ऊँची-ऊँची आवाज में चिल्लाता है। कोई किसी की नहीं सुन पाता। अब शून्यकाल में बोलने का क्रम लॉटरी से निर्धारित होने लगा है। दो-दो मिनट कर 20-25 सदस्य अलग-अलग समस्याएँ उठाते हैं। उस काल में सरकार बहरी-गूँगी बनी बैठी रहती है। कभी-कभार मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं। न सरकार सुनती है और न अखबार उन मुद्दों को छापते हैं। शोरगुल से निकली कुछ बातें सदन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाती हैं। कुछ लोगों को संतोष होता है कि आज सदन में कुछ कहा तो सही। शून्य काल धीरे-धीरे शोर काल में बदलता चला गया है।

कार्यस्थगन पहले पूरे सत्र में 1-2 आते थे। अब तो प्रतिदिन 7-8 की दर से कार्यस्थगन आते हैं। प्रतिदिन दो ध्यानाकर्षण स्वीकृत करने का प्रावधान है। समाचार-पत्रों में आज विधानसभा में शीर्षक के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय ही अंकित रहते हैं, परंतु बेचारे ध्यानाकर्षण का क्या हाल है? किसी दिन अतिरिक्त समय देकर 25-30 ध्यानाकर्षण थोक भाव से निपटा दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन एक निवेदन, अगणित याचिका दाखिल कर सकता है, परंतु निवेदन, याचिका के निष्पादन के हाल को देखकर धीरे-धीरे इनकी भी संख्या घटने लगती है।

धैर्य की परीक्षा लेती बहसें

अंतराल के बाद भी समय बजट, राज्यपाल के भाषण, विनियोग विधेयक, अनुदान

की माँग पर बहस के लिए निर्धारित है। बहस के स्तर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पाँच बजे मतदान का समय तय है। तीन घंटे तक लोगों का भाषण सुनना आसान नहीं है। कुछ गिने-चुने 50-60 लोग ही इतना धैर्य रखते हैं कि दूसरों की बात सुनें। पत्रकार दीर्घा में रिपोर्टरों की मौजूदगी के समय अवश्य सत्ता पक्ष की संख्या अच्छी हो जाती है। विधेयकों पर बहस में मुश्किल से 10-12 लोग हिस्सा लेते हैं। करीब उतने ही लोग संशोधन प्रस्तुत करते हैं। समाचार-पत्र भी मंत्री का उत्तर एवं भाग लेने वाले सदस्यों के नाम छापकर अपने कार्य की इतिश्री कर देते हैं।

सदन कूप में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी

जब कोई वैधानिक तरीके से समस्याओं को नहीं उठा पाता, तब वह सदन कूप (wall of the house) में जाकर रिपोर्टर टेबल पर चढ़कर या अन्य नाटकीय तरीके से सरकार और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की सस्ती कोशिश करता है। नए सदस्यों को भी लगता है, नियमानुसार विषय उठाने की तुलना में नियमों को ताख पर रखकर विषय उठाना ज्यादा आसान है। अपनी सीट पर से बोलने पर कोई नहीं सुनता है, परंतु वेल में जाकर या अध्यक्ष की कुरसी तक जाकर बोलने से बातें सुनी जा सकती हैं तो फिर वह नियम'''प्रक्रिया'''व्यवस्था आदि की चिंता क्यों करें?

सत्र के बाद, यानी 11 माह विधानसभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। राज्य के बाहर और भीतर दौरे होते हैं। बैठकों का क्रम चलता रहता है। विशेष घटनाओं पर विशेष समिति बनती है। विडंबना यह कि जनता के धन का व्यय कर जनता के लिए काम करने के मकसद से बनी अनेक समितियाँ रिपोर्ट ही नहीं देतीं और जिन्होंने रिपोर्ट दी, उनकी अनुशंसाएँ धूल फाँकती रहती हैं।

लोकतंत्र में विधायिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें पाली गई हैं। हर बार विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सदन की एक दिन की काररवाई का संचालन भी काफी खर्चीला होता है। उधर, हर जन-प्रतिनिधि भी बड़े परिश्रम और संसाधन का उपयोग कर जनता के मन में सकारात्मक बदलाव का भरोसा पैदा करने के बाद ही चुनाव जीत पाता है, जन-प्रतिनिधि (विधायक) बनता है। लेकिन जो हकीकत है, उसमें अनेक विधायक विधायी कार्यों में बिना किसी उल्लेखनीय बौद्धिक योगदान के अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिहार में विधायिका की यह सूरत भी बदलनी चाहिए। सदन में सार्थक बहस के लिए स्पेस बढ़ना चाहिए, शोर नहीं।

□

यादगार मुलाकातें

उग्रवाद से धधकते पंजाब में भिंडरवाला से एक हैरतअंगेज मुलाकात

पिछली सदी के नौवें दशक की बात है। उन दिनों पंजाब में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद चरम पर था। उस आग को हवा देनेवाला जरनैल सिंह भिंडरवाला गुरुद्वारा मेहता चौक छोड़कर अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर के सुरक्षित विशाल परिसर स्थित 300 कमरों वाले सराय गुरु नानक निवास पर अपने सशस्त्र बंदों के साथ कब्जा जमा चुका था। पूरा पंजाब इसी गुरु नानक निवास से संचालित, हिंसा, आतंक और अफवाहों से धधक रहा था, सहमा हुआ भी था। अनेक कुख्यात अपराधी-उग्रवादी वहाँ धर्म की आड़ में संरक्षण पा रहे थे। भय इतना अधिक था कि संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के इस आश्वासन के बावजूद कि अगले दिन ग्यारह बजे वे किसी व्यक्ति को मेरे साथ भेजकर भिंडरवाला से मुलाकात करा देंगे, अमृतसर शहर का कोई व्यक्ति गुरु नानक निवास तो क्या, दरबार साहिब के नजदीक जाने को भी तैयार नहीं था। 'वहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, वहाँ तो हथियारों का भंडार है, कमरों में अनेक बंद हैं, आप हमारे मेहमान हैं, यह खतरा हम नहीं उठा सकते…' ऐसे वाक्य लोगों से सुनने को मिल रहे थे।

अंततः मुझे अकेले जाने का ही निर्णय करना पड़ा। एक व्यक्ति स्कूटर से मुझे नजदीक के चौराहे पर छोड़ गया। नवंबर की सर्दी थी। दिन के ग्यारह बज रहे थे। तय हुआ कि मैं एक बजे तक गुरु नानक निवास से बाहर आ जाऊँ, अन्यथा यह समझा जाएगा कि कोई दुर्घटना हो गई है।

संत लोंगोवाल ने एक सेवक (सिख सेवादार) को मेरे साथ लगा दिया। अगले

क्षण मैं गुरु नानक निवास की तीसरी मंजिल पर था। एक बंदूकधारी किशोर, जिसकी मसें भी ठीक से नहीं फूटी थीं, ने बताया कि भिंडरवाला लंगर गए हैं। मेरे साथ का सेवक इस बीच पता नहीं किधर चला गया। भय का प्रतीक बन चुके गुरु नानक निवास में उस समय मैं अकेला और सबसे अपरिचित गैर-केशधारी उपस्थित था। कमरों से निकलते, आते-जाते अनेक बंदूकधारी सिक्ख दिखाई पड़ रहे थे। किसी ने मेरी उपस्थिति की परवाह नहीं की। मैं भी कुछ निश्चिंत हुआ। पहरेदार और श्रद्धालुजनों से हिलमिल गया। मंजिल के गलियारों में अकेला घूमने लगा। लग ही नहीं रहा था कि मैं ऐसी किसी खतरनाक जगह पर हूँ।

अचानक अवाज आई—बोले सो निहाल! लोगों ने बताया कि संतजी लंगर से आ रहे हैं। तीसरी मंजिल से नीचे देखा कि हाथ में बंदूक लिये भिंडरवाला चल रहे हैं और उनके पीछे-पीछे 25-30 युवक स्टेनगन आदि लेकर आवास की ओर बढ़ रहे हैं। शोर बढ़ता गया। भिंडरवाला सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पार करता हुआ छत पर चला गया।

फिर एक बार सनसनी फैल गई। साहस कर मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर चला गया। गुरु नानक निवास की विशाल छत के एक कोने में लगी लकड़ी की चौकी पर भिंडरवाला बैठा था। 30-40 महिला, पुरुष, बच्चे एवं 10-15 शस्त्रधारी युवक भी बैठे थे। मैंने अपना परिचय दिया—पटना साहिब से आए हैं। यह सुनकर वह प्रसन्न हुआ। बीच-बीच में चौकी से उठकर वह एक कोने में जाकर कुछ बंदूकधारी युवकों को निर्देश देते रहे।

कुछ देर बाद निश्चिंत होकर चौकी पर बैठे। चमकती आँखें। घुटने तक का नीला चोंगा, दुबला शरीर, बंदूकधारी 37 वर्षीय भिंडरवाला मेरे सामने था। बातचीत शुरू हुई। एक नौजवान पंजाबी से हिंदी में अनुवाद कर रहा था। उसने पुनः पूछा—कहाँ से आए हो? मैंने कहा—पटना साहिब से···महाराज, ये मोरचा वापस क्यों नहीं लेते, हिंदू-सिक्ख तनाव है···मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले ही भिंडरवाले ने पंजाबी में बोलना शुरू कर दिया।

उत्तर प्रदेश में एक पांडे नाम का एम.एल.ए है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध उसने विमान का अपहरण किया। उसके बदले उसे एम.एल.ए. शिप मिल गई। गुरु ग्रंथ साहिब पर जूते फेंककर अपमान किए जाने के विरोध में विमान अपहरण करनेवाला सिक्ख जेल में बंद है। क्या हिंदू ब्राह्मणी और गुरु ग्रंथ साहिब एक समान हैं? एक ही जुर्म, लेकिन एक जेल में और एक एम.एल.ए.—क्यों, केवल इस कारण कि वह सिक्ख था?

पिछले 2 वर्ष में 200 से अधिक सिक्ख पुलिस द्वारा मारे गए। हम दरबारा सिंह

(तत्कालीन मुख्यमंत्री) को हटाने की माँग कर रहे हैं, परंतु हटाया नहीं गया। लेकिन बस से निकालकर 6 हिंदू के मरते ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 200 सिक्खों की हत्या से 6 हिंदू की मौत (हत्या) ज्यादा मायने रखती है, केवल इसलिए न कि दिल्ली में हिंदू सरकार है।

भिंडरवाला ने मुझसे पूछा कि तुम अमृतसर आए, तुमको रोका किसी ने? गुरुद्वारे में आते समय कोई तलाशी ली गई। मैंने ना में गरदन हिलाई। इस पर उन्होंने कहा, परंतु एशियाड (1982) में जानेवाले सिक्खों को रोका गया, उनकी तलाशी ली गई और आज भी दिल्ली जानेवाले सिक्खों को भजनलाल (तत्कालीन मुख्यमंत्री) की पुलिस हरियाणा सीमा पर रोककर तंग करती है। बताओ, हम पहले दरजे के हैं या दूसरे दरजे के नागरिक?

भिंडरवाले ने पूछा, तुम कट्टर हिंदू हो? मैंने कहा, हाँ। इस पर उन्होंने कहा, तुम्हारी चोटी कहाँ है? जनेऊ कहाँ है? तो फिर कट्टर हिंदू कैसे? हिंदू के 9 चिह्न होते हैं। हम जिस रूप में पैदा हुए, उसी रूप में आज भी हैं। तात्पर्य बाल नहीं कटाने से था। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति सिक्ख होता है। सिक्ख धर्म मूल है। दुनिया के सभी धर्म सिक्ख से पैदा हुए हैं। तुम भी सिक्ख हो, परंतु तुम बिगड़े सिक्ख हो। हो या नहीं। मुसकराते हुए कड़ी आवाज में पूछा। मैं सोच नहीं पा रहा था कि उत्तर हाँ या ना में दूँ।

पुन: पूछा उन्होंने, किस भगवान् को मानते हो। मैंने कहा हनुमानजी को? मैं भी हनुमानजी को मानता हूँ—भिंडरवाले ने कहा। हनुमानजी के सिर पर क्या था? मैं समझ नहीं पाया कि क्या पूछ रहे हैं। हिंदू विरोधी बात कहनेवाला कह रहा था कि हनुमानजी का भक्त हूँ। मैंने यों ही उत्तर दिया—बाल थे। भिंडरवाला बोला, तो तुम्हारे सिर पर बाल कहाँ हैं। मुझे देखो, मैं अपने गुरुओं के समान हूँ। तुम अपने भगवान् के समान कहाँ हो। तो तुम अपने बाप के समान कैसे हुए? मैं हक्का-बक्का था। बातें कुछ सच भी थीं, परंतु अत्यंत हास्यास्पद भी।

मैंने भिंडरवाले से पूछा, सिक्ख-हिंदू तो एक ही हैं, फिर अलग बात क्यों? भिंडरवाले ने कहा, हिंदू और सिक्ख कैसे एक हैं। तुम्हारे सिर पर बाल नहीं, पगड़ी नहीं, मेरे सिर पर हैं। तुम्हारे पास कृपाण नहीं, मेरे पास है। फिर तुम और हम एक कैसे? तू अलग और मैं अलग। गुरुद्वारे में मुसलिम, ईसाई आ सकते हैं, परंतु तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकते। फिर एक कैसे? हिंदू में महिला मुक्ति नहीं पा सकती। यहाँ उसे समान अधिकार है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब में तो राम और कृष्ण का नाम आया है, परंतु वेद में हिंदू नहीं आया। सिक्ख-हिंदू तो अलग-अलग हैं। बताओ, कैसे एक हैं? यदि सिक्ख-हिंदू एक ही हैं, तो फिर सरकार क्यों कहती है कि सिक्ख उग्रवादी पकड़ा गया, क्यों नहीं कहती कि हिंदू पकड़ा गया।

मैंने कहा, हिंदू-सिक्ख सद्भावना के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इस पर भिंडरवाला उत्तेजित हो गया। उसने कहा, प्रत्येक गैर-सिक्ख, भले ही वह कम्युनिस्ट क्यों न हो, हिंदू है और उसकी काररवाई हिंदू समर्थक तथा सिक्ख विरोधी है। आपातकाल में हिंदू जयप्रकाश (जेपी) के लिए 40 हजार सिक्ख जेल गया, परंतु हमारे मोरचे में एक भी हिंदू नहीं आता। क्या पानी मिलेगा, तो केवल सिक्खों को। बिजली तो सबों को मिलेगी, परंतु हिंदू हमारे साथ नहीं आता।

हिंदू-सिक्ख एकता केवल बोलने से नहीं होगी। तुम 40 हिंदू बंदों को मोरचे में लेकर आओ। मैं खुद बाहर आकर सिरोपे भेंट करूँगा, परंतु मैं जानता हूँ, अमृतसर का एक भी हिंदू नहीं आएगा। विश्वास नहीं हो तो कोशिश करके देख लो। ये जलंधर के रमेश, वीरेंद्र हैं न। ये आज तक मुझसे मिलने नहीं आए और मेरे खिलाफ लिखते रहते है। हिंदुओं से ही पूछो, क्यों नहीं आते?

मैंने साहस कर पूछा कि आपने यह क्यों कहा कि मैं हिंदुओं का कत्लेआम करा दूँगा। इस पर भिंडरवाले ने कहा, मैंने कहा, लेकिन क्या कर डाला। मैंने अपने इलाके में एक हिंदू मंदिर बनवाने में काफी मदद की है। हिंदू ब्राह्मणों की बेटी इंदिरा धमकी देती है कि पंजाब के बाहर भी सिक्ख रहते हैं, यानी पंजाब के बाहर के सिक्खों से बदला ले सकती हूँ, परंतु इंदिरा पर मुकदमा नहीं चला और मैं चूँकि सिक्ख हूँ, इसलिए मुझ पर चल रहा है।

सेठी साहब ने कहा है कि गुरु नानक निवास में भिंडरवाला को पकड़ूँगा। एक सिक्ख सेठी साहब के 900 बंदों के बराबर है। मैं शेर का बच्चा हूँ, गीदड़ का नहीं, हिम्मत हो तो सेठी साहब अपनी पुलिस भेजें और देख लें तमाशा।

मैं केवल पाँचवीं पढ़ा हूँ, परंतु बुलाओ, जिसे बुलाना है। हिंदुओं से मेरे 51 प्रश्न हैं, 51, बुलाओ अपने शंकराचार्य को। मेरे एक भी प्रश्न का कोई उत्तर दे सके, तो मैं अपना सर कलम कर हाथ पर रख दूँगा। लेकिन जानता हूँ, कोई उत्तर नहीं दे सकता।

40 मिनट बीत चुके थे। भिंडरवाला धारा-प्रवाह बोल रहा था। बीच-बीच में श्रद्धालु जन आते और माथा टेककर पैसे चढ़ाकर चुपचाप सामने बैठ जाते। भिंडरवाला का कथन जारी था। जानते हो, तुम दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी से बात कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। यह कहकर भिंडरवाले ने मुझे बच्चों के समान अपने सीने से लगा लिया। अमृतसर में यदि किसी से कहोगे कि भिंडरवाले से मिलकर आए हो, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच ही, अमृतसर में मेरी बात पर विश्वास करनेवाला कोई नहीं था।

मैं चलने को था। भिंडरवाले ने भोजन करके जाने की जिद्द की। मुझे लग रहा था कि कहीं देर हो गई तो बाहर शहर में लोग परेशान हो जाएँगे। फिर भिंडरवाले ने

कहा, क्यों? मेरी बातों से सहमत हो। मैंने 'हाँ' में उत्तर दिया तो वह जोर से ठहाका मारकर हँसा, तब तो तुम भी उग्रवादी हो गए। जो आता है, मुझसे सहमत होकर ही जाता है।

उन्होंने अपना कैसेट ले जाने को कहा। तब सौ से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके थे। औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी थे। यह दृश्य हरचंद सिंह लोंगोवाल के कमरे से बिल्कुल भिन्न था, जहाँ इक्के-दुक्के लोग आते थे। छत पर एकत्र लोग हमारे वार्त्तालाप को बड़े गौर से सुन रहे थे। 20-25 बंदूकधारी नौजवान भी इकट्ठा हो गए थे। मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं अकेला गैर-केशधारी दुनिया के अत्यंत खतरनाक व्यक्तित्व से उसकी माँद में मिल रहा हूँ।

सीढ़ियाँ उतरते हुए अनेक बंदूकधारी नौजवान दिखाई पड़े। अब तक सौ से ऊपर बंदूक वालों को गिन भी चुका था। गुरु नानक निवास से बाहर आकर तेजा सिंह सुंदरी हॉल के सामने से होता हुआ मुख्य द्वार से बाहर आया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बाहर कैसे आया। भय, संदेह, आतंक, अफवाह ने सचमुच कितनी दूरी पैदा कर दी थी।

यह मुलाकात नवंबर 1983 की है। पंजाब के डी.आई.जी. अटवाल की हत्या हो चुकी थी। भिंडरवाला के पास हथियारों का उतना बड़ा भंडार नहीं था। गुरु नानक निवास भी सिक्खों का कोई श्रद्धा-केंद्र नहीं था। यदि केंद्र सरकार ने भिंडरवाले को पकड़ने का प्रयास उस समय किया होता, तो शायद अकाल तख्त नहीं टूटता और न इतने लोग मारे जाते। तब सेना के बजाय अर्द्धसैनिकों से काम चल जाता और सिक्खों की भावनाएँ इतनी आहत नहीं होतीं।

भिंडरवाला चतुर था। कुछ ही दिन बाद वह अकाल तख्त में जा छिपा। उसे मालूम था कि या तो वहाँ सेना आएगी नहीं, और यदि आएगी तो मुठभेड़ में श्रद्धा केंद्रों का नष्ट होना स्वाभाविक है। एक तीर से दो काम हो जाएँगे। स्वयं की शहादत और सिक्खों की धार्मिक भावना पर चोट।

ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाला तो मारा जा चुका है, परंतु उसकी आत्मा उसके जिंदा रहने से कम खतरनाक नहीं है।

□

विनोबा के मौन आशीर्वाद से मिली ऊर्जा

1974 के जेपी आंदोलन के दौरान सर्वोदय समाज में आंदोलन और इंदिरा गांधी के प्रति सोच को लेकर काफी मतभेद हो गए। विनोबाजी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक वर्ष का मौन धारण कर लिया। 1975 की सर्दियों में हम 10 लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के श्री रामबहादुर राय और श्री महेश शर्मा के नेतृत्व में पवनार (वर्धा) पहुँचे। वहाँ हमने 12 घंटे का सांकेतिक उपवास किया ताकि बाबा मौन तोड़कर आंदोलन को अपना आशीर्वाद दें। पवनार आश्रम से विदा लेने के पूर्व हमने विनोबा का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद माँगा, तो लगा कि शायद कुछ बोल पड़ेंगे, लेकिन वे मौन ही रहे। मौन भी तो स्वीकृति का ही लक्षण है। बाबा का मौन आशीर्वाद ले निकल पड़े हम अपने अभियान पर दुगने उत्साह से। वर्ष भर के आंदोलन ने समाज कार्य के लिए जितनी प्रेरणा नहीं दी, उससे कई गुना अधिक बाबा के मौन ने हृदय को प्रभावित कर दिया।

वर्धा जानेवाली बस में यात्रीगण चर्चा कर रहे हैं, ''सुना है बिहार के कुछ नौजवान कल विनोबा के आश्रम में अनशन करने वाले हैं। लगता है कुछ हंगामा होगा।'' एक दूसरा यात्री कहता है, ''अरे यह तो सरकारी संत है, इंदिरा रानी के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो मुँह सी कर बैठ गया है।'' यात्रियों की इन बातों को चुपचाप सुनते हुए चाँदनी रात में हम चले जा रहे थे पवनार आश्रम। विनोबा का आश्रम। विनोबा भावे, जिसने 1952 से 57 तक भूदान की आँधी खड़ी कर दी थी और बागियों को आत्मसमर्पण करवाया था।

महाराष्ट्र के समाचार-पत्रों में प्रथम पृष्ठ का समाचार था कि बिहार के छात्रों का जत्था बिहार आंदोलन को बिनोबा का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु 12 घंटे का उपवास

करने वाला है। संघर्ष का जत्था, राष्ट्रीय आग्रह करने के लिए क्रांति के गीत गाता हुआ चाँदनी रात में पहुँचा पवनार आश्रम। यह धाम नदी के किनारे पथरीली पहाड़ी जमीन पर बना है, जो बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। धाम नदी में यहीं कभी गांधी की अस्थि प्रवाहित की गई थी।

रात्रि के 11 बजे थे। सारा आश्रम निद्रा में समाया हुआ था। शायद बाबा 8 बजे ही सो जाते हैं। बगल के हनुमान मंदिर में हमने आश्रय लिया। आश्रम के इर्द-गिर्द तक कोई झोंपड़ा नहीं दिखाई पड़ता। केवल गोमती बहन की एक छोटी सी दुकान है। गोमती बहन को भारत की अनेक विभूतियों को अपने हाथों से चाय पिलाने का सौभाग्य मिला है। इस बहन ने गांधी की आंधी भी देखी थी और आज रात्रि सेवा संघ को टूटते हुए भी देख रही है, किंतु उसकी चाय की सेवा आज भी बरकरार है।

प्रात: काल 5 बजे ही धाम नदी में स्नान कर पूज्य बापू की समाधि को प्रणाम कर हमने पवनार आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में अनेक पथ हैं—व्यास पथ, कर्तव्य पथ, शांति पथ, किंतु वे पथ आज वीरान हैं। इक्के-दुक्के यात्री भूले-भटके उन पथों पर चले जाते हैं, किंतु पुन: लौट आते हैं। आश्रम में चारों ओर बहनें श्रम कर रही हैं। प्रवेश द्वार पर स्वागत किया गोकुल भाई ने। शायद हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोठरी के सामने दरी बिछाकर हम बैठ गए महान् संत से राष्ट्रीय आग्रह हेतु।

प्रथम सत्याग्रही का प्रथम दर्शन

कुछ ही क्षणों में देखा ऊँची धोती पहने नंगे पाँव, आँखों में हरा चश्मा और सर पर विनोबा टोपी पहने एक अस्सी वर्षीय वृद्ध तेजी से कमरे के बाहर घूम रहा है। यह वही व्यक्ति है, जिसे कभी गांधी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया था, किंतु कल का सत्याग्रही, कल तक हिंदुस्तान में भूदान की आँधी पैदा करने वाला, बागियों का हृदय परिवर्तन कर अहिंसा के चरणों में हिंसा को समर्पित करने वाला बागी आज स्वयं मौन खड़ा परिस्थितियों को अजूबा के समान निहार रहा है। लगा, मानो कोई गांधी ही खड़ा हो। जिस गीता प्रवचन को मैं पढ़ते नहीं अघाता था, उसका रचयिता पुराने शब्दों में नए अर्थ की कलम लगाने वाले शब्दों का वाहक आज मेरे सामने खड़ा था।

आँखों के सामने पिछले एक वर्ष की घटनाएँ तेजी से कौंध गईं। गांधीवाद की धरोहर के दो प्रहरी, एक अध्यात्मिक चेतना के प्रतीक विनोबा और दूसरे राष्ट्रीय समस्याओं से सतत संघर्ष के प्रतीक जयप्रकाश। दोनों गांधीवादी आज दो छोर पर खड़े हैं। एक अहिंसक आक्रमणकारी सत्याग्रह का परिष्कार करता है, तो दूसरा गांधीवाद के नाम पर शांतिपूर्ण तरीकों से संपूर्ण क्रांति की बात कर रहा है। जहाँ जयप्रकाश ने दलित, पीड़ित-प्रताड़ित मूक जनता को आवाज दी है, वहीं विनोबा ने अपनी आवाज को मौन कर दिया है।

बिहार आंदोलन का आग्रह-पत्र

45 मिनट तक विनोबा से मौन वार्त्ता होती रही। बाबा लिखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं। संकेतों एवं लिखित वाक्यों से वार्त्ता हुई। बाबा अत्यंत प्रसन्नचित्त थे, मानो मौन उनकी मजबूरी है। राम बहादुरजी ने आग्रह-पत्र समर्पित किया। बाबा हँसने लगे। जब उनसे पूछा गया कि बिहार आंदोलन के संबंध में आपके क्या विचार हैं तथा जयप्रकाशजी से क्या वार्त्ता हुई, तो बाबा ने बिहार आंदोलन पर विनोबा के विचार नामक पुस्तिका मँगवाई। पृष्ठ 109 पर रणछोड़ के उद्धरण को उद्धरित कर दिया। विनोबाजी से जब अनेक बार लिखित आग्रह किया कि आप अपना मौन तोड़कर इस राष्ट्रीय संघर्ष को अपना आशीर्वाद एवं नेतृत्व दें, तो बाबा ने अब तक के न लिखने के नियम को भंग कर कबीर का एक दोहा लिख डाला, जो उनकी भावना को स्पष्ट करता है—

तू तो राम सुमर, जग लड़ना है।

आश्रम में स्त्रियों को ब्रह्म-साधना का अधिकार

वार्त्ता के अंत में बाबा ने अनशन के बाद आश्रम में भोजन करने का आदेश दिया। स्वीकार करना पड़ा। 10.30 बजे दिन में नित्य विष्णुसहस्त्रनाम का पाठ आश्रम में सब बहनें एवं अतिथि करते हैं। बहनों का संस्कृत उच्चारण और विष्णुमंत्र का पाठ मुग्ध करने वाला था। दोपहर में आश्रम की समस्त बहनें मिलने आईं। बिहार आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने को बहनें बड़ी इच्छुक थीं। बहनों ने आश्रम का परिदर्शन कराया और इसके निर्माण, विकास की लंबी कहानी बताई। यह आश्रम वास्तव में ब्रह्म विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा की पदयात्रा के दौरान अनेक बहनों ने अपना जीवन इस लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया। बाबा ने समस्त बहनों की व्यवस्था इस आश्रम में की, जो पूर्णत: आत्मनिर्भर हैं। बहनें खेती से लेकर समस्त छोटे-बड़े काम स्वयं करती हैं। आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 8 घंटे का शारीरिक श्रम आवश्यक है। एक छोटा प्रेस है, जहाँ से मैत्री नामक पत्रिका एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन बहनें स्वयं करती हैं। दुनिया में शायद वह एकमात्र आश्रम है, जहाँ स्त्रियों को ब्रह्म साधना का अधिकार एवं उसके अनुरूप व्यवहार करने की सुविधा है।

राम भक्त हुए विनोबा, आश्रम में बना मंदिर

आश्रम में एक छोटा सा मंदिर है राम मंदिर। विनोबा को वर्षों पूर्व जमीन कोड़ते-कोड़ते कुछ मूर्तियाँ मिली थीं, जिन्हें उन्होंने आश्रम में स्थापित कर दिया है। आश्चर्य या संयोग कहिए कि राम-लक्ष्मण की मूर्ति प्राप्त होने के कुछ वर्ष पूर्व जब बिनोवाजी जेल में गीता पर प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने सगुण एवं निर्गुण भक्ति की चर्चा करते हुए

लक्ष्मण को सगुण और भरत को निर्गुण उपासक का प्रतीक बताते हुए जिस हृदय की कल्पना की थी, ठीक उसी भावना के अनुरूप उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण की मूर्तियाँ मिलीं। उन्होंने इन्हें राम मंदिर में स्थापित कर दिया। विनोबा को लगा, मानो उनका जीवन किसी लक्ष्य हेतु भगवत् योजना से हुआ है। तब से विनोबा ने अपने को भगवत चरण में अर्पित कर समाज के आध्यात्मिक आधार पर पुनश्चिंतन का संकल्प लिया।

समय 04.50 पर संध्या वंदना हुई। बाबा के आदेशानुसार भोजनालय में हमारे भोजन की व्यवस्था थी। बाबा ने स्वयं भोजन परोसा। जब तक भोजन चलता रहा, बाबा स्वयं खड़े-खड़े देखते रहे कि कहीं अतिथियों को कोई चीज कम तो नहीं हो गई। मालूम हुआ कि जब इंदिराजी आई थीं, तब बाबा भोजनालय में आए थे एवं उसके पश्चात् आज ही आ रहे हैं। बाबा के छोटे भाई से भी भेंट हुई। वे भी आजीवन ब्रह्मचारी थे। मराठी धार्मिक साहित्य को उनकी बहुत बड़ी देन है।

एक पतली चादर का बिछावन

शाम के छह बजे रहे थे। प्रयाण का समय हो रहा था। आश्रम की बहनों से विदा ले हम जब पुनः बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब कमरे में बाबा चौकी पर लेटे थे। न तकिया, न तोशक, केवल एक पतली चादर। यही था बाबा का बिछावन। जाने के पूर्व चरण स्पर्श किया। बाबा मौन थे। आशीर्वाद माँगा, लगा कि शायद बाबा कुछ बोल पड़ेंगे, लेकिन वे मौन ही रहे। मौन भी तो स्वीकृति का ही लक्षण है। बाबा का मौन आशीर्वाद ले निकल पड़े हम अपने अभियान पर दुगने उत्साह से। वर्ष भर के आंदोलन ने शायद मस्तिष्क पर जितना प्रभाव नहीं डाला, समाज कार्य के लिए जितनी प्रेरणा नहीं दी, उससे कई गुना अधिक बाबा के मौन ने हृदय को प्रभावित कर दिया। अविस्मरणीय रहेगी बाबा से यह भेंट।

□

महापुरुषों का जीवन

मैं हिंदू उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मरूँगा नहीं

हिंदू धर्म की वर्ण-व्यवस्था के आखिरी पायदानवाले शूद्र समुदाय में जनमे डॉ. भीम राव अंबेदकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में बड़ी ख्याति मिली; लेकिन दलितों के बौद्ध धर्म में सामूहिक धर्मांतरण कराने की वजह से शेष हिंदू समाज उनके प्रति अकसर नकारात्मक भाव प्रकट करता है। इस आलेख में श्री सुशील कुमार मोदी ने परिश्रमपूर्वक जुटाए गए जो ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उससे लगता है कि डॉ. अंबेदकर ने 20वीं सदी में हिंदू समाज को छुआछूत से मुक्त कर आधुनिक, तर्कसंगत एवं व्यवहारतः समतावादी धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया था। आलेख से यह भी पता चलता है कि हिंदू बने रहने की डॉ. अंबेदकर की आकांक्षा कितनी प्रबल थी और अनवरत अपमान से उपजी विवशता में धर्म बदलने की दशा में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित को न्यूनतम आघात पहुँचाने का कितना ध्यान रखा। दलितों के इसलाम स्वीकार कराने के लिए हैदराबाद के निजाम ने थैली खोल दी थी और इन 6 करोड़ लोगों को ईसाई बनाने के लिए ब्रिटेन-अमेरिका जैसे ताकतवर ईसाई देशों का दबाव था—डॉ. अंबेदकर ने इन सबको झटककर बौद्ध धर्म चुना, क्योंकि यही सबसे निरापद धर्मांतरण था। उनका यह फैसला और वर्षों का संघर्ष बाबा साहेब के प्रति एक सहज आदरभाव पैदा करता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' प्रदान किया गया।

भगवान् बुद्ध की जय के नारों से आकाश गूँज उठा। लाखों कंठों की जयकार के बीच रुँधे हुए गले, भर्राई हुई आवाज में एक स्वर फूट पड़ा—मैं हिंदू धर्म का परित्याग करता हूँ। इस घोषणा के साथ लाखों आवाजें संकल्प दुहरा रही थीं—विषमता

और शोषण पर आधारित प्राचीन हिंदू धर्म को छोड़, मैंने पुनर्जन्म प्राप्त किया है। मैं अब किसी हिंदू देवी-देवता की पूजा, श्राद्ध कर्म नहीं करूँगा। मैं नियमपूर्वक भगवान् बुद्ध के अष्ट मार्ग का पालन करूँगा।

स्थान था—नागपुर की दीक्षा भूमि। दिवस—विजय दशमी। वर्ष 14 अक्तूबर, 1956। भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बाबा साहब अंबेदकर के नेतृत्व में 3 लाख दलित प्राचीन हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे।

हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करते हुए बाबा साहब की आवाज काँप उठी, गला रुँध गया, आँखें भर आईं। बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहे हैं? किसी पत्रकार के प्रश्न पर बाबा साहब ने भारी मन से कहा, यह प्रश्न अपने आपसे और अपने पूर्वजों से क्यों नहीं पूछते कि मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा?

बाबा साहब ने कभी महात्मा को कहा था, यद्यपि अस्पृश्यता समाधान के प्रश्न पर आपसे भिन्न मत रखता हूँ, परंतु समय आने पर मैं देश के लिए सबसे कम नुकसानदेह मार्ग अपनाऊँगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करके मैं देश और हिंदू धर्म पर एक बड़ा उपकार कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है। मैंने यह सावधानी रखी है कि मेरे धर्मांतरण से देश के इतिहास एवं संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा को नुकसान न पहुँचे।

कभी बाबा साहब ने ही कहा था, हिंदू धर्म पर जितना सवर्णों का अधिकार है, उतना ही अस्पृश्यों का। हिंदुत्व के विकास में यदि ब्राह्मण वसिष्ठ, क्षत्रिय कृष्ण और वैश्य वर्ण का योगदान है, तो व्याधगीता के रचयिता वाल्मीकि, चोखामेला, तुकाराम जैसे शूद्रों का योगदान भी किसी से कम नहीं। आज उसी बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया'''कुछ रविदास महिलाओं के इसलाम स्वीकार करने पर बेचैन होनेवाले, गोवा में ईसाइयों को हिंदू धर्म में परावर्तित (घर वापसी) करनेवालों की गिरफ्तारी का विरोध करनेवाले और ब्रिटिश राज के दौरान गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों को Protestant Hindu या Non conformist Hindu कहने का आग्रह करनेवाले बाबा साहब को आखिर हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा? हिंदू धर्म के कलंक को अपने रक्त से शुद्ध करेंगे, ऐसी घोषणा करनेवाले को यह क्यों कहना पड़ा, 'मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूँगा नहीं।'

और यदि धर्मांतरण करना ही था, तो भारत में मृतप्राय बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? उन्होंने समानता, भाईचारा, बंधुत्व का संदेश देनेवाले और राजनीतिक दृष्टि से सर्वसत्ता-संपन्न इसलाम या ईसाई धर्म को क्यों नहीं चुना? विश्व के तीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठ योग्यता हासिल करनेवाले अंबेदकर ने समाज के हाथों कौन सा अपमान, तिरस्कार नहीं झेला, फिर भी हिंदू धर्म के भीतर ही रहकर अस्पृश्यों को

समानता का स्थान दिलाने के लिए सतत संघर्ष करते रहे। चौदार तालाब से पानी भरने के अधिकार हेतु चलाए जा रहे महाड़ सत्याग्रह एवं नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह को चलाते पाँच वर्ष बीत गए, परंतु उच्चस्थ हिंदू उन्हें मंदिर में प्रवेश देने को तैयार नहीं थे। पानी भरने का अधिकार भी दूर की बात थी। कम्युनल अवार्ड से पहली बार दलितों को प्राप्त राजनीतिक अधिकारों को भी पूना पैक्ट की बेदी पर बलि चढ़ाना पड़ा। महात्मा गांधी, दामोदर विनायक सावरकर, साहूजी महाराज और मसूरकर महाराज के अछूतोद्धार के प्रयास का भी जब सवर्ण समाज पर कोई असर नहीं दिखा, तब संघर्ष की विफलता ने अंबेदकर को भीतर से तोड़ दिया। उन्हें हिंदू धर्म के भीतर सम्मान की जिंदगी जीने का संघर्ष निरर्थक जान पड़ा।

अंबेदकर अब और अधिक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। 1929 की 29 मई को जलगाँव के दलित सम्मेलन में उन्होंने घोषणा कर दी—यदि निश्चित तिथि के पूर्व आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो, तो आप हिंदू धर्म छोड़ देंगे और 12 महारों ने अवधि पूरी होने पर इसलाम स्वीकार कर लिया।

अक्तूबर1935 के येवला सम्मेलन में उनकी घोषणा (मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूँगा) ने संपूर्ण देश में खलबली पैदा कर दी। येवला के ऐतिहासिक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि निर्णय लेने का अवसर आ चुका है। अब दलित समाज के लोग हिंदू धर्म का त्याग कर ऐसे किसी अन्य धर्म को स्वीकार करें, जिसमें समानता, बंधुता एवं योग्य व्यवहार मिल सके।

सवर्ण वर्चस्व वाले हिंदुत्व की पराजय का शंख फूँका जा चुका था। वर्षों से अछूतोद्धार के कार्य में लगे समाज-सुधारकों के प्रयास को अंबेदकर ने अधिक जटिल बना दिया था। गांधी, सावरकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरीखे नेताओं ने इस निर्णय को आत्मघाती बताया। दूसरी ओर नासिक के सवर्ण प्रसन्न थे कि अब कालाराम मंदिर खुल सकेगा। अंबेदकर का असर यह हुआ कि कुछ स्थानों पर सार्वजनिक कुएँ और मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोल दिए गए।

मसूरकर महाराज से साक्षात्कार में अंबेदकर ने कहा कि इस समस्या का निदान सवर्ण हिंदू ही कर सकते हैं। व्यंग्यपूर्वक उन्होंने यह भी कहा—मैं 5-10 वर्ष इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन क्या इस बीच हिंदुओं में किसी योग्य अस्पृश्य को शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा सकने की हिम्मत है? क्या उस शंकराचार्य के पाँवों पर 100 चित्त पावन ब्राह्मण परिवार गिरकर अपने हृदय परिवर्तन का परिचय दे सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर हिंदू धर्म में रहने का आग्रह क्यों?

प्रत्येक धर्म प्रचारक की आँखें 6 करोड़ दलितों पर लग गईं। मुसलिम नेता (विधायक) ने बदायूँ में हो रहे मुसलिम सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। बंबई के

Methodist Episcopal Church के विश्व ब्रेंटन वेडली ने दलितों से ईसाई धर्म स्वीकार करने का आग्रह किया। बनारस की महाबोधि सोसाइटी के सचिव ने विश्वास दिलाया कि बौद्ध धर्म में नीच-उच्च का भेदभाव नहीं है। स्वर्ण मंदिर प्रबंधक समिति के सरकार दिलीप सिंह दोआना ने अस्पृश्यों की समस्याओं को पूरा करने का विश्वास दिलाया। दादर के महार सम्मेलन में मंच पर इसलाम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्मों के प्रतिनिधि विराजमान थे।

बाबा साहब जानते थे कि धर्म-परिवर्तन से उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। अत: पूना के युवक सम्मेलन में उन्होंने कहा, 'यह सोचना गलत होगा कि ईसाई, इसलाम या किसी मत को स्वीकार करते ही समानता का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। कहीं भी जाएँ, समानता, सम्मान के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा।' डॉ. अंबेदकर तो उस हिंदू समाज को एक झटका देना चाहते थे, जिसने अस्पृश्यों को कुत्ते-बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया था। वे उस समाज को सबक सिखाना चाहते थे, जो सिद्धांत में तो सब चीजों में ब्रह्म के वास का दंभ भरता है और व्यवहार में मनुष्य-मनुष्य में जन्मों के आधार पर ऊँची-नीच का भेद करता है। जिनके तालाबों में एक ईसाई या मुसलिम तो पानी भर सकता है, किंतु एक अस्पृश्य घूँट भर पानी भी नहीं पी सकता।

कुछ मुसलिम नेता निजाम के इशारे पर डॉ. अंबेदकर को इसलाम स्वीकार कराने के प्रयास में लग गए। निजाम हैदराबाद ने दलितों के उत्थान हेतु 6 करोड़ रुपए का सौदा करना चाहा, यदि वे इसलाम ग्रहण कर लें। मुसलिम समुदाय के कई प्रतिनिधिमंडल अंबेदकर से मिलने आए। लाहौर के पीर जमाल अली ने तो घोषणा कर दी कि अंबेदकर इसलाम स्वीकार करने जा रहे हैं।

1937 में महाराष्ट्र के शोलापुर में ईसाइयों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'जब से मैंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है, मैं एक सौदे की वस्तु बन गया हूँ'''दक्षिण भारत में चर्च तो जातीय आधार पर बँटे हैं। साथ ही ईसाई राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हैं और एक समुदाय के रूप में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया।'

अंबेदकर कौन सा धर्म ग्रहण करेंगे? अटकलबाजियाँ लगाई जा रही थीं। प्रत्येक धर्मावलंबी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान मुसलिम प्रतिनिधियों के संकीर्ण, सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीतिक दृष्टिकोण ने अंबेदकर को झकझोर कर रख दिया था। मौलाना मोहम्मद अली के उस कथन को डॉ. अंबेदकर भूल नहीं पाए कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने अस्पृश्यों को मुसलिम और हिंदू धर्म में बाँट लेने की बात कही थी।

येवला सम्मेलन में घोषणा के पश्चात् डॉ. अंबेदकर ने सिक्ख धर्म में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र, भतीजे एवं 13 युवकों को सिख धर्म का अध्ययन करने अमृतसर भी भेजा। अमृतसर के सिक्ख सम्मेलन में 55 दलितों ने सिक्ख धर्म ग्रहण किया। अंतत: डॉ. अंबेदकर ने अपने सहयोगियों से परामर्श कर सिक्ख धर्म ग्रहण करने का निर्णय कर लिया। बाबा साहब ने इस निर्णय को हिंदू महासभा का समर्थन प्राप्त कराने के लिए हिंदू नेता डॉ. मुंजे से वार्त्ता की। डॉ. मुंजे ने प्रस्ताव रखा कि यदि हरिजन बंधु इसलाम एवं ईसाई धर्म के स्थान पर सिक्ख धर्म स्वीकार कर लें तो इन नव सिक्खों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित रखने एवं पूना पैक्ट से प्राप्त सुविधाओं का इनके लिए उपयोग करने में हिंदू महासभा कोई आपत्ति नहीं करेगी। साथ ही हिंदू और सिक्ख मिलकर दलितों को मुसलमान बनाने के कुचक्र के विरुद्ध प्रयास करेंगे।

इस प्रस्ताव के साथ संलग्न डॉ. अंबेदकर के बयान में सिख धर्म स्वीकार करने के निर्णय के औचित्य में कहा गया था कि यदि हिंदुओं की दृष्टि से भी देखा जाए तो सिक्ख, इसलाम, ईसाई—इन तीनों मतों में सिक्ख धर्म श्रेष्ठ है। यदि दलित वर्ग इसलाम या ईसाई मत स्वीकार करता है तो वे हिंदू धर्म की परिधि से बाहर चले जाएँगे। यदि ये सिक्ख धर्म ग्रहण करेंगे तो वे हिंदू संस्कृति के दायरे में ही रहेंगे।

डॉ. अंबेदकर ने राष्ट्र पर होनेवाले धर्मांतरण प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि इसलाम या ईसाई मत में दलितों के धर्मांतरण का अर्थ है उनका विराष्ट्रीयकरण (Denationalisation)। यदि वे इसलाम स्वीकार करते हैं तो मुसलिमों की संख्या दुगनी हो जाएगी और देश पर मुसलिम आधिपत्य का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ईसाई मत ग्रहण करने पर देश में ईसाइयों की संख्या 6 करोड़ हो जाएगी, जिससे ब्रिटिश लोगों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। दूसरी ओर यदि वे सिक्ख धर्म ग्रहण करेंगे, तो वे अराष्ट्रीय नहीं बनेंगे और देश के भविष्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, इसलिए यदि धर्मांतरण करना ही है तो सिक्ख धर्म श्रेष्ठ है।

तीनों मतों की तुलना करते हुए बाबा साहेब ने कहा, 'यद्यपि इसलाम अछूतों को राजनीतिक, आर्थिक, समानता देने के लिए तैयार है, ईसाई मत के पीछे अमेरिका, इंग्लैंड एवं ब्रिटिशराज की असीमित धनराशि एवं शक्ति के साधन हैं, सिक्ख धर्म में अन्य मतों की तुलना में आकर्षण एवं राजनीतिक-आर्थिक लाभ कम हैं, फिर भी हिंदुओं के हित में वे सिक्ख धर्म को ही अधिक समझते हैं। यह हिंदुओं का कर्तव्य है कि कि वे नव-सिक्खों के मार्ग में आनेवाली आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने में सिक्खों का सहयोग करें।'

डॉ. मुंजे और शंकराचार्य सरीखे हिंदू नेताओं ने सोचा था कि यदि दलित धर्मांतरण

करने पर तुले हैं, तो हिंदू धर्म के लिए जो कम हानिकारक मार्ग है, उसे ही क्यों न स्वीकार किया जाए। परंतु महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय और सी. राजगोपालाचारी मूलत: धर्मांतरण के ही विरोधी थे। गांधी का मत था कि धर्म कोई मकान या कपड़ा नहीं, जिसे जब इच्छा हुई बदल डालो। उस धर्मांतरण से दलितों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अत: इन नेताओं ने अंबेदकर और डॉ. मुंजे के दलितों के सिक्ख धर्म में परिवर्तन के विचार का तीव्र विरोध किया। परिणामत: धर्मांतरण की आँधी कुछ समय के लिए ठहर गई।

आगामी 15 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण वर्ष थे। बाबा साहब दलितों को उनके राजनीतिक अधिकारों को आजाद भारत में संवैधानिक मान्यता प्रदान कराने में जी जान से लगे। उनके मंदिर प्रवेश में सहयोग और पानी भरने के अधिकार के लिए संघर्ष के बजाय आर्थिक उन्नति, शैक्षणिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता में सहभागिता की लड़ाई अधिक महत्त्वपूर्ण बन गई थी। एक अस्पृश्य आधुनिक मनु के रूप में हिंदू के धर्मांतरण की घोषणा को वे भूले नहीं थे।

इस दौरान बाबा अंबेदकर बुद्ध से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके विचारों पर वे पुस्तक भी लिखने में संलग्न थे। 1950 में कोलंबो बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस में डॉ. अंबेदकर ने हरिजनों के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का आह्वान किया। कोलंबो से लौटकर वर्ली के बुद्ध मंदिर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि ये जीवन के अंतिम क्षणों को बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण एवं प्रसार में व्यतीत करेंगे। वे 1954 के दिसंबर में तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए रंगून (अब म्याँमार में) गए।

अब तक बाबा साहब काफी थक चुके थे, यहाँ तक कि चलने में भी असमर्थ हो गए थे। अंतत: बाबा साहब ने 24 मई, 1956 को बुद्ध जयंती के दिन बंबई के नरे पार्क में ऐतिहासिक घोषणा की कि वे अपने अनुयायियों के साथ 14 अक्तूबर, 1956 को विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे।

पुन: देश में खलबली मच गई। एक बार पुन: बाबा साहब को रोकने के प्रयास हुए, परंतु बाबा साहब अडिग थे। इधर नागपुर के श्रद्धानंद पेठ के निकट 14 एकड़ विस्तृत भूखंड को इतिहास में परिवर्तित किया जा रहा था। गाँव-गाँव से लोगों के आने का सिलसिला जारी था। पैदल, रेल बेलगाड़ी से दीक्षा के लिए निश्चित सफेद वस्त्रों में 'बाबा साहब की जय, भगवान् बुद्ध की जय' के नारों की गूँज करते हुए लाखों लोग नागपुर में उमड़ रहे थे। विजयादशमी के दिन निर्धारित समय पर शंख फूँका गया।

शायद हिंदू धर्म को चेतावनी दी जा रही थी। बाबा साहब और उनकी पत्नी ने भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुककर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का संकल्प करते हुए प्राचीन हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया।

संपूर्ण महाराष्ट्र में धर्मांतरण का तूफान खड़ा हो गया। महारों (दलित) के गाँव के गाँव बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे। उन्हें पता था कि धर्मांतरण उनकी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु उनके सामने और कोई विकल्प नहीं बचा था।

नागपुर की दीक्षा भूमि से मिली चेतावनी को सवर्ण वर्चस्व वाला हिंदू समाज भूल गया। 'यह प्रश्न अपने आप से और अपने पूर्वजों से पूछो कि मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया?' बाबा साहब के इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक भारतीय को देना होगा। क्या अब भी इस देश के 12 करोड़ दलितों को हम गले से लगाने के लिए तैयार हैं?

□

सिख गुरुओं का बलिदान कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

सत्रहवीं सदी के प्रारंभिक दशक में जहाँगीर की बर्बरता ने गुरु अर्जुन देव का बलिदान लिया। इस क्रूर घटना ने इतिहास को नया मोड़ दे दिया। गुरु नानक ने सोलहवीं सदी की शुरुआत के साथ निर्गुण भक्ति के जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, वह कुछ दशकों के बाद ही सैनिक संप्रदाय में परिणत हो गया। गुरु अर्जुन देव की शहादत ने सिक्खों को तलवार उठाने के लिए बाध्य कर दिया। हुमायूँ, बाबर और अकबर की परंपरा को तोड़कर जहाँगीर ने अपनी कब्र स्वयं खोद ली। आगे का इतिहास हिंदू धर्म की रक्षा में सिक्खों के सतत संघर्ष की वीरगाथा जैसा है। 1699 ई. में बैसाखी के मेले में लाखों हिंदू एकत्र हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने विधर्मियों के बढ़ते अत्याचार और धर्म-रक्षा के लिए गुरु के उत्सर्ग का मार्मिक वर्णन कर जनता से सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने जन-सैलाब के सामने गर्जना की—'जीना है तो मरना होगा।' उनके समर्थन में शस्त्रों की झनकार से वातावरण गूँज उठा।

इस पृथ्वी पर कितनी ही जातियाँ आईं। इन जातियों-समाजों ने कुछ समय तक गर्व से सीना फुलाकर अपना प्रभुत्व फैलाया, किंतु शीघ्र ही पानी के बुलबुलों के समान मिट भी गए। 'यूनान, मिस्र, रोमाँ, सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामोनिशाँ हमारा', शायर इकबाल की यह पंक्ति हमारी सभ्यता की ताकत बयान करती है। एक समय था, जब ग्रीक सैनिकों के संचलन से धरती काँपा करती थी। संसार की प्रत्येक उपभोग वस्तु पर रोम का ध्वज लहराया करता था, किंतु जहाँ पहले सीजर राज्य करता था, आज वहाँ मकड़ियाँ जाला बुनती हैं। आखिर क्यों? और भारत? अनेक

शताब्दियों तक शत-प्रतिशत विदेशी आक्रमणों के आघातों को झेलने के बाद भी आज संसार की किसी भी चट्टान से अधिक दृढ़ता से अपने अक्षय पौरुष एवं अमर जीवन-शक्ति के साथ खड़ा है, आखिर क्यों?

इतिहास साक्षी है कि हिंदू धर्म घात-प्रतिघातों से सदैव और अधिक दृढ़ होकर ही निकलता है। इस सनातन धर्म की यह विशेषता है कि जब-जब उस पर आक्रमण हुए हैं, संघर्ष की ज्वाला में तपकर यह पहले की अपेक्षा अधिक निखरकर दुनिया के समक्ष प्रकट हुआ है, जब-जब धर्म की पाचनशक्ति कमजोर हुई है, उसने अपने गर्भ से नए-नए संप्रदायों, समाज-सुधारकों को पैदा कर स्वयं को बलिष्ठ करने का कार्य किया है। आक्रमणों से बचने के लिए हिंदुत्व ने कभी बौद्ध धर्म, तो कभी सिख धर्म का बाना पहनकर अपना रक्षण किया है। प्रारंभ में हिंदू विरोधी दिखनेवाले संप्रदाय भी आगे चलकर हिंदुत्व में ही विलीन हो गए। सिक्ख संप्रदाय की कहानी ऐसी ही बलिदानी परंपरा से सिंचित है।

नानक ने चलाया सिक्ख पंथ

भक्ति संप्रदाय के रूप में जिस मत की स्थापना हुई थी, उसे कालांतर में परिस्थितियों ने खड्ग धारण करने को बाध्य कर दिया। हिंदू-मुसलिम संस्कृति के साझा प्रतीक रूप में इस मत का विकास हुआ। दुनिया के संप्रदायों के इतिहास में 'खालसा पंथ' ने बलिदान की परंपरा कायम कर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया।

सन् 1469 में मेहता कालू की पत्नी तृप्ती देवी की कोख से तलवंडी नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जनमे नानक इस महान् संप्रदाय के प्रवर्तक प्रथम गुरु हुए। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् नानक खेती-व्यापार जैसे सांसारिक कार्यों में लगे, लेकिन जल्द ही उनका मन विरक्त होने लगा। सुल्तानपुर की बेन नदी में स्नान करते समय 1495 ई. में नानक को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ। उस कालखंड में यह देश मुसलिम आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। नानक ने दोनों धर्मों के बीच टकराव और हिंसा की जगह शांति, प्रेम और सौहार्द स्थापित करने का प्रयत्न किया। 1495 से 1530 ई. तक भारत के अतिरिक्त मक्का, बगदाद, चीन आदि देशों में जाकर नानक ने निराकार एक ईश्वर की परम भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचाया। उन्होंने एक ओंकार में आस्था का संदेश देने के साथ-साथ हिंदुस्तान की जाति प्रथा, सती प्रथा और दिखावटी संन्यास जैसी रूढ़ियों के खिलाफ आध्यात्मिक अभियान (जेहाद) छेड़ दिया।

हिंदू-मुसलिम दोनों नानक के शिष्य

गुरु नानक ने कहा कि सच्चा खंड ही मानव मात्र का अंतिम लक्ष्य है। यह

घोषणा करते हुए उन्होंने हजारों हिंदू और मुसलिम शिष्य बनाए। उन्हें छोड़ नानक 1538 ई. में परलोक सिधार गए। हिंदू और मुसलिम शिष्यों में गुरु की अंत्येष्टि को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कहा जाता है कि इस बीच जब कफन हटाया गया, तो नानक का पार्थिव शरीर गायब था। कफन के दो टुकड़े कर हिंदू-मुसलिम संस्कृति की एकता के प्रतीक गुरु नानक के शिष्यों ने अपनी-अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया।

गुरु अर्जुन (1581-1606) ने पंथ को बनाया राज्य

गुरु नानक ने 16वीं सदी के प्रारंभ में निर्गुण उपासना के लिए जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, वह 1581 तक हिंदू और मुसलिम, दोनों को आकर्षित करता रहा। किंतु धीरे-धीरे गुरुओं की महत्ता बढ़ती जा रही थी। सुदृढ़ वित्त व्यवस्था, मंत्री व्यवस्था के कारण सिक्ख राज्य के भीतर राज्य का निर्माण कर रहे थे। सिक्ख एक ताकत के रूप में उभर रहे थे। जहाँगीर ने गुरु अर्जुन की ताकत को देखकर किसी आनेवाले तूफान से आतंकित होकर कुछ कदम उठाने का निश्चय किया। वह मौके की तलाश में था। रामदासपुरा, गोंडवल, करतारपुरा, हरगोविंदपुर आदि क्षेत्रों में गुरु का एकच्छत्र राज्य था। गुरु अर्जुन बेताज बादशाह थे। हजारों लोग नित्य गुरु के दर्शन करने आते थे।

सत्ता के खेल में गुरु से विश्वासघात

जहाँगीर के जमाने में लाहौर के वित्त मंत्री चंदू शाह और अर्जुन देव के बड़े भाई प्रीति चंद्र गुरु के विरुद्ध जहाँगीर के कान पहले से फूँक रहे थे। 1606 ई. में जहाँगीर के पुत्र खुसरी ने विद्रोह करने के पश्चात् भाग कर गुरु अर्जुन की पनाह ली। यही पनाह गुरु की मौत का कारण बनी। इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हैं कि किस कारण से गुरु की हत्या की गई। यह भी कहा जाता है कि किसी ने जहाँगीर को यह बताकर गुमराह किया कि आदिग्रंथ में कुछ इसलाम विरोधी बातें हैं।

गुरु के स्पष्टीकरण के पश्चात् जहाँगीर ने मोहम्मद साहब की प्रशंसा में कुछ दोहे आदि ग्रंथ में जोड़ने का दबाव बनाया। गुरु ने जब इससे इनकार कर दिया, तब उन पर दो लाख जुरमाना किया गया। गुरु ने जुरमाना देने से भी इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि गुरु अर्जुन देव को यातना देकर क्रूर तरीके से उनकी हत्या की गई।

निर्गुण भक्ति से सैन्य संप्रदाय

सत्रहवीं सदी के पहले दशक में जहाँगीर की बर्बरता ने गुरु अर्जुन देव का बलिदान लिया। इस क्रूर घटना ने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। निर्गुण भक्ति का

संप्रदाय सैनिक संप्रदाय में परिणत हो गया। गुरु अर्जुन देव की शहादत ने सिक्खों को तलवार उठाने के लिए बाध्य कर दिया। हुमायूँ, बाबर और अकबर की परंपरा को तोड़कर जहाँगीर ने अपनी कब्र स्वयं खोद ली। आगे का इतिहास हिंदू धर्म की रक्षा में सिक्खों के सतत संघर्ष की वीरगाथा जैसा है। यातना, कष्ट, मौत सहकर भी जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, यह उन बलिदानियों की कहानी है। गुरु अर्जुन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके खून ने असर किया। परिवर्तन के लक्षण गुरु हरगोविंद की नई नीति में स्पष्ट परिलक्षित हुए।

आदिग्रंथ की रचना

इस महान् बलिदान के अतिरिक्त गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें पूर्व के समस्त गुरुओं की वाणी के अतिरिक्त कबीर, रविदास, नामदेव के दोहे भी संकलित थे। यह आदि ग्रंथ सिक्खों की गीता सिद्ध हुआ। अमृतसर के तालाब के निकट एक विशाल गुरुद्वारे का निर्माण कर गुरु अर्जुन देव ने सिक्खों के लिए एक नए प्रेरणा केंद्र, श्रद्धा केंद्र या तीर्थ की स्थापना की।

शस्त्र उठाने को मजबूर हुए सिक्ख

गुरु अर्जुन देव के बलिदान ने यह साफ कर दिया था कि अब यदि सिक्खों को जीवित रहना है, तो उन्हें तलवार उठानी पड़ेगी। काल के थपेड़े मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। हिंदू और मुसलिम, दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता नानक का निर्गुण पंथ एक बादशाह की धार्मिक असहिष्णुता के कारण सैन्यीकृत पंथ बनने लगा। आनेवाली सदियों तक दोनों संप्रदाय एक-दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। गुरु ने मृत्यु के पूर्व एक संदेश दिया था।

गुरु हरगोविंद के समय सिक्ख गुरु केवल आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक नहीं था, बल्कि वह एक सेनापति भी था। गुरु की कमर से मीरी-पीरी की दो तलवारें लटकने लगीं। हरमंदिर के निकट अकाल तख्त पर से घोषणाएँ होनी प्रारंभ हो गईं। सिक्ख गुरु अब फकीरों के कपड़े नहीं, सैन्यवेशधारी हो गए। शिष्य अब सैनिक में परिणत होने प्रारंभ हो गए।

मंदिरों-गुरुद्वारों में शुरू हुआ शस्त्र दान

भक्तिगीत के स्थान पर मंदिर-गुरुद्वारे शस्त्रों की खनखनाहट से गूँजने लगे। मंदिरों में फल और मिठाई नहीं, शस्त्र भेंट किए जाने लगे। सैनिकीकरण की जो प्रक्रिया हरगोविंद ने प्रारंभ की, उसे गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम परिणति तक पहुँचाया। अमृतसर

शहर को ऊँची दीवारों से घेर दिया गया। मंदिरों के स्थान पर दुर्ग बनने लगे।

जहाँगीर गुरु हरगोविंद के प्रयासों से आतंकित हो उठा। उसने उन्हें कैद कर लिया और वर्षों तक नजरबंद रखा। हजारों शिष्य कारा की दीवार को चूमकर चले जाते। जहाँगीर गुरु की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से परेशान था। जब वह बीमार पड़ गया, तब उसे भय हुआ कि कहीं सिक्ख आसफ खान से न मिल जाएँ।

गुरु तेग बहादुर (1664-1675)

सिक्खों के नौवें पथप्रदर्शक गुरु तेग बहादुर ने यद्यपि 1622 के अमृतसर युद्ध में भाग लिया था, किंतु उसके पश्चात् उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसी कारण गुरु हर राय के पुत्र होने के बाद भी उन्हें गद्दी पर मनोनीत नहीं किया गया। 1664 में गुरु हर कृष्ण ने मरते वक्त 'बाबा काला' शब्द का उच्चारण किया था। इसका अर्थ था कि अगला गुरु बकाला में है। जब सिक्ख बकाला पहुँचे, तो वहाँ पहले से 22 लोगों ने स्वयं को गुरु घोषित कर रखा था। किसी प्रकार लोगों ने तेग को खोजकर सच्चा गुरु घोषित किया। इस समय तक सिक्ख परंपरा कमजोर हो चुकी थी। गुरु पद के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। राम राय और अन्य कुछ लोगों ने गुरु तेग के घर पर हमला कर उनकी संपत्ति लूट ली। बकाला छोड़कर गुरु अमृतसर आए। यहाँ हरमंदिर का फाटक मसनदों ने बंद कर रखा गया था।

गुरु तेग को जब करतारपुर, आनंदपुर में राम राय आदि ने न छोड़ा तो वे पूर्वी हिस्सों की यात्रा पर निकल पड़े। पटना में अपने परिवार को छोड़ गुरु तेग बहादुर असम की यात्रा पर निकल पड़े। इसी पटना विराम में 1666 ई. में उनकी पत्नी ने गोविंद को जन्म दिया। असम से लौटकर गुरु पटना आए एवं परिवार सहित आनंदपुर चले गए।

औरंगजेब के जुल्म से हिंदू त्रस्त, सरेआम गोवध

यह वक्त औरंगजेब का था। सारी हिंदू रियासत औरंगजेब के जुल्मों से त्रस्त थी। पूजा-पाठ, त्योहारों, तीर्थ-यात्राओं पर पाबंदी थी। गाएँ सरेआम काटी जा रही थीं। गीता और दूसरे धर्मग्रंथों को पैरों तले कुचला जा रहा था। इसलाम कबूल करो या तलवार का सामना करो—यही दो विकल्प जनता के सामने थे। औरंगजेब ने हिंदुस्तान (दारूल हरब) को इसलाम में परिणत करने का निश्चय किया था। गुरु तेग बहादुर की ताकत इस जुल्म को भला कब तक बरदाश्त करती। जनता तबाह थी। नेतृत्व का अभाव था। कायरतावश लोग धड़ल्ले से इसलाम स्वीकार कर रहे थे। लगता था, औरंगजेब की धर्मांधता की बाढ़ में हिंदुत्व विलीन हो जाएगा। हिंदुओं की तलवार भोथरी हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि त्याग, बलिदान, संघर्ष की परंपरा समाप्त हो गई है।

दमन की रात में आशा की बिजली

कालिमा के इस घटाटोप में बिजली की चमक केवल गुरु तेग ही थे। आशा की किरण अभी शेष थी। कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग के पास आए। सारी परिस्थिति का कारुणिक वर्णन कर उन लोगों ने गुरु से मार्गदर्शन का आग्रह किया।

धर्मांतरण के विरुद्ध गुरु का बलिदान

गुरु तेग सारी परिस्थितियों से भिज्ञ थे। शांत हो गए। समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षण पश्चात् मौन टूटा। लगा—शायद अंतर्ज्ञान हुआ है। गुरु तेग ने गंभीर होकर कहा, देश किसी महापुरुष का बलिदान चाहता है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक-दूसरे का मुँह देख रहे थे। सन् 1675 की इस घटना के समय गुरु के नौ वर्षीय पुत्र गोविंद को आश्चर्य लगा कि कौन सी समस्या है, जो सब लोग स्तब्ध हैं। उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा—'पिताजी, आपसे महान् पुरुष कौन हो सकता है।' इस सच्चे वाक्य ने पिता गुरु तेग को बलिदान के लिए प्रेरित किया। एक बालक अपने पिता को बलिदान की सलाह दे रहा था। दुनिया के इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बालक की वाणी सुनकर गुरु तेग ने ब्राह्मणों से कहा, 'जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर तेग इसलाम कबूल कर लेगा तो हम भी इसलाम को स्वीकार कर लेंगे।'

इसलामीकरण की जबरदस्ती का विरोध

गुरु तेग समय की नब्ज पहचानते थे। उन्होंने समझ लिया था कि सोई-भयभीत जनता को बलिदान से ही जगाया जा सकता है और उसका प्रारंभ स्वयं के बलिदान से करना पड़ेगा। हथेली पर मौत को रखकर, समाज को जाग्रत् करने, मुरदा समाज में प्राण और पराक्रम फूँकने गुरु तेग दिल्ली दरबार में पहुँचे। औरंगजेब प्रसन्नचित था। एक को इसलाम कबूल कराया तो लाखों लोग इसलाम कुबूल कर लेंगे। सौदा होने लगा। धन, ऐश्वर्य के प्रलोभन से शुरुआत हुई, पर गुरु अडिग रहे। उन्होंने इसलाम कबूल करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने गर्जना की—या तो चमत्कार करो अन्यथा इसलाम कबूल करो।

सर दिया, पर सार न दिया

गुरु तेग ने एक कागज का टुकड़ा अपने गले में बाँध मुगलों से कहा, 'अब तलवार तो क्या, दुनिया के सारे शस्त्र भी मुझको नहीं काट सकते।' कागज का टुकड़ा मुगल सल्तनत की मौत का फरमान था। तलवार का एक वार गुरु की गरदन अलग कर देने के लिए पर्याप्त था। दिल्ली के चाँदनी चौक पर लाखों लोग इस चमत्कार को देखने

को एकत्र थे। कागज का टुकड़ा खोला गया। उस पर लिखा था—'सर दिया, पर सार न दिया।' इसके बाद गुरु तेग बहादुर को भी बड़ी क्रूरता के साथ सरेआम मार डाला गया।

इस मृत्यु से पहले गुरु ने कागज के टुकड़े पर जो महामंत्र लिखा, उसने हिंदुओं के रक्त को खौला दिया। पूरे पंजाब में खलबली मच गई। औरंगजेब कुछ समझ न सका। गुरु के बलिदान के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य को समझाया गुरु गोविंद ने, जिसे तेग ने बलिदान के पूर्व संदेश दिया था। मेरे शरीर को अपवित्र होने से बचाना, उसका अंतिम संस्कार कर, खून का बदला अवश्य लेना। पंजाब में रणभेरियाँ बजनी प्रारंभ हो गईं। गुरु हर गोविंद ने सैनिकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसे पूर्णता तक पहुँचाया गुरु गोविंद सिंह ने।

सैनिकीकरण और खालसा पंथ की स्थापना

गुरु हरगोविंद के सैनिकीकरण की प्रक्रिया बीच में खंडित हो गई थी। गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने हिंदुओं को युद्ध और बलिदान के लिए प्रेरित कर दिया। फिर से एक बार मंदिरों में शस्त्रों के चढ़ावे चढ़ने लगे। शब्दकोश से स्त्रीलिंग शब्दों को निष्कासित कर दिया गया। रोटी रोटा हो गया और प्याज प्याजा हो गया। हिंदुओं की कायरता, कमजोरी को समाप्त कर उन्हें मुगलों से लड़ने योग्य एक लड़ाकू कौम में परिणत करने के उद्देश्य से गुरु गोविंद सिंह ने नानक की लीक से हटकर 'खालसा पंथ' की स्थापना की। गुरु गोविंद ने कबूतरों को बाज से लड़ाने का संकल्प लिया था। सिंहों का निर्माण हो रहा था। वर्षों से भोथरे पड़े शस्त्रास्त्रों की धार तीक्ष्ण की जाने लगी।

गुरु की क्रूर हत्या, शव कुत्ते-चील के हवाले

गुरु तेग के शरीर को दिल्ली से वापस सुरक्षित लाने की समस्या थी। एक बूढ़े बाप और उसके युवा बेटे ने गुरु तेग के क्षत-विक्षप्त शरीर को दिल्ली से लाने का संकल्प लिया। जब बाप-बेटा दिल्ली पहुँचे तो चाँदनी चौक के बाजार में गुरु तेग के मृत शरीर को कुत्ते, चील, गिद्ध नोच रहे थे। उनके शरीर को कड़े पहरे में नुचवाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया था, ताकि जनता देख सके कि मुसलिम सल्तनत का विरोध करने का परिणाम क्या होता है। बाप-बेटे मिलकर गुरु के शरीर को मुक्त करने की योजना बनाने लगे। अंत में तय हुआ कि रात्रि के पहर में यदि किसी दूसरी लाश को क्षत-विक्षत कर उसी स्थान पर रख दिया जाए, ताकि सिपाही संशय न कर सकें, तभी लाश की मुक्ति संभव है। दूसरी लाश आती कहाँ से? गुरु तेग की मौत बाप-बेटे की आँखों के सामने दौड़ रही थी।

पिता-पुत्र में बलिदान की होड़

बूढ़े बाप ने समस्या का समाधान किया। स्वयं को बलिदान के लिए अर्पित कर दिया। इधर बेटा भी तैयार था। बाप-बेटे में बलिदान के लिए संघर्ष होने लगा। बाप ने कहा—मुझे आज नहीं तो कल मरना ही है, जीवन के उतरार्द्ध पर हूँ, तेरा अभी सारा जीवन शेष है, समाज तुझसे आशा लगाए बैठा है, मैं तो अब बूढ़ा हो चला, जीवित भी रहा तो यह शरीर अब समाज क लिए अनुपयोगी है, अत: मुझे मारकर गुरु के स्थान पर रख दे। जीवन के अंतिम क्षणों में गुरुभक्ति का एक ही मौका तो मिला है, बेटे ने बाप की बात सुनकर स्वयं के बलिदान के पक्ष में तर्क देना प्रारंभ कर दिया। घंटों बाप-बेटे वाक्युद्ध करते रहे। अंत में बेटे ने बाप को अपने हाथों मारकर शरीर को क्षत-विक्षत कर, रात्रि के अंधकार में शरीर को उस स्थान पर रख दिया, जहाँ गुरु तेग का पवित्र शरीर पड़ा था।

अनाम शहीदों को भूल गया इतिहास

इतिहास भले ही इन अनाम शहीदों को भूल गया हो (और उन्हें तो याद किए जाने की अपेक्षा भी नहीं थी), किंतु बूढ़े बाप ने अपने कर्तव्य का पालन किया। बेटे का हाथ बाप की हत्या करते समय काँपा नहीं, क्योंकि वह तो समाज के हित में यह कार्य कर रहा था। ऐसे समाज को अब कौन गुलाम बनाकर रखा सकता था, जिसके जन-जन में बलिदान की भावना संचारित हो रही थी। पूरा समाज बलिदान को उद्यत हो रहा था।

गुरु की चिता की आग से झुलसी सल्तनत

गुरु तेग के पार्थिक शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता से निकली लपटों में सारी मुगल सल्तनत झुलस गई। उनके शरीर के रक्त का टीका ग्रहण कर सिक्खों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को न्योछावर करने का संकल्प लिया।

गुरु गोविंद सिंह ने मुरदा जाति में प्राण फूँक दिए। समय आ गया था। यह जानने का कि समाज बलिदान हेतु कितना उद्यत हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जीते-जी पिता के बलिदान का बदला लेना चाहते थे।

गुरु गोविंद सिंह का उदय

1699 ई. में बैसाखी के मेले में लाखों हिंदू एकत्र हुए। गुरु गोविंद सिंह ने तत्कालीन इसलामी राज में मुसलिमों के बढ़ते अत्याचार और हिंदू धर्म की रक्षा में गुरु के बलिदान का जिक्र कर समाज के लिए प्राणोत्सर्ग करने का जनता से आह्वान किया। उन्होंने जन-सैलाब के सामने गर्जना की—'जीना है तो मरना होगा।' उनके समर्थन में

शस्त्रों की झनकार से वातावरण गूँज उठा। गुरु गोविंद ने त्रस्त जनता से कहा—कल रात्रि मैंने स्वप्न देखा है। माँ दुर्गा रक्त की प्यासी हो चली है। वह रक्त चाहती है। है कोई जो देश, धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग कर सके।

सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक-दूसरे का मुँह ताक रहे थे। दयाराम आगे बढ़ा। गुरु उसे खेमे के भीतर ले गए। कुछ ही क्षणों में छप की आवाज हुई, रक्त की धार खेमे से निकलकर बाहर तक चली आई। सन्नाटा और गहन हो गया। गुरु ने पुनः आह्वान किया, अभी तो एक हुआ है, चार और चाहिए। एक-एक कर चार हिंदू आगे बढ़े। छप-छप की आवाज के साथ रक्त का नाला बह उठा। उसके बलिदान की परीक्षा में समाज उत्तीर्ण हुआ। गोविंद का स्वप्न साकार हो रहा था। उन्होंने खेमे से पाँचों हिंदुओं को जीवित बाहर लाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये पाँचों गुरु के 'पंच प्यारे' कहलाए।

अग्नि-परीक्षा में सफल हुए हिंदू

गुरु तो केवल जनता की परीक्षा लेना चाहते थे। जिनकी बदौलत वे धर्म रक्षा का सशस्त्र संघर्ष करनेवाले थे, उनकी ताकत कितनी है, उसे देखना चाहते थे। अग्निपरीक्षा में हिंदू सफल रहे। मनुष्य के स्थान पर बकरे काटे गए। गुरु के नए घोष 'वाहे गुरुजी दा खालसा, वाहे गुरुजी दी फतह' से सारा आकाश गूँज उठा। एक बड़े कड़ाहे में पाँच तरह की मिठाइयों को पानी में डालकर तलवार से विलोपित किया गया। जननी आनंद साहिब जय साहिब के दोहों से वातावरण गुंजित हो उठा। तलवार से इस पवित्र अमृत को, जिसे खंड का पाहल कहा गया, पंच प्यारों पर छिड़ककर उसका पान करा उन्हें नए पंथ (खालसा) में दीक्षित किया गया।

गुरु नानक का भक्ति संप्रदाय सैनिक खालसा में परिणत हो गया। खालसा यानी पवित्र, शुद्ध आदमियों का यह संगठन था, जो प्राणों की कीमत नहीं जानता, खालसा धर्म के पुरुषों ने अपने नाम के आगे सिंह जोड़ दिया। पाँच ककार—केश, कटार, कच्छ, कड़ा और कंघा प्रत्येक सिक्ख के लिए अनिवार्य कर दिए गए। खालसा धर्म ने तुर्कों यानी आततायी और आक्रमणकारी मुसलमानों को भारत से बाहर करने का संकल्प लिया।

गुरु की सेना तैयार

हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनी सिक्ख सेना (खालसा पंथ) में निम्न जातियाँ बड़ी संख्या में सम्मिलित होने लगीं। खालसा का उद्देश्य था—धर्म, संस्कृति, देश की रक्षा के लिए हिंदुओं को उद्यत करना। हिंदू धर्म की रक्षा का दूसरा नाम 'सिक्ख धर्म' हो गया।

सन् 1699 में खालसा धर्म की स्थापना के पूर्व गुरु गोविंद सिंह ने अनेक युद्धों के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला था कि यदि हिंदुओं को सैनिक तौर पर संगठित किया जाए, तो हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है। उनकी बढ़ती ताकत से आतंकित होकर 1668 ई. में बिलासपुर के राजा भीम चंद्र और श्रीनगर के राजा फतेह सिंह ने गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। भदानी के इस युद्ध में गुरु की फौज विजयी हुई।

भदानी की विजय से उत्साहित हो गुरु ने आनंदपुर, लौहगढ़, केशगढ़ और फतेहगढ़ में किलों का निर्माण कराया। पहाड़ी राजा ने गुरु गोविंद सिंह की बुद्धिमत्ता, शूरवीरता से प्रभावित होकर मुगलों को वार्षिक शुल्क देने से इनकार कर दिया। सर-हिंद के नवाब तथा पहाड़ी राजाओं से गुरु गोविंद सिंह की फौज का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें गुरु की फौज पुन: विजयी हुई।

औरंगजेब की सेना को दी शिकस्त

औरंगजेब को जब गुरु की शक्ति का आभास हुआ तो उसने इस उभरती हुई ताकत को कुचलने के लिए युवराज मुअज्जम के नेतृत्व में एक विशाल सेना को गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध भेजा। मुगल सेना ने आनंदपुर को लूटना प्रारंभ कर दिया। गुरु गोविंद की सेना मुगलों के सामने टिक नहीं पा रही थी, गोविंद ने एक कुशल योद्धा के समान लड़ने के बजाय जंगलों में शरण ले ली। इसी बीच भाई नंदलाल के आग्रह पर युवराज मुअज्जम गुरु से प्रभावित हो बिना युद्ध किए ही लौट गया।

जीत-हार के बीच इन युद्धों ने गुरु गोविंद सिंह को नए नायक और सिक्खों को नए खालसा धर्म में परिणत करने को बाध्य कर दिया। पिता का बलिदान, उसके अंतिम शब्द गोविंद के कानों में गूँज रहे थे। वे केवल समय की प्रतीक्षा में थे। इन दोनों युद्धों में गुरु ने हिंदुओं की ताकत आँक ली थी। परिणाम हुआ—1699 ई. में खालसा पंथ की स्थापना।

गुरु गोविंद को हिंदुओं से भी लड़ना पड़ा

इस देश की कैसी विडंबना है कि यहाँ के कई ताकतवर लोगों ने स्वार्थ में अंधे होकर विदेशी आक्रमणकारियों का काम आसान किया। जो मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए पिता का बलिदान देकर स्वयं को भी आहूत करने को तैयार था, उसका भी इस समाज के कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। मुगलों से युद्ध करने के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह को हिंदुओं से भी संघर्ष करना पड़ा।

बिलासपुर के राजा भीम सिंह और अन्य पहाड़ी राजाओं ने खालसा पंथ की स्थापना से अपनी सत्ता पर संकट को भाँपकर गुरु पर आक्रमण कर दिया। गुरु विवश

थे। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब हिंदू आपस में टकराए तो देश पराजित हुआ। पराजय का कारण विदेशी नहीं, हमारे स्वजातीय-स्वधर्मी ही बने।

1701 में आनंदपुर के इस युद्ध में नवस्थापित खालसा, हिंदुत्व की रक्षा हेतु स्थापित खालसा का युद्ध पहाड़ी हिंदू राजाओं से हुआ। पहाड़ी राजाओं ने लाहौर और सरहिंद की मदद ली, फिर भी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई।

मुगलों के लिए चुनौती बने गुरु

गुरु की ताकत मुगलों के लिए चुनौती बन चुकी थी। औरंगजेब की ओर से अमीर खान, नजनात खान, वहीद खान आदि सरहिंद के नवाब की सहायतार्थ भेजे गए। शहंशाह का आदेश था सिक्खों को कुचलने का। निर्णायक युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं।

आनंदपुर के किले को मुगलों ने घेर लिया। सिक्खों की संख्या कम थी, किंतु धर्म की रक्षा का संकल्प और गुरु का बलिदान उनको प्रेरित कर रहा था। किले की आपूर्ति व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। सिक्ख भूखों मरने लगे। 40 सिक्खों ने अंतिम समय में गुरु का साथ छोड़ दिया। युद्ध जारी रखने की क्षमता अब सिक्खों में नहीं थी। मुगलों के हाथ पकड़े जाने की अपेक्षा निकल भागना श्रेयस्कर था।

युद्ध के उन कठिन क्षणों में अव्यवस्था फैल गई। गुरु किले से निकल गए। आनंदगढ़ मुगलों के कब्जे में था। गुरु और उनके अनुयायी सिक्खों का पीछा किया गया। उसी समय गुरु के दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता से बिछुड़ गए।

पुराने नौकर की दगाबाजी भारी पड़ी

गुरु के पुराने नौकर गंगू ने गुरु को दगा देकर लालच में (पैसे के) दोनों बच्चों को सरहिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया।

गुरु गोविंद के मासूम बच्चे मुगलों की कैद में थे। तेगों के साये में पलकर जवाँ हुई कौम के बच्चों में भी शौर्य कम न था। नौ और सात वर्ष के फतेह, जोरावर पर जुल्मों के पहाड़ टूट पड़े। इसलाम या तलवार, ये दो ही विकल्प थे। सरहिंद के नवाब ने सोचा था, बच्चों को आतंकित कर इसलाम कबूल करवा लूँगा। उसे क्या मालूम, इन सिंहों की शिराओं में किनका रक्त प्रवाहित हो रहा है। जिन बच्चों के पिता को अपने पिता का बलिदान देने में संकोच नहीं हुआ, उसके पुत्र क्या तलवार से डर जाएँगे। वह मनुष्य क्या, जिसे दुनिया झुका दे। वह पहाड़ क्या, जो हवा के झोंकों से झुक जाए, वो नदी क्या, जिसका पथ चट्टानें रोक दें।

दीवार में जिंदा चुन दिए गए गुरु के लाल

गुरु के दो लाल फतेह और जोरावर हिंदू बने रहने के लिए हिमालय के समान अटल थे। उन्हें तरह-तरह से आतंकित किया गया, प्रलोभन दिया गया। किंतु गुरु के बच्चों ने बलिदान की परंपरा का निर्वाह किया। हिंदुत्व के मुख पर कालिख नहीं पुतने दी। नहीं तो इतिहास कहता, जिस गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्राण देने में संकोच नहीं किया, उसके पुत्र तलवार के सामने झुक गए। फतेह और जोरावर की आँखों के सामने गुरु तेग का बलिदान और औरंगजेब का अत्याचार घूम गया।

अत्याचार और सामने खड़ी मौत के बावजूद गुरु के बच्चों ने मुसलमान बनने से इनकार करते हुए जो जवाब दिए, वे रोंगटे खड़े करनेवाले हैं। कहा, 'मुसलमान? नहीं, नहीं, मर जाऊँगा, किंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ूँगा। इसलाम कबूल करने से तो स्वधर्म के लिए प्राण देना श्रेयस्कर है।'

बच्चों को जिंदा दीवार में चुनने का आदेश देनेवालों का दिल नहीं पिघला। एक-एक कर ईंट रखी जाने लगी। ईंट की ऊँचाई के साथ मौत की ऊँचाई कम होती जा रही थी। बार-बार पूछा जाता—'इसलाम कुबूल है?' मरते दम तक मासूमों का दृढ उत्तर एक ही रहा—'नहीं, नहीं, नहीं, मैं हिंदू हूँ। हिंदू हूँ।'

छोटे भाई के पहले शहीद होने पर आए आँसू

मौत की तरफ बढ़ती हर ईंट के साथ बच्चों से पूछा जाता—'बोल, इसलाम कबूल है?' ईंट जोरावर की नाक तक पहुँच गई। अगली ईंट में सर पार था। फतेह की आँख में आँसू आ गए। नवाब ने अट्टहास किया, आखिर रास्ते पर आ गया, मौत से घबड़ा गया काफिर! किंतु सरहिंद के नवाब को क्या मालूम था कि ये वे हिंदू बालक हैं, जिनके पूर्वजों ने रक्त देकर धर्म के पौधे को सींचा है। जिनके पूर्वजों ने सर दिया, पर सार नहीं दिया। फतेह के आँसू मौत से डर के आँसू नहीं, बल्कि बलिदान की आकांक्षा के आँसू थे। फतेह ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख! तू हिंदू रक्त को नहीं पहचानता। ये आँसू मौत के गम के नहीं हैं, मुझे तो दु:ख इस बात का है कि इस भूतल पर पहले मैं अवतीर्ण हुआ। अब मुझे पहले विदा होना चाहिए था, किंतु मुझसे पहले मेरा भाई मेरी आँखों के सामने से विदा हो रहा है।' फतेह सिंह की वाणी सुन मुगल चौंक गए। मौत जिसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, उसके मुख से ऐसे शब्द! धीरे-धीरे ईंटों की दीवार सिर को पार कर गई।

इतिहास की बेमिसाल शहादत

मासूम बच्चों को दीवार में चुनने में विधर्मियों के हाथ तक नहीं काँपे, किंतु

इसकी परवाह किसको? सरहिंद के नवाब का अट्टहास मौत के अट्टहास में विलीन हो गया। दुनिया की सारी शहादतें इन हिंदू बच्चों के समक्ष नतमस्तक हो गईं। बलिदान की ऐसी कहानी इतिहास के पन्नों पर खोजने पर नहीं मिलती। ऐसे बहादुरों, बलिदानियों की बदौलत ही तो हिंदू समाज आज तक टिका है। अन्यथा मान सिंह, जय सिंह के भरोसे तो हिंदू समाज कब का रसातल चला गया होता। धन्य हैं, गुरु गोविंद, जिन्होंने ऐसे सिंहों को पैदा कर आनेवाले इतिहास का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

जब-जब तलवार की बदौलत विदेशी संस्कृति, धर्म किसी दूसरे देश पर लादने का प्रयास किया जाएगा, तब-तब फतेह और जोरावर के बलिदान मानव मात्र के लिए पाथेय सिद्ध होंगे।

दोनों छोटे बच्चों के बलिदान का संताप गहरा था। यह संदेश पाकर गुरु गोविंद की माँ स्वर्ग सिधार गईं। मरने से पूर्व उसने अपने बहादुर पौत्रों के बारे में कहा था, 'बेटो, घबराओ मत, तुम्हारी सेवा के लिए मैं आ रही हूँ।' धन्य है वह परिवार, वह वंश, जिसका प्रत्येक प्राणी समाज के लिए चरम बलिदान देने को प्रस्तुत हो।

विचलित नहीं हुए गुरु गोविंद सिंह

अपने दोनों बच्चों के बलिदान से गुरु तनिक भी विचलित नहीं हुए। मुगल उनका पीछा कर रहे थे। 1704 ई. में चमकौर के मैदान में पुनः घमासान युद्ध हुआ। गुरु के साथ मात्र 40 सिक्ख थे, दूसरी ओर मुगलों की विशाल सेना। घमासान युद्ध हुआ। 40 सिक्खों ने हजारों मुगलों को काट डाला। आखिर कब तक टिकते। गुरु के दो बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह ने भी वंश-परंपरा के अनुसार युद्ध-क्षेत्र में विधर्मियों से लड़ते-लड़ते प्राणोत्सर्ग किया।

दुनिया के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह एक ऐसा नाम है, जिसके समक्ष दुनिया के सारे बलिदान छोटे पड़ जाते हैं। पिता ही नहीं, चारों पुत्रों का बलिदान भी उनके चेहरे पर शिकन न ला सका। हँसते-हँसते उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं धन्य हो गया। तब उनकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो, पिता का बलिदान कराया, चारों पुत्र बलिवेदी पर चढ़ गए, किंतु फिर भी तुम उस धर्म की रक्षा में लगे हो, जिस धर्म के लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया। अब वंश की परंपरा को कौन चलाएगा? गोविंद ने कहा था—

'वंश नहीं चलता पुत्र के चलाने से
चलती मर्यादा वंश की,
दे आशीष यह दूर जब निकल जाएगा,
तेरे भी माथ उजत जाएगा निभाने से।'

ठीक ही है, वंश तो पशुओं की तरह हजारों मनुष्य भी चलाते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वंश चलता है, किंतु गोविंद तो उस वंश में पैदा हुए थे, जिसकी परंपरा ही बलिदान की थी।

हर देशभक्त हिंदू गुरु का वंशज

भले ही गुरु गोविंद सिंह का जैविक वंश उनके पश्चात् ही समाप्त हो गया, किंतु प्रत्येक देशभक्त हिंदू गुरु गोविंद सिंह का ही वंशज है, उनकी ही परंपरा का है। गुरु गोविंद सिंह का वंश कभी समाप्त नहीं होगा। जब-जब समाज पर अत्याचार, अनाचार, विधर्म बढ़ता है, तब-तब गुरु गोविंद सिंह की परंपरा पुनर्जीवित हो उठती है। पुत्रों के बलिदान से दुखी माता को गुरु ने कहा था—

इन पुत्रजन के सीस पर, वार किए सुत चार।
चार मुए तो क्या हुए, जीवित कई हजार॥

चमकौर की पराजय के पश्चात् भी गुरु गोविंद निराश नहीं हुए। निराशा के क्षणों में भी जिसे आशा की चमक दिखाई पड़े, वही तो गुरु गोविंद सिंह है। मुगल पीछा करते रहे। गोविंद जंगलों में चले गए।

गुरु का अंतिम युद्ध फिरोजपुर में

गुरु गोविंद की जिंदगी का अंतिम युद्ध 1706 ई. में फिरोजपुर के निकट खिदराना में हुआ। आनंदपुर के युद्ध में जिन 40 सिक्खों ने गुरु को धोखा दिया था, वे पुनः गुरु से आ मिले। खिदराना के युद्ध में सिक्खों ने मुगलों को गहरी शिकस्त दी, बहादुरी से प्रभावित हो इनकी दगाबाजी को माफ कर दिया और खिदराना का नाम 'मुक्सर' पड़ गया।

खिदराना विजय के पश्चात् गुरु गोविंद सिंह तलवंडी सानो पहुँचे, जहाँ वर्षों बाद उनकी अपने परिवार से भेंट हुई। चारों पुत्रों का बलिदान सुन पत्नी घबरा उठी। गोविंद ने पत्नी से इतना ही कहा कि चिंता क्यों करती हो। चारों पुत्र गए तो क्या हुआ, ये हजारों सिक्ख भी तो तेरे ही पुत्र हैं। अच्छा हुआ, ईश्वर की अमानत हमने जीते जी वापस कर दी।

गुरु गोविंद सिंह केवल एक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, अन्याय के विरुद्ध योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने विचित्र नाटक, जय साहिब आदि काव्यों की रचना की। आदि ग्रंथ को अंतिम रूप देकर गोविंद सिंह ने फारसी में औरंगजेब को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जाफरनामा' भेजी, जिसमें औरंगजेब की नीतियों की भर्त्सना करते हुए सिक्खों के मुगल सल्तनत के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष को उचित करार दिया गया है।

1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ गोविंद सिंह के संबंध काफी सुधर चुके थे। गुरु गोविंद सिंह भी अपनी आयु के उतरार्द्ध में थे। किंतु अंतिम क्षण तक समाज को संघर्ष की प्रेरणा देते रहे। उन्हीं दिनों गुरु नांदेड नामक स्थान पर विश्राम कर रहे थे।

गुरु की ज्योति आज भी प्रेरक

एक पठान, जिसे युद्ध के मैदान से लाकर गुरु ने पाल-पोसकर बड़ा किया था, अचानक उसने गुरु की काँख में छुरिका भोंक दी। गुरु ने तत्काल छुरे को निकाल भागते हुए पठान पर वार किया। छुरा उसकी पीठ में लगा और वह वहीं गिर पड़ा। गुरु का घाव गंभीर था। बचने के आसार कम थे। 7 अगस्त, 1708 को गुरु गोविंद धर्म रक्षा करते हुए अपनी बलिदानी परंपरा में विलीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह चले गए, लेकिन गुरु ने जो ज्योति प्रज्वलित की थी, जो उत्सर्ग की परंपरा कायम की थी, वह आज भी प्रेरणादायी है। आज भी यदि किसी जाति को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करना हो, तो उसे सिक्ख गुरु की ज्योति में अपना मार्ग खोजना होगा।

□

क्रांतिकारियों का स्मरण आधी रात में अस्त हुआ क्रांति का सूर्य···

16 फरवरी, 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिये गए। महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त और मणि दत्त को छोड़ शेष पाँच भी पकड़ लिये गए। गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर भयंकर जुल्म ढाए गए। महिला क्रांतिकारी कल्पना भी तीन महीने बाद पकड़ ली गईं। उन्हें आजन्म कारावास की सजा मिली और सूर्यसेन को आधी रात को फाँसी दे दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शौर्य की जो चमक इतिहास के पन्नों पर दर्ज की गई है, उसमें एक किरण सूर्यसेन और उनके बहादुर साथियों के बलिदान की भी है। स्वाधीन भारत की हर पीढ़ी को ऐसे पराक्रमी सूर्यसेनों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिनके चरम उत्सर्ग ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त सुनिश्चित कर दिया।

ब्रिटिश सरकार को चुनौती देनेवाले क्रांतिकारियों में मास्टर दा के नाम से विख्यात सूर्यसेन चटगाँव (अब बँगलादेश में) के छात्र-नेता थे। अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने के बाद वे पकड़े गए। अर्द्धरात्रि के अँधेरे में जेल के भीतर ही उन्हें फाँसी के फंदे पर लटका दिया गया। 1932-34 के उस कालखंड में संपूर्ण देश, विशेषकर बंगाल में चलनेवाली क्रांतिकारी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में ही सूर्यसेन के योगदान को ठीक प्रकार से आँका जा सकता है।

18वीं शताब्दी का अंत भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ काल है, जिसका केंद्र शिवाजी का (महाराष्ट्र) था, किंतु शीघ्र ही यह पूर्व की ओर बढ़ने लगा और 1905 के बंग-भंग ने अग्नि में घृत का कार्य किया। संपूर्ण बंगाल वंदे मातरम् से गूँजने लगा। स्थान-स्थान पर क्रांतिकारी नौजवानों के समूह ब्रिटिश सत्ता से टकराने को आतुर थे।

अलीपुर षड्यंत्र के मुकदमे की चर्चा ने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुँचा दिया।

सन् 1918 में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद क्रांतिकारी आंदोलन के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। एक ओर पुरानी विफलताओं का कटु अनुभव, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक असहयोग आंदोलन के द्वारा एक वर्ष में पूर्ण स्वराज्य की धूम मची थी। समस्या यह थी कि किस प्रकार सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाया जाए।

सूर्यसेन का उदय

बंगाल के क्रांतिकारियों ने एक नई तरकीब सोची। अहिंसक कांग्रेस में प्रवेश कर हिंसक आंदोलन की तैयारी की जाने लगी। जल्द ही समस्त कांग्रेस कमेटियाँ क्रांतिकारियों के प्रभाव में आ गईं। सुभाष बोस जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समर्थन के लिए क्रांतिकारियों पर ही निर्भर थे। इसी पृष्ठभूमि में चटगाँव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता के रूप में सूर्यसेन का उदय होता है।

क्रांति के प्रारंभिक चरण में शस्त्रों की खरीद-फरोख्त के लिए इन्हें डकैती से धन जुटाना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी डकैती थी सरकारी धन की डकैती। रेलवे फैक्टरी के हड़ताली मजदूरों को वेतन देने के लिए सरकार ने करीब 17,000 रुपए भेजे थे, उसे इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। दुर्भाग्यवश, नागरखाला पहाड़ी पर सारे क्रांतिकारी पुलिस द्वारा घेर लिये गए। बचने का कोई उपाय न देख पुलिस के हाथों पड़ने के बजाय मौत का वरण करने के लिए सूर्यसेन और उनके दो साथियों ने जहर खाने का निश्चय किया, लेकिन जहर भी धोखा दे गया। सूर्यसेन पुलिस की गिरफ्त में पड़ गए। शेष फरार हो गए। इसके बाद इन लोगों ने तय किया कि आंदोलन के लिए जरूरी धनराशि वे स्वयं अन्य स्रोतों से एकत्र करेंगे।

अधिकांश धन कलकत्ता के बाजारों में चला जाता था, जहाँ खतरे के बावजूद हर प्रकार के शस्त्र उपलब्ध थे। इस कार्य में अनंत सिंह अत्यंत उपयोगी थे, किंतु शीघ्र ही पुलिस ने इसका रहस्य पा लिया। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चटगाँव लाया गया, जहाँ उनके अतिरिक्त सूर्यसेन तथा अन्य क्रांतिकारियों पर पहाड़तली डकैती का मुकदमा चलाया जा रहा था। दूसरी तरफ कारावास में ही शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों की व्यवस्था कर मुक्ति का प्रयास चल रहा था। इस बीच इन्हें सजा से मुक्त कर दिया गया, जिससे इनका मनोबल बढ़ गया। ये फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए, लेकिन उन्हें पुन: गिरफ्तार कर लिया गया। 1928 ई. में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी उदार छवि बनाने के लिए क्रांतिकारियों को फिर मुक्त कर दिया।

गांधी और कांग्रेस से मोह भंग

बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों पर कांग्रेस के इस अधिवेशन का अत्यंत दूरगामी परिणाम हुआ। सुभाषचंद्र बोस ने जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, तो गांधीजी ने इसका विरोध कर दिया। इससे क्रांतिकारियों का कांग्रेस के प्रति विश्वास टूटने लगा। उन्हें कांग्रेस के तरीके से आजादी प्राप्त करने की संभावना पर शंका होने लगी। सारे हिंदुस्तान से एकत्र होकर क्रांतिकारियों ने स्थिति का विश्लेषण किया और नए सिरे से भविष्य की रूपरेखा तय की। चटगाँव का क्रांतिकारी दल शीघ्र कारवाई करने का निश्चय कर घर लौटा। शहर के तमाम नौजवानों को क्रांति की शिक्षा दी जाने लगी। चटगाँव का राजनीतिक वातावरण गरम हो चला। आयरिश विद्रोह का दिन, यानी 18 अप्रैल, 1930 को संघर्ष के लिए चुना गया।

बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस लाइन पर हमला

18 अप्रैल, समय 10 बजे दिन। इसी समय को सशस्त्र विद्रोह के लिए शून्य काल चुना गया था। यही समय था ब्रिटिश सल्तनत के विरुद्ध फूँकी जानेवाली रणभेरी की गूँज का। लोकनाथ बादल, निर्मल सेन, अनंत सिंह और गणेश घोष पर आक्रमण करने की जिम्मेवारी थी। पहाड़ताली पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे नरेश, तो अंबिका चक्रवर्ती और उनके सहयोगी शून्य काल से 5-6 मिनट पूर्व संचार व्यवस्था को ध्वस्त करनेवाले थे। दलों का काम बँट चुका था। इंतजार था तो केवल शून्य काल का। आठ अन्य नौजवान रेल पटरियाँ उखाड़ने जा चुके थे। इसके तुरंत बाद समस्त नौजवान स्वतंत्रता की घोषणा करने पुलिस लाइंस में एकत्र होनेवाले थे। फिर पोस्ट ऑफिस को हस्तगत कर और कारागारों का प्रवेश द्वार खोलकर वे समस्त नौजवानों से हिंदुस्तान रिपब्लिक सेना में भरती होने का आह्वान करनेवाले थे।

ठीक 9.55 पर (अप्रैल 1930) दूरभाष केंद्र पर हमला हुआ। मिनटों में पूरा भवन जलकर खाक हो गया। पूरी दुनिया से चटगाँव का संबंध कट चुका था। अगले आक्रमण का केंद्र था शस्त्रागार। कुछ ही क्षणों में सैनिक शस्त्रागार क्रांतिकारियों के कब्जे में था। क्रांतिकारी सरकार के अध्यक्ष सूर्यसेन ने यूनियन बैंक को जलाने का आदेश दिया। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता था, उस साम्राज्य का प्रतीक बैंक धू-धू कर जल रहा था। वंदे मातरम् के जयकारों के बीच तिरंगा लहरा उठा। जिस समय पुलिस लाइंस शस्त्रागार में आग लगाई जा रही थी, तभी एक क्रांतिकारी नौजवान बुरी तरह घायल हो गया। अनंत सिंह और गणेश घोष उत्तेजना के क्षण में उसे उपचार के लिए शहर ले गए।

ब्रिटिश सेना से घमासान

22 अप्रैल 1930, अंग्रेज सरकार नींद से अचानक जाग उठी। एक रेलगाड़ी में भरकर पहुँची ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेर लिया। बचे हुए क्रांतिकारी वहीं शरण लिये हुए थे। बहादुरों ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। लोकनाथ बादल ने जवाबी हमला किया। उनका बहादुर छोटा भाई हरि गोपाल जमीन पर लुढ़क गया। दर्जनों साथी शहीद हो गए। सैकड़ों ब्रिटिश सिपाही भी मौत के घाट उतार दिए गए।

रात्रि में गोलाबारी बंद होने पर, अपने बहादुर मृतक साथियों से अंतिम विदा ले और बुरी तरह घायल अंबिका चक्रवर्ती को भगवान् के भरोसे छोड़ समस्त क्रांतिकारी पहाड़ी से नीचे आए। वे समूहों में बँट गए। एक समूह का नेतृत्व सूर्यसेन और निर्मल सेन कर रहे थे तो दूसरे का लोकनाथ बादल। सारा क्षेत्र पुलिस सेना द्वारा छाना जा रहा था। उनसे बचते हुए दोनों समूह एक-एक गाँव पार करते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक दल घिर गया। आत्म-रक्षा के जब सारे प्रयत्न बेकार हो गए, तब वीरों ने विधर्मी के हाथों घुट-घुटकर मरने के बजाय स्वयं एक-दूसरे को गोली मार ली। वे सदा के लिए भारत माँ की गोद में सो गए। यह सारा इतिहास 6 मई को लिखा जा रहा था। उधर 28 मई को समस्त प्रमुख समाचार-पत्रों ने यह सनसनीखेज समाचार प्रकाशित किया कि फरार अनंत सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है। अनंत सिंह घायल क्रांतिकारी के इलाज के समय से दल से विच्छेदित हो गए थे।

अद्‌भुत संगठन क्षमता

चटगाँव से फरार हुए शेष क्रांतिकारी चंदन नगर के एक छोटे से मकान में ठहरे हुए थे। पुलिस से मुठभेड़ हुई। अनंत सिंह पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। शेष जोरदार मुठभेड़ के बाद निहत्थे पकड़ लिये गए। सूर्य का प्यारा जीवनसाथी घोषाल बुरी तरह से घायल था। उसे क्रांतिकारी शहीद कन्हाईलाल दत्त के जन्मस्थान पर दफनाया गया।

इन क्रांतिकारियों के चटगाँव जेल पहुँचने पर कारागार में थे—गणेश घोष, लोकनाथ बादल, अनंत सिंह तथा अन्य दर्जनों क्रांतिकारी। क्रांतिनायक सूर्य अभी तक पुलिस के फँदे में न आ सका था। अंबिका चक्रवर्ती और निर्मल सेन बाहर रहकर क्रांति की बुझती चिनगारी को प्रज्वलित कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में सुभाष बोस के भाई शरद बोस चटगाँव आए और कारागार में एक भेंट में अनंत सिंह से उन्होंने भागने की योजना बनाने की सम्मति दी। इस कार्य हेतु वे चार बम और 2000 रुपए भी साथ लाए थे।

एक बार योजना दिमाग में आने पर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करने लगे ये सूर्य सैनिक। सर्वप्रथम नीति के बतौर कोर्ट की काररवाई को लंबा खींचकर

तैयारी के लिए अधिक समय प्राप्त किया जा रहा था तो दूसरी ओर बाहर से नियमित संबंध स्थापित किया गया। अरघेंध्र घोष नामक एक कैदी जमानत पर मुक्त हुआ था। वह मध्यस्थ का काम कर रहा था। सूर्यसेन को लिखित पत्र भेजे जाने और प्राप्त किए जाने लगे। इस प्रकार जेल के भीतर और बाहर एक साथ योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

कारागार के भीतर विस्फोटक चूर्ण, डायनामाइट आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई। जेल के बाहर की योजना को भी सूक्ष्मता से तैयार किया जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने षड्यंत्र को मटियामेट कर दिया। असली योजना स्थगित कर दी गई। क्रांतिकारियों की संगठन क्षमता पर कारा अधिकारी आश्चर्यचकित थे। अंतत: सरकार ने प्रतीकात्मक काररवाई के स्थान पर क्रांतिकारियों से समझौता करना चाहा।

सरकार इस बात के लिए तैयार हुई कि इस मामले में कड़ाई से काम नहीं लिया जाएगा और बदले में क्रांतिकारी भी चटगाँव शस्त्रागार आक्रमणवाले मुकदमे में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उपस्थित करेंगे। दोनों पक्षों ने समझौते की शर्तों का पालन किया।

महिला क्रांतिकारियों का शौर्य

सूर्यसेन गाँव-गाँव भटक रहे थे। उन्हें पकड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके सिर पर 10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। अचानक एक दिन वे दालघाट में पुलिस से घिर गए। निर्मल सेन की बंदूक की गोली से एक अंग्रेज पुलिस अफसर घायल हो गया। दो अन्य अंग्रेज मारे गए। सूर्यसेन और प्रीति वहीं से भाग निकले। प्रीति वहीदकर ने पहाड़तली रेलवे संस्थान पर सफल आक्रमण के बाद जहर खाकर अपना नाम हिंदुस्तान की वीरांगनाओं में सुरक्षित कर लिया। लेकिन कब तक सूर्य अकेला ब्रिटिश सत्ता की विशाल सेना से संघर्ष करता? गोयराला गाँव के एक मकान में जब सूर्यसेन छिपे हुए थे, किसी गोरखा सैनिक ने दगा कर दिया।

16 फरवरी, 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिये गए। कल्पना दत्ता और मणि दत्त को छोड़ शेष पाँच भी पकड़ लिये गए। गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर भयंकर जुल्म ढाए गए। महिला क्रांतिकारी कल्पना भी तीन महीने बाद पकड़ ली गईं। उन्हें आजन्म कारावास की सजा मिली और सूर्य सेन को फाँसी दे दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शौर्य की जो चमक इतिहास के पन्नों पर दर्ज की गई है, उसमें एक किरण सूर्य सेन और उनके बहादुर साथियों के बलिदान की भी है। स्वाधीन भारत की हर पीढ़ी को ऐसे पराक्रमी सूर्यसेनों का स्मरण करना चाहिए, जिनके चरम उत्सर्ग ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त सुनिश्चित कर दिया।

□

विदेश यात्राओं के अनुभव

बिहारी मजदूरों के पसीने और आँसू ने सींचे मॉरीशस के खेत

सवाल यह है कि क्या मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनीडाड और गुयाना जैसे समुद्र-पार देशों के खेतों या असम के चाय बगानों या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की जमीन को खून-पसीना बहाकर उन्हें आबाद करना ही बिहार की नियति है? घर, परिवार, पत्नी, बच्चों, गाँव को छोड़कर जीविका की मजबूरी में पलायन का 160 वर्ष पुराना सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? मॉरीशस की यात्रा ने मुझे यह सोचने के लिए झकझोरकर रख दिया।

मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस सर शिवसागर रामगुलाम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा से 44 कि.मी. की दूरी पर है। यह लंबा फासला दूर-दूर तक फैले गन्ने के हरे-भरे खेतों से होकर गुजरता है। खेतों में जगह-जगह पत्थरों के ऊँचे ढेर लगे हैं। समुद्र किनारे खड़ा मुड़िया पहाड़ इन पत्थर के ढेरों के इतिहास का मूकसाक्षी है। ये ढेर 160 वर्ष पूर्व अँगरेजी राज के शोषणकारी दौर में बिहार-उत्तर प्रदेश के आरा, छपरा, बलिया जैसे इलाकों से लाए गए भोजपुरीभाषी गिरमिटिया बँधुआ मजदूरों के लाल पसीने द्वारा यहाँ की ऊबड़-खाबड़ पथरीली जमीन से पत्थर निकालकर इसे संसार की सबसे उर्वर भूमि में परिवर्तन की जिंदा दास्ताँ है। इस जमीन पर पैदा होनेवाले मीठे गन्ने में हर हिंदुस्तानी अपने बेबस पुरखों के पसीने और आँसू की तासीर महसूस कर सकता है।

सत्रहवीं शताब्दी में पहले डच यहाँ आए। यहाँ की वन-संपदा को लूटने और कीमती इमारती लकड़ी कटवा लेने के बाद वे इस दक्षिण अफ्रीकी द्वीप को यों ही छोड़कर चले गए। इसके बाद फ्रांसीसी आए, उनके साथ अफ्रीकी देशों से खरीदे गए गुलाम आए। 1810 में अंग्रेजों ने कब्जा किया। फ्रांसीसी जमींदारों ने सशर्त उनकी

अधीनता स्वीकार कर ली। कोई लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने अपनी भाषा और अपने चर्च भर की माँग की। उन्हें ये दोनों मिल गए और वे गन्ना बगानों के मालिक बने रहे।

सन् 1800 में लगभग 6000 भारतीय गुलाम मॉरीशस के खेतों में काम कर रहे थे। बाद के वर्षों में बंजर जमीन खेती योग्य बनाने हेतु भारतीय कैदी लाए जाने लगे। प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक डारविन ने 1836 में अपनी डायरी में 8000 भारतीय कैदियों के सड़क निर्माण और खेती में लगे होने का उल्लेख किया है। 1810 में ब्रिटिश संसद् ने दास प्रथा की समाप्ति का विधेयक पारित कर दिया। दास प्रथा समाप्त होते ही सारे उपनिवेश में मजदूरों की कमी हो गई। इस कमी की पूर्ति शर्तबंद मजदूरों या गिरमिटिया मजदूरों ने की। 1830 से कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बंदरगाहों से जहाज के जहाज भरकर मजदूर मॉरीशस लाए जाने लगे। अगले सत्तर साल तक यह सिलसिला अबाध गति से चलता रहा।

भोले-भाले, गरीब, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोगों को बेहतर जिंदगी का प्रलोभन दिया गया। पत्थर के नीचे सोना मिलेगा, छह माह की अग्रिम तनखाह, तीन वर्ष बाद स्वदेश वापस, कलकत्ता के बिल्कुल करीब के गाँवों से सैकड़ों मजदूर सुखद भविष्य का सपना सँजोए निकल पड़े थे बंदरगाहों की ओर। उन्हें भेड़-बकरियों के समान जहाज पर लादकर रवाना किया जाता रहा। दो माह की समुद्री यात्रा। भोजन के नाम पर सूखी रोटियाँ। हैजा, डायरिया, दस्त जैसी बीमारियों का प्रकोप। ठीक न होनेवाले मरीजों को चुपके से जहाज के किनारे ले जाकर अथाह समुद्र में धकेल दिया जाता था। बहुतों की जिंदगी किनारा नहीं देख पाती थी। जिंदगी के साथ उनके सारे सपने भी सागर में डुबो दिए जाते थे। जो बचकर मॉरीशस पहुँचते, उन्हें घाट पर बने बैरकनुमा कमरों में महीनों काम मिलने का इंतजार होता था। काम मिलता तो खेतों पर रोज 12-14 घंटे तक हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती और काम में कमी होने पर कोड़ों से पिटाई। जमीन पर सोना, आसमान ओढ़ना। इसी तरह इनके तीन साल बीतते, लेकिन वादे के मुताबिक स्वदेश वापसी नहीं होती। इनकी औरतों के लिए शादी की पहली रात गोरे मालिक के लिए हमबिस्तर होने की विवशता। हनुमानचालीसा, रामचरितमानस और भोजपुरी गीत ही दमन की उन घड़ियों में जीवन का संबल-सहारा होते। मॉरीशस की कविता, नाटक और लोकगीतों में तत्कालीन जनजीवन की यातना का मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। ऐसा ही एक लोकगीत है—

फरंगिया के राजुआ में छूटा मोरा देसुआ,
गोरी सरकार चली चाल रे विदेशिया।
भोली हमें देख आरकाटी भरमाया हो,
कलकत्ता पार जाओ पाँच साल रे विदेशिया।

जीपुआ माँ लाए पकरायो कागदुआ हो,
अँगूठवा लगाए वीन्ह हाय रे विदेशिया।
पाल के जहाजुआ माँ रोय-धोय बैठी हो,
कैसे होई काला-पानी पार रे विदेशिया।

जिअरा डेराय घाट क्यों नहीं आए हो,
बीते दिन कई मास रे विदेशिया।
आई घाट देखा जब मॉरीशस के टापुआ हो,
भया मन हमरा उदास रे विदेशिया।
कुदाल, कुरबाल दीन्हा हाथुआ माँ हमरे हो,
भया मन हमरा उदास रे विदेशिया।
खेतुआ माँ तास जब देव कुलंबरा तो,
मार मार हुकुम चलाए रे विदेशिया।
काली कोठरिया में बीते नाहीं रतिया हो,
किसने बताई हम पीर रे विदेशिया।
दिन-रात बीत हमारी दु:ख माँ उमरिया हो,
सूख सब नैनुवा के नीर रे विदेशिया।

इस लोकगीत में जीवन की व्यथा-कथा स्वयं ही अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार का एक प्रवासी विरह गीत इस प्रकार है—

छोड़ अइली हिंदुस्तानवा बबुआ पेटबा के लिए
छोड़ली मइया, बच्चा, बंधु सारा परिवारवा
कि छूटल अब मिलन के आस।
पहली मरम माँ छूटल पटना के सहरवा
छूट गइले प्यारी गंगा मइया के अँचरवा
नहीं मनली एको बाबा, भइया के कहनवाँ
बबुआ पेटवा के लिए।

इस तरह की शारीरिक-मानसिक यातना से गुजरनेवाली भारतीय (बिहारी) अफ्रीकी गुलामों की पीढ़ियों ने 1800 वर्ग कि.मी. में फैले मॉरीशस की रचना की। आज यहाँ 12 लाख की आबादी में 65 प्रतिशत भारतीय हैं, जिनमें 80 प्रतिशत भोजपुरी भाषी हैं। बड़ी पीड़ा के साथ ये लोग बताते हैं कि बिहार के भोजपुर से उनके पुरखे आए थे, परंतु यातना के चलते अपने गाँव के नाम तक भूल गए। घर-बाहर, दफ्तर-बाजार में क्रिओल के साथ-साथ भोजपुरी भी प्रचलित है। राजभाषा अंग्रेजी भी चलती है। राजभाषा अंग्रेजी

है, परंतु अँगरेजी का साप्ताहिक पत्र सिर्फ एक है। सभी दैनिक अखबार, साइन बोर्ड, सूचनाएँ फ्रेंच में हैं। हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती और बंद होती रहती हैं। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने हिंदी को अंग्रेजी और फ्रेंच के समान अनिवार्य बनाने की घोषणा कर हिंदी को सम्मान दिया।

मॉरीशस के हिंदीभाषी समाज में धार्मिकता बहुत प्रबल है। प्रत्येक हिंदू के घर के सामने ओम की पताका तथा हनुमानजी का चौरा अनिवार्य है। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म के मंदिर तथा शिवालय दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हिंदी प्रचार तथा धर्म की पताका उठाए रखने में आर्य समाज का योगदान चप्पे-चप्पे पर दिखाई पड़ता है। 'शिवरात्रि' मॉरीशस का राष्ट्रीय पर्व है। लाखों लोग 'गंगा तालाब' पर इकट्ठा होते हैं। मॉरीशेश्वर महादेव की अर्चना के लिए काँवर में लोग जल उठाते हैं। पदयात्रा करते हुए अपने गाँव के शिवाला में जल चढ़ाते हैं। लगभग वैसे ही, जैसे उत्तर भारत के काशी, हरिद्वार और देवघर में लाखों हिंदू श्रद्धालु सावन में भगवान् शिव का जलाभिषेक करते हैं।

मॉरीशस में जातिप्रथा समाप्ति पर है। अधिकांश हिंदू मूलत: दलित या पिछड़ी जाति के हैं, परंतु अब सभी अपने को वैश्य कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय यहाँ अंगुली पर गिनने लायक हैं। महिलाओं और पुरुषों के पहनावे तथा बोलचाल से लगता है कि हम बिहार के किसी कस्बे में चले आए हों। यहाँ दाल-पूड़ी, लिट्टी प्रसिद्ध है। बाजार में जगह-लगह कचड़ी का खोमचा लगा है। विवाह, मुंडन और मृत्यु जैसे मुख्य संस्कारों पर वैदिक परंपरा को बढ़ावा देनेवाले आर्य समाज का प्रभाव है। उत्सवों में भोजपुरी लोकगीत प्रचलित हैं।

मॉरीशस में अब कोई भूखा, नंगा, बेकार नहीं है। व्यापार चीनियों के पास है, तो उद्योग व फार्म यूरोपियों के हाथ। गन्ने के खेतों पर काम करनेवाले अधिकांश मजदूर आज भी बिहारी मूल के हैं या अफ्रीकी। लेकिन अब वे शोषण-मुक्त हैं, अच्छी मजदूरी मिलती है। अनेक लोगों के पास गन्ने के खेत भी हैं। सबों के अपने मकान हैं। बड़ी संख्या में विदेशी कारें हैं। नौकरी में भोजपुरी भाषी भरे पड़े हैं। सभी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट हैं। पूरे मॉरीशस में उच्च शिक्षा का अभाव है। आर्य समाज द्वारा संचालित स्कूल हिंदीभाषियों की आवश्यकता पूरी कर देते हैं।

अधिकांश भोजपुरीभाषी स्व. सर शिवसागर रामगुलाम के पुत्र नवीन रामगुलाम की 'लेबर पार्टी' के साथ हैं। इस दल को पिछले चुनाव में 40 प्रतिशत मत मिले, परंतु तीन सीटें प्राप्त कर यह पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ मिली-जुली सरकार चला रहे हैं। मंत्री भोजपुरी भाषी हैं। 1968 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् मॉरीशस के सभी प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हिंदी भाषी ही हुए हैं।

यातनापूर्ण इतिहास की स्मृति को सँजोए भारतीय मूल के भोजपुरी भाषियों का

सबकुछ मॉरीशस है। अब उनके लिए मातृभूमि-पितृभूमि मॉरीशस ही है, लेकिन वे अपने पुरखों की भूमि भारत का दर्शन करने तथा भोजपुर के अपने पैतृक गाँव में अपनी जड़ों को खोजने की लालसा अवश्य रखते हैं। परंतु गंभीर सवाल यह है कि क्या मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनीडाड और गुयाना जैसे समुद्र-पार देशों के खेतों या असम के चाय बगानों या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की जमीन को खून-पसीना बहाकर उन्हें आबाद करना ही बिहार की नियति है? घर, परिवार, पत्नी, बच्चों, गाँव को छोड़कर जीविका की मजबूरी में पलायन का 160 वर्ष पुराना सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? मॉरीशस की यात्रा ने मुझे इस पर सोचने के लिए झकझोरकर रख दिया।

□

हमारी राहें रोशन कर सकते हैं चीन, जापान, कनाडा

वर्ष 2012 में मुझे चीन, जापान और कनाडा की यात्रा का अवसर मिला। चीन की यात्रा वहाँ गरमियों में आयोजित होनेवाले विश्व आर्थिक सम्मेलन के सिलसिले में हुई थी। 2012 में भारत समेत 80 देशों के प्रतिनिधियों ने वहाँ के तेजिंग (चीन के दूसरे सबसे बड़े शहर) में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया। उसमें पाकिस्तान और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण थी। हमारे लिए गर्व का विषय था कि तेजिंग आर्थिक सम्मेलन में भारत से केवल बिहार को निमंत्रण मिला था। कनाडा (टोरंटो, ओटावा और बैंकूवर) और जापान (टोक्यो) की यात्रा वहाँ की कर-प्रणाली का अध्ययन करने हेतु भारत के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष की हैसियत से हुई थी। मेरे साथ देश के अधिकांश राज्यों के वित्त मंत्री सहित 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था।

चीन का विकास 50 साल आगे

तेजिंग सम्मेलन के मेजबान देश चीन ने पिछले 50 साल में काफी विकास कर लिया है और यह विकास अगले 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने विश्वस्तरीय सड़कें, पुल-पुलिया जैसी आधारभूत संरचना का विकास किया है। बीजिंग और तेजिंग के रेलवे स्टेशन तो हवाई अड्डों की तरह विकसित हैं। चीन आधारभूत संरचना और विकास के मामले में भारत से काफी आगे चला गया है, लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर है।

विपक्ष सिर्फ दिखावा

चीन में एक ही दल का शासन है—कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। चुनाव में

भी एक ही दल खड़ा होता है। दिखाने के लिए छोटे-छोटे दल रहते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का इतना वर्चस्व है कि हर स्कूल की मैनेजिंग कमिटी का चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी होता है। यानी हर संस्था, हर किसी बड़े निकाय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति पूरी व्यवस्था को देखता है। वहाँ पर एकदलीय शासन है।

जब मैं 2005 में चीन गया था, तब एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। चीन के राष्ट्रपति ने हम लोगों के सम्मान में भोज दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति हूँ जिंता उसमें आए थे। उनकी बगल में दस और राजनीतिक दलों के नेता बैठे थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब चीन में एकदलीय शासन है, तो ये बाकी दलों के नेता कहाँ से आ गए? परिचय कराया गया कि ये फलाँ दल के चेयरमैन हैं, ये फलाँ के चेयरमैन हैं। इनके पाँच और इनके सात लोग सांसद हैं। और अंत में कहा गया कि चीन में सभी विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल का समर्थन करते हैं (All the opposition parties support the ruling Communist Party of China).

नियंत्रित मीडिया

चीन में केवल एकदलीय शासन ही नहीं है, बल्कि मीडिया भी सरकारी नियंत्रण में है। वहाँ अखबार, टी.वी., रेडियो और सोशल नेटवर्किंग साइट (फेसबुक और ट्विटर) पर प्रतिबंध है। लोगों ने ट्विटर का एक चाइनीज संस्करण लाञ्च किया है, ताकि कोई व्यक्ति अगर अपनी निजी भड़ास निकालना चाहे, तो उसका उपयोग करे। उसका सरकारी नाम विवो है। उन दिनों एक साल में चार बार पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि हुई, लेकिन किसी समाचार-पत्र में एक शब्द भी विरोध में नहीं छपा। विरोध करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आप विरोध क्यों नहीं करते? तो उसने कहा—हम लोग इस तरह की बातों के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं।

इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि वहाँ का लोकतंत्र किस प्रकार का है।

दिलचस्प सत्ता-परिवर्तन

चीन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दस साल के लिए होते हैं। वे पाँच-पाँच साल के लिए चुने जाते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी मनोनीत करती है। माओत्से तुंग के बाद यह पाँचवाँ सत्ता-परिवर्तन होने जा रहा था। यानी नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करनेवाले थे। कौन बनेगा, यह किसी को नहीं मालूम। हम लोग जिन दिनों वहाँ थे, उस समय जिंग पिंग संभावित प्रीमियर थे। अचानक मालूम पड़ा कि वे दस दिनों से गायब हैं। यानी जो भावी प्रधानमंत्री थे, वे दस दिनों से किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई

नहीं पड़े। बीमार हैं? कहाँ हैं? अपहरण हो गया? किसी को पता नहीं। और यह बात जब अमेरिकी अखबारों में छपी, तब लोगों को मालूम पड़ा कि भावी प्रधानमंत्री दस दिनों से गायब हैं। बाद में जब दुनिया के अखबारों में काफी छपने लगा, तब अचानक वे प्रकट हो गए। लेकिन वे कहाँ थे? कैसे थे? यह किसी को पता नहीं।

एकल संतान नीति

चीन ने अपनी आबादी को नियंत्रित कर लिया है। वहाँ एकल संतान नीति का कड़ाई से पालन किया गया है। यानी एक परिवार, एक बच्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी छूट है। अल्पसंख्यकों को भी विशेष परिस्थितियों में दो बच्चों के लिए थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन बहुसंख्यकों पर उन्होंने एकल संतान नीति को पूरी तरह लागू किया है।

बदला विकास का मॉडल

चीनी मजदूर पढ़-लिखकर दूसरे काम-धंधों में भी लगने लगे हैं। वे फैक्टरी में नहीं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं। पिछले सात-आठ साल में विकास के कारण मजदूरी बढ़ गई है। दूसरी तरफ वैश्विक मंदी के कारण चीन के निर्यात में भारी गिरावट आई है। इन सब कारणों से चीन ने अपने विकास मॉडल को सस्ते श्रम और निर्यात पर आधारित रखने की जगह मशीनी उत्पादन एवं घरेलू उपभोग पर आधारित कर दिया है। अब वहाँ सस्ते मजदूरों की कमी के कारण मल्टी नेशनल कंपनियाँ भी अपनी फैक्टरियों को बंद कर रही हैं। पहली बार उसकी विकास दर में कमी आई है। असमानता, यानी अमीरी और गरीबी का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

गरीबी से मुक्ति, विषमता बढ़ी

चीन में गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह भारत के लिए सीखने लायक है। चीन में तानाशाही, एकदलीय शासन और गैर-बराबरी के बावजूद विकास भी हुआ है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1400 डॉलर है, लेकिन चीन की प्रति व्यक्ति आय 5400 डॉलर है। हर चीनी नागरिक हमसे पाँच गुणा अमीर है। जिस तरह की गरीबी बिहार में या भारत में है, उससे चीन ने अपने आपको मुक्त कर लिया है, लेकिन गैर-बराबरी का हाल यह है कि 3 करोड़ की कीमत वाली लक्जरी कार फेरारी पिछले एक साल में डेढ़ सौ से ज्यादा बिक चुकी हैं। चीन में आर्थिक विषमता के साथ शहरीकरण इतनी तेजी से हुआ है कि कल तक हम जिस चीन को मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जानते थे, वहाँ पिछले साल शहरी आबादी 51 प्रतिशत हो गई। बड़ी तेजी से गाँव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, इसलिए यह भी चुनौती उनके

सामने है। बीजिंग शहर में कोई झुग्गी-झोंपड़ी नहीं है। गरीबी और स्लम क्या होता है, यह विदेशी पर्यटकों को दिखाने के लिए कुछेक इलाकों को हैरिटेज के नाते प्रिजर्व (संरक्षित) करके रखा गया है। वे दिखाना चाहते हैं कि बीस साल में चीन ने गरीबी का मुकाबला कर उसे दूर कर लिया है।

साइकिल की जगह कारें

मैं दस साल पहले भी चीन गया था और 2005 में भी, परंतु इस बार काफी अंतर दिखा। 2005 में चीन की सड़कों पर जहाँ हजारों लोग साइकिल चलाते दिखे, वहाँ अब केवल कारें और गाड़ियाँ ही दिखीं। पहले वहाँ के शहरों में हमारे जमशेदपुर की तरह फैक्टरियों से लोग सुबह-शाम शिफ्ट खत्म होने पर साइकिलों से निकलते दिखते थे। इस बार शंघाई में मुझे केवल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थीं। गाड़ियाँ इतनी हो गईं कि सप्ताह में एक दिन उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। जिस गाड़ी के नंबर का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो मंगलवार को नहीं चलेंगी और जिस गाड़ी का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 है, वो शुक्रवार को नहीं चलेंगी। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो चीन वाली स्थिति भारत में भी पैदा होगी।

बढ़ती अंग्रेजी और हरियाली

दस साल पहले जब मैं चीन गया था, तब वहाँ अंग्रेजी जाननेवाले बहुत कम लोग थे। आज वहाँ अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन को लगता है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना नहीं बढ़ सकते। उन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार वहाँ पौधरोपण (प्लांटेशन) पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बीजिंग से तेजिंग तक 120 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से की। हाइवे के दोनों किनारे एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं होगी, जहाँ पौधा नहीं लगा हो। भारत की तरह एक पंक्ति में नहीं, बल्कि कम-से-कम 20 पंक्तियों में पौधे लगे होंगे। अगर सड़क के किनारे चल रहे हैं तो आप देख नहीं सकते कि पौधों की कतार के उस पार क्या है। उन लोगों ने काफी सघन प्लांटेशन किया है। हमने बुलेट ट्रेन से भी यात्रा की। वहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे कहीं वैसी गंदगी नहीं दिखी, जैसी हमारे यहाँ दिखती है। पूरे रेलवे ट्रैक के किनारे-किनारे उन्होंने पौधरोपण किया है। बड़े-बड़े पेड़ के स्थान पर फूल-पौधे दिखाई पड़ेंगे।

बुजुर्गों का सम्मान पाठ्यक्रम का हिस्सा

अब चीन में भी बुढ़ापे की समस्या गंभीर हो गई है। पहले तो उन्होंने एक बच्चा,

एक परिवार का नारा शुरू किया। अब चीन ने बुजुर्गों के सम्मान की शिक्षा को छात्रों के कोर्स में शामिल किया है। बूढ़े लोगों की समस्या पर चीन ने जापान से सबक लिया है। चीनी बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। भारत में पारंपरिक रूप से यह शिक्षा हर परिवार में दी जाती है। चीन में इसे पाठ्यक्रम का विषय बनाना उनकी विवशता हो गई है। चीनी परिवार में जब एक ही लड़का है, और वह नौकरी के लिए कहीं और रह रहा है, तो उनके बुजुर्गों को देखने कौन आएगा? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वे साल में एक या दो बार घर अवश्य आएँ। अपने माता-पिता का खयाल रखें। उनकी संतान से कहा जा रहा है कि वे अपने अकेले अभिभावक को दूसरी शादी के लिए राजी करें (You try to convince your single parent to re-marry), ताकि उनकी देखभाल हो सके। उन देशों में बुढ़ापा एक सामाजिक समस्या है। सरकार का सामाजिक खर्च (social spending) इतना ज्यादा है कि उनके बजट का बड़ा हिस्सा केवल पेंशन, चिकित्सा और बेरोजगारी भत्ता देने में व्यय हो रहा है।

निचले स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं

जापान में चार साल पर चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पाँच साल में छह प्रधानमंत्री आ गए। भिन्न-भिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद जापान, चीन और कनाडा—तीनों जगह आम आदमी नीचे के भ्रष्टाचार से मुक्त है। कोई भी काम कराना आसान है। चीन और जापान में ऊपर के भ्रष्टाचार की आम चर्चा है। जापान में तो कई प्रधानमंत्रियों को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पोलित ब्यूरो मेंबर पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।

चीन-जापान का भाषा-प्रेम

जापान और चीन के प्रधानमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री का हमारे सम्मेलन में घंटे भर का उद्घाटन भाषण दुभाषिया के माध्यम से हुआ। टोक्यो में तीन दिन हम लोग रहे। वहाँ जितने सरकारी लोगों से मुलाकात हुई, या जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया, वह जापानी भाषा में था। एक द्विभाषिया साथ में रहता था। जब चीन और जापान अपनी-अपनी भाषा (मंदारिन व जापानी) के माध्यम से दुनिया की बड़ी ताकत बन सकते हैं, तो हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

चीन-जापान में बौद्ध धर्म

जापान में बौद्ध धर्मालंबी लगभग 44 प्रतिशत हैं। वहाँ का सबसे बड़ा धर्म सिनोटिज्म है। सिनोटिज्म वह धर्म है, जिसमें कोई मूर्ति और उपासना पद्धति नहीं है।

कोई उसका प्रवर्तक नहीं है और न कोई धार्मिक पुस्तक। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म के बहुत करीब हैं। चीन में करीब 13 हजार बौद्ध मंदिर हैं। चीन का बहुसंख्यक समाज किसी बड़े धर्म में विश्वास नहीं करता। आबादी का बड़ा हिस्सा नास्तिक है। चीन में भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत ही कम है। बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित है। बड़े कड़े नियम हैं। केवल वही भारतीय लोग हैं, जो आई.टी. कंपनियों में गए हैं। जापान में भी केवल 50 हजार भारतीय हैं।

बड़ी आबादी वाले पड़ोसी

चीन और कनाडा का क्षेत्रफल भारत से तीन गुणा ज्यादा है, लेकिन जापान का क्षेत्रफल भारत की तुलना में इसका केवल 10वाँ हिस्सा है। कनाडा की आबादी सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख और जापान की आबादी मात्र 12 करोड़ है। दुनिया में केवल भारत और चीन ही 100 करोड़ की आबादी पार करनेवाले देश हैं।

कनाडा की राजनीति में भारतीय

कनाडा की राजधानी ओटावा में मैं एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उस रेस्टोरेंट के एक शेफ बिहारी हैं। अंधराठारी (मधुबनी) के मूल निवासी रामवरन यादव की तारीफ करते हुए उस रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि इनके बनाए खाने को प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने ही किया था। कनाडा की तीन करोड़ दस लाख की आबादी में दस लाख भारतीय हैं। वहाँ की संसद् में नौ सदस्य भारतीय मूल के हैं और कुछ मंत्री भी बन गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अगर शेफ रामवरन यादव के बनाए व्यंजन को पसंद करते हैं और उन्हें श्रेष्ठता का प्रमाण-पत्र देते हैं तो इसका मकसद भारतीय मूल के कनाडाई मतदाताओं को अच्छा मैसेज देना भी होता है। मुझे बिहार के कम ही लोग मिले। वहाँ पंजाब और तामिलनाडु के लोग ज्यादा हैं। बिहार से मिथिला के लोग ही मुख्य रूप से वहाँ बसे थे।

फेडरल गवर्नमेंट

कनाडा में भारत की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम है। चीन और जापान में राज्य (state) ताकतवर नहीं है। उस तरह की निर्वाचित विधानसभाएँ नहीं हैं। वहाँ पर जो कुछ भी है, वह केंद्रीय सरकार है। कनाडा में दस राज्य हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। उसको वे प्रीमियर बोलते हैं। वहाँ बाकायदा विधानसभा है। कनाडा में बिहार के एक झा साहब मिले। वे मोनिटोवा विधानसभा के मेंबर हैं।

टैक्स लगाने पर हारी सरकार

किसी भी देश की सरकार के लिए नई कर प्रणाली लागू करना आसान नहीं है। कनाडा में जब 1990-91 में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर—Good and services tax (GST) लागू किया गया, तब सत्ताधारी दल का सफाया हो गया और वह केवल दो सीटों पर सिमट गया। करों में कटौती एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री हार्पर ने घोषणा की थी कि अगर उन्हें बहुमत मिला तो वे कर की दर में कमी करेंगे। जीतने के बाद उन्होंने GST की दर 7 से घटाकर 6 फीसद और फिर 5 फीसद करने की घोषणा कर दी।

कनाडा के एलबर्टा राज्य के पास इतना तेल है कि वह जनता से किसी प्रकार का कर नहीं वसूलता है। ब्रिटिश कोलंबिया में टैक्स लागू करने के विरोध में जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया में यह प्रावधान है कि 50 हजार लोग हस्ताक्षर करके अगर प्रधानमंत्री को सुपुर्द करें, तो उस मुद्दे पर सरकार को रेफरेंडम कराना होगा। नया टैक्स लगाने पर हुए रेफरेंडम में सरकार चुनाव हार गई। ब्रिटिश कोलंबिया को पुराना टैक्स लागू करना पड़ा। नए टैक्स लागू करने के लिए वहाँ की केंद्र-सरकार ने उनको 1.6 बिलियन का पैकेज दिया था। अब उस सरकार को पैसा वापस करना पड़ेगा।

जापान में सबसे कम कर

जापान में 1997 के बाद टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। दुनिया में सबसे कम यानी 5 फीसद टैक्स जापान में है। अब न्यूनतम कर के कारण जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। जापान ने पिछले महीने संसद् में एक बिल पारित किया कि 2014 में 5 परसेंट वैट की दर को बढ़ाकर वे 8 प्रतिशत कर देंगे और 2015 में 10 परसेंट कर देंगे। इसको लेकर वहाँ राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। मुख्य विपक्षी दल ने शर्त रखी थी कि बिल पारित होने के बाद संसद् को भंग कर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। इस शर्त पर उसने टैक्स बढ़ाने की अनुमति दी। लेकिन जब बिल पारित हो गया, तब सत्ताधारी दल मुकर गया। संसद् भंग नहीं की गई और अब सरकार यह कह रही है कि हमने कहा था कि जल्दी चुनाव कराएँगे, लेकिन जल्दी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी।

यहाँ मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि भारत की तरह जापान में भी टैक्स बढ़ाना किसी सरकार के लिए संकट का कारण है। जापान में टैक्स बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के निर्णय में विपक्ष शामिल है। उनकी कठिनाई है कि यदि कर नहीं बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और बढ़ाते हैं तो जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है।

घटती विकास दर

वैश्विक मंदी का प्रभाव जापान में भी दिखाई पड़ने लगा है। जहाँ जापान द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था और '60 के दशक में जिसकी औसत विकास दर 10 प्रतिशत थी, उसी जापान की विकास दर '70 के दशक में 5 प्रतिशत, '80 के दशक में 4 प्रतिशत और '90 के दशक में केवल डेढ़ प्रतिशत रह गई। 2011 में पहली बार जापान की विकास दर केवल 0.9 प्रतिशत पर आ गई। यानी विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ चरमरा रही हैं। जापान ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक नंबर पर है, लेकिन उसे उत्पादन कम करना पड़ रहा है। उसका माल खरीदनेवाला कोई नहीं है। ग्रीस और स्पेन ने तो अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 120 प्रतिशत कर्ज ले रखा है। दरअसल, यूरो का संकट ज्यादा कर्ज लेने का नतीजा है। जापान ने अपने जी.डी.पी. का ढाई गुणा कर्ज ले रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्ज विदेशों से नहीं, बल्कि घरेलू ऋण है। हमारे लिए अच्छी बात यह भी है कि घरेलू कर्ज और घटती विकास दर के बावजूद जापान सबसे ज्यादा भारत को मदद करनेवाला देश है। जापान ने हमें 64 हजार करोड़ की मदद दी है, और यह इंट्रेस्ट-फ्री लोन है, जिसे 25 साल में वापस करना है।

भारत में दिल्ली-चेन्नई का मेट्रो और फ्रेट कॉरीडोर जापानी सहायता से जुड़ा है। अभी भी भारत को सबसे बड़ी मदद करनेवाला देश जापान ही है। बिहार को भी काफी जापानी मदद मिल रही है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) को जापान की सहायता मिल रही है।

परमाणु बिजली का संकट

जापान के सामने अभी न्यूक्लियर पॉवर का संकट है। 2011 में वहाँ भूकंप से इतनी बड़ी तबाही हुई कि जापान के न्यूक्लियर रिएक्टर (परमाणु बिजली संयंत्र) में लीकेज हो गया। रेडियोऐक्टिव कण का रिसाव और घातक विकिरण होने से बड़ा संकट पैदा हो गया। जापान की 30 प्रतिशत बिजली न्यूक्लियर प्लांट से प्राप्त होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बिजली जापान में ही है। 52 न्यूक्लियर पॉवर प्लांट हैं, लेकिन फोकिसमा दुर्घटना के बाद संसद् में सरकार को परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करनी पड़ी। चरणबद्ध तरीके से सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा के बावजूद जब सितंबर 2012 में उन्होंने दो पॉवर प्लांट चालू किए तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। परमाणु बिजली का विकल्प अपनाते समय भारत में भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। जापान में भूकंप बार-बार आता है, इसलिए उन्हें न्यूक्लियर पॉवर को फेज आउट करना पड़ा। अब वे परमाणु बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको तेल और गैस का ज्यादा आयात करना पड़ रहा है।

बुढ़ापा सबसे बड़ी समस्या

जापान-चीन और कनाडा, तीनों देशों में बुढ़ापा सबसे बड़ी समस्या है। बूढ़े लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कहते हैं कि पश्चिमी देश बुजुर्ग आबादी की सुनामी की ओर बढ़ रहे हैं (Entire western world is on its way to demographic tsunami of seniors)। भारत में अवकाश-प्राप्ति की उम्र 60 साल है, पर वहाँ 65 साल है। इस हिसाब से जापान की 30 प्रतिशत आबादी 60 साल से ऊपर के लोगों की है। वहाँ एक लाख लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं। अगर गलती से शादी कर ली, तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। चूँकि बच्चा पैदा करने के बाद पालन-पोषण करने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना उनके पास नहीं है। इसलिए नई आबादी नहीं बढ़ रही है। उनकी कामकाजी आबादी (उत्पादक जनसंख्या) घटती जा रही है। जापानी महिलाओं की औसत आयु 83 साल और पुरुषों की 79 वर्ष है।

सुरक्षित बुढ़ापा, दुर्लभ हुए बच्चे

हम लोग भारत में कहीं भी जाएँ तो बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जापान और चीन में आपको बच्चे बहुत खोजने पर ही दिखेंगे। सामाजिक सुरक्षा पर सरकार के खास ध्यान देने की वजह से जापानियों का स्वास्थ्य बढ़िया है, लेकिन उनकी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई है। रिटायरमेंट के बाद सभी को पर्याप्त पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा देने पर जापानी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। वे बेरोजगारों को भी पेंशन देते हैं। अच्छी बात यह है कि चीन-जापान और कनाडा जैसे कई देशों में किसी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की चिंता नहीं करनी पड़ती है।

कामकाजी आबादी की समस्या

जापान में युवा आबादी बढ़ाने के लिए सरकार मदद कर रही है। पति-पत्नी दोनों के काम पर जाने की वजह से लोगों के पास बच्चे पालने का वक्त नहीं होता है। कामकाजी दंपती को सरकार अपने खर्च पर शिशु-पालक (baby sitters) मुहैया कराती है, ताकि लोग आसानी से बच्चे पाल सकें। युवा आबादी के अभाव की समस्या चीन और कनाडा में भी है। उनके पास 16 से लेकर 50 साल तक की उम्र के कामकाजी लोगों की भारी कमी है।

समस्या समाधान के लिए कनाडा ने प्रतिवर्ष दो लाख विदेशियों को आने की अनुमति दी है। कनाडा सरकार कह रही है कि बड़ी संख्या में लोग उनके यहाँ पढ़ने के लिए आएँ और इसी अवधि में वहाँ की संस्कृति से परिचित हो जाएँ, ताकि उनका वहाँ बसना काफी आसान हो जाए। 2050 में उनके यहाँ जापान की तरह 65 साल से ज्यादा के लोगों की संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत और 2060 में 50 प्रतिशत हो जाएगी। वे लोग

प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाहर से लोग काम करने के लिए उन देशों में आएँ। बिहार के लोग पढ़ने-लिखने के लिए वहाँ जा सकते हैं। अभी बिहार के लोग बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं।

एक सदस्यीय परिवार

कनाडा में सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, यानी एक घर में एक ही आदमी है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं। तलाक की दर इतनी ज्यादा है कि घर में न बच्चा है और न ही कोई और। एक सदस्यीय परिवार है। 1970 में जापान में 9 लाख एक सदस्यीय परिवार थे। इस समस्या से चीन-जापान जैसे देश जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह कि स्वास्थ्य पर उन लोगों ने काफी ध्यान दिया है। इन सभी देशों में लोग दिन-दोपहर में भी दौड़ते हुए दिखाई पड़ जाएँगे। भारत में सुबह के अलावा कोई दौड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इन देशों में लोग साइकिल चलाते और दौड़ते हुए दोपहर और रात में भी दिखाई पड़ेंगे। वहाँ साइकिल के लिए अलग लेन है। साइकिल चलाना तौहीनी नहीं है। संपन्न लोग भी साइकिल चलाते हैं। ऑफिस यदि 5 किलोमीटर जाना है, तो वे साइकिल चलाकर ही जाते हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इन सभी मुल्कों में शाम 7 बजे तक रात्रि का खाना हो जाता है। बुजुर्ग लोग 8 बजे तक पार्क में चले जाते हैं। हर पार्क में म्यूजिक सिस्टम पर एरोबिक म्यूजिक चल रहा होता है। पचासों की संख्या में बुजुर्ग लोग खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिटनेस पर उनका खास ध्यान है।

चीन के होटल और फैक्टरियों में 8.00 बजे प्रात: काम शुरू हो जाता है। लेकिन कामगारों को 7.30 बजे पहुँचकर आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में एसेंबली होती है, उसी तरह वहाँ हर फैक्टरी या उद्योग में भी काम के पहले एसेंबली होती है, जिसमें कार्य-संबंधी जरूरी जानकारी और निर्देश दिए जाते हैं।

भारतीय नौकरशाही की छवि खराब

जापान और चीन में कई जगह हमारे सम्मान में भोज का आयोजन किया गया था। इन अवसरों पर वहाँ के उद्योग-जगत् के लोगों से बातचीत हुई। हम उनसे एक ही चीज पूछते थे कि भारत में आप क्या कठिनाई महसूस करते हैं? उनका जबाव भी एक ही होता था—भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। बेहतर सड़क, पुल-पुलिया और बिजली का अभाव। दूसरी तरफ इन देशों ने अपने यहाँ विश्व स्तरीय संरचना विकसित की है। उन्हें लगता है कि भारत में काम करना कठिन है। यहाँ यदि कोई उद्योग-व्यापार करना चाहे, तो नौकरशाही का सामना करना पड़ता है। कानून और इसकी प्रक्रियाएँ जटिल हैं। इससे वे लोग घबराते हैं।

आविष्कार में पिछड़ा भारत

दुनिया के देशों द्वारा शेल गैस (shale gas) के आविष्कार में ऊर्जा संकट का समाधान खोजा जा रहा है। पत्थरों के भीतर यह गैस संचित होती है। वैज्ञानिक विधि से पत्थरों को तोड़कर उसके कणों के बीच से गैस निकाली जाती है। धुन के पक्के एक वैज्ञानिक को शेल गैस का आविष्कार करने में 15 वर्ष लगे। दुनिया के तमाम देश नए-नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें पीछे रह गया है। हम लोगों ने चीन में सोलर पैनल की फैक्टरी भी देखी। सोलर पैनल बनाने में चीन विश्व में नंबर एक पर है।

हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर

कुल मिलाकर भारत के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि सारी चीजों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत खंभों पर टिकी है। ठीक है कि हमारा भी ग्रोथरेट इस बार घटकर साढ़े पाँच प्रतिशत पर आ गया है, लेकिन जिस प्रकार का संकट यूरोप और अमेरिका में आया है, वैसे संकट का सामना कम-से-कम भारत को नहीं करना पड़ा है। सारे झंझावात से हम भी प्रभावित जरूर होंगे और हो भी रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं चरमराएँगे, जिस तरह से अमेरिका, जापान या यूरोप के देश प्रभावित हो गए हैं।

भारत की 70 फीसद युवा आबादी भी हमारे लिए वरदान है। युवाओं का कौशल बढ़ाकर उन्हें बेहतर मानव-संसाधन बनाने और आबादी को नियंत्रित कर उपलब्ध भौतिक संसाधनों पर दबाव कम करने की चुनौती हमारे सामने है। इसके साथ ही भारत को बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, टूटते संयुक्त परिवार और सामाजिक सुरक्षा के अभाव की समस्या से निपटने की तैयारी तेज करनी होगी। ढाँचागत संसाधनों के विकास, जनसंख्या स्थिरीकरण, बुढ़ापे की समस्या और गरीबी उन्मूलन जैसे कई क्षेत्रों में हम चीन-जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरे देशों के अनुभव समस्याएँ हल करने में हमारी राहें रोशन कर सकते हैं और आसान भी।

नोट : यह आलेख चीन, कनाडा और जापान की यात्रा के बाद 5 अक्तूबर, 2012 को बिहार विधान परिषद् के सभागार में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी के संस्मरणात्मक व्याख्यान का संपादित अंश है।

□□□